द्वितीय माला, खण्ड ५२—अंक ३०

सोमवार, २७ मार्च, १९६१
६ चैत्र, १८८३ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(तेरहवां सत्र)

2nd Lok Sabha

(खण्ड ५२ में अंक २१ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में) चार शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची पृष्ठ

द्वितीय माला, खण्ड ५२--अंक २१ से ३०--१४ से १७ मार्च १९६१/२३ फाल्गुन, १८८२ से ६ चैत्र, १८८३ (शक)

अंक २१ मंगलवार, १४ मार्च, १९६१/२३ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८०४, से ८०८, ८१० से ८१४, ८१६ से ८१९, ८२१, ८२३, ८२५ और ८२७ से ८२९ . . . २३३१—५५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ . . . . . २३५५–५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८०९, ८१५, ८२०, ८२२, ८२४, ८२६ और ८३० से ८४४ . . . . . . २३५७—६६

अतारांकित प्रश्न संख्या १५६० से १६४८, १६५० से १६७१ और १६७३ से १६८५ . . . २३६६—२४१६

स्थगन प्रस्ताव--

१. रुद्रसागर स्थित तेल कूप में कथित दुर्घटना . . . २४१६–१७

२. चीनियों द्वारा भारतीय क्षेत्र का कथित अतिक्रमण . . २४१८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

नागा विद्रोहियों द्वारा रेलगाड़ी पर आक्रमण . . . २४१८–१९

सभा पटल पर रखा गया पत्र--

उड़ीसा विनियोग विधेयक, १९६१--पारित किया गया . २४२०

विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक, १९६१—पारित किया गया . २४२०–२१

सामान्य आय-व्ययक--सामान्य चर्चा . २३२१—५१

रेलवे यात्री किराया (निरसन) विधेयक--

विचार के लिए प्रस्ताव २४५१—५३

"पूर्व की यात्रा करो" वर्ष के बारे में आधे घंटे की चर्चा २४५४—५८

दैनिक संक्षेपिका २४५९—६६

अंक २२--बुधवार, १५ मार्च, १९६१/२४ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या ८४५ से ८५८ . २४६७—९१

विषय-सूची पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८५६ से ८९२ . . . २४९१--२५०७

अनातारांकित प्रश्न संख्या १६८६ से १७३६, १७३८ से १७८२ और १७८४ से १७९२ . . . . . २५०७--५३

दिनांक १८-१२-५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २००५ के उत्तर में शुद्धि २५५४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

अमेरिकी गेहूं . . . २५५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २५५५--५६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--

उनासीवां प्रतिवेदन २५५६

सभा का कार्य २५५६--५७

समिति के लिए निर्वाचन--

प्रविधिक शिक्षा के लिए अखिल भारतीय परिषद २५५७

रेलवे यात्री किराया (निरसन) विधेयक--

विचार के लिए प्रस्ताव २५५७--६१

खंड २, ३ और १ . २५६०

पारित करने का प्रस्ताव . २५६१

सामान्य आयव्ययक--सामान्य चर्चा . . २५६१--६४

आरामदेह कारों के आयात के बारे में--आधे घंटे की चर्चा . . २५९३--९६

दैनिक संक्षेपिका . २५९७--२६०४

अंक २३--गुरुवार, १६ मार्च, १९६१/२५ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८९३, ८९४, ८९६, ८९७, ८९९ से ९०७ और ९०९ २६०५--३०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ २६३०--३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८९५, ८९८, ९०८ और ९१० से ९२५ २६३२--४०

अतारांकित प्रश्न संख्या १७९३ से १८४३ २६४०--६०

विषय सूची पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

चल सम्पत्ति और बैंकों में जमा धन के बारे में भारत-पाकिस्तान वार्ता की कथित असफलता २६६०--६२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . २६६२-६३

नमक उपकर (संशोधन) विधेयक--पुरस्थापित . २६६३

सामान्य आयव्ययक--सामान्य चर्चा . . . २६६३--२७१४

दैनिक संक्षेपिका २७१५--१९

अंक २४--शुक्रवार, १७ मार्च, १९६१/२६ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९२६ से ९२९, ९३२ से ९३७, ९४० से ९४३, ९४५, ९४७, ९४८, ९५० और ९५१ २७२१-४५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९३०, ९३१, ९३८, ९३९, ९४४, ९४६, ९४९ और ९५२ . . २७४५--४८

अतारांकित प्रश्न संख्या १८४४ से १९१५ २७४८--७७

स्थगन प्रस्ताव--

सिक्किम और भूटान की सीमा पर चीन द्वारा कथित सैनिक तैयारियां २७७७--७९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

दण्डकारण्य के शरणार्थियों का पुनर्वास २७७९--८१

सभा पटल पर रखे गये पत्र २७८१--८३

राज्य सभा से सन्देश . . २७८३

तारांकित प्रश्न संख्या ४५ के उत्तर में शुद्धि . २७८३--८४

सभा का कार्य . २७८४

सामान्य आयव्ययक--सामान्य चर्चा . . २७८४--२८१०

लेखा अनुदानों की मांगें, १९६१-६२ . २८११--१६

विनियोग (लेखा अनुदान) विधेयक, १९६१--पारित २८१६--१७

बीमा (संशोधन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव २८१७-१८

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--

उनासीवां प्रतिवेदन २८१८

विषय-सूची	पृष्ठ
सरकारी कर्मचारियों के कार्मिक संघों के कार्यवाहियों के बारे में संकल्प—	
अस्वीकृत	२८१६—२२
सभी प्रादेशिक भाषाओं के लिये देवनागरी को सामान्य लिपि बनाने के बारे में संकल्प	२८२२—४०
दैनिक संक्षेपिका . .	२८४१—४७

अंक २५--सोमवार, २० मार्च, १९६१/२९ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ९५३ से ९६३ . .	२८४९—७१
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ९६४ से ९८७ . . .	२८७१—८२
अतारांकित प्रश्न संख्या १९१६ से १९७०, १९७२ से १९८० और १९८२ से १९९१	२८८३--२९१८
विशेषाधिकार प्रश्न के बारे में	२९१८
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	२९१८
राज्य सभा से सन्देश . .	२९१८-१९
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . .	२९१९
तम्बारम् के निकट विमान दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	२९१९-२०
श्री कृष्ण मेनन .	
बीमा (संशोधन) विधेयक—	
विचार के लिये प्रस्ताव	२९२०--२६
खण्ड २, ३ और १ .	२९२०—२३
पारित करने का प्रस्ताव . . .	२९२३—२६
अनुदानों की मांगें—	
शिक्षा मंत्रालय	२९२७—७६
दैनिक संक्षेपिका	२९७७—८२

अंक २६--मगलवार, २१ मार्च, १९६१/३० फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर---	
तारांकित प्रश्न संख्या ९८८ से ९९५, १००९, ९९६, ९९९, १००० से १००३ और १००५	२९८३—३००९
तारांकित प्रश्न संख्या ९९० के उत्तर में शुद्धि .	२९८८--९०
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ .	३००९-१०

विषय सूची पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९९७, ९९८, १००४, १००६ से १००८ और १०१० से १०१६ . . . . . ३०१०—१६

अतारांकित प्रश्न संख्या १९९२ से २०४१ और २०४४ से २०५५ . ३०१६—४५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ३०४५

बिहार और उड़ीसा में सीमेंट की कमी

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३०४५-४६

राज्य-सभा से सन्देश ३०४६

औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक—

राज्य सभा से संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में सभा-पटल पर रखा गया । ३०४६

अनुदानों की मांगें . . . ३०४६—३११०

स्वास्थ्य मंत्रालय . . . ३०४७—९३

वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय . . ३०९४—३११०

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३१११—१६

अंक २७—बुधवार, २२ मार्च, १९६१/१ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०१७, १०१८ और १०२० से १०३५ . ३११७—४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०१९, १०३६ से १०४३ . ३१४२—४५

अतारांकित प्रश्न संख्या २०५६ से २११५ और २११७ से २१३७ . ३१४६—७९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

राजस्थान में बाली दुर्ग में विस्फोट ३१७९-८०

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३१८०-८१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

अस्सीवां प्रतिवेदन ३१८१

सदस्य द्वारा वक्तव्य में शुद्धि ३१८१

अनुदानों की मांगें—

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय . . ३१८२—३२०३

सूचना और प्रसारण मंत्रालय . . . . ३२०४—३७

उड़ीसा में प्राथमिक तथा माध्यमिक पाठशालाओं के अध्यापकों के बारे में आधे घंटे की चर्चा . ३२३७-३८

दैनिक संक्षेपिका . ३२३९—४४

विषय सूची—(जारी) पृष्ठ

अंक २८—गुरुवार, २३ मार्च, १९६१/२ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४७, १०४८, १०४६, १०४९, १०५०, १९५२ से १०५८, १०६१, १०६३ और १०६५ ३२४५—७०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४४, १०४५, १०५१, १०५९, १०६०, १०६२, १०६४ और १०६६ से १०८० . . . ३२७०—७९

अतारांकित प्रश्न संख्या २१३८ से २१८१ और २१८३ से २२०६ . ३२७९—३३०७

मंत्री द्वारा वक्तव्य

दिल्ली में सरकार द्वारा अर्जित भूमि का आवंटन ३३०७

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३३०७

प्राक्कलन समिति

एक सौ दसवां प्रतिवेदन . . ३३०७

अनुदानों की मांगें . . . . ३३०७—५६

सूचना और प्रसारण मंत्रालय . . ३३०७—३६

विधि मंत्रालय ३३३७—५६

दैनिक संक्षेपिका . ३३५७—६१

अंक २९—शुक्रवार, २४ मार्च, १९६१/३ चैत्र, १८८३ (शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण . ३३६३

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०८१ से १०८५, १०८७ से १०९४ और १०९७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ . . ३३६३—९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०८६, १०९५, १०९६ और १०९८ से ११०७ ३३९०—९७

अतारांकित प्रश्न संख्या २२०७ से २२५८ और २२६० से २२९९ . ३३९७—३४२३

राष्ट्रमंडलीय प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन के बारे में वक्तव्य . . ३४२४—३०

श्री जवाहरलाल नेहरू

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . ३४३०-३१

विषय सूची--(जारी) पृष्ठ

प्राक्कलन समिति—

एकसौ उन्नीसवां प्रतिवदन ३४३१

सभा का कार्य . ३४३१—३२

अनुदानों की मांगें . ३४३२—४८

विधि मंत्रालय . . . . . ३४३२—४८

गैर-सरकारी सदस्यों के विधयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—

अस्सीवां प्रतिवेदन . . ३४४६

सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक के बारे में ३४४६

पुरस्थापित किये गये विधेयक : . . . . ३२४६—५०

१. दानकर (संशोधन) विधेयक, १६६१ (धारा २२, २३, २५, २६ और ३५ का संशोधन) [श्री रामकृष्ण गुप्त का] . ३४४६

२. भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक, १६६१ (धारा ६८ और ६६ का संशोधन) [श्री रामकृष्ण गुप्त का] . . . ३४४६

३. सहायक बैंक विलय विधेयक, १६६१ [श्री रामकृष्ण गुप्त का] ३४५०

४. संविधान (संशोधन) विधेयक, १६६१ (अनुच्छेद २२६ का संशोधन) [श्री चे० रा० पट्टाभिरामन का] . . ३४५०

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक (नये अध्याय ५कक का रखा जाना) [श्री त० ब० विट्ठल राव का] वापिस लिया गया

विचार के लिये प्रस्ताव . . . . . ३४५०—५८

तेलों का जमाये जाने पर रोक विधेयक [श्री झूलन सिंह का]—

विचार के लिये प्रस्ताव . . . . ३४५६—६२

दैनिक संक्षेपिका . . . ३४६३—६८

अंक ३०—सोमवार, २७ मार्च, १६६१/६ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११०६ से ११११, १११३ से १११५, १११७ से ११२१, ११२३, ११२६ से ११२८ और ११२४ ३४६६—६४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० और ११ ३४६४—३५०१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११०८, १११२, १११६, ११२२, **११२५ और** ११२६ से ११३५ . . . . . ३५०१—०६

अतारांकित प्रश्न संख्या २२७० से २३६० और २३६२ से २३७३ . ३५०६—५७

विषय-सूची—जारी पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ३५५७–५८
दामोदर घाटी निगम के कलकत्ता क्षेत्र को पर्याप्त बिजली का न मिलना
उड़ीसा में मध्यावधि चुनाव के बारे में वक्तव्य . . . ३५५८–५९
१९६१ की भारत की जनगणना के बारे में वक्तव्य . ३५५९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३५६०
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . ३५६०
प्राक्कलन समिति—
एक सौ ग्यारहवां प्रतिवेदन . . ३५६०
उड़ीसा का आय-व्ययक—१९६१–६२—उपस्थापित . . ३५६१—६६
अनुदानों की मांगें—
गृह-कार्य मंत्रालय . . . . . ३५६६—३६१४
दैनिक संक्षेपिका . . . ३६१५—२१

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वातस्व में पूछा था ।

G GIPND—LS III—123(Ai) LSD—12-5-61—125.

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

सोमवार, २७ मार्च, १९६१

६ चैत्र, १८८३ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

रेलवे इंजनों का आयात

†*११०९. **श्री अ० मु० तारिक** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों से रेलवे इंजनों के मौजूदा भारी आयात को कम करने के लिये सरकार का क्या ठोस कदम उठाने का विचार है ; और

(ख) रेलवे इंजनों के आयात के कब पूरी तरह से बन्द हो जाने की संभावना है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) इस समय केवल बिजली और डीजल के इंजनों का आयात किया जाता है । ब्राड, मीटर या नैरोगेज के स्टीम इंजनों का आयात करने की कोई आवश्यकता नहीं है । देश में बिजली और डीजल के इंजनों का निर्माण बढ़ाया जा रहा है ।

(ख) अब बिजली और डीजल इंजनों के लिये पर्याप्त क्षमता लगा दी जाएगी ।

श्री अ० मु० तारिक : मैं जानना चाहता हूं कि एलेक्ट्रिक और डीजल एंजिन हिन्दुस्तान में बनाने में कितना वक्त लगेगा, और कितने वक्त में हम उन्हें तैयार करने के काबिल हो जायेंगे ।

श्री शाहनवाज खां : मेरे मोअज्जिज दोस्त को पता है कि इस वक्त चितरंजन में डी० सी० एलेक्ट्रिक लोको मोटिव तैयार हो रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि वह बहुत जल्द बन कर मंजरे आम पर आ जायेगा । ए० सी० लोलोकोटिब्ज के बारे में हम ने एक ब्रिटिश फर्म के साथ कोलैबोरेशन किया है और उम्मीद है कि यह काम बहुत जल्द शुरू हो जायेगा । लेकिन उस की कामयाबी का दारोमदार जो सामान या एलेक्ट्रिकल पोर्शन्स भोपाल में तैयार हो रहे हैं उन के ऊपर होगा । दूसरे लोकोमोटिब्ज के बारे में एक कमेटी तायनात की गई थी । उस कमेटी ने अपनी सिफारिशात गवर्नमेंट के सामने रखी हैं और उन के ऊपर बहुत संजीदगी से गौर हो रहा है ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वी० चं० शर्मा** : क्या सरकार ने इस बात का हिसाब लगा लिया है कि वे तीसरी योजना में कितने मील लाइन का विद्युतीकरण करेंगे और क्या उन्होंने यह भी अनुमान लगाया है कि कितने बिजली के इजनों की जरूरत होगी और यदि हां, तो वह इस आवश्यकता को पूरा करने के लिये क्या कर रही है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : माननीय सदस्य संभवत: जानते हैं कि तीसरी योजना में जो अभी अस्थायी है, हमें ५२० डीजल और २०० बिजली के इंजनों की आवश्यकता होगी। प्रारम्भिक प्रकमों में कुछ इंजनों का आयात किया जाएगा किन्तु तीसरी योजना के बाद के प्रक्रमों में हमें आशा है कि हम कुछ अपने बिजली और डीजल इंजन बना सकेंगे ।

श्री अ० मु० तारिक : मैं यह जानना चाहता हूं कि हम जो इंजिन इम्पोर्ट करते हैं, चाहे वह एलेक्ट्रिक के हों या डीजल के, उन के इम्पोर्ट करने का त ीकाकार क्या है, खुद गवर्नमेंट इम्पोर्ट करती है या वह एजेंटों के जरिये इम्पोर्ट करती है।

†**श्री शाहनवाज खां** : इसका तरीकाका र यह है कि जो कर्जा डेवेलपमेंट लोन फंड से या वर्ल्ड ैके से मिलता है अमरीका की तरफ से, अगर हम उस में से खरीद करें तो हमें अमरीका की फर्म से ही खरीदना पड़ता है। हम एक आम टेंडर मदऊ करते हैं और तमाम फर्में अपने अपने कोटेशन्स भेजती हैं। यहां रेलवे बोर्ड में उन की कीमतों के ऊपर गौर करके और जो उन की टेकनिकल साइड है, उस को देखने के बाद फैसला किया जाता है ।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** : मा० उपमंत्री ने बताया कि नेरोगेज के इंजन मंगवाने की जरूरत नहीं। क्या उनका निर्माण किया जाता है तथा डीजल इंजनों के निर्माण के बारे में रेलवे बोर्ड को पेश किये गये प्रतिवेदन के बारे में अन्तिम निर्णय कब किया जाएगा क्योंकि सरकारी क्षेत्र में उनका निर्माण करने का निर्णय पिछले अगस्त में किया गया था ?

†**श्री शाहनवाज खां** : नैरोगेज इंजनों की हमा ी आवश्यकता बहुत सीमित है। वर्ष १९५९-६० में केवल अठारह मंगवाई गई थीं। इसलिये भारत में इनका निर्माण आरंभ करना सस्ता काम नहीं होगा और हमने यह फैसला किया है कि यदि आयात करना है तो डीजल का किया जाना चाहिये ।

देश में डीजल इंजनों के निर्माण के बारे में सभा को पता है कि सरकार ने यह निर्णय किया है कि निर्माण सरकारी क्षेत्र में किया जाएगा। विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की गई थी और उसने अपनी सिफारिशें सरकार को पेश कर दी हैं। प्रतिवेदन पर सरकार विचार कर रही है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या यह सच है कि लगभग एक सौ बिजली इंजनों का आयात किया गया था और उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है तथा वे इस कारण बेकार पड़े हैं कि विद्युतीकरण कार्यक्रम पिछड़ गया है ? यदि हां, तो इंजनों का आयात कार्यक्रम और विद्युतीकरण कार्य दोनों साथ साथ क्यों नहीं चलाये गये ?

†**श्री शाहनवाज खां** : यह कहना सर्वथा सही नहीं कि सभी बिजली इंजन बेकार पड़े हैं। उन में से कुछ उपयोग में आ रहे हैं। अन्य इंजनों का विभिन्न प्रकार का परीक्षण किया जा रहा है। यह ठीक है कि विद्युतीकरण का कार्यक्रम पिछड़ गया है। इस का कारण है कि

---

†मूल अंग्रेजी में

केवल वायरों को जोड़ने और बिजली की उपलब्धि आदि के संबन्ध में कुछ कठिनाइयां पेश आई थीं। हम इसे यथासंभव जल्दी करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

†**श्री वाजपेयी** : म० उपमंत्री ने अभी बताया है कि कुछ इंजनों का परीक्षण किया जा रहा है। क्या बिना परीक्षण किये इंजनों का आयात कर लिया गया था ?

†**श्री शाहनवाज खां** : आयात किये जाने से पूर्व इंजनो की पड़ताल उन देशों में जहां इंजन बनाये जाते हैं, स्थित हमारे निरीक्षकों द्वारा की जाती है। बाद में जब इंजन भारत में आ जाते हैं तो हम फिर उनकी पड़ताल करवाते हैं।

†**श्री तंगामणि** : अगली वर्ष, १९६१–६२ में कितने डीजल और बिजली के इंजन मंगवाये जायेंगे और उनकी लागत क्या होगी ?

†**श्री शाहनवाज खां** : मुझे इसकी पृथक् पूर्व सूचना मिलनी चाहिये।

रेलवे के सवारी-डिब्बों और माल-डिब्बों का निर्यात

+
†*१११०. **श्री नंजप्प :**
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के सवारी-डिब्बों और माल-डिब्बों के निर्यात की क्या संभावनायें हैं ;

(ख) क्या प्रतिनिधिमंडल अथवा प्रतिनिधिमंडलों को बाहर भेज कर इस बारे में कोई जांच अथवा अध्ययन किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इन प्रतिनिधिमडलों की रिपोर्ट क्या है ;

(घ) क्या सवारी-डिब्बों तथा माल-डिब्बों को अर्जेंटाइना, पाकिस्तान और अन्य देशो को निर्यात करने की कोई विशिष्ट प्रस्थापनायें हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) दक्षिण पूर्व एशिया तथा मध्य पूर्व के पड़ौसी देशों को रेलवे माल और सवारी डिब्बों के निर्यात किये जाने की सम्भावनाएं हैं।

(ख) और (ग). जी, हां। १९५९ के मध्य में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को एक रेलवे प्रतिनिधिमंडल भेजा गया था। वर्ष १९६० के दौरान रेलवे और राज्य व्यापार निगम के अफसरों का एक प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान, लंका और अर्जेंटाइना को भी भेजा गया था इन प्रतिनिधिमंडलों ने सरकार को अपने प्रतिवेदन पेश किये थे।

(घ) पाकिस्तान और अर्जेंटाइना रेलों के द्वारा जारी की गई विश्वव्यापी पूछताछ के सिलसिले में इन्टीग्रल कोच फैक्टरी पैराम्बूर द्वारा डिब्बे बनाये जाने के लिये राज्य व्यापार निगम द्वारा उत्कथित मूल्य दिये गये थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) ८० पूर्णतः इस्पात के हल्के डिब्बों के पाकिस्तानी टेंडर के मुकाबले में हमारा टेंडर सब से कम था। अर्जेनटाइना रेलवे के टेंडर के मुकाबले में ९० ब्राड गेज उपनगरीय डिब्बों आदि और ८० मीटर गेज डिब्बों के लिये उत्कथित मूल्य दिये गये थे। हमारा उत्कथित मूल्य एक को छोड़ कर सब से कम था। इन दोनों टेंडरों के परिणाम अभी मालूम नहीं हुए।

†**श्री नंजप्प** : इन्टीग्रल कोच फैक्टरी में कम लागत और बढ़िया किस्म के उत्पादन की दृष्टि से, सरकार ने निर्यात के हेतु उत्पादन को और बढ़ाने के लिये क्या कारवाई की है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : हमने दूसरी पारी आरंभ कर दी है, किन्तु जब तक आर्डर नहीं मिलते हम तीसरी पारी आरंभ नहीं करेंगे। यदि आवश्यकता होगी तो हम निर्यात के लिये अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं।

†**श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या इन डिब्बों के उत्तम गुण प्रकार के बारे में पाकिस्तान में संदेह प्रकट किया गया था, यदि हां, तो वे सन्देह क्या थे और वे कहां तक युक्ति युक्त थे ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : पाकिस्तान ने कुछ सन्देह प्रकट किये। हमने विशेषज्ञों की एक समिति भेजी और हमने उन्हें यकीन दिला दिया कि डिब्बे बिल्कुल ठीक थे।

†**श्री नंजप्प** : यहां इन डिब्बों के निर्माण के लिये हम विदेशी पुर्जों पर किस सीमातक निर्भर रहते हैं ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : बहुत कम, एक या दो प्रतिशत।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी**: अन्य देशों के 'कोटेशन' के मुकाबले भारत का 'कोटेशन' क्या था ? सब से कम राशि क्या थी ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : एक पृथक प्रश्न पूछा जायेगा।

†**श्री नंजप्प** : क्या इन्टीग्रल कोच फैक्टरी द्वारा ऊंची श्रेणी के डिब्बे भी बनाये जाते हैं ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : जी हां, हमने उत्पादन आरम्भ कर दिया है।

†**श्री मैमूना सुल्तान** : इस प्रस्तावित निर्यात का अपनी रेलवे के डिब्बों और वैगनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? क्या बुरा प्रभाव होगा, यदि हां, तो किस सीमा तक ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : अभी तक हमें कोई आर्डर नहीं मिले। यदि हमें आर्डर मिलेंगे तो हम निश्चय ही उत्पादन बढ़ा कर निर्यात करने का प्रयत्न करेंगे।

†**श्रीमती ममूना सुल्तान** : क्या हम सवारी डिब्बों का निर्यात करने वाले हैं या नहीं ? क्या हम इस स्थिति में हैं कि निर्यात कर सकें ?

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : यदि आर्डर मिलें, तो हम संभरण करने की स्थिति में हैं।

†**श्री आचार** : अन्य देशों की उत्पादन लागत के मुकाबले में हमारे यहां की उत्पादन लागत कैसी है ?

†**श्री जगजीवन राम** : प्रश्न बड़ा सीमित है, किन्तु मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि हमारा उत्पादन लागत कम है।

---

†मूल अंग्रेजी में

युगोस्लाविया से जहाजों की खरीद

+

†*१११२. { श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री पांगरकर :
श्री रामकृष्ण गुप्त : }

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री १८ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २५१ क उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने युगोस्लाविया से जहाज खरीदने के बारे में इस बीच निश्चय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने जहाज खरीदे जाने हैं और उनकी क्या कीमत तय की गयी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). युगोस्लाविया ने भारत के लिये जहाज बनाने के लिये ४.७ करोड़ रुपये का ऋण दिया है और कुछ भारतीय नौवहन समवायों ने रुपया भुगतान आधार पर युगोस्लाव शिपयार्ड को आर्डर देने के लिये बातचीत आरम्भ कर दी है ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या यह सच है कि 'अन्तर्व्यापार' युगोस्लाविया के लजुबलीजाना ने एक भारतीय नौवहन समवाय को एक तैयार किया हुआ जहाज बेचा है और यदि हां, तो युगोस्लाविया की सहायता से बनाये जाने वाले जहाज के मूल्य की तुलना में उस जहाज की कीमत कितनी है ?

†**श्री राज बहादुर** : यह सच है कि रत्नगिरि जहाज समवाय ने जो अभी बना है, युगोस्लाविया से एक नया जहाज खरीदने के लिये एक सौदा कर लिया है, किन्तु वह उपरोक्त ऋण करार से बाहर है ।

भाखड़ा में बायें किनारे का बिजली घर

†*१११३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाखड़ा में बायें किनारे के बिजली घर का दूसरा जेनरेटर चालू हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है ;

(ग) इस समय बिजली घर की उत्पादन क्षमता कितनी है ; और

(घ) इस जेनरेटर के पूरा होने में, जिसमें साज-सामान भी शामिल है, कितना व्यय हुआ ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां, १ फरवरी, १९६१ को ।

(ख) ९०,०००/५३,००० किलोवाट अर्थात् इसकी अधिकाधिक बिजली तैयार की क्षमता ९०,००० किलोवाट और कम से कम ५३,००० किलोवाट है, किन्तु यह गोविन्दसागर झील में जल के सतह और उपलब्धि पर निर्भर है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) १,०६,००० किलोवाट ।

(घ) लगभग ५६० लाख रुपये ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : इसके द्वारा तैयार बिजली का किस प्रकार प्रयोग करने का विचार किया गया है ?

†**श्री हाथी** : पंजाब और राजस्थान में बड़ी मांग है। बिजली के उपयोग के लिये कोई कठिनाई नहीं होगी ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या पहला बिजली घर उर्वरक फैक्टरी के लिये लगाया गया था, और यदि हां, तो क्या उससे तैयार की गई बिजली का नांगल उर्वरक फैक्टरी के लिये उपयोग किया गया है ?

†**श्री हाथी** : यह सच नहीं है कि यह केवल उर्वरक फैक्टरी के लिये लगाया गया था, यह कहा गया था कि हम उस फैक्टरी की मांग पूरी करेंगे ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि भाखरा बांध का जो दूसरा बिजली घर है उसको चालू होने में अभी कितना समय और लगेगा ?

श्री हाथी : दो तो शुरू हो गये हैं, पहला और दूसरा । तीसरा और चौथा अप्रैल में शुरू हो जायेंगे और पांचवां जुलाई सन् १९६१ में ।

समस्तीपुर-बरौनी रेलवे लाइन

\+

†*१११४. { **श्री कालिका सिंह** :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री अनिरुद्ध सिंह : }

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे पर समस्तीपुर और बरौनी के बीच अतिरिक्तबड़ी लाइन बिछाने का कार्य कब तक पूरा हो जाने का अनुमान है ;

(ख) क्या बरौनी—गोरखपुर लाइन को मीटरगेज से बड़ी लाइन में बदलने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है ;

(ग) समतल इलाके में, जहां कोई पुल न हो अथवा अन्य कोई बाधा न हो, मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने पर प्रतिमील औसत लागत क्या है ;

(घ) क्या रेलवे बोर्ड की नीति सभी मीटर गेज लाइनों को धीरे धीरे बड़ी लाइनों में बदलने की है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस बारे में अब तक क्या नीति बनायी गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खाँ)** : (क) लगभग ३१—१२—१९६१ तक ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जी, नहीं ।

(ग) लगभग ६ लाख रुपये ।

(घ) और (ङ), जी नहीं, नीति यह है कि प्रत्येक मीटर गेज सैक्शन की आवश्यकताओं को वहां की स्थिति के अनुसार पूरा किया जाये ।

†**श्री कालिका सिंह** : क्या उत्तरी क्षेत्र में और किसी मीटर गेज लाइन को ब्राड गेज बनाया जा रहा है और यदि हां, तो कहां ?

†**श्री शाहनवाज खां** : मुझे इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये क्योंकि इस प्रश्न का लाइन विशेष से संबंध है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या समस्तीपुर बरौनी रेलवे लाइन को मीटर गेज से ब्राड गेज में परिवर्तित करने के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना में कोई व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो उसके लिये कितनी धनराशि नियत की गयी है ?

श्री शाहनवाज खां : बरौनी समस्तीपुर की लाइन जो है वह करीबन एक साल से ज्यादा हुआ शुरू हो चुकी है और वह तो करीबन पाया तकमील तक पहुंचने वाली है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं यह जानना चाहता था कि इस रेलवे लाइन को ब्राडगेज में परिवर्तित करने की कुछ आगे भी आपकी स्कीम है ? यदि हां, तो क्या उसके लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में कुछ पैसा रखा गया है ?

श्री शाहनावज खाँ : आगे जैसे हालात और ट्रेफिक सामने आयेगा उसको देखकर अगर जरूरत समझी गयी तो उस पर गौर किया जायगा । हर एक चीज को अलाहिदा अलाहिदा सोचा जायेगा और अगर जरूरत हुई ट्रेफिक की बिना पर तो उस पर भी गौर किया जायेगा ।

†**श्री श्रीनारयण दास** : क्या समस्तीपुर से दरभंगा की ओर ब्राडगेज लाइन बनाने के प्रश्न पर इस समय विचार किया जा रहा है ?

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : न इस समय और न ही, निकट भविष्य में ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या सरकार को पता है कि बरौनी से सोनपुर तक यातायात बहुत अधिक है और यदि हां, तो क्या सरकार मीटर गेज लाइन को ब्राडगेज में बदलने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

†**श्री जगजीवन राम** : लाइन क्षमता के प्रश्न पर लगातार विचार किया जाता है और यदि किसी समय यह अनुभव किया जाता है कि लाइन क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा तो लाइन क्षमता को बढ़ाने के विभिन्न तरीकों पर विचार किया जायेगा ।

बरसोवा के निकट स्टीमर और मछलियां पकड़ने की नाव में टक्कर

†*१११५. **श्री गोरे** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २९ जनवरी, १९६० को महाराष्ट्र के तट के परे बरसोवा के निकट बीच समुद्र में मछलियां पकड़ने वाली एक नाव एक स्टीमर के साथ, जो कराची जा रहा था, टकरा गयी;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो मछली पकड़ने वाली नाव को क्या क्षति पहुंची ;

(ग) पिछले वर्ष बम्बई-कराची मार्ग पर, विशेषत: इस स्थान पर, कितनी नावों को क्षति पहुंची ; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) ऐसी कोई सूचना नहीं मिली कि २९ जनवरी, १९६० को बरसोना के समीप एक मछली पकड़ने की नाव और स्टीमर के बीच टक्कर हो गई । तथापी, एम० एफ० वी० विष्णुप्रसाद और एस० एस० फ्लाइंग ऐंडवेर के बीच, बम्बई से कुछ मील पश्चिम में वरसोया की ओर एक टक्कर हुई जब पहला जहाज ३१ जनवरी, १९६० को मछली पकड़ने के स्थान पर था, और दूसरा जहाज कराची से बम्बई जा रहा था ।

(ख) मछली पकड़ने का जहाज पूर्णतया नष्ट हो गया ।

(ग) ऐसी और किसी दुर्घटना की सूचना नहीं मिली ।

(घ) चूंकि दुर्घटना मुख्यतया इस कारण हुई कि मछली पकड़ने वाले जहाज ने रक्षा विनियमों का पालन नहीं किया, संबद्ध प्रधिकार को यह मत्रंणा दी गई कि उनके नियंत्रणाधीन सभी मछली पकड़ने के जहाज संविहित नियमों और विनियमों का पूर्णतया पालन किया करें ।

†**श्री गोरे** : जो जहाज नष्ट हो गया उसने विनियमों का किस प्रकार पालन नहीं किया ?

†**श्री राजबहादुर** : उसके द्वारा नियमों द्वारा अपेक्षित प्रकाश नहीं दिखाया गया। यह प्रारम्भिक जांच का निष्कर्ष है ।

†**श्री गोरे** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने का धंधा होता है, जहाजों की रक्षा के लिये क्या विशेष विनियम बनाये गये हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : मैं ठीक से नहीं कह सकता कि आया इस क्षेत्र विशेष में मछली पकड़ने का धंधा विशेष रूप से किया जाता है, किन्तु वस्तु स्थिति यह है कि इन जहाजों को वहां लागू नियमों तथा तत्संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय विनियमों के अनुसार प्रकाश जलाना अनिवार्य होता है, ताकि टक्करों से बचाव हो ।

†**श्री गोरे** : कितने लोग मरे ?

†**श्री राज बहादुर** : कोई नहीं मरा केवल मात्र जहाज पूर्णतः नष्ट हो गया ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि इस क्षेत्र के इर्द गिर्द बड़ी मछली पकड़ी जाती है, इसके लिये क्या उपाय किये जाते हैं कि वे मछली पकड़ने वाले जहाज नियमों का पालन करें और क्या मछली पकड़ना आरम्भ करने से पहले इन का परीक्षण किया जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री राजबहादुर : मत्स्यपालन निदेशालय इस पर लगातार निगरानी रखने के लिये उत्तरदायी है। व्यापार नौवहन अधिनियम में भी इसके बारे में कुछ नियम हैं कि सुरक्षा विनियमों का पालन किया जाये। टक्करों को बचाने के लिये कुछ अन्तर्राष्ट्रीय विनियम भी हैं।

†श्रीमती इला पालचौधरी : क्या पत्तनों पर यह देखने के लिये कोई प्राधिकारी होता है कि इन नियमों का पालन किया जाता है ?

†श्री राज बहादुर : इसके लिये मत्स्यपालन निदेशालय की जिम्मेवारी है और उसके सहयोग तथा परामर्श से वणिक्पोत विभाग इसकी निगरानी करता है।

†श्री गोरे : क्या फ्लाइंग ऐंडवैर के कप्तान या चालक ने विष्णुप्रसाद के चालक को कोई सहायता दी, जो डूब गया था ?

†श्री राज बहादुर : मैं सही तौर पर ब्यौरा नहीं दे सकता, किन्तु किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। इसमें कोई माल भी नहीं था। कुल ५००० रुपये की हानि का अनुमान है, और यह जहाज का मूल्य था।

क्लेम इंस्पेक्टरों की भर्ती

*१११७. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर, १९५८ में क्लेम इंस्पैक्टरों (दावा निरीक्षकों) की भर्ती के लिये बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली में कोई परीक्षा ली गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि अब तक उसका परिणाम घोषित नहीं किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी :** (क) विभागीय उम्मीदवारों को क्लेम्स इंस्पेक्टर (नियत वेतन-मान २००–३०० रु०) के पद पर तरक्की देने के लिए नवम्बर १९५८ में एक सेलेक्शन शुरू किया गया था।

(ख) जी हां।

(ग) उस सेलेक्शन के लिए सहायक क्लेम्स इंस्पेक्टर (नियत वेतन-मान १५०–२२५ रु० और क्लेम्स ट्रेसर (नियत वेतन-मान १००–१८५ रु०) की कोटियों से उम्मीदवार बुलाये जाने थे। चूंकि लगभग १७० उम्मीदवारों पर विचार करना था, इसलिए यह तय किया गया कि सेलेक्शन कई किश्तों में किया जाय। सेलेक्शन की पहली किश्त में केवल कुछ सहायक क्लेम्स इंस्पैक्टरों पर विचार किया गया था। क्लेम्स ट्रेसरों की सीनियारिटी लिस्ट तब तक तैयार नहीं हुई थी और सम्भावना यह थी कि यह लिस्ट जा कर जनवरी, १९५९ में मिलेगी। उसके बाद बाकी पात्र उम्मीदवारों को बुलाने का विचार था।

जब क्लेम्स ट्रेसरों की सीनियारिटी लिस्ट तैयार की जा रही थी, तो उन आफिस क्लर्कों ने, जिन्होंने स्थानीय व्यवस्था के रूप में क्लेम्स ट्रेसर का काम किया था लेकिन इन जगहों के लिए पात्र नहीं थे, अर्जी दी कि क्लेम्स ट्रेसों की जितनी जगहें खाली हैं उनमें से कुछ प्रतिशत जगहें उन्हें दी जाय। इस पर यह तय किया गया कि इन खाली जगहों

†मूल अंग्रेजी में

में से ३३¹/₃ प्रतिशत जगहें उनको दी जायें। इस फैसले के फलस्वरूप उस समय तक जो उपयुक्तता परीक्षाएं हुई थीं उन्हें रद्द करना पड़ा और फिर से परीक्षा लेने की व्यवस्था करनी पड़ी।

सेलेक्शन शुरू हुए दो साल बीत चुके हैं और ऊपर बताये गये कारणों से अधिकतर पात्र उम्मीदवारों को अभी तक नहीं बुलाया जा सका है, इसलिए तय किया गया है कि नवम्बर, १९५८ का सेलेक्शन रद्द समझा जाय और नया सेलेक्शन किया जाय।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या म जान सकता हूं कि यह क्लेम इंस्पक्टर्स जिन का कि इम्तिहान आज से सवा दो साल पहले हुआ था सवा दो साल के पश्चात् जिनके कि परीक्षा परिणामों के सम्बन्ध में अभी माननीय मंत्री ने यह वक्तव्य दिया है उनकी संख्या कितनी थी और रेलवे मंत्रालय क्या भविष्य में कोई इस प्रकार का निर्णय लेगा कि इतनी लम्बी अवधि तक इन के परीक्षा परिणामों की उन्हें प्रतीक्षा न करनी पड़े?

†**श्री वाजपेयी** : हम वक्तव्य को समझ नहीं पाये? यह लंबा उत्तर एक विवरण के रूप में सभा पटल पर क्यों नहीं रखा गया। तब तक अनुपूरक पूछ सकते थे?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : मैं विवरण सभा पटल पर रखने को तैयार हूं।

श्री वाजपेयी : हमें प्रश्न काल में पहले विवरण दिये जाते हैं। माननीय मंत्री भी दे सकते थे।

†**अध्यक्ष महोदय** : विवरण तथ्य और आंकड़े अन्य सांख्यिकी के बारे में होते है, जो मांगें जाते हैं। अन्यथा, साधारणतया प्रश्न काल के दौरान उत्तर सभा में दिये जाते हैं। यदि विवरण लंबा था तो वह इसका संक्षेप दे सकते थे। क्या माननीय मंत्री प्रश्न को समझ गये हैं?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : लगभग २४० अभ्यर्थी जो क्लेम ट्रेसरों के पद के लिये योग्य समझे गये, दो दलों में परीक्षा के लिये बुलाये गये थे। पहला दल क्या था उसमें कितने लोग बुलाये गये थे आदि के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं।

स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज, मदुरै

†*१११८. **श्री तंगामणि** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मदुरै में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज खोलने में देर होने के क्या कारण हैं,

(ख) क्या यह सच है कि टेलीफोन लगवाने के इच्छुक व्यक्तियों से प्रतिभति-राशियां प्राप्त हुए दो वर्ष से ऊपर हो चुके हैं;

(ग) एक्सचेंज कब खुलने की संभावना है; और

(घ) क्या एक्सचेंज खुलने के पश्चात् सभी लम्बित आवेदनपत्र निपट जायेंगे?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) इमारत के निर्माण-कार्य के आरम्भ होने के बारे में जो मूल आशा थी वह पूरी न हो सकी।

(ख) जी, नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) १९६२ के आरम्भ में।

(घ) यह एक्सचेंज के सेवा के लिये तैयार होने के समय लम्बित आवेदन-पत्रों की ही कुल संख्या पर निर्भर होगा।

†श्री तंगामणि : मैं समझता हूं कि यह एक्सचेंज जनवरी, १९६२ में खुल जायेगा। अभी भी लम्बित आवेदन-पत्रों की संख्या करीब एक हजार है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसकी क्षमता कितनी बढ़ी है ताकि इन हजार व्यक्तियों को स्वचालित एक्सचेंज खुलते ही टेलीफोन दे दिये जायें।

†श्री राज बहादुर : ८०० लाइनों की व्यवस्था करके पहले ही वृद्धि की जा चुकी है और उसके मार्च, १९६२ तक पूरा हो जाने की आशा है। इसके अतिरिक्त यह भी प्रस्थापना है कि ५०० लाइनें इसमें और लगाई जायें और इस वर्ष के अन्त तक पूरा करने के लिये वर्ष १९६१–६२ में उपकरणों के संभरण का आयोजन किया गया है।

†श्री तंगामणि : क्या इस स्वचालित एक्सचेंज के खुलने के बाद ट्रंक एक्सचेंज को भी इस इमारत में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा अथवा ट्रंक काल प्राप्त करने वाला एक्सचेंज पुरानी इमारत में ही रहेगा?

†श्री राज बहादुर : मुझे इस बारे में पूरा विश्वास नहीं है। कहीं कुछ विभागीय व्यवस्था हो सकती है।

†श्री रामनाथन् चेट्टियार : क्या प्रस्तावित इमारत में वे सब लाइनें लगायी जा सकेंगी जिनकी नगर में मांग है?

†श्री राज बहादुर : एक्सचेंज उपकरणों को एक्सचेंज की इमारत में ही बढ़ाया जा सकता है।

†श्री तंगामणि : इस एक्सचेंज के खुलने के बाद क्या ट्रंक कालें एक्सचेंज के जरिये होंगी, और यदि नहीं, तो जहां ट्रंक कालें प्राप्त की जाती हैं, वहां काम की दशा और एक्सचेंज की इमारत के ढांचे में सुधार करने के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है? मैं मंत्री महोदय को यह बात बता दूं कि पुराने एक्सचेंज में, जिसके जरिये अब ट्रंक कालें और स्थानीय कालें की जाती हैं, ट्रंक कालों को रोक रखा जाता है।

†श्री राज बहादुर : जब टेलीफोन पद्धति को स्वचालित कर दिया जायेगा तो सामान्यतः टेलीफोन एक्सचेंज की प्रमुख इमारत में ट्रंक बोर्ड लगाये जाते हैं और जब वहां केवल एक या दो ट्रंक कालें हों तो स्विच बोर्ड लगाये जाते हैं। मुझे आशा है कि मदुरै में भी ऐसा ही किया जायेगा। परन्तु मेरे पास यह जानकारी नहीं है।

†श्री तंगामणि : क्या वहां केरियर पद्धति की मंजूरी दी जायेगी अथवा मदुरै और त्रिची, मदुरै और कोयम्बटूर और विरुदुनगर और मदुरै के बीच ट्रंक काल को बढ़ाने के लिये यह लागू की जायेगी?

†श्री राज बहादुर : आपत्ति यह है कि केरियर उपकरण का उपबन्ध यातायात के आवश्यकता के बराबर है। यह ट्रंक कालों की संख्या पर निर्भर है और यातायात में वृद्धि

†मूल अंग्रेजी में

पर भी निर्भर है। मुझे इस बात का पता नहीं है कि क्या वहां भी कोई वृद्धि की जावेगी। परन्तु वह सामान्य प्रक्रिया है और मैं समझता हूं कि यह यातायात में वृद्धि और नये उपकरण के उपबन्ध के साथ साथ किया जायेगा।

'ड्राई फ़ीज' टीके

†*१११९. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से देश में ड्राई फ़ीज टीकों का उत्पादन करने के लिए दो केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं,

(ख) यदि हां, तो कहां, और

(ग) उन पर क्या लागत आयेगी?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) जी, हां। वे विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ के सहयोग से स्थापित किये जा रहे हैं।

(ख) राज्य टीक संस्था, पटवडनगर (उत्तर प्रदेश) में और किंग संस्था, गिन्डी (मद्रास) में।

(ग) यह अनुमान लगाया गया है कि उत्पादन आरम्भ होने के प्रथम दो वर्षों में इन दोनों केन्द्रों पर यूनिसेफ की लगभग २,२३,८५७ रुपये की लागत आयेगी और भारत सरकार की लगभग २,८५,७१४ रुपये की लागत आयेगी।

†**श्रीमती मैमूना सुल्तान** : सरकार ने इन दो स्थानों को ही केन्द्र क्यों चुना और क्या सरकार इन दोनों केन्द्रों में से एक या ऐसा ही कोई केन्द्र मध्य प्रदेश में स्थापित करने की संभाव्यता पर विचार करेगी?

†**श्री करमरकर** : इन स्थानों को इसलिये चुना गया है क्योंकि यहां पर सुविधायें उपलब्ध हैं। यदि किसी अन्य स्थान पर, उदाहरणतः भोपाल में सुविधायें उपलब्ध हुईं तो हम उस पर विचार करेंगे।

†**श्री नंजप्प** : इनमें किस प्रकार के टीके तैयार किये जायेंगे?

†**श्री करमरकर**: यह चेचक के बारे में ड्राई फ़ीज टीका है क्योंकि हम इस वर्ष से चेचक को नष्ट करने का आन्दोलन आरम्भ कर रहे हैं जो तृतीय योजना में पूरा होगा। वर्तमान टीके पहाड़ी दूर के क्षेत्रों में नहीं भेजे जा सकते। अतः इस ड्राई फ़ीज टीके पर विचार किया गया।

†**श्रीमती मैमूना सुल्तान** : हमारे देश में ड्राई फ़ीज टीके की वार्षिक कुल मांग कितनी होगी?

†**श्री करमरकर** : इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

†**श्री तिरुमल राव**: : क्या इन केन्द्रों में पक्षाघात के टीके बनाने की भी कोई व्यवस्थापना है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री करमरकर: इन केन्द्रों में नहीं। इसके लिये कुन्नूर में अनुसंधान संस्था में प्रयोग किया जा रहा है।

†श्री श्रीनारायण दास : इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन का क्या योगदान है ?

†श्री करामरकर : विश्व स्वास्थ्य संगठन अपेक्षित व्यक्ति देगा। यूनिसेफ़ कुछ धन देगा और हम कुछ धन देंगे।

†श्रीमती मैमूना सुल्तान : कितने प्रविधिज्ञों की आवश्यकता है और उन्हें कहां पर प्रशिक्षित किया जायेगा ?

†श्री करमरकर: यह प्रस्थापना है कि जीवाणु विज्ञान-वेत्ता और दो सहायक व्यक्तियों को इंगलैण्ड में एक संस्था में प्रशिक्षित किया जाये।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या हम यह समझें कि ये टीके बिना लाभ के आधार पर दिये जायेंगे ?

†श्री करमरकर: जी, हां।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : विभिन्न समय पर देश के विभिन्न भागों में चेचक की अत्याधिक घटनाओं को ध्यान में रखते हुये क्या मैं जान सकता हूं कि देश के विभिन्न भागों में इस टीके के उचित रूप से वितरण के लिये क्या व्यवस्था की जायेगी ?

†श्री करमरकर: पिछले वर्ष हमारी एक वृहत् परियोजना थी। इसमें सभी राज्यों ने भाग लिया। वह हमें यह पता लगने के लिये थी कौन कौन से व्यक्ति आवश्यक होंगे और इसमें क्या लागत आयेगी। यह कार्यक्रम देश भर में लागू किया जायेगा--बच्चों के लिये प्रथम रूप से टीका लगाना और उन वयस्कों के पुन: टीका लगाना जिनके पांच वर्ष से अधिक से टीका नहीं लगा है। अत: विचार यह है कि यह कार्यक्रम देश भर में लागू किया जाये और इसमें सभी राज्य शामिल होंगे।

मद्रास हवाई अड्डा

†*११२०. श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की मद्रास हवाई अड्डे पर उपलब्ध सुविधाओं में वृद्धि करने विशेषत: इसे बोइंग विमानों की उड़ान के योग्य बनाने की कोई प्रस्थापनायें हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का क्या स्वरूप है और इसके कब पूरा होने की संभावना है ?

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) और (ख) मद्रास हवाई अड्डे पर, इसको बोइंग विमानों की उड़ान के योग्य बनाने के लिये, विकास करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है। इस मामले में निर्णय करने के बाद ही विकास की योजना तैयार की जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या यह सच नहीं है कि इस वर्ष जून के मध्य तक सिडनी को जेट विमान की उड़ानें की जायेंगी और यदि हां, तो यदि हवाई अड्डे का विकास नहीं हुआ तो मद्रास के रास्ते यह उड़ान कैसे की जायेगी ?

†श्री मुहीउद्दीन : यह सच नहीं है कि इस वर्ष जून में जेट विमानों की उड़ानें की जावेंगी। जहां तक मुझे पता है, एयर इण्डिया इन्टरनेशनल की वर्ष १९६२–६३ में सिडनी तक जेट विमान उड़ाने की प्रस्थापना है ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या यह सच नहीं है कि एयर इण्डिया इन्टरनेशनल ने निर्णय कर लिया है कि उनकी जेट विमानों की सब उड़ाने वर्ष १९६२ तक चालू हो जायेंगी और उन्होंने निश्चित रूप में सरकार को सूचित कर दिया है कि जहां तक सिडनी तक उड़ानों का सम्बन्ध है, वे ये उड़ानें इस वर्ष जून के मध्य तक करना चाहते हैं ?

†श्री मुहीउद्दीन : जो जानकारी माननीय सदस्य दे रहे हैं उस पर मुझे पूरा यकीन नहीं है। परन्तु मेरी जानकारी यह है कि वे जेट विमान उड़ायेंगे और यह कार्य वर्ष १९६२ में किया जायेगा ।

†श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि आस्ट्रेलिया और सुदूर-पूर्व के लिये मद्रास से विमान उड़ा करेंगे, क्या सरकार मद्रास में जेट विमानों की उड़ानों के लिये शीघ्र सुविधायें लागू करने के लिये कार्यवाही करेगी ?

†श्री मुहीउद्दीन : जी हां।

†श्री रामनाथन् चेट्टियार : प्रस्तावित योजना पर कितनी लागत आयेगी ?

†श्री मुहीउद्दीन : अभी प्रस्तावित योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। धावन-मार्ग के लिये इस पर लगभग ८० लाख से ९० लाख रुपये तक खर्चा होंगे। अन्य उपकरणों पर यह और अधिक होगा ।

†श्री न० रा० मुनिस्वामी : योजना का ब्योरा क्या है और क्या यह केवल धावन-मार्ग के बारे में है या इमारत के बारे में भी है ?

†श्री मुहीउद्दीन : इमारत में भी सुधार किये जायेंगे और कुछ उपकरण भी प्राप्त करने होंगे ।

†श्री तंगामणि : क्या यह सच है कि मद्रास हवाई अड्डे से सुबह के समय कोई वाइकाउन्ट विमान नहीं उड़ता क्योंकि वहां पर वाइकाउन्ट विमान के लिये ईंधन लेने और अन्य सेवाओं की सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं ?

†श्री मुहीउद्दीन : जहां तक मुझे पता है ईंधन लेने की सुविधा का न होना वाइकाउन्ट विमान न उड़ने का कारण नहीं है। तथ्य यह है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वाइकाउन्ट विमान नहीं हैं और इसीलिये मद्रास से सुबह उड़ान के लिये व्यवस्था की गई है ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या यह सच नहीं है कि धावन-मार्ग को लम्बा बनाने की इस परियोजना पर ५० लाख रुपये खर्च होंगे जिसमें से हमने तृतीय योजना में कुछ ३४ लाख रुपये की

†मूल अंग्रेजी में

व्यवस्था की है ? यदि हां, तो मंत्री महोदय परियोजना को किस प्रकार पूरा करायेंगे अगर जेट विमानों की उड़ानें वर्ष १९६२ में ही चालू हों ?

†श्री मुहीउद्दीन : धावन-मार्ग के सुधारने के लिये भी यह धनराशि हमारी आवश्यकताओं से कम है। हम इसके लिये अतिरिक्त उपबन्ध करेंगे।

उड़ीसा में सहकारी खेती सम्बन्धी अग्रिम परियोजना एकक

†११२१. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा को तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में सहकारी खेती सम्बन्धी प्रयोग करने के लिये तेरह अग्रिम परियोजना एककों का आवंटन किया गया है ;

(ख) इन अग्रिम परियोजना एककों की स्थापना के लिये उड़ीसा को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी ; और

(ग) इन तेरह एककों को किन स्थानों पर स्थापित किया जायेगा ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति)**: (क) जी, हां।

(ख) तृतीय योजना में स्थापित की जाने वाली प्रमुख परियोजनाओं के लिये १५.८६ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

(ग) तृतीय योजना के अन्त तक राज्य के तेरहों जिलों में से प्रत्येक में एक प्रमुख परियोजना होगी। वर्ष १९६१–६२ में कार्यक्रम के लिये कटक और पुरी जिलों को छांटा गया है।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : इस सहकारी खेती के लिये वर्ष १९६१–६२ के लिये पुरी जिले में किन स्थानों को चुना गया है ?

†**श्री ब० सू० मूर्त्ति**: पुरी में निश्चित स्थानों के बारे में, जहां मुख्य परियोजना एकक स्थापित किये जायेंगे, हमें राज्य सरकार से जानकारी नहीं मिली है।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या सरकार उस भूमि में सहकारी खेती एकक स्थापित करना चाहती है जिसका सरकार ने पुनरवापन किया है अथवा छोटे छोटे किसान स्वयं सहकारी खेती समितियां बनायेंगे ?

श्री ब० सू० मूर्त्ति : इस बारे में राज्य सरकार के विचार अन्तिम होंगे।

†**श्री सूपकार**: क्या इस योजना की कार्यान्विति के लिये एक निर्धारित कार्यक्रम होगा और यदि हां, तो पहले किन जिलों को लिया जायेगा ?

†**श्री ब० सू० मूर्त्ति**: तृतीय योजना में सब जिलों में काम हो जायेगा। आरम्भ में वर्ष १९६१–६२ में कटक और पुरी जिलों को लिया गया है। एक और जिला लिया जायेगा।

†**श्री रघुवीर सहाय** : क्या सभी राज्यों में प्रमुख परियोजनायें एक साथ आरम्भ की जावेंगी और यदि हां, तो राज्य-वार विभाजन क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब० सू० मूर्त्ति:** मेरे पास राज्य-वार विभाजन के आंकड़े नहीं हैं परन्तु वर्ष १९६१-६२ में ७० परियोजनाओं पर कार्य आरम्भ किया जायेगा। उन्हें सभी राज्यों में आरम्भ किया जायेगा।

†**श्री कालिका सिंह :** क्या सहकारी खेती से तात्पर्य संयुक्त खेती है या नहीं ?

†**श्री ब० सू० मूर्त्ति:** यह सहकारी और सामूहिक और संयुक्त दोनों हैं। नया तरीका सहकारी खेती से कुछ भिन्न है।

†**श्री कालिका सिंह :** सामूहिक खेती से क्या तात्पर्य है ?

†**श्री ब० सू० मूर्त्ति :** चार प्रकार की सहकारी खेती हैं : संयुक्त खेती, सामूहिक खेती, अच्छी खेती और किराये की खेती। अभी तक भारत में विद्यमान संयुक्त और सामूहिक खेती समितियों पर विचार किया जायेगा और इन समितियों में से १० प्रतिशत को परियोजना में शामिल किया जायेगा।

†**श्री कालिका सिंह :** क्या सामूहिक खेती रूसी तरीके पर है ?

†**श्री ब० सू० मूर्त्ति :** मुझे ठीक पता नहीं है कि रूसी तरीका क्या है।

†**अध्यक्ष महोदय:** हमने सामूहिक खेती और सहकारी खेती की बात सुनी। जैसा उपमंत्री महोदय ने बताया है, सहकारी खेती और सामूहिक खेती के उप-भाग हैं। यदि उनके पास प्रत्येक भाग का ब्योरा हो तो वे उसे पुस्तकालय में रख दें ताकि माननीय सदस्यों को एक दूसरे में अन्तर का ज्ञान हो जाये।

†**डा० मा० श्री० अणे :** संयुक्त खेती और सामूहिक खेती में क्या अन्तर है ?

†**श्री ब० सू० मूर्त्ति:** मोटे तौर पर संयुक्त खेती का यह मतलब है कि लोक संयुक्त खेती के लिये जमीन मिला लेते हैं परन्तु भूमि में अपना स्वामित्व कायम रखते हैं। परन्तु सामूहिक खेती में जमीन मिला ली जाती है और स्वामित्व भी समिति को सौंप दिया जाता है।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या संयुक्त खेती, सामूहिक खेती अथवा किसी अन्य तरीके के बारे में जिसका उपमंत्री महोदय ने सुझाव दिया है, विभिन्न राज्यों के उत्तर का कोई मूल्यांकन किया गया है और यह पता लगाया गया है कि क्या राज्य इसे मानने को तैयार हैं ?

†**श्री ब० सू० मूर्त्ति :** निर्जलिंगप्पा समिति ने पूरा सर्वेक्षण किया है और उन का प्रतिवेदन उपलब्ध है। यदि माननीय सदस्या चाहें तो मैं उन को उस की एक प्रति दे दूंगा।

†**श्री तंगामणि :** क्या उड़ीसा में आरम्भ किये जाने वाले सहकारी खेत उसी प्रकार के हैं जैसे अब मद्रास राज्य में हैं जहां छोटे भू स्वामी एक साथ मिल कर खेती करते हैं और उपज को आपस में बांट लेते हैं ?

†**श्री ब० सू० मूर्त्ति :** यह मद्रास का तरीका नहीं है। यह अखिल भारत तरीका है।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** सहकारी खेती एककों के बारे में नीति क्या है। क्या केवल सरकार द्वारा पुनरवाप्त भूमि में सहकारी समितियां होंगी अथवा छोटे भू-स्वामी एक साथ मिल कर सहकारी समितियां बनायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ब० सू० मूर्त्ति : उपलब्ध सरकारी भूमि के आवंटन का प्रत्येक राज्य का अपना तरीका है। केन्द्रीय सरकार का विचार यह है कि जहां तक हो सके सरकारी बेकार भूमि को भी सहकारी खेती समितियों के कृत्य के लिये इकट्ठा मिलाया जाये। मैं यह नहीं कह सकता कि उड़ीसा में वे यह बात मानेंगे या नहीं।

†श्री बासप्पा: अब सरकार ४ से १० एकड़ तक की दर से विभिन्न व्यक्तियों को भूमि बांट रही है। क्या सरकार इस बात पर ध्यान देगी कि पृथक व्यक्तियों को भूमि देने के बजाय सहकारी समितियों को अधिक भूमि दी जावे ताकि उन्हें प्रोत्साहन मिले ?

†श्री ब० सू० मूर्त्ति : सरकार का भी यही विचार है।

†श्री न० रा० मुनिस्वामी: सहकारी समिति सम्बन्धी बलवन्तराय समिति ने बताया कि यह ज्यादा उत्साहजनक नहीं है। सरकार कमियों को किस प्रकार दूर करेगी ?

†श्री ब० सू० मूर्त्ति : माननीय सदस्य निजलिंगप्पा समिति के स्थान पर बलवन्तराय समिति कह कर गल्ती कर रहे हैं। बलवन्तराय समिति ने लोकतंत्रात्मक विकेन्द्रीकरण के प्रश्न पर विचार किया। निजलिंगप्पा समिति इस बात का पता लगाने के लिये देश भर में घूमी की सहकारी खेती समितियां किस प्रकार कार्य कर रही हैं और सहकारी समितियों को किस प्रकार सहायता दी जा सकती है।

अमृतसर के निकट विमान दुर्घटना

+

†*११२३. { श्री प्र० चं० बरुआ:
श्री रामेश्वर टांटिया:
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री रामकृष्ण गुप्त : }

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्दर्न इंडिया फ्लाइंग क्लब का एक विमान १३ मार्च, १९६१ को अमृतसर से ११ मील दूर गिर पड़ा था ; और

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना का क्या कारण था ?

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) जी, हां।

(ख) दुर्घटना की जांच की जा रही है।

†श्री प्र० चं० बरुआ: फ्लाइंग क्लबों के विमानों के परीक्षण की जिम्मेवारी किस पर है ? क्या इस मामले में परीक्षण किया गया था ।?

†श्री मुहीउद्दीन: मैं बता चुका हूं कि जांच की जा रही है। जांच के दौरान इन सब बातों पर ध्यान दिया जाता है। माननीय सदस्य प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करें।

†श्री प्र० चं० बरुआ : मेरा प्रश्न यह नहीं है।

†अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय का कहना है कि इस मामले की जांच की जा रही है कि परीक्षण की जिम्मेवारी किस की है और इस की जांच किस ने की आदि।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० चं० बरुआ:** मेरा प्रश्न यह है: फ्लाइंग क्लबों के विमानों की परीक्षण की जिम्मेवारी किस की है ?

†**अध्यक्ष महोदय:** सामान्यतः विमानों को कौन देखता है ?

†**श्री मुहीउद्दीन:** वह क्लब द्वारा रखे गये इंजीनियर करते हैं । उन का परीक्षण असैनिक उड्डयन महानिदेशालय के निरीक्षण दल द्वारा भी किया जाता है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ:** क्या जीवन या संपत्ति की कोई हानि हुई है ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** कोई व्यक्ति मरा नहीं । जहाज में बैठा एक यात्री सख्त घायल हो गया ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या यह सच नहीं है कि यह विमान इसलिये गिरा कि चालक ने एकदम डुबकी लगाने का प्रयत्न किया जोकि खतरनाक है ? क्या फ्लाइंग क्लब का यह काम नहीं है कि वह ऐसी डुबकी न लगाने के लिये चालकों को आदेश दें ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** उस की भी जांच हो रही है ।

†**श्री जोकीम आल्वा :** केवल ऐसे आदेश देने और परीक्षण करने के बजाय फ्लाइंग क्लबों को सरकार क्या सहायता दे रही है ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** मैं नहीं समझा कि सहायता का क्या तात्पर्य है । उन को प्रत्येक सहायता दी जाती है । बोर्ड में असैनिक उड्डयन महा-निदेशालय के प्रतिनिधि हैं और प्राविधिक विभाग और क्लबों में प्राविधिक विषयों सम्बन्धी निरन्तर विचार होता रहता है ।

प्रश्न ११२४ के बारे में

†**अध्यक्ष महोदय:** अगला प्रश्न । श्री प्र० गं० देव । अनुपस्थित । अगला प्रश्न ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** दुर्भाग्य से माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं परन्तु मैं आप से इस को लेने की प्रार्थना करता हूं क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

†**श्री वाजपेयी :** जी हां । इस लिया जाना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय:** ठीक । इसे अन्त में लिया जाये । इसे तत्काल पुकारना ठीक नहीं है ।

नई दिल्ली में कोयले के वैगनों से माल उतारना

†

†*११२६. **श्री वाजपेयी:**
श्री प्र० गं० देव:
श्री प्र० चं० बरुआ:
श्री आसर:

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयले के व्यापारियों द्वारा वैगनों से माल उतारने से इन्कार करने के परिणामस्वरूप नई दिल्ली के खनिज साइडिंग में कोयले के १०० वैगन रुके पड़े हैं ।

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) स्थिति का सामना करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) जी, हां। ८ से १० मार्च १९६१ तक।

(ख) कोयला व्यापारियों की व्यस्था यह थी कि (१) वैगनों के ठहरने के पांच घंटों के भीतर उन को खाली करने का रेलवे का आग्रह कुछ विशिष्ट समय में कोयले से भरे ट्रकों को सड़क पर न चलाने के लिये दिल्ली प्रशासन द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध के कारण उचित नहीं था और (२) समय पर रेलवे रसीद न प्राप्त होने के कारण भी वे जैसा रेलवे चाहती है, माल लेने से पहले उसे पेश नहीं कर सकते हैं।

(ग) कोयला व्यापारियों और असैनिक अधिकारियों की बैठकों का आयोजन किया गया जिस के परिणामस्वरूप ११ मार्च, १९६१ से कोयला व्यापारियों ने काम करना आरम्भ कर दिया।

†**श्री वाजपेयी**: क्या कोयला व्यापारियों पर लगाई गई नई शर्तों को हटा दिया गया है और यदि हां, तो उन्हें क्यों लगाया गया था ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : हम ने देखा कि पांच घंटों के निःशुल्क समय के बारे में नियमों के पालन में कुछ शिथिलता रही। वहां पर हमारे सतर्कता कर्मचारियों ने केवल पांच घंटों के निःशुल्क समय के बारे में वर्तमान नियमों को लागू किया। क्योंकि इस को सख्ती से लागू किया गया था, व्यापारियों ने कहा कि इस से कुछ घंटों के बीच अर्थात् ९ से ११ तक और १७ से १९ तक कठिनाई होती थी जिस समय के दौरान उन को पुरानी दिल्ली में ट्रक चलाने की मनाही है। अतः उन्होंने बताया कि इस से कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हुईं।

†**श्री प्र० चं० बरूआ**: क्या सरकार ने कोयला व्यापारी संघ द्वारा बताये गये कारणों पर विचार कर लिया है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : उन की अपनी कठिनाईयां थीं। हम ने उन्हें दूर कर दिया है और उन्हों ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है।

†**श्री वाजपेयी** : क्या यह बात देखने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है कि कोयला-डिब्बों के खाली करने में भविष्य में देरी न हो ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : असैनिक अधिकारियों और रेलवे अधिकारियों में बैठकें हुई हैं और अब हम ने उतराई शुल्क में वृद्धि करने का फैसला किया है। निःशुल्क समय के बीतने पर यह प्रथम दो दिनों के लिये ३ रुपया प्रति वैगन प्रति दिन था। अब हम ने इस को बढ़ा कर निःशुल्क समय के बीतने पर प्रथम तीन दिनों के लिये १० रुपये कर दिया है ताकि माल को यथासंभव शीघ्र उठाने के लिये उन पर कुछ दबाव पड़े।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या सरकार को हड़ताल के इन दिनों में चोर-बाजारी के कुछ मामलों का पता लगा है और यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

†**अध्यक्ष महोदय** : कोयले में चोर-बाजारी ? इसका रेलवे मंत्री को कैसे पता हो सकता है? हम उन से वैगनों की चोर-बाजारी का प्रश्न पूछ सकते हैं ?

†**श्री वाजपेयी** : चोर-बाजारी इस कारण कि कोयला व्यापारियों को पर्याप्त संख्या में वैगन नहीं मिलते। अतः कोयले का संभरण कम है और इसलिये चोर-बाजारी होती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम): क्योंकि उन को काफ़ी संख्या में वैगन नहीं दिये गये थे इसलिये उन्हों ने उन वैगनों को भी नहीं लिया जो उन को दिये गये थे ताकि कृत्रिम कमी पैदा की जा सके।

†अध्यक्ष महोदय : कई प्रश्न थे और उन का उत्तर दिया गया कि व्यापारी लोग यहां ही नहीं परन्तु अन्य विभिन्न स्थानों पर माल का लदान वढलाई नहीं कर रहे हैं। कलकत्ता में दिवाली के समय व्यापारियों ने कितने ही माल-डिब्बों का आर्डर दे दिया क्योंकि कपड़े के बड़े भंडार की आवश्यकता थी। परन्तु वे तब तक माल नहीं उतारते जब तक मूल्य बढ़ नहीं जाता। ऐसा लगता है कि उस राज्य के मुख्य मंत्री को माल-डिब्बे खाली करने के लिये उन को बाध्य करना पड़ा। इस प्रकार विभिन्न रूपों में और तरीकों से चोर-बाजारी हो रही है। मूल्य बढ़ जाते हैं। यहां पर ऐसा कोई कार्य नहीं किया जायेगा जिससे उन्हें प्रोत्साहन मिले। कोई भी माननीय सदस्य ऐसा करना नहीं चाहते परन्तु अप्रत्यक्ष रूप से इसका यह प्रभाव पड़ सकता है। मैं देखता रहा हूं कि वे व्यक्ति कृत्रिम रूप से कमी पैदा करना चाहते हैं। यह वैगनों की कमी के कारण नहीं है। उनको वैगन मिलते हैं परन्तु वे उनसे माल नहीं उतारते। यह बात कहने का क्या मतलब है कि वैगनों की कमी से मूल्य बढ़ रहे हैं? माननीय सदस्य उन व्यक्तियों को पकड़े और देखें कि वे माल जल्दी उतारते हैं... (अन्तर्बाधा)

†श्री वाजपेयी : मैं खनिज साइडिंग पर गया हूं। मैं कोयला व्यापारियों से भी मिला। रेलवे प्रशासन ने कुछ नई शर्तें रखी थीं। प्रशासन को वे शर्तें हटानी पड़ीं और फिर वैगनों से माल उतारा गया।

†अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न ठीक है। खैर, अगला प्रश्न।

टाटानगर में रेलगाड़ी में डकैती

†*११२७. { पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री हेम बरुआ : }

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ६ अथवा ७ मार्च, १९६१ को टाटानगर रेलवे स्टेशन पर एक दुस्साहसपूर्ण डाका पड़ा;

(ख) यदि हां, तो रेलवे और यात्रा करने वाले लोगों को क्या हानि हुई;

(ग) क्या कोई व्यक्ति घायल हुआ; और

(घ) प्रमुख स्टेशनों पर इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख). यह दुर्घटना ६ और ७ मार्च, १९६१ की रात्रि में टाटानगर यार्ड में हुई जिसमें नकदी की रक्षा करने वाले एक रेलवे सुरक्षा बल के रक्षक पर गोली चलायी गयी और उसे घायल कर दिया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) कुल मिला कर नकदी, चैक और हुंडियों के रूप में २३,५५८.४६ रुपये की राशि लूटी गयी।

(घ) सुरक्षा व्यवस्था दृढ़ करने के लिये सभी रेलवे को आदेश दे दिये गये हैं और उनका पालन किया जा रहा है।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या उस समय रेलवे सुरक्षा बल के व्यक्ति स्टेशन पर थे? यदि हां, तो वे क्या कर रहे थे?

†**श्री शाहनवाज खां :** रेलवे सुरक्षा बल का रक्षक इस दल के साथ था और उसे गोली मारी गई।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या वहां केवल एक ही व्यक्ति था या अधिक थे?

†**श्री शाहनवाज खां :** उस समय वहां केवल एक ही रक्षक था।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** यह डकैती यात्रियों से भरी गाड़ी में हुई या उस गाड़ी में जो टाटानगर समाप्त होती है?

†**श्री शाहनवाज खां :** यह किसी गाड़ी में डकैती का मामला नहीं है। यह दल माल-गोदाम से स्टेशन को रकम ले जा रहा था और वे व्यक्ति पैदल जा रहे थे। उनको रास्ते में रोक कर लूटा गया।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है?

†**श्री शाहनवाज खां :** जी, हां। सन्देह के रूप में दो बाहरी व्यक्तियों और एक रेलवे कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है।

†**श्री मुहम्मद इलियास :** क्या सरकार को इस बात का कोई पता है कि ऐसी डकैतियों में बड़े पदाधिकारियों का भी हाथ होता है?

†**श्री शाहनवाज खां :** मैं इस अफवाह का खंडन करता हूं।

†**श्री मुहम्मद इलियास :** समाचारपत्रों में यह प्रकाशित हुआ है।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रश्न का भाग नहीं है।

†**श्री तंगामणि :** क्या लूटी गई इस २३ हजार रुपये की धनराशि में से अपराधियों के गिरफ्तार किये जाने के बाद कुछ रकम वसूल भी की गयी है?

†**श्री शाहनवाज खां :** जी, अभी नहीं।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच है कि ऐसी आपत्तियों का सामना करने के लिये सभी स्टेशनों पर और रेलवे यार्डों में हर समय सुरक्षा बल के व्यक्ति तैनात किये जाते हैं और यदि हां, तो उनको वहां तैनात किया गया था या नहीं?

†**श्री शाहनवाज खां :** हम सभी प्रमुख स्टेशनों, जंकशनों और यार्डों में सुरक्षा बल के व्यक्ति तैनात करते हैं। वे वहां पर भी थे। कई वर्षों से रकम की सुरक्षा की जाती रही थी और कोई दुर्घटना नहीं घटी। परन्तु यह दुर्घटना हुई और रक्षक पर गोली चलाई गई

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुग्रा** : क्या डकैतों को पकड़ने के लिये इस स्टेशन पर सुरक्षा बल के व्यक्ति तत्काल उपलब्ध थे ?

†**श्री शाहनवाज खां** : वह उस विशेष स्थान पर नहीं थे । यदि वे वहां होते तो वे उनको पकड़ लेते । वे कुछ दूरी पर थें

†**श्री हेम बरुग्रा** : उपमंत्री महोदय ने बताया कि वे प्रमुख रेलवे यार्डों ग्रौर स्टेशनों पर हर समय सुरक्षा बल के व्यक्ति तैनात करते हैं । यह ऐसी घटना है जिसमें वहां केवल एक व्यक्ति था ग्रौर उस पर गोली चलाई गई । अपराधियों को पकड़ने के लिये कोई ग्रौर सिपाही नहीं थे । दोनों वक्तव्य एक साथ कैसे ठीक हो सकते हैं ?

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : वक्तव्य क्या है ?

†**ग्रध्यक्ष महोदय** : मैं इसे समझ नहीं सका हूं । वे किसी ग्रन्य हिस्से में हो सकते हैं ग्रौर दुर्घटना किसी ग्रन्य हिस्से में हो सकती है । जब तक वे लोग वहां पहुंचे, वे भाग खड़े हुए । यह बात मकान में भी हो सकती है । सिपाही मकान के सामने खड़ा हो फिर भी ग्रादमी पीछे की ग्रोर से ग्रा सकता है । जब तक सिपाही वहां पहुंचे वह भाग खड़ा होता है ।

उत्तर प्रदेश में नई रेलवे लाइनें

†*११२८ { **श्री रामकृष्ण गुप्त** :
श्री भक्त दर्शन :
श्री खुशवक्त राय :
श्री कालिका सिंह :
श्री राधा मोहन सिंह : }

क्या रेलवे मंत्री १६ दिसम्बर, १६६० के ग्रतारांकित प्रश्न संख्या १६६६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से तीसरी पंचवर्षीय योजना की ग्रवधि में नई रेलवे लाइनों के निर्माण की प्रस्थापनाएं मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ; ग्रौर

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) जी, ग्रभी नहीं ।

(ख) ग्रौर (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या योजना ग्रायोग ने इन सब प्रस्थापनाग्रों पर विचार किया था ग्रौर यदि हां तो क्या कोई उत्तर प्राप्त हुग्रा है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : मैं ने बताया कि ग्रभी तक कोई प्रस्थापना नहीं मिली है ।

†**श्री विश्वनाथ राय** : क्या सरकार ने उस प्रस्थापनाग्रों पर विचार कर लिया है जो उत्तर प्रदेश सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिये केन्द्रीय सरकार को भेजी थीं ?

---

†मूल ग्रंग्रेजी में

†श्री सें० वें० रामस्वामी: यह प्रश्न तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में है ।

†श्री कालिका सिंह : द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने चार नई लाइनों की प्रस्थापना की थी । क्या उनको अब तृतीय पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जायेगा जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सिफारिश की है ?

†रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) : राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित सभी नई रेलवे लाइनों की सूची पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाते समय अच्छी तरह विचार किया गया था । उनको आगे लाने का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण नहीं है । यदि संसाधन उपलब्ध हुए तो इन क्षेत्रों में यथासंभव अधिकाधिक नई रेलवे लाइनें बिछायी जायेंगी ।

†श्री भक्त दर्शन : क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका कोई कारण बताया है कि उन्होंने अभी तक अपने प्रस्ताव क्यों नहीं भेजे हैं और वे अपने प्रस्ताव कब तक भेज देंगे ?

†श्री जगजीवन राम : हम राज्य सरकारों से स्पष्टीकरण नहीं मांगते हैं ।

†श्री च० द० पाण्डे : द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये दी गयी सूची अभी भी विद्यमान है और उत्तर प्रदेश सरकार ने उसी सूची पर जोर दिया है । उन पर प्राथमिकता के बारे में तृतीय पंचवर्षीय योजना में विचार किया जा सकता है । क्या सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उल्लिखित प्राथमिकता पर विचार करेगी ?

†श्री जगजीवन राम : जैसा मैं बता चुका हूं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नई रेलवे लाइनों के निर्माण के लिये उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करते हुए, उतनी नई रेलवे लाइनों के निर्माण पर विचार किया जायेगा जितनों के लिये संसाधन उपलब्ध होंगे ।

†श्री तिरुमल राव : राज्य सरकारों द्वारा भेजे गये प्रस्तावों अपनायी गयी प्रक्रिया के बारे में क्या मैं जान सकता हूं कि क्या पहले मं ालय उन पर विचार करता है और फिर उनको योजना आयोग को भेज देता है अथवा वे संयुक्त रूप से मिल कर प्राथमिकता निर्धारित करते हैं ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : हमने अप्रैल १९६० में सभी राज्य सरकारों से प्रस्थापनायें भेजने को कहा था । हम उन पर विचार करते हैं और फिर हम अपनी प्रस्थापनायें योजना आयोग को भेज देते हैं ।

†राजा महेन्द्र प्रताप : क्या वृंदाबन को अलीगढ़ और कासगंज से मिलाने का कोई प्रस्ताव है?

†श्री जगजीवन राम : इस समय कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है ।

†अध्यक्ष महोदय : अलीगढ़ और वृन्दावन में क्या घनिष्ट सम्बन्ध है ? एक मुस्लिम केन्द्र है और दूसरा हिन्दू केन्द्र है ।

†राजा महेन्द्र प्रताप : यदि वृन्दावन और अलीगढ़ और कासगंज के बीच एक छोटी लाइन बना दी जाये तो इसे एक महत्वपूर्ण नगर खुल जायेगा । क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है ?

†श्री जगजीवन राम : जी, नहीं । ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० मा० श्री श्रणे** : क्या मैं यह समझूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में **दी गई प्राथमिकतायें** तृतीय **पंचवर्षीय योजना** में दी जा रही प्राथमिकताओं के बावजूद भी जारी रहेंगी? रेलवे मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, क्या उसका यह तात्पर्य है ?

†**श्री जगजीवन राम** : यह धारणा केवल स्वीकृत योजनाओं पर लागू होगी ।

प्रश्न संख्या ११२४ के बारे में

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

†**श्री तिरुमल राव** : क्या मैं आपका ध्यान श्री के० रामा राव के परिवार को मुआवज़ा देने के बारे में प्रश्न संख्या ११२४ की ओर आकृष्ट कर सकता हूं । आपने पहले कहा था कि आप इस प्रश्न को बाद में लेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : ठीक : प्रश्न संख्या ११२४ का उत्तर दिया जाये ।

श्री के० रामाराव के परिवार को मुआवजा

†*११२४. **श्री प्र० गं० देव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्री के० रामा राव, जिनकी पिछले सप्ताह रेलवे में दुर्घटनावश मृत्यु हो गयी थी, के परिवार को मुआवजा देने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख) . श्री रामा राव की मृत्यु सम्बन्धी मामले की जांच की जा रही है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न मुआवज़े के बारे में है ।

†**श्री शाहनवाज खां** : जांच के बाद इस प्रश्न पर विचार किया जा सकता है ।

†**श्री कालिका सिंह** : जब स्वर्गीय सम्पादक का शरीर उठाया गया तो उसमें कुछ जान थी और वह मृत नहीं थे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : पहले भी यह बात पूछी गयी थी । उन्होंने बताया कि इस मामले में एक समिति जांच कर रही है ।

†**श्री वाजपेयी**: एक पूर्व अवसर पर मंत्री महोदय ने बताया था कि जब उन्हें जनता एक्सप्रेस से उठाया गया तब उनकी मृत्यु हुई । परन्तु हमें श्री के० रामा राव के पुत्रों के पत्र मिले हैं कि उन्हें सांस आ रही थी और समय पर नहीं उठाया गया । क्या मंत्री महोदय इस मामले में विशेष जांच करने के लिये जांच समिति को आदेश देने की संभाव्यता पर विचार करेंगे ?

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : जैसा मैंने पहले बताया कि मैं स्वर्गीय श्री रामा राव के पुत्रों की राय के बारे में अपनी राय नहीं दे सकता । जांच समिति जांच करते समय इन सब बातों पर विचार करेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री रंगा : उन्होंने मंत्री महोदय से कोई राय नहीं मांगी है। उन्होंने कहा है कि क्या वे इस प्रश्न के अध्ययन के लिये भी जांच समिति को आदेश देंगे ।

†श्री जगजीवन राम : जांच समिति स्पष्टतः इस प्रश्न पर विचार करेगी ।

†श्री तिरुमल राव : क्या प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद सरकार सहानुभूतिपूर्ण ढंग से मुआवज़े के प्रश्न पर विचार करेगी ?

†श्री जगजीवन राम : जी, हां । इस पर सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार किया जायेगा ।

†श्री वे० रा० पट्टाभिरामन् : क्या जांच होने तक कोई अन्तरिम मुआवज़ा दिया जायेगा ?

†श्री जगजीवन राम : ऐसे मामलों में, रेलवे दुर्घटनाओं के सामान्य मामलों की तरह, मुआवज़ा नहीं दिया जाता । यह मामला सामान्य नियम, दुष्कृति नियम अथवा भारतीय घातक दुर्घटना अधिनियम के अधीन आयेगा । जांच पूरी होने पर हम इस पर सहृदयतापूर्वक विचार करेंगे ।

†श्री जोकीम आल्वा : क्या विभिन्न स्थिति वाले व्यक्तियों के लिये रेलवे की मुआवज़े की दरें भिन्न-भिन्न हैं इस मामले में, क्या रेलवे मृतक को अधिकतम मुआवज़ा देने पर विचार करेगी ?

†श्री जगजीवन राम : मैं माननीय सदस्य का ध्यान ....

†श्री कालिका सिंह : क्या कोई दावा प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो यह कितनी रकम के लिये है ?

†श्री जगजीवन राम : कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है । और जैसा मैंने बताया, यह रेलवे अधिनियम के अधीन नहीं आता परन्तु दुष्कृति नियम अथवा भारतीय घातक दुर्घटना अधिनियम के अधीन आता है ।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्योंकि लोग भारत भर में इस बारे में रोष प्रकट कर रहे हैं, क्या समिति को कोई निदेश दिया गया है कि वह प्रतिवेदन शीघ्र दे ?

†श्री जगजीवन राम : मैं उनसे कहूंगा कि जांच यथा संभव शीघ्र समाप्त की जाये । हम रेलवे अधिकारियों से कुछ जांच करा रहे हैं और दूसरी जांच पुलिस कर रही है । मैं इस ओर राज्य सरकार का ध्यान भी आकृष्ट करूंगा ।

†श्री नथवानी : मंत्री महोदय ने बताया कि मुआवज़ा देने के प्रश्न पर सामान्य नियमों के अधीन विचार किया जायेगा । क्या यह भारतीय घातक दुर्घटना अधिनियम के अधीन भी आ सकता है या नहीं ?

†श्री जगजीवन राम : मैंने कहा कि यह सामान्य नियम के अधीन आता है, अर्थात् दुष्कृति नियम अथवा भारतीय घातक दुर्घटना अधिनियम । यह इस पर निर्भर करेगा कि दावा किस प्रकार किया गया है ।

†अध्यक्ष महोदय : वह "सामान्य" शब्द हटा दें । नियम के अधीन—इतना काफी है ।

†श्री जगजीवन राम : जी, हां । नियम के अधीन ।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न-काल समाप्त हो गया है । दो अल्प सूचना प्रश्न हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री गोरे : मैं विश्व स्वास्थ्य परिषद् की बैठक और वहां पर कुछ बातों के बारे में स्थगन प्रस्ताव रखना चाहता था ।

†अध्यक्ष महोदय : इस बारे में अल्प सूचना प्रश्न है ।

†श्री गोरे : उसमें मुश्किल से वह बात आ पाती है जो मैं पूछना चाहता हूं ।

†अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें कुछ प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा ।

†श्री गोरे : अगर आपने समाचार पत्रों में पढ़ा हो ....

†अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले पर कितने ही प्रश्नों की अनुमति दूंगा । यह अल्प सूचना प्रश्न है ।

†श्री वाजपेयी : परन्तु प्रधान मंत्री जी यहां नहीं हैं ।

†अध्यक्ष महोदय : यदि मैं स्थगन प्रस्ताव की अनुमति भी दे दूं तो इस मामले में मैं क्या कर सकता हूं ?

†श्री वाजपेयी : प्रधान मंत्री जी सायंकाल ४ बजे आ सकते हैं ।

†अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य दूर की बात कर रहे हैं । श्री गोरे अपना स्थगन प्रस्ताव रखना चाहते थे ।

†एक माननीय सदस्य : प्रधान मंत्री जी आ गये हैं ।

†अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा कि मैं इसी विषय पर एक अल्प सूचना प्रश्न की अनुमति दे रहा हूं । प्रधान मंत्री जी ने इसका उत्तर देना मंजूर कर लिया है जहां वे सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे ।

†श्री हेम बरुआ : मैंने भी एक स्थगन प्रस्ताव रखा है और हम इसके बारे में बड़े गम्भीर हैं । हम इस पर विचार के लिये जोर देना चाहते हैं । अल्प सूचना प्रश्न से हमारा मतलब सिद्ध नहीं होगा ।

†अध्यक्ष महोदय : हमें उत्तर सुनना चाहिये । वह जोर डालें या न डालें उस पर बाद में विचार किया जायेगा । श्री त्यागी ।

अल्पसूचना प्रश्न और उत्तर

दिल्ली में विश्वशांति परिषद् का अधिवेशन

†अल्प सूचना प्रश्न संख्या १०. क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि दिल्ली में २४ से २८ मार्च, १६६१ तक विश्व शांति परिषद् का अधिवेशन हो रहा है ;

(ख) विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों को कितने वीसा जारी किये जा चुके हैं ; और

(ग) कम्युनिस्ट चीन के कितने प्रतिनिधि हैं ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) जी हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ४७ देशों से आने वाले व्यक्तियों को २१० वीसा दिये गये हैं । इनमें उन व्यक्तियों को, जिनकी राष्ट्रीयता नहीं मालूम है, दिये गये २ वीसा भी शामिल हैं ।

(ग) २० ।

†**श्री त्यागी** : जैसा कि समाचार-पत्रों में लिखा गया है, क्या प्रधान मंत्री और इस सम्मेलन के संचालक पंडित सुन्दरलाल के बीच इस तरह का कोई समझौता हुआ था कि इस सम्मेलन में भारत-चीन सीमा विवाद का विषय चर्चा के लिए नहीं रखा जायेगा ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जी नहीं । इस तरह के किसी समझौते का कोई सवाल ही नहीं हो सकता । मुझे बिल्कुल ठीक-ठीक याद नहीं है लेकिन जहां तक याद है कि मैंने श्री सुन्दरलाल से कहा था कि यह शान्ति परिषद् है एक ऐसा संगठन है जो शान्ति के लिए काम करने की इच्छा से अक्सर युद्ध जैसी घोषणायें करता है और उससे कोई लाभ नहीं होता और इसलिए, जब कि हम उनके मार्ग में कठिनाई नहीं उत्पन्न करना चाहते थे हम उनकी किसी तरह मदद भी नहीं कर सकते थे । मैंने बातचीत के दौरान सीमा सम्बन्धी झगड़ों का स्थूल रूप से उल्लेख किया था और कहा था कि यही शान्ति परिषद् के विचारों की परीक्षा है । आगे क्या हुआ यह मुझे याद नहीं लेकिन मैं समझता हूं कि शायद उन्होंने ही यह सोचा हो कि इस तरह की चीजों पर विचार नहीं किया जायेगा । समझौते का कोई सवाल नहीं है । जहां तक मेरा सम्बन्ध है, वे निश्चय ही उस पर विचार कर सकते थे ; उन्हें ठीक तरीके से, गलत तरीके से नहीं, उस पर विचार करना चाहिये ।

†**श्री त्यागी** : क्या यह सच है कि सरकार इस संगठन को कोई मदद देती है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : किसी तरह की मदद नहीं दी गयी है ।

†**श्री अंसार हरवानी** : क्या यह सच नहीं कि हमारे सैंकड़ों देशवासियों ने पहले शान्ति परिषद् का निमंत्रण स्वीकार किया था और उन्हें लौटती यात्रा के लिए वीसा दिये गये थे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे सैंकड़ों के बारे में तो मालूम नहीं, लेकिन कुछ लोग और कुछ संसद् सदस्य भी पहले दूसरे देशों में इस सम्मेलन में गये थे ।

†**श्री गोरे** : कल के टाइम्स आफ इंडिया में श्री सुन्दरलाल का यह कथन इस प्रकार दिया गया है : "श्री सुन्दरलाल ने यह बताया कि इस अधिवेशन के संचालकों और भारत सरकार के बीच स्पष्ट समझौता हुआ था कि सीमा विवाद का प्रश्न सम्मेलन में नहीं उठाया जायेगा । उन्होंने इस समझौते के कारण नहीं बताये और न ही उन्होंने यह बताया कि किसकी प्रेरणा से यह समझौता हुआ ।" इस प्रकार यह स्पष्ट कहा गया है कि समझौता हुआ है । मेरा यह कहना है कि यदि इस तरह का कोई समझौता नहीं हुआ था और भारतीय दल के नेता ने समझौता होने की बात कही है तो क्या हमें उसका खंडन नहीं करना चाहिये और इस ओर ध्यान नहीं देना चाहिये कि इस प्रकार के वक्तव्यों के लिये अनुमति न दी जाये, क्योंकि उससे सारे देश में गलत धारणा उत्पन्न होती है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि वह सच है या झूठ ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : सच बात तो यह है कि जिस समाचार का वह उल्लेख कर रहे हैं वह मैंने नहीं देखा है । लेकिन पिछली रात मुझे भी श्री सुन्दरलाल का एक पत्र मिला । उनका

---

†मूल अंग्रेजी में

यह ख्याल था कि यह समाचार प्रकाशित होगा और वह मुझे समझाना चाहते थे कि इससे गलत धारणा पैदा हो सकती है । मैंने उसे पिछली रात पढ़ा और आगे भेज दिया । लेकिन उन्होंने खुद ही कहा है कि "मैं बिल्कुल सहमत हूं कि आपने कोई समझौता नहीं किया" । मेरे और उनके बीच किसी विषय पर समझौते का कोई सवाल ही नहीं पैदा हो सकता ।

†**श्री नाथ पाई** : क्या प्रधान मन्त्री हमें बतायेंगे कि क्या भारत सरकार ने इस शान्ति परिषद् के सम्बन्ध में अपनी नीति में कोई परिवर्तन किया है, क्योंकि प्रधान मन्त्री ने इस परिषद् के बारे में संसद् को बताया था कि "यह एक ऐसा संगठन है जो अपने को अखिल भारतीय शान्ति परिषद् कहता है । वह किस तरह की शान्ति चाहता है और उसकी चर्चा करता है यह स्पष्ट नहीं है । मुझे यह देख कर धक्का लगा कि अपने को भारतीय कहलाने वाला कोई व्यक्ति अपने ही देश को इस तरीके से नीचे गिराये और उसे बदनाम करे ।" हम जानना चाहते हैं कि क्या कोई परिवर्तन हुआ है क्योंकि पहले जब यह परिषद् भारत में अपना अधिवेशन करना चाहती थी तब शायद भारत सरकार इस बारे में बहुत प्रसन्न नहीं थी । इसलिये हम जानना चाहते हैं कि क्या इस बीच कोई पुनरीक्षण हुआ है और उस कारण यहां अधिवेशन करने की इजाजत दी गयी है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इस संगठन के प्रति भारत सरकार के रुख में कोई बुनियादी रद्दो-बदल नहीं हुआ है । इस संगठन में कई सुप्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिन के भारत आने पर हम सामान्यतया स्वागत करेंगे । लेकिन मैं समझता हूं कि इस शांति सम्मेलन या परिषद् जो भी हो,के कामकाज में अगर बुनियादी नहीं तो फिर भी कुछ रद्दो-बदल हुआ है । इस मामले में हमारा रुख यह है कि जहां तक सम्भव हो, हम किसी के भारत आने की स्वतन्त्रता में रोक लगाने के अधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहते । हम इन संगठनों से किसी प्रकार, सहायता द्वारा या और किसी तरह सम्बन्ध नहीं रखते । लेकिन ऐसा शायद ही कभी होता है कि हम किसी संगठन के लिये, खास कर एक समिति या छोटी परिषद् के भारत में सम्मेलन के लिये कठिनाई पैदा करना चाहते हों ।

†**श्री अशोक मेहता** : आशा है कि अभी पहले एक दिन जब वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्री इस सम्मेलन में भाषण दे रहे थे, तब चीनी प्रतिनिधियों के बर्ताव की ओर और उनके इस वक्तव्य की ओर, कि भारत में अधिकतर लोग उनके कथन का समर्थन करते हैं, प्रधान मन्त्री का ध्यान दिलाया गया होगा । इन बातों को देखते हुए मैं प्रधान मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि सम्मेलन यहां बुलाने में और चीन से २० प्रतिनिधियों को यहां आने और ऐसे ढंग से इसमें भाग लेने, जो इस देश के लिये बहुत उत्तेजनापूर्ण हो सकता है, की अनुमति देने का क्या प्रयोजन था ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरा ध्यान दिलाया गया है यद्यपि इस सम्मेलन में चीनियों के उन भाषणों का ब्यौरा मुझे नहीं मालूम है । लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि माननीय सदस्य के कथनानुसार उस प्रकार की बातें उन्होंने कही हैं ।

†**श्री गोरे** : वे सम्मेलन से बाहर निकल गये और उन्होंने समाचार-पत्रों को वक्तव्य दिया ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : लेकिन मैं नहीं समझ पाता कि यहां पर सम्मेलन के आयोजन से इसका क्या सम्बन्ध है । मैं मानता हूं कि जिन चीनियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया उनके वक्तव्य बहुत आपत्तिजनक थे । लेकिन यहां पर सम्मेलन के आयोजन से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । अब हमारे सामने जो समस्या है वह यह है कि जिन संगठनों से हम सहमत नहीं होते, क्या उनके सम्मेलन यहां न होने देने के लिए हम कड़ी नीति रखें । यही बुनियादी सवाल है । हमने यहां कई प्रकार के

---

†मूल अंग्रेजी में

सम्मेलनों के आयोजन के लिए अनुमति दी है, हम बहुतों से सहमत नहीं हैं लेकिन हम यही नीति अपनाना चाहते हैं। हम उनसे सम्बन्ध नहीं रखते लेकिन एक बार हम इस ढंग की बैठकें बन्द करने की प्रथा शुरू कर दें तो फिर अन्तर रखना कठिन हो जाता है। फिर भी हमें कहीं तो अन्तर रखना ही पड़ेगा और हम यह चाहेंगे कि किसी को आने की मनाही करने के बजाय किसी को आने की अनुमति देने के विषय में अन्तर रखना होगा। लेकिन जहां तक इस विशिष्ट घटना का सम्बन्ध है कि चीनी प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में क्या कहा, यह जाहिर है कि जो लोग यहां आये उनके द्वारा इस तरह का रुख अपनाया जाना बहुत ही आपत्तिजनक था।

†**श्री अशोक मेहता** : क्या प्रधान मन्त्री को यह आशा थी कि चीनी प्रतिनिधि इसके विपरीत ढंग से बर्ताव करेंगे ? यह जानते हुए कि वे सम्भवतः इसी ढंग से यहां बर्ताव करेंगे, मैं नहीं समझ पाता कि हमारी ही राजधानी के बाहर शहर में हमारे ही देश का अपमान करने के लिये उन्हें भारत आने की इजाजत क्यों दी गयी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जो भी हो, मुझे नहीं मालूम था कि कितने चीनी आ रहे हैं या कोई चीनी आ भी रहे हैं या नहीं।

†**श्री अशोक मेहता** : लेकिन आपने २० बताया है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे अब मालूम हुआ है।

†**श्री अशोक मेहता** : लेकिन जब वीसा दिये गये थे तब आपको अवश्य ही मालूम हुआ होगा।

†**श्री जहवहरलाल नेहरू** : मैं जानता हूं, लेकिन प्रधान मन्त्री वीसा नहीं जारी करता।

†**श्री अशोक मेहता** : हम सरकार के बारे में कह रहे हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : सरकार ने सभी के लिए, मैं चीनियों के बारे में नहीं कह रहा हूं, बल्कि हर किसी के लिए चाहे वह अमरीकी, फ्रांसीसी या जर्मन हो, वीसा देने की नीति उदार बना दी है। चूंकि वीसा देने में देर होने के विरुद्ध इस सभा में शिकायतें की गयी थीं इसलिये हमने अपनी नीति सरल बना दी है। अब सामान्य नियम यह है कि जब तक किसी सम्बन्धित व्यक्ति के बारे में कोई खास बात न हो, हम वीसा दे देते हैं। मैं नहीं जानता कि इस सम्मेलन में कितने चीनी आ रहे थे। माननीय सदस्य का यह सोचना ठीक है कि वीसा देने वाले अधिकारी इस बारे में जानते थे।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या मैं प्रधान मन्त्री का ध्यान इस बात की ओर दिला सकता हूं कि दिल्ली में शान्ति सम्मेलन के अधिवेशन में भाग लेने वाला चीनी शिष्टमंडल हमारे ही देश में श्री चाउ-एन-लाई द्वारा हमारी निन्दा और बदनामी का आन्दोलन चला रहा है और उसने भारतीयों को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के वारिस कहा है और भारत को पड़ौसी देशों से अलग करने के लिये हमारे पड़ौसी देश नेपाल और बर्मा के औचित्य को और रंगीन बना कर दिखाने की कोशिश की है ? मैं प्रधान मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि ये सब बातें रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह उसी की पुनरावृत्ति है जो दूसरे माननीय सदस्य कह चुके हैं और जिसका उत्तर मैं दे चुका हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हेम बरुआ : हमारी चिन्ता यह है कि अभी तक इस देश के विरुद्ध निन्दा का प्रचार चीन की सीमाओं तक ही सीमित था। श्री चाऊ-एन-लाई ने हमारी निन्दा के लिये टेलीविजन और समाचार पत्रों का भी उपयोग किया है अब हमने उसके प्रतिनिधियों को इस देश की राजधानी में भी उनका काम करने की इजाजत दी है।

†श्री वाजपेयी : इस बात को देखते हुए कि भारतीय शान्ति परिषद् ने भारतीय प्रदेश पर चीनी कब्जे के प्रश्न पर अ-राष्ट्रीय रुख अपनाया है और चीनी प्रतिनिधियों ने भारत पर लांछन लगाने के लिये इस स्थिति से नाजायज फायदा उठाया है, क्या सरकार ने भारत-चीन सीमा विवाद के बारे में सारे तथ्य विदेशी प्रतिनिधियों को बताने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने भारत के विरुद्ध आरोप लगाये हैं उन्हें सारे तथ्य इतने अच्छी तरह मालूम हैं कि उन्हें अब अधिक तथ्यों की जरूरत नहीं होगी। मैं नहीं जानता कि शान्ति परिषद् के सदस्यों के बीच उन्होंने कोई खास प्रचार किया है या नहीं लेकिन हमने उनमें से कुछ लोगों को इस विषय पर हाल के प्रकाशन दिये हैं।

†आचार्य कृपालानी : दुःख की बात यह है कि जो भारतीय इस सम्मेलन में भाग ले रहे थे उन्होंने उस समय कुछ भी नहीं कहा जब भारत के विरुद्ध और चीनी आक्रमण के पक्ष में बातें कहीं गयीं और अत्यधिक दुःख की बात यह है कि मुख्यतः निमन्त्रित व्यक्ति और जो वहां उपस्थित थे, वे सभी कांग्रेसी थे।

†श्री त्यागी : कोई कांग्रेसी नहीं थे।

†श्री च० द० पांडे : वे कांग्रेसी नहीं हैं, वे सहयात्री हैं।

†आचार्य कृपालानी : उनमें से अधिकतर कांग्रेसी हैं, जैसे दीवान चमनलाल, श्रीमती नेहरू।

†रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) : उसमें कोई कांग्रेसी नहीं हैं।

†आचार्य कृपालानी : जब किसी पहले समय हम जासूसी के बारे में बातें कर रहे थे तब प्रधान मंत्री ने कहा था कि उन्हें यह पसन्द नहीं है कि भारतीय विदेशों से सम्बद्ध संघों के सदस्य रहें। यदि ऐसा है तो क्या वह कांग्रेसियों को इन संगठनों से अलग रहने की सलाह नहीं देंगे ?

†श्री रंगा : इस सम्मेलन में जो दो सौ प्रतिनिधि आये हैं उनमें से कितने कम्युनिस्ट देशों के हैं?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं नहीं जानता। मैं मालूम करूंगा। यहां मेरे पास कागजात नहीं हैं।

†श्री रंगा : क्या वैदेशिक कार्य मन्त्रालय का, जो वीसा देने के लिये उत्तरदायी है, यह कर्त्तव्य नहीं है कि अपनी जानकारी के लिये भी वह यह जानकारी तैयार रखें ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं यह बात मंजूर नहीं करता कि चूंकि कोई सवाल अनुपूरक या स्थगन प्रस्ताव में एकाएक पूछा जा सकता है हमें सारी जानकारी बिल्कुल तैयार रखनी चाहिये।

†श्री रंगा : अन्यथा भी, क्या वह जानकारी तैयार रखना वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय का कर्तव्य नहीं है ?

†अध्यक्ष महोदय : उसके पास जानकारी है, लेकिन अभी नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू:** जी नहीं। वास्तव में वह अभी भी मेरे पास है लेकिन मैं यह मांग स्वीकार नहीं करता कि किसी भी आशातीत विषय पर मैं हमेशा उसे अपने पास रखूं।

†**श्री रंगा:** फिर वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय क्यों रखा गया है. क्या केवल यहां सोने के लिए?

†**अध्यक्ष महोदय:** वह सारी जानकारी अपने साथ नहीं रख सकते।

†**श्री श्री० अ० डांगे:** शान्ति सम्मेलन में भाग लेने के नाते माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गये प्रश्नों के जरिये व्यक्त की गयी वक्रोक्तियों का घोर विरोध करता हूं।

†**श्री वाजपेयी:** यह स्पष्टीकरण क्या है? क्या वह शान्ति परिषद् की ओर से बोल रहे हैं?

†**अध्यक्ष महोदय:** मैं अगला प्रश्न लूंगा।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू:** मैं नहीं चाहता कि कोई सदस्य यह समझे कि मैं जानकारी नहीं देना चाहता। वास्तव में मेरे पास उन ४८ देशों की सूची है जिन्हें वीसा जारी किये गये हैं। प्रत्येक देश से प्रतिनिधियों की संख्या का जहां तक संबंध है, मैं पढ़ूंगा . . .

†**अध्यक्ष महोदय:** वह जरूरी नहीं है। वह केवल यह जानना चाहते थे कि कम्युनिस्ट देशों से कितने लोग आये?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू:** जब तक मैं हर एक को अलग अलग न लूं तब तक मैं नहीं बता सकता। कुल ४८ देश हैं।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही:** क्या वे सभी कम्युनिस्ट हैं?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू:** जी नहीं। मैं उन देशों के नाम पढ़ूंगा--जेकोस्लोवाकिया, इजरायल, श्रीलंका, बेल्जियम, स्पेन, सूडान, वीयतनाम, साइप्रस, इटली, पोलेंड, मंगोलिया, या पूर्व जर्मनी, मेक्सिको, लेबनान, ट्यूनिशिया, अमेरिका, बलगेरिया, फ्रांस, ईरान, रूस, मिश्र, जोर्डन, फिलपाइन्स, पेरू, ईराक, इंडोनेशिया, हंगरी, फिनलैंड, डेन्मार्क, ब्राजिल, अर्जेन्टाइन, पश्चिम जर्मनी, अल्बानिया, लाओस, माली, गायना, चीन, उत्तर कोरिया, यूनान, चीली और अन्य।

†**श्री नाथपाई:** इस देश की अतिथ्य संबंधी परम्परायें कायम रखने के विषय में प्रधान मंत्री से सहमत होते हुए क्या मैं एक बहुत सरल प्रश्न पूछ सकता हूं? शांति परिषद् की कार्यसूची में प्रत्येक विवाद है। इस देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विवाद पर चर्चा करने से इन्कार कर देने से क्या उस परिषद् ने अपनी कुछ अप्रिय बातें दूर नहीं कर दी हैं? क्या मेज़बान देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने से इन्कार कर देना उसके अधिक अच्छे व्यवहार का प्रतीक नहीं है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू:** मैंने सवाल ठीक ठीक नहीं समझा। मैं इस का जवाब नहीं दे सकता कि शांति परिषद् क्या करना चाहती है या क्या नहीं करना चाहती। मैं केवल यही स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि श्री सुन्दरलाल के कथन से उत्पन्न यह धारणा बिल्कुल गलत है कि इस बारे में कोई समझौता हुआ था कि उसे किस विषय पर चर्चा करनी चाहिये। मेरे साथ उनके समझौते का कोई सवाल ही नहीं है। (**अन्तर्बाधा**)

†**अध्यक्ष महोदय:** अगला प्रश्न।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर**: आपने दूसरी ओर से सभी प्रश्नों के लिए अनुमति दी है लेकिन इस ओर के सदस्यों के किसी भी प्रश्न के लिए अनुमति नहीं ी। उस ओर से सभी प्रश्न एक से अधिक बार पूछे गये हैं। इस ओर खड़े सदस्यों की ओर भी उचित ध्यान दिया जाना चाहिये। श्री कास्लीवाल और हम प्रश्न ६ पूछना चाहते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय**: मैंने श्री त्यागी और श्री अन्सार हरवानी को अवसर दिया था। यदि माननीय सदस्य संतुष्ट न हों तो मैं उन्हें अवसर दूंगा।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर**: बराबर अवसर मिलना चाहिये।

†**श्री कास्लीवाल**: माननीय प्रधान मंत्री ने बताया कि श्री सुन्दरलाल और उनके बीच कोई समझौता नहीं हुआ था। वह बिल्कुल ठीक है। क्या सरकार को मालूम है कि भारतीय शिष्टमंडल के ३८ या ३९ सदस्यों के बीच यह स्पष्ट समझौता हुआ था कि वे इस सम्मेलन में भारत चीन सीमा विवाद का प्रश्न नहीं उठायेंगे?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: मुझे मालूम नहीं। मुझे यह जानकारी नहीं है कि भारतीय प्रतिनिधि कौन हैं और शिष्टमंडल में कौन कौन हैं?

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर**: ये चीनी प्रतिनिधि इस देश से कब जायेंगे और क्या इस बात के लिए कोई कार्यवाही की गयी है कि वे इस देश से सीधे चले जायें?

†**अध्यक्ष महोदय**: यह कार्यवाही का सुझाव है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर**: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें यह मालूम है कि वे इस देश से कब जा रहे हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: जी नहीं। मैं समझता हूं कि वह सम्मेलन कल समाप्त हो जायेगा।

†**आचार्य कृपालानी**: क्या वे जायेंगे?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: आशा है। मेरा ख्याल है कि वे जायेंग।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार**: प्रधान मंत्री ने बताया कि भारत सरकार का इस शांति परिषद् से कोई संबंध नहीं है। क्या मैं जान सकता हूं कि वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा सांस्कृतिक-कार्य उप मंत्री का इस परिषद् से क्या सम्बन्ध था; क्या उनका अपना व्यक्तिगत संबंध था या वे केन्द्रीय सरकार के मंत्री की हैसियत से गये थे।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: मुझे बिल्कुल मालूम नहीं कि वे किस हैसियत से वहां गये थे।

†**डा० रामसुभग सिंह**: वे टैगोर शताब्दि समारोह का उद्घाटन कर रहे थे।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: जी हां, इसमें अन्तर है। मुझे खेद है। इस अवसर पर टैगोर शताब्दि समारोह के सिलसिले में शांति परिषद् के कुछ सदस्यों की एक बैठक हुई थी और उस समारोह में उन्होंने श्री हुमायून कबिर को बुलाया था। (**अन्तर्बाधा**)

---

†मूल अंग्रेजी में

†राजा महेन्द्र प्रताप उठे--

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

नेपाल नरेश का कथित इन्टरव्यू

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११. श्री श्रीनारायण दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान २२ मार्च, १९६१ के पटना के 'इंडियन नेशन' में प्रकाशित यू० एन० आई/ए० पी० ए० द्वारा दिए गए इस समाचार की ओर आकर्षित हुआ है जिसमें "कोइराला की नेपाल के विलय की योजना" शीर्षक के अन्तर्गत नेपाल के राजा महेन्द्र द्वारा दिए गए इन्टरव्यू का सार दिया गया है जिसका आशय यह है कि श्री कोइराला नेपाल का भारत के साथ विलय करना चाहते थे ; और

(ख) यदि हां, तो जनता में भारत के विरुद्ध गलत भावना उत्पन्न न होने देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) सरकार ने २३ मार्च के 'हिन्दू' में प्रकाशित इस विषय का इन्टरव्यू देखा है ।

(ख) जहां तक हमें ज्ञात है नेपाल के राजा महेन्द्र द्वारा नेपाल राज्य के किसी अन्य देश के साथ विलय के प्रयत्न के बारे में दिया गया कथित वक्तव्य निराधार है । वास्तव में हमारी जानकारी के अनुसार नेपाल से संबंधित किसी भी व्यक्ति ने ऐसा सुझाव नहीं दिया है । इसके अतिरिक्त इस प्रकार की बात सर्वथा निराधार है ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या इस मामले के बारे में नेपाल के राजा से स्पष्टीकरण कराने के लिए कोई राजनयिक पहुंच की गई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : इसकी कोई आवश्यकता नहीं है । यह तथाकथित वक्तव्य इतना निराधार है कि उसको कोई महत्व नहीं दिया जा सकता । अतः कोई राजनयिक पहुंच करने की कोई आवश्यकता नहीं थी ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री श्री कोइराला को पदच्युत करते हुए नेपाल के राजा ने यह कहा बताते हैं कि उनका चीन की ओर अधिक झुकाव था और अब वह कहते हैं कि वह नेपाल का भारत के साथ विलय चाहते हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य इन विरोधी वक्तव्यों का संकेत कर रहे हैं जो ठीक ही है । परन्तु मैं दूसरे लोगों की बातों का उत्तर कैसे दे सकता हूं ?

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सम्बलपुर बाढ़ नियंत्रण योजना

†*११०८. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** १९ दिसम्बर १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा माल्दा जिले में सम्बलपुर बाढ़ नियंत्रण योजना को अन्तिम रूप से मंजूरी दी जा चुकी है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब शुरू होगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) नहीं श्रीमान्, परन्तु राज्य सरकार को कतिपय प्रविधिक आवश्यकताओं की पूर्ति होने के पूर्व ही योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ कर देने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया है ।

(ख) योजना का निर्माण कार्य राज्य सरकार द्वारा १३ फरवरी, १९६१ को प्रारम्भ किया गया था ।

अम्बर जहाज

†*१११२. **श्री रघुनाथ सिंह:** क्या परिवहन तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 'अम्बर जहाज' अथवा 'कोस्टल जीप' नामक नये नमूने के छोटे किस्म के भारवाही जहाज का निर्माण करने के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) और (ख). सरकार ने "अम्बर जहाज" किस्म के 'मोटर कोस्टर्स' चालू करने के प्रस्ताव पर विचार किया है और यह महसूस किया गया है कि इस दिशा में प्रगति का प्रावस्थाभाजन किया जाना चाहिये। पहले पाल वाले जहाजों का यन्त्रीकरण किया जाना चाहिये। चूंकि "अम्बर जहाज" का डुबाव¹ पाल वाले जहाज से अधिक है इसलिये वह छोटे पत्तनों में चलाए जाने के लिये तुरन्त उपयुक्त नहीं है। इसलिये उसका विकास छोटे पत्तनों के विकास से सम्बद्ध है ।

हरी खाद

†*१११६. **शेख मुहम्मद अकबर** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि के अन्त तक हरी खाद योजनाओं के अन्तर्गत कुल कितना इलाका आ जाने की सम्भावना है और देश में रासायनिक उर्वरकों की कमी को देखते हुए तथा विदेशी मुद्रा का संचय करने के लिये देश में हरी खाद के अधिक से अधिक इस्तेमाल को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : आशा है कि तीसरी योजना के अन्त तक ३८९ लाख एकड़ क्षेत्र में हरी खाद का प्रयोग होने लगेगा ।

हरी खाद को देश में लोकप्रिय बनाने के लिये उठाए गए विभिन्न कदम संलग्न विवरण में दिये गए हैं ।

विवरण

हरी खाद को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लोकप्रिय बनाने के लिये निम्नलिखित प्रमुख उपाय किये गए हैं :

१. हरी खाद के बीजों के उत्पादन के लिये राज-सहायता देना ।

२. हरी खाद की फसल उगाने के लिए तकावी देना ।

---

†मूल अंग्रेजी में

¹Draft.

३. हरी खाद की फसल उगाने के लिये पानी का रियायती दरों पर सम्भरण ।

४. हरी खाद की नरसरियों की स्थापना और हरी खाद के बीज के पैकेटों, कतरनों, टहनियों तथा झाड़ों का सम्भरण ।

५. जहां सम्भव हो वहां वन क्षेत्रों में बीज के प्रयोजन के लिये हरी खाद की फसल उगाना ।

६. हरी खाद आन्दोलनों अथवा सप्ताहों का आयोजन ।

७. खण्डों, गांवों अथवा व्यक्तियों को हरी खाद के अन्तर्गत सर्वाधिक क्षेत्र लाने अथवा हरी खाद के बीजों के सर्वाधिक उत्पादन के लिये पुरस्कार देना ।

८. क्षेत्र के लिए सर्वोत्तम हरी खाद की फसल का निर्णय करने के लिये प्रयोग-कार्य ।

उकई बांध

†*११२२. **श्री याज्ञिक** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग अथवा किसी अन्य केन्द्रीय प्राधिकार द्वारा उकई बांध की ऊंचाई के बारे में, जिसे पहले ३४५ फुट निर्धारित किया गया था, कोई परिवर्तन किया गया है ;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने उकई बांध के ३४५ फुट ऊंचा होने के बारे में कोई आपत्ति की है ;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में कोई अन्तिम निर्णय किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो यह निर्णय कब किया जायेगा ?

(क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने प्रार्थना की है कि उकई में बनाए जाने वाले जलागार के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय किये जाने के पूर्व ताप्ती बेसिन में उकई के ऊपर के भाग में सिंचाई के लिये पर्याप्त पानी रक्षित किया जाना चाहिये ।

(ग) नहीं श्रीमान् ।

(घ) उकई के पुनरीक्षित परियोजना प्रतिवेदन की गुजरात सरकार से प्राप्त होने की प्रतीक्षा है । अन्तिम निर्णय परियोजना पर केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा पूर्ण जांच किये जाने और सिंचाई बाढ़ नियन्त्रण तथा विद्युत् परियोजनाओं सम्बन्धी समिति द्वारा विचार कर लिये जाने के बाद ही किया जा सकता है ।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या २८ और ३१

†*११२५. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजपथ संख्या २८ और ३१ के निर्माण में क्या प्रगति हुई है;

(ख) इन राजपथों को लखनऊ से सिलीगुरी और कूचबिहार तक यातायात के लिये कब तक खोल दिया जायेगा ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या इनका निर्माण सम्बन्धित राज्यों के लोक निर्माण विभागों के अधीक्षण में किया जा रहा है अथवा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण में ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) से (ग). विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६**]

नौवहन उद्योग के लिये विदेशी मुद्रा

†*११२९. { **श्री पांगरकर** : **श्री रामकृष्ण गुप्त** : **सरदार इकबाल सिंह** :

क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री ६ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८२७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नौवहन उद्योग की आयात आवश्यकताओं के लिये नौवहन के महानिदेशक को विदेशी मुद्रा का अपेक्षित कोटा उपलब्ध करने की प्रस्थापना किस प्रक्रम पर है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : विभिन्न नौवहन, जहाज बनाने वाले तथा जहाजों की मरम्मत करने वाले पक्षों से प्राप्त आवश्यकताओं के आधार पर नौवहन महानिदेशालय ने नौवहन उद्योग के लिये विदेशी मुद्रा का कोटा निश्चित किये जाने के लिये अपने प्रस्ताव भेज दिये हैं। इन प्रस्तावों पर अब सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

भारत-बर्मा नौवहन सेवा

†*११३०. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और बर्मा के बीच एक परिवहन जहाज चलाने का प्रस्ताव भारत सरकार ने अस्वीकार कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख). सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय मदरास व रंगून के बीच यात्रियों के लिए जहाजी सर्विस चलाने वाले सुझाव से है, यदि हां, तो इस सुझाव को त्याग दिया गया है क्योंकि मालूम हुआ है कि यह सर्विस आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं होगी ।

भारत में पागलपन

†*११३१. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पहले इस बात का कोई अनमान लगाया गया था कि पिछले तीन वर्षों में देश में कितने व्यक्ति पागल हो गये ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह अनुमान है कि पागल होने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हो रही है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) किस राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में इस रोग से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) देश में पागल व्यक्तियों की संख्या जानने के लिये अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) और (ग). उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

घोड़ों की बीमारी का टीका

†*११३२. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष नवम्बर में संयुक्त राज्य अमरीका से प्रविधिक सहयोग मिशन के अन्तर्गत घोड़ों की बीमारी के टीके उपहार स्वरूप प्राप्त हुए थे;

(ख) यदि हां, तो इनका मूल्य क्या है ;

(ग) क्या देश में इस प्रकार के टीकों का उत्पादन होता है ; और

(घ) यदि हां, तो कितना ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). घोड़ों की बीमारी के ३०,००० टीके जिनका मूल्य १६,५०० डालर है, सितम्बर, १९६० में प्रविधिक सहयोग मिशन से उपहार के रूप में प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ). सितम्बर, १९६० से अफ्रीकी घोड़ों की बीमारी के टीकों का उत्पादन भारतीय पशु चिकित्सा गवेषणा संस्था इज्जतनगर में शुरू किया गया है। वर्तमान उत्पादन लगभग ३३,००० टीके प्रति माह है। संस्था में अभी तक १,३५,५०६ टीकों का उत्पादन हुआ है।

दिल्ली में भूमि

†*११३३. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री जं० ब० सिं० बिष्ठ :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री राधा रमण :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राम गरीब :
श्री शिवदत्त उपाध्याय :

क्या स्वास्थ्य मन्त्री ६ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७२७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा निर्माण-कार्यों के लिये भूमि का विकास करने के वास्ते भूमि 'रिलीज' करने और अर्जित भूमि के लियें दिये जाने वाले मुआवजे के बारे में क्या निर्णय किया गया है और उसका व्यौरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : प्रश्न का उत्तर कालान्तर में गृह-कार्य मन्त्री द्वारा दिया जाएगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

माल डिब्बों सम्बन्धी आवश्यकता

†*११३४. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोयला नियंत्रक के अनुमान के अनुसार पश्चिम बंगाल और बिहार की कोयला खानों को १९६१ में प्रतिदिन कितने माल डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी ;

(ख) रेलवे बोर्ड ने इन कोयला खानों के लिये १९६१ में कोयले के लदान के बारे में क्या लक्ष्य निर्धारित किया है ; और

(ग) जनवरी और फरवरी में किये गये औसत लदान के अनुसार अब तक इस लक्ष्य की कहां तक पूर्ति हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). बंगाल और बिहार की कोयला खानों में कोयले के लदान के लक्ष्य, जैसा कि इस्पात, खान और ईंधन तथा रेलवे मंत्रालयों के बीच वर्ष १९६०–६१ के लिए निर्णय हुआ है, १४३४ माल डिब्बे इस्पात संयंत्रों के लिए और ३५९६ माल डिब्बे अन्यों के लिए हैं। वर्ष १९६१ के शेष भाग के लिए लक्ष्य जून तक वही होंगे और जुलाई से दिसम्बर तक २०० अतिरिक्त माल डिब्बे होंगे ।

(ग) जनवरी और फरवरी, १९६१ में इस्पात संयं ों की समस्त आवश्यकता पूरी की गई है और अन्य उपभोक्ताओं के लिए जनवरी में औसतन ३७५७ माल डिब्बों और फरवरी में ३६९१ माल डिब्बों का लदान प्रतिदिन किया गया है ।

डाक बचत बैंक में जमा राशि पर ब्याज

†*११३५. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि क्या सरकार डाक बचत बैंक में जमा रकमों पर ब्याज की दर में वृद्धि करने के बारे में विचार कर रही है, क्योंकि अन्य बैंकों में जमा होने वाली रकमों पर मिलने वाले ब्याज की दर में ृद्धि हो गयी है और इसका प्रभाव डाक घर में जमा रकमों पर पड़ने की संभावना है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय म राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : चूंकि पोस्ट आफिस सेविंग्ज़ बैंक निक्षेपों पर ब्याज की दर में वृद्धि का सम्बन्ध वित्त मंत्रालय से है इसलिए प्रश्न का उत्तर बाद की तारीख को वित्त मंत्री द्वारा दिया जाएगा ।

मध्य रेलवे में माल डिब्बे

†२२७०. **श्री पांगरकर** : क्या **रेलवे** मं ी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे में इस समय कितने माल डिब्बे हैं ;

(ख) वर्ष १९६० में कितने माल डिब्बे खराब करार दिये गये और सेवा से हटा लिये गये ; और

(ग) उपरोक्त अव ि में कितने माल डिब्बे स्क्रैप यार्ड भेजे गए ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क)

	बड़ी लाइन	४५,०३३
	मीटर लाइन	२,६०६
	छोटी लाइन (२′—६)	६५७
	छोटी लाइन (२′—०″)	३८३
(ख)	बड़ी लाइन	२४०
	मीटर लाइन	५४
	छोटी लाइन	

(ग) **बड़ी लाइन :**

(१)	१९६० में रद्दी घोषित किये गये माल डिब्बों में से	२४०
(२)	१–१–६० के पूर्व रद्दी घोषित किए गए और उस तारीख तक बिना बिके	३१३
	योग	५५३

मीटर लाइन :

(१)	१९६० में रद्दी घोषित किये ग े माल डिब्बों में से	३०
(२)	१–१–६० के पूर्व रद्दी घोषित किए गए और उस ता ीख तक बिना बिके	३६
	योग	६६

छोटी लाइन : कोई नहीं।

भाण्डागार

†२२७१. **श्री पांगरकर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मं ी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय भाण्डागार निगम द्वारा वर्ष १९६० में देश में कितने भाण्डागार स्थापित किए गए हैं ; और

(ख) उपरोक्त अवधि में निर्माण-कार्य पर कुल कितना व्यय किया गया है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) :** (क) और (ख). व १९६० में १६ भाण्डागार किराए की जगह में बनाए गए हैं।

उसी अवधि में निगम ने केन्द्रीय लोक कर्म विभाग को, जो निगम का निर्माण-कार्य करता है, १२ केन्द्रों में ६२,९०० टन की संग्रह क्षमता के भाण्डागारों के ८९.७१ लाख रुपये की अनुमानित लागत पर निर्माण के लिए २४.३३ लाख पये पेशगी के रूप में दिए हैं।

†मूल अंग्रेजी में

आन्ध्र प्रदेश और मद्रास राज्यों को संभरण किया गया गेहूं

†२२७२. **श्री पांगरकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५९–६० और १९६०–६१ में अभी तक आन्ध्र प्रदेश और मद्रास राज्यों को कितना गेहूं संभरण किया गया है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : आन्ध्र प्रदेश और मद्रास राज्य को इन वर्षों में सं रण किए गए गेहूं की मा ा, उन राज्यों की लिर फ्लोर मिलों को किए गए संभरण को सम्मिलित करके, निम्न प्रकार है :

('००० मीट्रिक टनों में)

	१९५९–६० (१–४–५९ से ३१–३–६०)	१९६०–६१* (१–४–६० से ११–३–६१)
आन्ध्र प्रदेश	३८.४	५१.७
मद्रास	१४०.७	१५९.४

*११–३–६१ के बाद की अवधि के बारे में जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है।

महाराष्ट्र में खाद्यान्नों का रक्षित स्टाक

†२२७३. **श्री पांगरकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में वर्ष १९६०–६१ में अभी तक खाद्यान्नों का कोई रक्षित स्टाक बनाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितना स्टाक बनाया गया है और

(ग) वह खाद्यान्न कहां कहां रखा गया है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) से (ग). खाद्यान्नों के रक्षित स्टाक बनाए जा रहे हैं तथा उनको समस्त देश में आवश्यकता ुसार काम में लाए जाने के लिए उपयुक्त केन्द्रों में रखा जा रहा है। भारत सरकार का खाद्यान्नों का स्टाक, जो ३१ मार्च, १९६० को १०.६२ लाख मीट्रिक टन था, ५ मार्च, १९६१ को २१.५३ लाख मीट्रिक टन हो गया है। इस २१.५३ लाख मीट्रिक टन मात्रा में से लगभग ४.१३ लाख टन महाराष्ट्र के १७ केन्द्रीय डिपोओं में थी।

दक्षिण-पूर्व रेलवे पर शिकायतें और सुझाव

†२२७४. **श्री कुम्भार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे के जनरल मैनेजर को १९६० और १९६१ में अभी तक जनता, जनता के प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों से कितनी शिकायतें और सुझाव प्राप्त हुए ;

(ख) वे सझाव और शिकायतें किस प्रकार के हैं और उनपर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) अभी तक कितनी शिकायतें और सुझाव विचाराधीन हं और उसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) १–१–६० से ३१–१–६१ तक की अवधि में २८९ शिकायतें प्राप्त हुई और १२९ सुझाव।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) विवरण संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७]

(ग) २९ शिकायतों और ८० मुझावों के बारे में जांचें चल रही हैं ।

मैसूर राज्य में पैकेज प्रोग्राम

†२२७५. **श्री सिदय्या** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिये शुरू किए "पैकेज प्रोग्राम" की रूप रेखा क्या है ?

(ख) १९६१-६२ में वह कार्यक्रम किन क्षेत्रों में किया जाएगा ;

(ग) वर्ष १९६१-६२ में प्रत्येक क्षेत्र में कितनी राशि व्यय की जाएगी ; और

(घ) वर्ष १९६०-६१ में इन क्षेत्रों में खाद्यान्नों का कितना वार्षिक उत्पादन हुआ और १९६१-६२ में उपरोक्त क्षेत्रों में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है ?

†**कृषि उपमंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: (क) से (घ). प्रारम्भ में पैकेज प्रोग्राम में ७ राज्य (मैसूर को छोड़ कर) सम्मिलित किए गए थे। अब इस प्रोग्राम का शेष ८ राज्यों में, मैसूर को सम्मिलित करके, विस्तार करने का निर्णय किया गया है । योजना का ब्योरा तैयार किया जा रहा है ।

रेलवे में जंजीर खींचने के मामले

†२२७६. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६० में विभिन्न रेलवे जोनों में यात्रियों द्वारा खतरे की जंजीर खींच कर अनधिकृत प से यात्री गाड़ि ों के रोके जाने की कितनी घटनायें हुई ;

(ख) कौन से जोन में गाड़ियों के रोके जाने की सर्वाधिक घटनायें हुई तथा उसकी संख्या कितनी है ;

(ग) कितने मामलों में अपराधियों को बन्दी एवं दण्डित किया गया ; और

(घ) गाड़ी अधिकतम कितने समय तक रोकी गई?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) ३९,७५१ ।

(ख) पूर्वोत्तर रेलवे जिसकी संख्या ११,६०२ है ।

गिरफ्तार—५८७
दंडित—३७०

(घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिमाचल प्रदेश में जिला फेडरेशन

†२२७७ { श्री शि० वा० रामौल :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में कितने जिला फेडरेशन हैं ;

(ख) प्रत्येक फेडरेशन की वित्तीय स्थिति कैसी है ;

(ग) प्रत्येक फेडरेशन कितना ऋण, यदि कोई हो, ले चुका है और प्रत्येक को पिछले तीन वर्षों में कितनी राज-सहायता दी गई है ;

(घ) क्या मण्डी जिले के फेडरेशन के हाल के चुनावों में कोई गड़बड़ हुई थी ;

(ङ) यदि हां, तो क्या कारण हैं और इस समय क्या स्थिति है ;

(च) क्या मण्डी फेडरेशन के चुनाव का मामला हिमाचल प्रदेश प्रशासन द्वारा केन्द्रीय विधि मन्त्रालय के पास राय जानने के लिये भेजा गया था; और

(छ) यदि हां, तो विधि मन्त्रालय की क्या राय है और उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) से (ग). आवश्यक जानकारी एकत्रित की जा रही है और शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) १९ अक्तूबर, १९६० को मण्डी जिला सहकारी संघ की दो सामान्य बैठकें हुई थीं जिनमें से एक पदभार छोड़ने वाले सभापति द्वारा आमन्त्रित की गई थी और दूसरी सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार की हिदायतों के अन्तर्गत जिला सहकार तथा संभरण अधिकारी द्वारा ।

(च) जी, हां ।

(छ) विधि मन्त्रालय ने यह राय दी है कि (१) जिला सहकार तथा संभरण अधिकारी द्वारा आमन्त्रित बैठक कानून के अनुसार थी और इस बैठक में निर्वाचित प्रबन्ध समिति कानून के अनुसार निर्मित हुई थी और (२) पद छोड़ने वाले सभापति द्वारा आमन्त्रित बैठक कानूनी नहीं थी ।

मंत्रालय की राय प्रशासन के पास भेज दी गई है ।

विभिन्न योजनाओं पर व्यय

†२२७८. **श्री वें० प० नायर** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(१) अधिक अन्न उपजाओ योजनाओं ;

(२) सिंचाई योजनाओं;

(३) बाढ़-नियन्त्रण योजनाओं;

(४) खेती की मशीनों के आयात;

---

†मूल अंग्रेजी में

(५) पैदावार बढ़ाने के लिये खेती के तरीके में सुधार करने;

(६) पशु चिकित्सा (दुग्ध व्यवसाय को छोड़ कर);

(७) दुग्ध व्यवसाय;

(८) कुक्कुट पालन योजनाओं;

(९) सुअर-पालन;

(१०) मीन क्षेत्रों; और

(११) मांस उत्पादन के लिये १९५०-५१ से

(क) केन्द्रीय निधियों और (ख) राज्य की निधियों से कुल कितनी राशि व्यय की गई है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा):** प्रश्न में उल्लिखित ढंग से योजनाओं के श्रेणीवार व्यय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। उपलब्ध सूचना प्रदान करने वाला विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८]**

सिंचाई के अन्तर्गत भूमि

†२२७९. **श्री वें० प० नायर:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: (क) छोटी सिंचाई योजनाओं, (ख) मध्यम सिंचाई योजनाओं और बड़ी सिंचाई योजनाओं के कारण।

(१) खाद्यान्नों;

(२) कपास तथा पटसन;

(३) तिलहनों;

(४) गन्ने; और

(५) अन्य वाणिज्यिक फसलों।

के लिए कुल कितनी अतिरिक्त भूमि १९५०-५१ से सिंचाई के अन्तर्गत लाई गई है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा):** राज्य सरकारों द्वारा भूमि उपयोग आंकड़ों के अंग के रूप में प्रदान किए गए सिंचाई के आंकड़ों के आधार पर १९५०-५१ के बाद सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया सकल क्षेत्र वर्ष १९५६-५७ (इसी वर्ष तक के आंकड़े उपलब्ध हैं) में निम्न प्रकार है:

फसल	अतिरिक्त सिंचित क्षेत्र (लाख एकड़)
खाद्यान्न	५२.८
कपास	१०.७
गन्ना	४.७
अन्य फसलें (तिलहनों को मिलाकर)	९.५

उपरोक्त आंकड़ों का बड़ी, मध्यम और छोटी सिंचाई की योजनाओं के अनुसार व्यौरा उपलब्ध नहीं है।

†मूल अंग्रेजी में

खाद्य की प्रति व्यक्ति खपत

†२२८०. **श्री वें० प० नायर :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खाद्य की प्रति व्यक्ति खपत का नवीनतम अनुमान क्या है ;

(ख) खाद्य की प्रति व्यक्ति औसत खपत के विभिन्न राज्यों के अनुमान क्या हैं ;

(ग) इस सम्बन्ध में भारत सरकार का कौनसा विभाग अध्ययन करता है और इस प्रकार के अध्ययन का तरीका क्या है; और

(घ) क्या भारत सरकार खाद्य की सामान्य खपत और अलग-अलग चीजों की खपत के वार्षिक औसत प्रकाशन हेतु खाद्य तथा कृषि संगठन को भेजती है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)**: (क) और (ख). एक विवरण, जिसमें कुछ खाद्यान्नों के अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति उपलब्धता के अनुमान दिए गए हैं, सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६]**

(ग) ये अध्ययन खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा किये जाते हैं। प्रति व्यक्ति उपलब्धता के अनुमान कुल शुद्ध उपलब्धता और जनसंख्या के अनुमान से निकाले जाते हैं तथा शुद्ध उपलब्धता बराबर है सकल उत्पादन **ऋण** बीज, खाने तथा खाने से भिन्न प्रयोजनों के काम आने वाली मात्रा और बरबाद हुई मात्रा **धन** आयात **ऋण** निर्यात तथा **धन/ऋण** स्टाकों में परिवर्तन जहां उपलब्ध हों।

(घ) भारत सरकार विभिन्न खाद्यान्नों की कुल उपलब्धता सम्बन्धी जानकारी प्रतिवर्ष खाद्य तथा कृषि संगठन को प्रदान करती है।

खाद्य पदार्थों का उपभोग

†२२८१. **श्री वें० प० नायर :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिस वर्ष के आधुनिकतम आंकड़े उपलब्ध हैं उसमें भारतीय खुराक में निम्न पदार्थों के उपभोग की औसत क्या है (जिसका कलोरियों के रूप में हिसाब लगाया गया है) :—

१. अनाज और दालें
२. मांस और मांस की चीजें
३. दूध और दूध से बनी चीजें
४. मछली
५. कुक्कुट पालन की चीजें
६. चीनी
७. तेल और चिकनाई; और

(ख) १९५०-५१ से प्रत्येक वस्तु की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में वृद्धि हुई है या कमी ?

†मूल अंग्रेजी में

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) और (ख). विविध खाद्यों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता के अखिल भारतीय आधार के वर्तमानतय उपलब्ध अनुमान बताने वाला विवरण नीचे दिया जाता है। इस विवरण से यह पता चलेगा कि खाद्य के प्रायः सभी पदार्थों की प्रति व्यक्ति उपलब्धि में १९५१ से कुछ वृद्धि हुई है।

विवरण

कुछ खाद्यों की प्रति व्यक्ति शुद्ध उपलब्धि का अनुमान

खाद्य पदार्थ का नाम	प्रति व्यक्ति उपलब्धि का अनुमान (प्रतिदिन कलोरियों में) १९५१	१९५९
१. अनाज	११५३	१३७४
२. दालें	१९४	२५३
३. *मांस	५ (१९५१–५५)	६ (१९५७–५८)
४. दूध और दूध से बने पदार्थ	१५६	१६४ (१९५६)
५. मछली	३	४ (१९५८)
६. अण्डे	१	१ (१९५६)
७. चीनी@	१२६	१४७
८. तेल और चिकनाई	७०	९७

*स्रोत : खाद्य तथा कृषि संगठन उत्पादन वर्ष विवरणिका, १९५९

@इसमें गुड़ और खांडसारी शामिल है।

मछली आदि का उपभोग

†२२८२. **श्री वें० प० नायर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने प्रतिशत लोगों द्वारा निम्न प्रत्येक पदार्थ का उपभोग किये जाने का अनुमान है, अर्थात् (१) मछली, (२) मांस, (३) कुक्कुट पालन के पदार्थ, (४) गाय का मांस, (५) सूअर का मांस; और

(ख) उपरोक्त पांच पदार्थों के द्वारा औसत खाद्य में (कलोरियों में अंकित) कितने प्रतिशत पोषक तत्व पहुंचता है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) क्रमशः १९५१ और १९५६ में विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार अनुमानित मछली उपभोक्ता जनता विभिन्न राज्यों में ५९ प्रतिशत से ८८ प्रतिशत तक है, जबकि मांस उपभोक्ता जनता लगभग ५० प्रतिशत है। सुअर के मांस और कुक्कुट पालन पदार्थों के बारे में ऐसा सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) खाद्य तथा कृषि संगठन उत्पादन वर्ष विवरणिका १९५९ के अनुसार निम्न पदार्थो की प्रति व्यक्ति उपलब्धि और खाद्य तत्व कलोरियों में नीचे दिया जाता है :—

खाद्य पदार्थ	दैनिक प्रति व्यक्ति उपलब्धि (ग्रामों में)	कलोरियो में खाद्य तत्व
(१) मांस (गोमांस, भैंस का मांस, बकरे का मांस और भेड़ का मांस) . . .	५.५ (१९५७-५८)	६.८
(२) मछली . .	६.३ (१९५८)	५.७
(३) अण्डे	१.१ (१९५६)	१.९

मांस आदि का उपभोग

†२२८३. **श्री वें० प० नायर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (१) भेड़ और बकरी के मांस, (२) गो मांस, (३) मछली, और (४) सुअर के मांस के उपभोग के लिये सरकार द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित न किये जाने के बारे में यदि कोई विशिष्ट कारण है तो वे प्रत्येक मामले में क्या हैं; और

(ख) क्या पंचवर्षीय योजनाओं में गोमांस और सूअर मांस जैसे पोषक खाद्यों का उपभोग बढ़ाने के लिये भारत सरकार ने कोई कार्यक्रम बनाया है ?

†**कृषि उपमं ी (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) मांस और मछली के उपभोग के लिये, जो विभिन्न पहलुओं अर्थात् रुचि, खाद्य आदत, लोगों की खरीदने की शक्ति, धार्मिक प्रतिबन्ध और उपलब्धि आदि पर निर्भर हैं, कोई अखिल भारतीय लक्ष्य निर्धारित करना सम्भव नहीं है। तथापि, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् की पोषक तत्व सलाहकार समिति ने भारत की जनता के लिये एक संतुलित खाद्य की सिफारिश की है जिसमें ३ औंस मछली और मांस की दैनिक आवश्यकता शामिल है।

(ख) गोमांस का उपभोग ढोर वध पर लगाये गये अथवा न लगाये गये प्रतिबन्ध पर निर्भर है और यह प्रतिबन्ध लगाना या न लगाना राज्य सरकारों का काम है। इस दृष्टि से तथा अधिकांश जनता में फैली हुई सार्वजनिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, गोमांस के उपभोग को बढ़ाने के लिये कोई कार्यक्रम निर्धारित करना संभव नहीं है। शूकर मांस और उस से बने पदार्थों के लिये, दूसरी योजना में सूअर के भुने और नमक लगे मांस की दो बेकन फैक्टरियां लगाने की मंजूरी दी गई थी और तीसरी योजना में ऐसी दो और फैक्टरियां लगाने का विचार है।

खाद्यान्नों की गहन खेती

†२२८४. **श्री वें० प० नायर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९-६० में कितने एकड़ भूमि में खाद्यान्नों की गहन खेती निम्न तरीकों से की गई है :

(१) जापानी तरीका, (२) चीनी तरीका और (३) गहन खेती के अन्य तरीकों से ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उस वर्ष के दौरान इस खेती के द्वारा अनाज की यदि कुछ अतिरिक्त उपज हुई है तो अनुमानतः कितनी ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) और (ख). कुल ६६.२५ लाख एकड़ भूमि, जिस में वर्ष १९५९-६० में देश में चावल की खेती के जापानी तरीके द्वारा महाराष्ट्र राज्य की अग्रिम चावल योजना के अन्तर्गत आया क्षेत्र सम्मिलित है और इस से २७·७७ लाख टन चावल की अधिक उपज का अनुमान है ।

खेती के चीनी तरीके के प्रयोग १९५९-६० की खरीफ की फसल में ३० स्थानों पर किये गये थे । अब तक प्राप्त परिणामों से पता चलता है कि चीनी तरीका भारतीय हालात में उपयुक्त नहीं है ।

अन्य गहन तरीकों की खेती कितने क्षेत्र में की गई इस की सूचना उपलब्ध नहीं है । तथापि गेहूं की खेती के उत्तर प्रदेशी तरीके के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में १५·६३ लाख एकड़ पर गहन खेती की गई, जिस के लिये अतिरिक्त उपज को आंकने में प्रति एकड़ १·५ मन के मानदंड प्रयोग किया गया है ।

खाद्यान्नों का उत्पादन

†२२८५. **श्री वें० प० नायर:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निम्न साधनों के द्वारा खाद्यान्नों की उपज में कितनी अनुमानित वार्षिक वृद्धि हुई है :

(१) सिंचाई योजनाओं के कारण सिंचाई की नवीन सुविधाओं के द्वारा

(२) पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा खेती की उपज बढ़ाने तथा उत्तम ढंग की खेती के नये तरीकों के द्वारा ; और

(३) रसायनिक उर्वरकों के उपयोग के द्वारा ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : प्रत्येक विकास सम्बन्धी उपाय के कारण खाद्यान्न के उत्पादन में वास्तविक वार्षिक वृद्धि के पृथक अनुमान उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि मौसम के प्रभाव को विकास सम्बन्धी उपायों के प्रभाव से पृथक नहीं संभव नहीं है ।

तथापि दूसरी योजना के आरम्भ से ले कर किये गये विभिन्न विकास सम्बन्धी उपायों परिणामस्वरूप उत्पन्न उत्पादन क्षमता के अस्थायी अनुमान नीचे दिये जाते हैं :—

पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादित अतिरिक्त उत्पादन क्षमता

(लाख टनों में)

योजना का नाम	१९५६–५७	१९५७-५८	१९५८-५९	१९५९-६०
छोटी सिंचाई . . .	३.०	४.३	४.४	४.६
उत्तम खेती के तरीके . .	३.३	३.९	६.६	६.५
रासायनिक खादें . .	२.४	१.३	३.०	२.८

उपरोक्त अनुमान राज्यों से प्राप्त विवरणियों पर आधारित हैं और अस्थायी हैं तथा इन में संशोधन की गुंजाइश है । वर्ष १९५९-६० के लिये, जिस के सम्बन्ध में बहुत से राज्यों से वास्तविक लक्ष्य पूर्ति के आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं, प्रत्याशित लक्ष्य पूर्ति के अनुमानों का प्रयोग किया गया है ।

†मूल अंग्रेजी में

खाद्य का प्रति व्यक्ति औसत उपभोग

†२२८६. **श्री वें० प० नायर :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के पास (१) भारत, (२) पाकिस्तान, (३) बर्मा, (४) लंका, (५) थाईलैंड, (६) अफगानिस्तान, (७) ईरान और (८) संयुक्त अरब गणराज्य में खाद्य के प्रति व्यक्ति औसत उपभोग के बारे में कोई जानकारी है ;

(ख) उपरोक्त सूचना के आधुनिकतम आंकड़े किस वर्ष के बारे में हैं ; और

(ग) उस का ब्योरा क्या है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) :** (क) से (ग). भारत, पाकिस्तान, लंका और संयुक्त अरब गणराज्य (मिश्र प्रदेश) में कुछ खाद्यों की प्रति व्यक्ति अनुमानित शुद्ध उपलब्धि के आधुनिकतम उपलब्ध आंकड़ों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १०]** बर्मा, अफगानिस्तान, थाईलैंड और ईरान के बारे में यह सूचना उपलब्ध नहीं है ।

यात्री सुविधाएं

†२२८७. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्रमशः वर्ष १९५८, १९५९ और १९६० में उत्तर रेलवे की जालन्धर-पठानकोट लाइन पर यात्री प्लेटफार्मों पर तीसरी श्रेणी के प्रतीक्षा हालों के बढ़ाने और यात्री प्लेटफार्मों को ढकने वाले शैडों को बनाने, पार्सल गोदामों, पीने के जल की व्यवस्था, माल शैड बनाने के बारे में कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन में से कौन से सुझाव स्वीकार किये गये हैं ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाई की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी, हां । मुकेरियान स्टेशन पर निम्न अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था के सुझाव १९६० में प्राप्त हुए थे :—

(१) यात्री प्लेटफार्म को ऊंचा करना

(२) यात्री प्लेटफार्म पर छत डालना

(३) यात्री प्लेटफार्म को बढ़ाना

(४) दूसरी ओर दूसरा यात्री प्लेटफार्म बनाना और इन्हें मिलाने के लिये एक ऊपर का पुल बनाना ।

(५) प्रतीक्षा हाल का विस्तार

(ख) ऊपर के पुल के अतिरिक्त उपरोक्त दूसरा, तीसरा और चौथा सुझाव स्वीकार कर लिये गये ।

(ग) विद्यमान प्लेटफार्म को बढ़ाने और दूसरी ओर दूसरा प्लेटफार्म बनाने के काम १९६१-६२ के कामों में शामिल कर लिये गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्लेटफार्म के ऊपर शैड का काम बाद में तीसरी योजना अवधि में किया जायगा।

पंजाब में पर्यटन

†२२८८. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने तीसरी योजना अवधि के अन्दर राज्य में पर्यटन के विकास के लिए कोई योजना केन्द्र को पेश की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका मुख्य व्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य ने इस के लिये कितनी वित्तीय की सहायता की मांग की है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). पंजाब सरकार ने तीसरी योजना में निम्न योजनाओं को शामिल करने का प्रस्ताव किया था :—

क्रमांक	योजना का नाम	कुल अनुमानित लागत (लाख रुपये में)
१.	कटरैन-कुल्लू में पर्यटकों को निवास के लिये १२ पर्यटक मकानों की व्यवस्था	०.८०
२.	मनाली में खच्चरों के ठहराने का स्थान और खच्चर चलाने वालों के लिए शेड	०.५०
३.	पिंजौर के बागों का विकास .	१.००
४.	सराय और धर्मशालाओं का विकास .	०.७५
५.	कुल्लू और मनाली के बीच ३ झीलों का विकास	२०.००
६.	मनीकरन में कम आय वर्ग के लिये रैस्ट हाउस	१.००
७.	बैजनाथ में कम आय वर्ग के लिये रैस्ट हाउस .	१.००
८.	त्रिउंड में कम आय वर्ग के लिये रैस्ट हाउस .	२.००
९.	आनन्दपुर में कम आय वर्ग के लिये रैस्ट हाउस	१.००
१०.	वशिष्ट और सोना में स्नानागारों का निर्माण	२.००
११.	मनाली में पार्कों की व्यवस्था और उसे सुन्दर बनाना	०.७०
१२.	राज्य में पर्यटक सूचना केन्द्र चलाना .	६.००
१३.	पर्यटक प्रचार-विज्ञापन और परिचय पत्रिकाय .	२.१०
	जोड़	३८.८५

राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से अपेक्षा करती है कि वह उपरोक्त क्रम संख्या १—५ में दी गई योजनाओं की आधी लागत बर्दाश्त करे। उस ने यह भी प्रस्ताव किया था कि केन्द्र १० लाख रुपये की लागत से शिमला में बर्फ पर स्केटिंग करने का रिंक बनाये।

†मूल अंग्रेज़ी में

तीसरी योजना के लिये केन्द्रीय सरकार के पर्यटन विभाग की मसौदा योजना में निम्न योजनायें शामिल हैं :

१. पूर्णतया केन्द्र के खर्च से

	लाख रु०
१. भाखड़ा—गोविंद सागर भाखड़ा बांध में पर्यटक सुविधाओं की व्यवस्था, (रैस्ट हाउस, किश्ती चलाने की व्यवस्था कैफेटेरिया पैविलियन, (रैम्प और उपकरण के साथ) वाटर सकाइंग .	१२.००
२. नांगल-मध्यम श्रेणी होस्टल .	३.००
३. मनाली-रेहाला में रेस्ट हाउस	३.००
४. स्पिति और लाहौल—कैलोंग में रैस्ट हाउस . .	२.५०
जोड़ . . .	२०.५०

२. केन्द्रीय और राज्य सरकारों के आधे आधे खर्च से

१ कुल्लू के पास कटरैन में पर्यटकों के रहने के लिये १२ पर्यटक मकानों का निर्माण	०.१०
२. मनाली में खच्चरों के ठहरने का स्थान और खच्चर चलाने वालों के लिये शैड .	०.५०
३. पिंजौर के बागों का विकास .	१.००
४. सराय और धर्मशालाओं का विकास . . .	०.७५
(यह सब रकमों के १०.०० लाख के कुल उपबंध में शामिल है ।)	
जोड़	३.०५

पंजाब में भूमि कटाव को रोकने के लिये कार्य

†२२८९. श्री रा० चं० शर्मा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने भूमि कटाव को रोकने का काम आरम्भ करने के लिये एक योजना पेश की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है;

(ग) क्या भारत सरकार ने वे प्रस्ताव स्वीकार कर लिये हैं ; और

(घ) इस काम के लिये केन्द्रीय सरकार ने १९५८-५९, १९५९-६० और १९६०-६१ में कितनी राशि मंजूर की है ?

†मूल अंग्रेजी में

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) और (ख). यदि हां, पंजाब सरकार के तीसरी योजना में किये जाने वाले भूमि कटाव को रोकने के कामों की एक योजना भेजी है जिस में ये योजनायें शामिल हैं : —

१. शिवालक और उस में मिले हुए क्षेत्रों में सर्वेक्षण और भूमि उपयोग की योजना ।

२. बाढ़ नियंत्रण के हेतु जलोत्सारण क्षेत्रों में भूमि संरक्षण ।

३. मरूस्थल क्षेत्रों के भूमि संरक्षण व निर्माण कार्य ।

४. खारों वाली भूमि में भूमि संरक्षण ।

५. परती भूमि में भूमि संरक्षण ।

६. भूमि संरक्षण अनुसंधान और प्रदर्शन ।

७. होशियारपुर और अम्बाला जिलों में बरसाती नालों वाली भूमि का वृक्ष लगा कर बचाव ।

८. भूमि संरक्षण संबंधी प्रशिक्षण ।

९. भूमि उपयोग भूमि सर्वेक्षण

१०. कृषि भूमि पर भूमि संरक्षण प्रदर्शन (सूखी खेती) केन्द्र ।

११. भूमि संरक्षण कार्य—कृषि भूमि पर 'कंटूर बंडिंग' और सूखी खेती ।

(ग) कार्यकारी दल की बैठक में इस कार्यक्रम पर चर्चा की गई थी । नदी घाटी परियोजनाओं व जलागम क्षेत्रों में भूमि संरक्षण कार्य करने और कृषि भूमि के लिये सूखी खेती के उपाय करने के सुझाव पर चर्चा की गई थी । आवंटनों और लक्ष्यों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

(घ)	भूमि संरक्षण और वन विज्ञान के लिये केन्द्र से सहायता प्राप्त योजनाओं के लिये ।	केन्द्र द्वारा चलाई गई भूमि संरक्षण योजनाओं के लिये
(इन दोनों वर्गों की योजनाओं के लिये पृथक आवंटन नहीं किया गया)		
(१) १९५८–५९ .	८.१८ लाख रुपये	— लाख रुपये
(२) १९५९–६० . .	५.८८ ,,	४.५० लाख रुपये
(३) १९६०–६१ . .	५.२८ ,,	६.०९ लाख रुपये

विमान दुर्घटनायें

†२२९०. श्री दी० चं० शर्मा : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ दिसम्बर, १९६० से लेकर जो विमान दुर्घटनाएं हुई हैं जिन में एयर इंडिया इन्टरनेशनल और इंडियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन के विमानों की दुर्घटनाएं हुईं थीं उनका व्योरा क्या है ;

(ख) प्रत्येक दुर्घटना का क्या कारण है ; और

(ग) प्रत्येक दुर्घटना में कितनी हानि हुई है ?

†मूल अंग्रेजी में

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) से (ग). १ दिसम्बर १९६० से लेकर इन दोनों भारतीय विमान समवायों के किसी विमान की बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है ।

गाड़ियों में डाके

†२२९१. श्री दी० चं० शर्मा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० में अब तक दिल्ली और कलकत्ता के बीच चलती हुई यात्री गाड़ियों में कितनी डकैतियां हुई हैं ;

(ख) उन से कितनी अनुमानित हानि हुई है ;

(ग) इन दुर्घटनाओं की जांच का क्या परिणाम निकला है ; और

(घ) भविष्य में रेलवे यात्रियों की रक्षा के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सं० वं० रामस्वामी): (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी रेलवे से प्रशासन से मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

स्थानान्तरित कर्मचारियों को उनके वेतन-आदि का न दिया जाना

†२२९२. श्री कुम्भार : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में विभिन्न खण्डों के स्थानान्तरित कर्मचारियों को अभी तक उनका वेतन, मंहगाई भत्ता और यात्रा भत्ता आदि नहीं मिला, क्योंकि जहां वे पहले तैनात थे, वहां से उनका अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र नहीं भेजा गया ;

(ख) यदि हां, तो अब तक विभिन्न खण्डों में ऐसे कितने मामले लंबित हैं और उनके क्या कारण हैं ; और

(ग) स्थानान्तरित कर्मचारियों का अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र न भेजने के लिये जो कर्मचारी जिम्मेवार हैं उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है ?

†सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : सूचना उड़ीसा सरकार से मंगवाई गई है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

उड़ीसा में ग्राम सेवक का प्रशिक्षण पाने वाले विद्यार्थी

†२२९३. श्री कुम्भार : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों में अब तक कितने विद्यार्थी ग्राम सेवक का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ;

(ख) उनमें प्रत्येक केन्द्र में अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के कितने विद्यार्थी हैं तथा स्त्रियां कितनी हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) ग्राम सेवक और ग्राम सेविका का प्रशिक्षण पाने के लिये अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों तथा स्त्रियों को चुनने के लिये क्या विशेष अधिमान किया जाता है ; और

(घ) स्त्रियों को उनके प्रशिक्षण काल में क्या विशेष सुविधायें दी जा रही हैं ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) उड़ीसा में ५ ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र हैं, बालासोर, भुवनेश्वर, बालेंगीर, महीसापात और रंगीलुंडी में। इन संस्थाओं में ३१ दिसम्बर १९६० तक २३१३ ग्राम सेवकों को प्रशिक्षण दिया गया है और ३९७ लोग इस समय प्रशिक्षण पा रहे हैं।

(ख) इन केन्द्रों में अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों से संबंध रखने वाले ग्राम सेवक प्रशिक्षणार्थियों की संख्या संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं है। २८-२-६१ तक भुवनेश्वर और बारापल्ली के गृह विज्ञान दल में १६७ ग्राम सेविकाओं को प्रशिक्षण दिया गया है और ८३ ग्राम सेविकाएं प्रशिक्षण पा रही हैं।

(ग) अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के अभ्यार्थियों को न्यूनतम शिक्षा योग्यता, आयु आदि के मामले में, ग्राम सेवक और ग्राम सेविका प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेश के समय पर रियायत दी जाती है।

(घ) ग्राम सेवक और ग्राम सेविका दोनों प्रशिक्षणार्थियों को निम्न सुविधाएं प्रदान की जाती हैं :—

(१) प्रशिक्षण अवधि में इन को ४० रुपये मासिक छात्रवृत्ति दी जाती है।

(२) होस्टल में सब प्रशिक्षणार्थियों को निशुल्क निवास स्थान दिया जाता है।

(३) कोई शुल्क नहीं लिया जाता ।

(४) प्रशिक्षणार्थियों को भोजन बनाने के लिये बर्तन दिये जाते हैं। प्रशिक्षण पाने वाली स्त्रियों को कोई विशेष सुविधाएं देने की आवश्यकता नहीं समझी गई।

उड़ीसा में ग्राम नेता प्रशिक्षण कैम्प

†२२९४. श्री कुम्भार : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०-६१ के वित्तीय वर्ष में उड़ीसा राज्य में जिलावार विभिन्न खण्डों में अभी तक कितने ग्राम नेता प्रशिक्षण शिविर (कैम्प) लगाये गये हैं ;

(ख) प्रत्येक शिविर में अभी तक कितने ग्राम नेताओं को प्रशिक्षण दिया गया है ; और

(ग) उनमें अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के कितने व्यक्ति थे और कितनी स्त्रियां थीं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) और (ख). ३१ दिसम्बर, १९६० तक की जानकारी निम्नलिखित है :—

जिला	शिविरों की संख्या	प्रशिक्षण प्राप्त ग्राम नेता
पुरी	१६३	३,६३२
बालासोर	१३०	३,९७२
बोलनगिर .	५६	२,५१७
सुन्दर गढ़ .	४७	२,३६५
ढेंकनाल	७१	३,०९४
गंजम	१२४	५,७८०
म्यूरभंज	५९	३,५५५
क्योंझर	२५	१,०८१
सम्बलपुर .	७५	३,७१८
फुलबानी	७	२३४
कालाहण्डी .	३४	१,६७६
कटक	७९	३,८५५
कोरापुट	५५	२,६८०
कुल . .	९२५	३८,१५९

(ग) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

उड़ीसा में महिला समितियां

†२२९५. **श्री कुम्भार :** क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में उड़ीसा के विभिन्न खण्डों में जिलावार अभी तक प्रतिवर्ष कितनी महिला समितियां संगठित की गयी हैं ;

(ख) अभी तक प्रत्येक समिति में कितने सदस्यों के नाम लिखे जा चुके हैं ;

(ग) प्रत्येक समिति में अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के कितने सदस्य हैं ;

(घ) यदि कोई भी नहीं तो उसके क्या कारण हैं ;

(ङ) उनमें से कितनी महिला समितियां उस समय तक बन्द हो गयी हैं ; और

(च) उसके क्या कारण हैं ;

†मूल अंग्रेज़ी में

†सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) से (च). राज्य सरकार से जानकारी एकत्रित की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

उड़ीसा के विकास खण्डों में कर्मचारी

†२२९६. श्री कुम्भार: क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री २१ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १८७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा के विभिन्न विकास खण्डों में अभी तक कितने ग्राम सेवकों तथा उनसे ऊंचे कर्मचारियों को ऊंचे तथा उच्चतम स्थानों पर पदोन्नत किया है और उनमें से कितने कर्मचारी अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के तथा स्त्रियां थीं; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या-क्या कारण हैं?

†सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) और (ख). राज्य सरकार से जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

उड़ीसा में जीपें

†२२९७. श्री कुम्भार: क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में उड़ीसा में प्रतिवर्ष जिलावार और खण्डवार कितनी जीपें खरीदीं गयीं थी, और उनका कितना लागत मूल्य था;

(ख) इस समय जिलावार और खण्डवार कितनी जीपें इस्तेमाल की जा रही हैं;

(ग) कितनी जीपों की मरम्मत की जा रही है और मरम्मत पर कितना खर्च आया है;

(घ) जीपों की कितनी बार मरम्मत की गई है और उन पर कितना खर्च आया है; और

(ङ) जिलावार तथा खण्डवार कितनी जीपों को रद्द कर दिया गया है?

†सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) से (ङ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

उड़ीसा राज्य परिवहन सेवा

†२२९८. श्री कुम्भार: क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय उड़ीसा राज्य परिवहन में जोनवार प्रत्येक ग्रेड के कितने कर्मचारी हैं;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारी आदिम जातियों तथा अनुसूचित जातियों से सम्बन्ध रखते हैं;

(ग) प्रत्येक ग्रेड में इन जातियों तथा आदिम जातियों के लिये रक्षित कोटे के अनुसार सभी स्थान भर दिये गये हैं;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) प्रत्येक ग्रेड में कितने व्यक्ति अभी प्रतीक्षा सूची में हैं और उनमें से कितने व्यक्ति अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के हैं?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ङ). उड़ीसा सरकार से जानकारी एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध हो जाने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

उड़ीसा राज्य परिवहन सेवा

†२२९९. **श्री कुम्भार** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना काल के अन्त में उड़ीसा राज्य परिवहन सेवा की, जोनवार, कितनी बसें चल रही थीं ;

(ख) उक्त अवधि में, जोनवार, कितनी बसें मरम्मत की गई थीं ;

(ग) उक्त अवधि में, जोनवार, कितनी बसों को रद्द किया गया था और उसके क्या कारण हैं ;

(घ) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में अभी तक प्रति वर्ष कितनी बसें खरीदी गयी हैं और उन पर कितनी लागत आई है ;

(ङ) उनमें से कितनी बसें इस समय जोनवार चल रही हैं ;

(च) उस अवधि में, जोनवार, कितनी बसों की मरम्मत की गयी है और उन पर कितना खर्च आया है ;

(छ) प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना कालों में कितनी बसों को रद्द कर दिया गया है और इनके क्या कारण हैं ; और

(ज) नयी बसों की खरीद के लिये कितनी राशि आवंटित की गयी है और कितनी नयी बसें खरीदी जायेंगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ज). उड़ीसा सरकार से जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

उड़ीसा राज्य परिवहन सेवा

†२३००. **श्री कुम्भार** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया है कि बालनगिर तथा सम्बलपुर जिला जोनों में उड़ीसा राज्य परिवहन सेवा का कार्य अपर्याप्त तथा अकुशल है ;

(ख) क्या इस गर्मी के मौसम में इन जोनों की अच्छी सड़कों पर और अधिक बसें चलाने के सम्बन्ध में कोई प्रबन्ध किया जा रहा है ;

(ग) इन जोनों में कितनी बस इस्तेमाल की जा रही हैं और कितनी बस ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है ;

(घ) क्या इन बसों की मरम्मत करने के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये कितनी राशि आवंटित की गयी है, और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ङ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

उड़ीसा में सिंचाई परियोजनायें

†२३०१. **श्री कुम्भार** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना कालों में उड़ीसा में जिन स्थानों पर मध्यम सिंचाई परियोजनाएं स्थापित की गई थीं, उन वृद्धि योग्य भूमियों के स्वामियों को अभी तक प्रतिकर के रूप में न ही नकद रुपया दिया गया है और न ही इस भूमि के बदले कोई और भूमि दी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त कालावधि में उड़ीसा में जिलावार कितने मामले अभी तक अनिर्णीत अवस्था में हैं ;

(ग) उन मामलों को निपटाने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) कितने मामले जिलावार अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के व्यक्तियों से सम्बन्ध रखते हैं ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

उड़ीसा में सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा कर्मचारियों में भ्रष्टाचार

†२३०२. **श्री कुम्भार** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में उड़ीसा में राज्य के सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाओं के कितने कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के मामलों में अन्तर्ग्रस्त होने का पता चला है, और वे कर्मचारी किस-किस श्रेणी के हैं ;

(ख) उक्त अवधि में किये गये भ्रष्टाचार के मामले किस-किस प्रकार के हैं ;

(ग) उन्हें क्या-क्या सजा दी गयी है ;

(घ) उक्त अवधि में अभी तक कितने मामले निबटा दिये गये हैं ;

(ङ) इनमें से कितने मामले अभी तक निलम्बित हैं ; और

(च) उसके क्या कारण हैं ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)**: (क) से (च). उड़ीसा राज्य से जानकारी मांगी गयी है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

उड़ीसा के सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाओं के मुअत्तिल कर्मचारी

†२३०३. **श्री कुम्भार** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा की सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाओं के बहुत से कर्मचारी बहुत समय से अभी तक मुअत्तिल हैं ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो वर्गवार तथा जिलावार कुल कितने कर्मचारी मुअत्तिल हैं ;

(ग) उनमें से प्रत्येक द्वारा क्या-क्या अपराध किये गये थे ;

(घ) इनमें से प्रत्येक को मुअत्तिली की अवधि में अभी तक निर्वा[illegible] भ[illegible] के रूप में कितनी राशि अदा की गई है ; और

(ङ) उन मामलों को निबटाने में देर लगने के क्या कारण हैं ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)**: (क) से (ङ). उड़ीसा राज्य से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

बोलनगिर में गंधमदन पर्वत के संसाधन

†२३०४. **श्री कुम्भार** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में उड़ीसा राज्य में बोलनगिर तथा सम्बलपुर सीमा में गंधमदन पर्वत के संसाधनों के विदोहन के लिये कोई जांच की गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो उपपत्तियों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उनके विदोहन के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

उड़ीसा म परिवहन प्रबन्धकों को शिकायतें

†२३०५. **श्री कुम्भार** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में बोलनगिर तथा सम्बलपुर ज़ोन में विभिन्न व्यक्तियों से जिला परिवहन प्रबन्धकों को कितनी शिकायत तथा सुझाव प्राप्त हुए थे ;

(ख) वे शिकायतें तथा सुझाव किस प्रकार के हैं, और उनके बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ग) ऐसी कितनी शिकायतें तथा सुझाव हैं, जिनके बारे में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है, और उसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग) जानकारी उड़ीसा सरकार से इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

उड़ीसा सर्कल के डाक तथा तार कर्मचारियों को बकाया राशियों का भुगतान

†२३०६. **श्री कुम्भार** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के डाक सर्किल के बहुत से कर्मचारियों को अभी तक केन्द्रीय सरकार द्वारा डाक कर्मचारियों के सम्बन्ध में वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्वीकृत नये वेतन क्रमों के अनुसार बकाया राशियां अदा नहीं की गयी हैं ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो विभिन्न डिवीजनों में ऐसे कितने कर्मचारी हैं ;

(ग) अदायगी में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) अदायगी के कार्य को गति देने के लिये क्या क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) कुल ३९७८ में से केवल ५१ कर्मचारियों को अभी तक अदा नहीं किया जा सका है । उनका ब्यौरा निम्नलिखित है :

	श्रेणी ३	श्रेणी ४
१. रेलवे डाक सेवा 'एन' डिवीजन	२	१
२. बालासोर डिवीजन	--	१
३. बरहामपुर डिवीजन .	--	२
४. कटक डिवीजन	२४	७
५. बोलनगिर डिवीजन .	--	२
६. कटक इंजीनियरिंग डिवीजन .	११	१
	३७	१४

(ग) अधिक मामले अभी लेखापरीक्षण विभाग के विचाराधीन हैं ।

(घ) कार्य को गति देने के लिये सभी कार्यवाहियां की जा रही हैं ।

पटनागढ़, उड़ीसा में 'पोस्ट मार्टम' केन्द्र

†२३०७. **श्री कुम्भार** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोलनगिर जिला, उड़ीसा के पटनागढ़ में पशु चिकित्सा अस्पताल तथा प्राथमिक प्रशिक्षण स्कूल बस्तियों के निकट ग्राम सड़क पर स्थित 'पोस्ट मार्टम सेन्टर' (मानव शव परीक्षण केन्द्र) को वहां से हटा कर किसी और स्थान पर ले जाने सम्बन्धी योजना १९५७ से विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) से (ग). कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है । इसका सम्बन्ध सीधा ही राज्य सरकार से है ।

पंजाब के शुष्क क्षेत्र में भूमिगत जल

†२३०८. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५७–५८ में पंजाब के कुछ क्षेत्रों में भूमिगत जल खोज परियोजना के अधीन खोज का कोई काम शुरू किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों में भूमिगत जल मिलने की क्या संभावनाएं हैं ;

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) क्या इस बारे में कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा)** : (क) जी हां ।

(ख) १९५७-५८ में केन्द्रीय सरकार के एक्स्प्लोरेटरी ट्यूबवेल्स आर्गनाइजेशन द्वारा की गयी खोजबीन के आधार पर हेवी डयूटी टयूबवेल्स अर्थात् २०,००० गैलन प्रति घंटा और उससे अधिक पानी निकालने वाले नलकूपों के जरिये भूमिगत जल के और अधिक विकास के लिए पंजाब के निम्नलिखित क्षेत्रों की सिफारिश राज्य सरकार से की गयी है :—

(१) जिला गुड़गांव

डहीना जैनाबाद-देरौली क्षेत्र

(२) जिला अम्बाला

अम्बाला—नारायणगढ़ क्षेत्र

(३) जिला होशियारपुर

नरैला क्षेत्र

सामान्य क्षमता के नलकूपों अर्थात् लगभग १०,००० गैलन प्रति घंटा पानी निकालने वाले नलकूपों के जरिये भूमिगत जल के और अधिक विकास के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों की सिफारिश की गयी है :—

(१) जिला गुड़गांव

गुड़गांव—शमसपुर क्षेत्र

(२) जिला रोहतक

बाहू क्षेत्र

(३) जिला मोहिन्दरगढ़

सेसोटे क्षेत्र

पानी के अभाव या सिंचाई के लिए उसकी अनुपयुक्तता के कारण भूमिगत जल के विकास के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों की सिफारिश नहीं की गयी है :—

(१) जिला गुड़गांव

दक्षिण पूर्व में रावली-भाड़स क्षेत्र और मध्य में रेवाड़ी-झाबवा-पटौदी क्षेत्र

(२) जिला रोहतक और मोहिन्द्रगढ़

कौलाना-नहर-इमलोटे-दादरी क्षेत्र

(३) जिला हिसार

हरियाना-जैन क्षेत्र

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) और (घ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह प्राप्त हो जाने पर सभा पटल पर रख दी जायगी ।

मध्य प्रदेश में गेहूं के स्टाक

†२३०९. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री विद्या चरण शुक्ल :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १९ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९८८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार के गेहूं के स्टाक की बिक्री के लिए कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ।

†**कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा)**: (क) और (ख). जी हां । मध्य प्रदेश सरकार को गेहूं के अपने अतिरिक्त स्टाक देश के किसी हिस्से में भेजने के लिए गैर-सरकारी पार्टियों के हाथ बेचने की खास तौर से इजाजत दी गयी है ।

तार जांच समिति

†२३१०. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री माने :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १९ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १९८९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि तार जांच समिति की शेष सिफारिशों पर किस प्रकार की कार्यवाही की गयी है और उसका क्या ब्यौरा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : डाक तार बोर्ड ने अधिकतर शेष सिफारिशों पर निर्णय कर लिया है । कुछ मामलों में निर्णय कार्यान्वित करने के लिए आदेश जारी किये जा चुके हैं और कुछ मामलों में वे जारी किये जा रहे हैं । कुछ श्रेणियों के संबंध में कर्मचारियों के स्तर पहले ही निर्धारित किये जा चुके हैं लेकिन वर्ग ३ और राजपत्र घोषित (गजेटेड) पदालियों में कुछ और श्रेणियों के लिए उनके स्तर पर बोर्ड पहले की बैठकों में तय किये गये वित्तीय मामलों के साथ साथ विचार करेगा ।

फल अनुसंधान केन्द्र, सहारनपुर

२३११. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ६ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १३४९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहारनपुर में जो क्षेत्रीय फल अनुसंधान केन्द्र खोलने का निश्चय किया गया था, क्या इस बीच वह खोल दिया गया है ; और

(ख) अब तक उस के कार्य में क्या प्रगति हुई है ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) और (ख). प्रादेशिक फल अनुसन्धान केन्द्र सहारनपुर ने अभी काम शुरू नहीं किया है । यह मामला राज्य सरकार के सक्रिय विचाराधीन है और आशा है कि यह केन्द्र आगामी वित्त वर्ष में जल्दी ही काम करना शुरू कर देगा ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

हिमाचल प्रदेश में भूमि का कटाव रोकने संबंधी प्रशिक्षण

२३१२. श्री पद्म देव : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के वन विभाग में दिसम्बर, १९६० तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भूमि के कटाव को रोकने संबंधी कार्यों का कितने कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया ;

(ख) प्रशिक्षित कर्मचारियों में से कितने भूमि के कटाव को रोकने के कार्य में लगाये ग` हैं ; और

(ग) क्या प्रशिक्षित व्यक्तियों की मांग पूर्ण हो चुकी है, यदि नहीं तो पूर्त्यर्थ क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) ३९५ ।

(ख) लगभग सभी प्रशिक्षित कर्मचारियों को इस काम पर लगाया गया है ।

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की मांग पूर्ण हो चुकी है । जहां तक तृतीय पंचवर्षीय योजना का सम्बन्ध है, योजना में आवश्यक उपबन्ध किया जा रहा है ।

हिमाचल प्रदेश में भूमि के कटाव को रोकना

२३१३. श्री पद्म देव : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के जिला कनौर में भूमि-कटाव की तीव्र गति को देखत हुए सरकार इसे रोकने की दिशा में क्या पग उठा रही है ; और

(ख) क्या यह सच है कि भाखड़ा बांध पर इस का बुरा प्रभाव पड़ रहा है, यदि हां, तो भाखड़ा बांध के अधिकारियों की ओर से भी क्या इस दिशा में कोई पग उठाया गया है या उठाया जाने वाला है ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) हिमाचल प्रदेश में किन्नौर ज़िले के उर्नी और बतूरी क्षत्रों में भूमि संरक्षण के कार्य चल रहे हैं ।

(ख) २२ मार्च, १९६१ को अतारांकित प्रश्न संख्या २०७९ के भाग (ख) के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

हिमाचल प्रदेश में नल-कूप

२३१४. श्री पद्म देव : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के किस-किस क्षेत्र में नल-कूप लगाने के लिये सर्वेक्षण, निरीक्षण तथा प ीक्षण किया गया है ; और

(ख) उसका क्या परिणाम निकला है ?

कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा) :

(क) (१) ज़िला सिरमर में पोन्ता

(२) ज़िला सिरमूर में माजरा
(३) ,, ,, ,, धौलाकुंग्रा
(४) ,, ,, ,, मोगीनन्द
(५) ,, ,, ,, सतीवाला
(६) ,, ,, ,, कोलार
(७) ,, ,, ,, किग्रारदा
(८) ,, ,, ,, पतलरान
(९) ,, ,, ,, गोबिन्दपुर
(१०) ,, ,, ,, नारायणनग
(११) महासु ज़िला में कुनिहार क्षेत्र

(ख) ऊपर लिखे क्रम संख्या १ से ५ तक के स्थानों पर पांच नलकूपों को बोर किया गया है, इनमें से क्रम संख्या १ से ४ तक लिखे स्थानों पर सफलता प्राप्त हुई है। क्रम संख्या ६ से १० तक नलकूपों के लिए अन्वेषक नलकूप संगठन ने अस्थायी स्थानों का चुनाव भी कर लिया है। ठीक स्थान जहां पर वे लगाये जाने हैं, सन् १९६१–६२ में संगठन की स्थान चुनाव समिति निश्चित करेगी। ऊपर वाली क्रम संख्या ११ के क्षेत्र में खोज करने पर पता चला है कि नलकूपों के द्वारा पानी की पर्याप्त मात्रा नहीं निकाली जा सकती है।

बड़ी बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं में विदेशी विशेषज्ञ

२३१५. श्री पद्म देव : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बड़ी बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं के कार्य-सम्पादन हेतु कितने विदेशी विशषज्ञ इस समय भारत में कार्य कर रहे हैं ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : देश में इस समय ६९ विदेशी विशेषज्ञ विविध बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं पर, जैसे कि नीचे दिया गया है, कार्य कर रहे हैं :—

परियोजना/संस्था का नाम	विशेषज्ञों की संख्या
१. भाखड़ा नन्गल परियोजना	२
२. चम्बल जल-विद्युत कार्य, मध्य प्रदेश	२
३. दामोदर घाटी निगम . . .	३४
४. कोयना जल विद्युत परियोजना .	२५
५. हीराकुड बांध परियोजना .	१
६. केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग	५
कुल	६९

राष्ट्रीय राजपथों पर पुल

†२३१६. **श्री पांगरकर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० में आन्ध्र प्रदेश और मद्रास में राष्ट्रीय राजपथों पर पुलों को बाढ़ मे कितना नुकसान पहुंचा क्या इस का अंदाज़ लगाया गया है; और

(ख) यदि हां तो उस नुकसान की अनुमानित रकम कितनी है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) १९६० में आन्ध्र प्रदेश और मद्रास में बाड़ के कारण पुलों को कोई नुकसान नहीं हुआ ।

सड़क की सतह और पुलियों को कुछ नुकसान हुआ है जिसका अनुमान १०,०६,००० रुपये है ।

सांडों की कमी

†२३१७. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रजनन प्रयोजन के लिए देश में अच्छी नसल के सांडों की बहुत कमी है ; और

(ख) क्या यह सच है कि देश में कमी होने के बावजूद सांड दूसरे देशों को निर्यात किये जा रहे हैं ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा) : (क) जी हां ।

(ख) सहीवाल, थारपारकार और लाल सिन्धी नसलों के सांडों के, जो विभाजन के बाद अब देश में नहीं हैं, निर्यात पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है । केवल प्रजनन कार्यों के लिए दूसरी नस्लों के कुछ ही सांडों के निर्यात के लिए अनुमति दी जाती है । १९६० में केवल २५ सांड ब्राजील और कम्बोडिया को निर्यात किये गये थे ।

बी० सी० जी० टीका

†२३१८. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सारे भारत में गांव वालों को बी० सी० जी० का टीका दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे टीके की कुल संख्या कितनी है और आज तक प्रत्येक राज्य में कितने पुरुष और स्त्रियों को टीका लगाया जा चुका है; और

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) क्या यह सच है कि कई बार अकुशल और अनुभवहीन कालेज छात्रों को गांवों में टीके लगाने के लिए भेजा जाता है और टीका प्रभावशाली रहा या नहीं रहा इसका कोई निरीक्षण नहीं किया गया ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां। बी० सी० जी० टीका आन्दोलन संपूर्ण भारत में किया जा रहा है।

(ख) दिसम्बर १९६० के अन्त तक ५५७.१८ लाख लोगों को बी० सी० जी० का टीका लगाया जा चुका है। प्रत्येक राज्य में कितने लोगों की परीक्षा की गई और उन्हें टीका लगाया गया यह बताने वाला विवरण संलग्न ह। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ११]** पुरुषों और स्त्रियों के अलग अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) बी० सी० जी० टीका लगाने और ट्यूबरक्यूलीन परीक्षण का काम प्रशिक्षित टेक्नीशियन और दलों के नेता करते हैं, न कि छात्र। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के अधीन नियुक्त विशेष बी० सी० जी० परीक्षण दल द्वारा किये गये परीक्षण से यह दिखायी पड़ता है कि बी० सी० जी० टीके से पर्याप्त विरोध शक्ति निर्माण होती है।

जन्म मरण संबंधी आंकड़े

†२३१९. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या स्वास्थ्य मंत्री जन्म-मरण संबंधी आंकड़ों के बारे में ६ दिसम्बर १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १३८७ के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि संशोधित प्रणाली जिससे राष्ट्र के सामान्य स्वास्थ्य में ठीक ठीक सुधार का सही अनुमान लगाया जा सकता है, लागू करने का प्रश्न किस दिशा में है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े इकट्ठा करने, उनका मूल्यांकन करने तथा जानकारी प्रसारित करने के कार्यों का समन्वय करने के लिए स्वास्थ्य सेवा महा-निदेशालय में केन्द्रीय स्वास्थ्य सूचना कार्यालय स्थापित करने का निर्णय किया गया है। जब कार्यलय स्थापित हो जायगा तभी स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े इकट्ठे करने और उनका मूल्यांकन करने की प्रणाली में परिवर्तन करने तथा उसमें सुधार करने के प्रश्न पर विचार किया जायगा।

फलों का परिरक्षण

†२३२०. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री ९ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १५९८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि फल और सब्जी के परिरक्षण के लिए एक गोदाम बनाने की योजना किस दशा में है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा)** : इस विषय पर अभी विचार हो रहा है।

हीराकुड बांध परियोजना

†२३२१. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हीराकुड बांध प्रयोजना के उत्पादक स्वरूप के बारे में अभी तक केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी अन्य अभिकरण द्वारा कोई हिसाब लगाया गया है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना से प्रत्येक वर्ष उड़ीसा को अतिरिक्त वास्तविक राजस्व की कितनी रकम मिलेगी ?

†सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां। हीराकुड बांध परियोजना के मुख्य इंजीनियर ने हीराकुड बांध परियोजना के उत्पादक स्वरूप के बारे में हिसाब किताब लगाया है। उड़ीसा सरकार के आदेश पर गोखले इंस्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एण्ड इकॉनामिक्स, पूना ने इसका पुनर्विलोकन किया है।

(ख) हीराकुड बांध परियोजना के मुख्य इंजीनियर द्वारा लगाये गये हिसाब के अनुसार, उड़ीसा को हीराकुड बांध परियोजना (जिसमें सम्बलपुर सिंचाई डैल्टा सिंचाई और दौर १ तथा २ से बिजली शामिल है), से निम्नलिखित वार्षिक अतिरिक्त वास्तविक आमदनी होगी :—

(लाख रुपये में वास्तविक राजस्व)

वर्ष	सम्बलपुर सिंचाई	डेल्टा सिंचाई	बिजली दौर १ और २	कुल
१९५९–६० .	१६.७७	७१.७४	१२४.७०	२१६.२१
१९६०–६१	२६.६५	११३.९२	९४.९६	२३५.८३
१९६१–६२	२८.४५	११८.७९	१७८.१४५	३२५.३८५
१९६२–६३ .	२९.९८	१२३.८६	१९१.६४	३४५.४८
१९६३–६४ .	३१.३८	१२९.१९	१९८.९७	३५७.८४
१९६४–६५ .	३२.८८	१३३.७७	२०२.६६	३६९.३१
१९६५–६६ .	३४.३६	१३९.०४	२०४.६१	३७८.०१

गोखले इंस्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एण्ड इकॉनामिक्स ने हीराकुड बांध परियोजना से लाभ सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट में परियोजना में से आमदनी का अलग हिसाब नहीं दिखाया है। मुख्य इंजीनियर द्वारा तैयार किये गये संशोधित अनुमानों की अपनी समीक्षा में उसने यह बताया है कि पूंजी पर ब्याज बाढ़ संरक्षण से प्राप्ति तथा सिंचाई के लिये बांध चलाने के कारण खर्च, बांध चलाने के पहले साल में आधी दर और बाद के ९ वर्षों में सामान्य वार्षिक दरों पर वसूल किये जाने वाले विकास कर को हिसाब में लेने के बाद १९६२–६३ के बाद प्रत्येक वर्ष सिंचाई से ३२.७३ लाख रुपये की वास्तविक अतिरिक्त रकम प्राप्त होगी। १९६९–७० के बाद विकास कर बन्द कर देने पर ५१.३६ लाख रुपये का घाटा रहेगा। बिजली के बारे में, इस इंस्टिट्यूट ने उचित तालमेल के साथ वित्तीय आय विवरण तैयार किया है जिसमें १९६१–६२ के बाद लगभग ३३ लाख रुपये की वास्तविक अतिरिक्त रकम दिखायी गयी है। १९६९–७० के बाद विकास कर समाप्त कर देने पर इस इंस्टिट्यूट की रिपोर्ट के

†मूल अंग्रेजी में

अनुसार, सम्पूर्ण परियोजना नीचे दी गयी सारणी के मुताबिक २.३६ लाख रुपये का वार्षिक घाटा दिखायगी :—

(लाख रुपयों में वास्तविक अतिरिक्त)

	सिंचाई	बिजली
१९६०–६१ . . .	—१५	४.६६
१९६१–६२	—१५	३३.६४
१९६२–६३ . . .	४२.७३	३३.६५
१९६३–६४	३२.७३	३३.३९
१९६४–६५	३२.७३	३३.१२
१९६५–६६	३२.७३	३३.१२
१९६६–६७	३२.७३	३३.१२
१९६७–६८	३२.७३	३३.१२
१९६८–६९	३२.७३	३३.१२
१९६९–७०	३२.७३	३३.१२
१९७०–७१	—५१.३६	४९

इस इंस्टिट्यूट ने यह भी कहा कि यह हिसाब अस्थायी है। उस सिंचाई से अप्रत्यक्ष रूप से होने वाली सरकार की अधिक प्राप्तियों को, जैसे स्टाम्प शुल्क, उत्पादन शुल्क बिक्री कर आदि से प्राप्तियों को हिसाब में नहीं गिना है। इसी प्रकार उसने बाढ़ सहायता तथा उद्योगों को पन बिजली की सप्लाई से, जिससे आयकर, उत्पादन शुल्क आदि बढ़ जायगा, अप्रत्यक्ष लाभों को भी शामिल नहीं किया है।

कालका–दिल्ली–हावड़ा मेल में भोजनयान[1]

†२३२२. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १५ जनवरी, १९६१ को २ डाउन कालका-दिल्ली-हवड़ा मेल में कोई उपाहार डिब्बा नहीं था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे; और

(ग) क्या यह सच है कि यात्रियों को भोजन देने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी थी ?

†**रेलवे उपमंत्री** (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) १५-१-६१ को २ डाउन कालका-दिल्ली-हावड़ा मेल में भोजनयान (डाइनिंग कार) इस कारण नहीं था कि निर्धारित भोजन-डिब्बा खराब हो गया था जिसके फलस्वरूप उसकी जगह एक दूसरा फालतू डिब्बा चलाने के लिये वैकल्पिक व्यवस्था करना सम्भव नहीं था।

(ग) जी नहीं। यात्रियों को भोजन देने की व्यवस्था रास्ते में भोजन सप्लाई करने वाले प्रतिष्ठानों के जरिये, जिन्हें पहले ही सूचित कर दिया गया था की गयी थी।

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Dining Car

अमेरिका से अनाज का आयात

†२३२३. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले साल और इस साल अमेरिका से मंगाये गये अनाज के कारण, भारतीय अनाज पैदा करने वालों को हर किस्म के अनाज में से २ से ३ पया फी मन घाटा हुआ ; और

(ख) यदि हां, तो क्या १९६० और १९६१ में आयात के कारण भारतीय अनाज पैदा करने वालों के घाटे की भरपाई करने का सरकार का विचार है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है और न ही ऐसा सोचने के लिये कोई आधार है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बम्बई–बहरीन जहाज भाड़ा दरें

†२३२४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुख्य मुख्य वस्तुओं के लिये बम्बई से बहरीन तक जहाज भाड़ा प्रायः वही है जो इटली से बहरीन तक के लिए है जबकि बम्बई और बहरीन के बीच की दूरी इटली और बहरीन की दूरी से बहुत कम है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). समुद्र पार व्यापार में जहाज भाड़े की दरों पर सरकार का कोई नियन्त्रण नहीं होता और विभिन्न व्यापारों के लिये दरें तत्सम्बन्धी नौवहन सम्मेलनों द्वारा निर्धारित की जाती हैं । सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बम्बई से बहरीन तक माल भाड़े की दरें इटली से बहरीन तक की दरों से साधारणतया कम होती हैं लेकिन वस्तुओं की किस्म पर बहुत कुछ निर्भर होता है ।

क्लेम्स रिफंड आफिस, दक्षिण पूर्व रेलवे

†२३२५. { **श्री मुहम्मद इलियास** :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त : }

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड की न्यू डील नीति के अनुसार दक्षिण पूर्व रेलवे के क्लेम रिफण्ड आफिस के लगभग ३०० क्लेम ट्रेसस और दूसरे कर्मचारियों के लिये पहले मंजूर किये गये पदवृद्धि क्रमों और वेतन संरक्षण सम्बन्धी अधिकार समाप्त करने का कोई आदेश अक्तूबर, १९६० में जारी किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). रेलवे बोर्ड ने अक्तूबर, १९६० में ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया था । मार्च, १९५७ में जारी किये गये पदोन्नति सम्बन्धी आदेशों को

†मूल अंग्रेजी में

कार्यान्वित करने के ढंग के बारे में दक्षिण पूर्व रेलवे प्रशासन ने क्लेम्स आफिस के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ सितम्बर, १९६० में इस विषय पर चर्चा की थी। इसका परिणाम यह हुआ कि पदवृद्धि सम्बन्धी पहले जारी किये गये आदेशों में, जो अनियमित घोषित किये गये थे, परिवर्तन कर दिया गया।

नगर निगमों द्वारा ऋण जारी किया जाना

†२३२६. { श्री राधा रमण :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री रघुनाथ सिंह : }

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ नगर निगमों की अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ऋण जारी करने की अनुमति दी जाने की मांगों के सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो वह निर्णय किस प्रकार का है; और

(ग) कौन कौन से नगर निगमों के ऋण जारी करने के लिये अनुमति के लिये प्रार्थना की है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी, हां। नगर निगमों को ऋण जारी करने की अनुमति राज्य सरकारों द्वारा मंजूर की जाती है और महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल और बिहार सरकारों ने कुछ नगर निगमों को ऋण जारी करने की अनुमति दी है।

परन्तु संघ राज्य क्षेत्रों के नगर निगमों के लिये केन्द्रीय सरकार जिम्मेदार है और दिल्ली नगर निगम को १९५९-६० में १ करोड़ रुपये का ऋण जारी करने की अनुमति दी गई थी।

(ख) अनुमति ऋणों की शर्तों और निबन्धनों पर भारत के रक्षित बैंक के साथ परामर्श करके मंजूर की जाती है।

(ग) निम्नलिखित नगर निगमों ने अनुमति के लिये प्रार्थना की है :

(१) बम्बई नगर निगम।

(२) नागपुर नगर निगम।

(३) अहमदाबाद नगर निगम।

(४) कलकत्ता नगर निगम।

(५) दिल्ली नगर निगम।

केन्द्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद

†२३२७. { श्री हेमराज :
श्री कालिका सिंह : }

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय आयुर्वेदिक अनुसन्धान परिषद् द्वारा पाठचारिका और पाठ्यसंग्रह के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय किया जा चुका है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषतायें क्या हैं; और

(ग) क्या उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाएगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). पाठचारिका और पाठ्य संग्रह की जांच की जा रही है।

भूमि संरक्षण

†२३२८. **श्री हेमराज** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ में भूमि-संरक्षण के लिये कितनी केन्द्रीय सहायता देने का प्रस्ताव है; और

(ख) पंजाब सरकार द्वारा १९६१-६२ में कौन कौन सी योजनायें प्रारंभ की जायेंगी और पंजाब सरकार उन पर कितनी राशि व्यय करेगी ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) (१) ५४० लाख रुपये : भूमि संरक्षण तथा वनविद्या की केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं के लिये (इन दो वर्ग की योजनाओं के लिये पृथक आवंटन नहीं किये जाते हैं)।

(२) ११० लाख रुपये : केन्द्र द्वारा पोषित भूमि-संरक्षण योजनाओं के लिये।

राज्य-वार आवंटन निकाले जा रहे हैं।

(ख) पंजाब सरकार द्वारा १९६१-६२ में अस्थायी तौर से निम्नलिखित योजनायें प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है ;

(१) शिवालिक और निकटवर्ती क्षेत्रों में सर्वेक्षण और भूमि-उपयोग-आयोजन।

(२) जलानुविद्ध, लवण और क्षारयुक्त भूमि को खेती के योग्य बनाना।

(३) बाढ़ नियंत्रण के लिये जलोत्सारण क्षेत्र में भूमि संरक्षण।

(४) मरुभूमि क्षेत्र में भूमि संरक्षण और निर्माण कार्य।

(५) कटी-फटी भूमि में भूमि-संरक्षण।

(६) पड़ती भूमि में भूमि-संरक्षण।

(७) भूमिसंरक्षण, गवेषणा और प्रदर्शन।

(८) होशियारपुर और अम्बाला जिलों में नालों की भूमि को कटने से बचाने के लिये पेड़ लगाना।

(९) भूमि-संरक्षण में प्रशिक्षण।

(१०) भूमि उपयोग भूमि सर्वेक्षण।

(११) कृषि भूमियों पर भूमि संरक्षण प्रदर्शन (सूखी खेती) केन्द्र।

(१२) भूमि संरक्षण कार्य—कृषि भूमियों पर ऊंचे बांध बनाना और सूखी खेती।

(१३) सूखी खेती।

---

†मूल अंग्रेजी में

(१४) लवण और क्षारयुक्त भूमि को खेती के योग्य बनाना ।

(१५) नदी घाटी परियोजनाओं के जलागम क्षेत्रों भूमि में संरक्षण कार्य ।

इन योजनाओं के सम्बन्ध में वित्तीय आवंटन को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

योग अनुसंधान-एवं उपचार केन्द्र

†२३२९. { श्री बी० चं० शर्मा
श्री सरजू पांडेय :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्त भारत में योग अनुसंधान-एवं-उपचार केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो अभी तक कितने केन्द्र स्थापित किये गये हैं और किन किन स्थानों में ;

(ग) प्रत्येक पर कितनी राशि व्यय हुई है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में भावी योजनाओं का ब्योरा क्या है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) से (घ). भारत सरकार ने मधुमेह के उपचार के लिये प्राकृतिक चिकित्सालय, गांधीनगर, जयपुर में एक योग गवेषणा एवं सुधार केन्द्र की स्थापना के लिये ४०,००० रुपये मंजूर किये हैं ।

अधिक केन्द्र स्थापित करने के प्रश्न पर प्राप्त परिणामों की दृष्टि से विचार किया जायगा ।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य योजनायें

†२३३०. { श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री प्र० गं० देव :
डा० विजय आनन्द :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् द्वारा स्वास्थ्य योजनाओं के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में कितना आवंटन चाहा गया है ;

(ख) इस प्रयोजन के लिये योजना में कितना वास्तविक आवंटन किया गया है और वह विभिन्न श्रेणियों की योजनाओं में किस प्रकार विभाजित किया जायगा ; और

(ग) कौन सी योजनायें धन की कमी के कारण छोड़ दी जायेंगी अथवा कम कर दी जायेंगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् द्वारा न्यूनतम ३५०.०० करोड़ रुपये का आवंटन चाहा गया है ।

(ख) और (ग). इस प्रयोजन के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में पृष्ठ १०६ पर उल्लिखित अस्थायी उपबन्ध ३००.०० करोड़ रुपये हैं । योजना और विभिन्न कार्यक्रमों के लिये अन्तिम आवंटन अभी तक निश्चित नहीं किये गये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

देश में चेचक

†२३३१. श्री प्र० चं० बरूआ : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र, आसाम और उत्तर प्रदेश में इस वर्ष के प्रारंभ से चेचक एक संक्रामक रोग बन गया है ;

(ख) यदि हां तो अभी तक कितने व्यक्ति उसके शिकार हो चुके हैं ; और

(ग) कितने व्यक्ति इस रोग से मर चुके हैं और कितने अब तक ठीक हो चुके हैं ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) चेचक ने महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में जनवरी, १९६१ के पहले, दूसरे और अन्तिम सप्ताह में तथा वर्धा जिले में फरवरी १९६१ के अन्तिम तीन सप्ताहों में संक्रामक रूप धारण किया था। उत्तर प्रदेश और आसाम में भी कुछ लोग चेचक से ग्रस्त हुए हैं परन्तु संक्रामक रूप में नहीं।

(ख) और (ग). जनवरी और फरवरी, १९६१ के दौरान चेचक के मामलों के सम्बन्ध में सूचना नीचे दी गई है :

	शिकार हुए	मृत्युयें	ठीक हुए
महाराष्ट्र	३,५८२	१,२१३	२,३६९
आसाम . . .	८७	२३	६४
उत्तर प्रदेश (१८ फरवरी, १९६१ तक) . . .	१,०२०	३२६	६९४

शिलांग में उमायम जलविद्युत् परियोजना

†२३३२. श्री प्र० चं० बरूआ : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिलांग के निकट ३६,००० किलोवाट की उमायम जलविद्युत् परियोजना के निर्माण के सम्बन्ध में कार्य की क्या प्रगति है ;

(ख) क्या कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है ;

(ग) क्या जापानी सार्थ ने वहां स्थापित किये जाने के लिये जेनेरेटर बना दिये हैं ; और

(घ) क्या आसाम में स्थापित विद्युत् क्षमता राज्य की जलविद्युत् संसाधनों की तुलना में बहुत कम है ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) एक जापानी सार्थ को ३ जेनेरेटिंग सेटों का व्यादेश दिया गया है। ९०० फीट लम्बी व्यपवर्तन सुरंग पूरी हो गई है। बांध की नींव के लिये चट्टानें खोदने और जलापरोध का निर्माण जारी है।

(ख) जी, हां।

(ग) सार्थ ने जेनेरेटरों का निर्माण-कार्य शुरू कर दया है। पहले सेट के नवम्बर, १९६१ तक भेज दिये जाने की आशा है।

(घ) राज्य में जलविद्युत् संसाधनों का अनुमान लगभग ११६ लाख किलोवाट लगाया जाता है। दूसरी योजना के अन्त तक जल विद्युत् गनन ९,००० किलोवाट होगी जिस के

---

†मूल अंग्रेजी में

तीसरी योजना के अन्त तक ४५,००० किलोवाट हो जाने की संभावना है । राज्य के जलविद्युत् संसाधनों का अग्रेतर विकास खपत की वृद्धि पर निर्भर होगा ।

परिवार नियोजन

†२३३३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक प्रत्येक राज्य में कितने व्यक्तियों का वन्ध्यीकरण किया गया है ;

(ख) क्या वर्तमान वन्ध्यीकरण प्रक्रिया निर्दोष समझी जाती है ;

(ग) क्या किसी अन्य आपरेशन द्वारा उस के प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है ;

(घ) इस समय प्रत्येक राज्य में कितने केन्द्रों में वन्ध्यीकरण की सुविधा उपलब्ध है ; और

(ङ) इन प्रयत्नों से बच्चे पैदा होने के सम्बन्ध में कहां तक कमी हुई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) उपलब्ध सूचना, जो अपूर्ण है, के अनुसार विभिन्न राज्यों में १९५६ से १९६१ (फरवरी) तक १,२४,७३० व्यक्तियों का वन्ध्यीकरण किया गया है ।

(ख) वन्ध्यीकरण आपरेशन गर्भधारण नियंत्रण के लिये संतोषजनक समझा जाता है ।

(ग) फिलहाल इस अपरेशन के प्रभाव को दूर करने का कोई युक्ति नहीं है ।

(घ) वन्ध्यीकरण आपरेशनों की सुविधा सामान्यतः समस्त अस्पतालों, राज्यों के डिवीजनल और सब-डिवीजनरल अस्पतालों को सम्मिलित कर के, में उपलब्ध हैं । वन्ध्यीकरण आपरेशन के लिये पृथक केन्द्र नहीं स्थापित किये जाते हैं ।

दिल्ली में इरविन अस्पताल, विक्टोरिया जनाना अस्पताल, हिन्दूराव अस्पताल, गिरधारी लाल प्रसूति अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, विलिंगडन अस्पताल और लेडी हार्डिंग अस्पताल में यह सुविधा उपलब्ध है ।

(ङ) वन्ध्यीकरण आपरेशनों द्वारा बच्चे पैदा होने की संख्या में कमी का निर्धारण अभी इतनी जल्दी नहीं किया जाना चाहिये ।

क्षयरोग

†२३३४. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पिछले तीन वर्षों में क्षयरोग के शिकारों की प्रवृत्ति का निर्धारण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस में वृद्धि हो रही है ; और

(ग) कौन सा संघ राज्य क्षेत्र उस से सर्वाधिक प्रभावित है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) और (ख). देश में क्षयरोग की व्यापकता का एक नमूना सर्वेक्षण १९५५-५८ में किया गया था । क्षयरोग बढ़ रहा है अथवा घट रहा है इस का पता इस प्रकार के सर्वेक्षणों की पुनरावृत्ति किये जाने पर ही लग सकता है ।

(ग) १९५५–५८ में किए गए नमूना-सर्वेक्षण में देश का प्रत्येक राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र सम्मिलित नहीं था । परन्तु विभिन्न क्षेत्रों में क्षयरोग की व्यापकता में कोई विशेष अन्तर नहीं पाया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कृषि का यंत्रीकरण

†२३३५. **श्री कालिका सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में खेती के तरीकों में यंत्रीकरण बढ़ाने और गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : भारत सरकार की नीति खेती के यंत्रीकरण को स्वयं एक अन्त के रूप में प्रोत्साहन देने की नहीं है । परन्तु भारत सरकार ट्रैक्टरों और खेती की मशीनों की मांग की यथा संभव पूर्ति करने का प्रयत्न करती रही है । इन मांग की पूर्ति के लिए ट्रैक्टरों और अन्य खेती की मशीनों के आयात १९५६ तक उदार थे । विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के कारण पश्चिमी देशों से १९५७ से आयात बहुत कम पैमाने पर हो रहा है । परन्तु ट्रैक्टरों की कमी की कुछ हद तक पूर्ति करने के लिए भारत सरकार विशेष रुपया भुगतान करारों के अन्तर्गत पूर्वी योरपीय देशों से ट्रैक्टरों के आयात की व्यवस्था कर रही है ।

कुछ राज्य सरकारें भी ट्रैक्टरों और अन्य खेती की मशीनों की खरीद के लिए किसानों को ऋण दे रही हैं । भारत सरकार भी राज्य सरकारों द्वारा अपने भूमि को खेती के योग्य बनाने और उसके बाद खेती के कार्य के लिये ट्रैक्टर संगठनों को दृढ़ बनाने के लिए भारी ट्रैक्टरों के आयात के लिए यथासंभव विदेशी मुद्रा देती रही है । उनको विशेष रुपया भुगतान व्यवस्था के अन्तगत पूर्वी योरपीय देशों से भारी ट्रैक्टरों का आयात करने के लिए भी सहायता दी गई है ।

जहां तक गेंहू की पैदावार बढ़ाने का सम्बन्ध है, देश की गवेषणा संस्थाओं में अधिक पैदावार वाली और रोग-प्रतिरोध करने वाली किस्में पैदा करने के उद्देश्य से गेंहू अभिजनन कार्य किया जा रहा है । अनेक अच्छी किस्में तैयार की जा चुकी हैं और वाणिज्यिक उपयोग के लिए दे दी गई हैं ।

खेती के उन्नत तरीकों का भी समस्त देश में राज्यों के कृषि विभागों और विस्तार संगठन के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है । किसानों को खादों, उर्वरकों, अच्छे बीजों, अच्छे खेती के औजारों, कीट-नाशकों के संभरण और सिंचाई की छोटी योजनाओं तथा हरी खाद की योजनाओं के लिए भी वित्तीय सहायता दी जा रही है ।

काली मिट्टी को खेती के योग्य बनाना

†२३३६. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा काली मिट्टी का लवण निकालने के लिए किसी भारतीय-डच परियोजना का अनुमोदन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह परियोजना कहां पर क्रियान्वित की गई है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: (क) और (ख). डच सरकार के साथ गुजरात के भावनगर जिले के बल्लभभाईपुर तालुके के भाल क्षेत्र में लवण क्षेत्र के कृष्यकरण के लिए करार किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अखिल भारतीय मानसिक स्वास्थ्य संस्था

†२३३७. { **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :

क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय मानसिक स्वास्थ्य संस्था को बगलौर से रांची ले जाने का निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय किन परि ियतियों के कारण किया गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) और (ख). मामले के सम्बन्ध में अभी तक भारत सरकार और मैसूर सरकार के बीच लिखा पढ़ी हो रही है और कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है ।

मनीआर्डर का दिया जाना

†२३३८. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण झपरदहा (हावड़ा) का २१ जनवरी, १९५९ का ६० रुपए का मनिआर्डर संख्या ६६ जो पी० एन० बोस कम्पाउण्ड, पोस्ट आफिस लालपुर, जिला रांची की श्रीमती परुल दास को भेजा गया था तथा जिसके भेजने वाले श्री नरेन परुई, गांव व डाकखाना दक्षिण झपरदहा, पुलिस स्टेशन दोमजुर (हावड़ा) हैं अभी तक सम्बन्धित व्यक्ति को नहीं मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) मनीआर्डर की राशि भेजने वाले को दे दी गई है ।

(ख) मनीआर्डर का भुगतान पहले इसलिए नहीं किया जा सका कि उसकी राशि का मनीआर्डर लेने वाले ब्रांच पोस्ट मास्टर ने गबन कर लिया था ।

बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनायें

†२३३९. **शेख मुहम्मद अकबर** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनाओं के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में कुल कितना आवण्टन किया गया है ; और

(ख) देश में दूसरी पंचवर्षीय योजना में इन योजनाओं पर वास्तव में कितनी राशि व्यय हुई है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) तीसरी योजना के लिए आवण्टनों के सम्बन्ध में अभी अन्तिम निर्णय किया जाना है ।

(ख) दूसरी योजना में बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनाओं पर लगभग ३८८ करोड़ रुपये व्यय होने की आशा है ।

---

†मू अंग्रेजी में

इम्फाल-तामेंगलांग रोड

†२३४०. **श्री लें० अचौ सिंह** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इम्फाल-तामेंगलांग रोड बन कर पूरी हो चुकी है और इस पर पड़ने वाले सभी सोतों और नदियों पर पुल बनाये जा चुके हैं ; और

(ख) क्या जीप और ट्रक तामेंगलांग से इम्फाल जा सकते हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). सड़क पर कांगपोकपी के निकट शून्य पाइन्ट से ४६ मील तक मोटर चलाई जा सकती है और इसलिए जीप और ट्रक वहां तक जा सकते हैं । शेष २८ मील तामेंगलांग तक केवल जीप जा सकती हैं ।

थांगा पहाड़ियों में डाक बंगला

†२३४१. **श्री लैं० अचौ सिंह** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थांगा पहाड़ियों (लोकराक झील) में बनाये जाने वाले डाक बंगले का निर्माण आरम्भ हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह दूसरी पंचवर्षीय योजनावधि में बन कर पूरा हो जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) लोकराक झील के लिए पर्यटन बंगला अब सेंदरा पहाड़ी पर बनाया जा रहा है । इस स्थान को थांगा पहाड़ी से उत्तम स्थान समझा गया है ।

(ख) सेंदरा पहाड़ी पर बंगले के निर्माण का टेंडर २७–२–१९६१ को स्वीकार किया गया है इसलिये दूसरी योजनावधि में यह पूरा नहीं हो सकेगा ।

ढले हुये लोहे के स्लीपर बनाने वाली फर्में

†२३४२. { **श्री मुहम्मद इलियास** :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ते की कुछ फर्में ढले हुए लोहे के स्लीपर बना रही है;

(ख) यदि हां, तो वह फर्में कौन-कौन सी हैं ;

(ग) क्या ढले ए लोहे के स्लीपरों के भार पर सरकार ने ५ प्रतिशत छूट दी है;

(घ) क्या १९५६ से १९६० तक कुछ फर्मों ारा बनाये गय स्लीपरों का भार कम पाया गया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या उन फर्मों के विरुद्ध कोई जांच की गई थी; और

(च) वह कौन-कौन सी फर्में थीं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) सूची संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १२]

(ग) जी हां।

(घ) जी नहीं।

(ङ) और (च). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

हिमाचल प्रदेश में बी० सी० जी० के टीके

२३४३. श्री पद्म देव : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६० में हिमाचल प्रदेश में कितने व्याक्तयों को बी० से० जी० के टीके लगाये गये और उनमें कितने विद्यार्थी थे ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : हिमाचल प्रदेश में १९६० में २१,५३४ व्यक्तियों को जिनमें ४५०४ विद्यार्थी सम्मिलित हैं, बी० सी० जी० के टीके लगाये गये।

हिमाचल प्रदेश में मन्दोधार का क्षय रोग अस्पताल

२३४४. श्री पद्म देव : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६० में हिमाचल प्रदेश के जिला महासू के मन्दोधार के क्षय रोग अस्पताल में कितने रोगी थे;

(ख) कितने स्वस्थ होकर लौटे;

(ग) कितने प्रतीक्षा सूची पर रहे;

(घ) क्या यह सच है कि रोगियों की अधिक संख्या को देखते हुए स्थान अपर्याप्त है; और

(ङ) पर्याप्त स्थान बना की दिशा में सरकार क्या पग उठा रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) १९६० में हिमाचल प्रदेश के जिला महासू के मन्दोधार क्षयरोग अस्पताल में १६० रोगी प्रविष्ट किये गये।

(ख) ११९।

(ग) ३१ दिसम्बर १९६० को तीक्षा सूची में २४ ोगी थे।

(घ) जी हां।

(ङ) जिला महासू के मन्दोधार क्ष य रोग अस्पताल में १४० अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था की एक योजना हिमाचल प्रदेश प्रशासन की तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर दी गई है।

"कोटिशः व्यक्तियों के लिये भोजन" सन्था[1]

†२३४५. श्री राधा रमण : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने १९५८, १९५९ और १९६० में "कोटिशः व्यक्तियों के लिए भोजन" सन्था के लिए कितना अनुदान दिया है ;

---

†मल अंग्रेजी में

[1]"Meals for Millions" Association.

(ख) इसके पदधारियों के क्या नाम है;

(ग) इस संस्था के क्या कार्य हैं; और

(घ) इन वर्षों में प्रत्येक संस्था ने किन योजनाओं पर यह अनुदान व्यय किया है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा)** : (क) अवधि समेत स्वीकृत अनुदान नीचे दिए जाते हैं :— .

१९५८–५९	८०,००० रुपये
१९५९–६०	१,५०,००० रुपये
१९६०–६१	१,५०,००० रुपये

(ख) सन्था के पद ारियों की सूची संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १३]**

(ग) सन्था का उद्देश्य भारत से अपर्याप्त पोषण को मिटाना है; बाल संस्थाओं अस्पतालो, प्रसूति तथा बाल स्वास्थ्य केन्द्रों आदि के द्वारा भारतीय बहुप्रयोजनीय खाद्य पदार्थों का प्रचार संस्था कर रही है।

(घ) जिन कामों पर अनुदान व्यय किया गया था वह कार्य नीचे बतायें जाते है :—

(१) अनाथालयों, अस्पतालों, कल्याण समाजों, स्कूलों तथा कालिजों, पूर्त संगठ ों आदि आदि में अंशत: अथवा पूर्णत: मुफ्त भारतीय बहुप्रयोजनीय खाद्य पदार्थों तथा/अथवा उत्पादों के वितरण के व्यय को पूरा करना।

(२) भारतीय बहुप्र ोजनीय खाद्य पदार्थों के प्रचार के लिए धन व्यय करना तथा इसी काम के लिए आवश्यक अन्य व्यय को पूरा करना; और

(३) नई दिल्ली में भारतीय "कोटिश: व्यक्तियों के लिए भोजन" सन्था के कार्यलिय के स्थापना संबंधी तथा प्रशासन स ंधी व्यय को पूरा करना।

उड़ीसा के किसानों के लिये रिजर्व बैंक का ऋण

†**२३४६. श्री चिंतामणि पाणिग्रही :** क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक ने १९६०–६१ तथा १९६१–६२ में किसानों को देने के लिए उड़ीसा को केवल तीस लाख रुपये का अग्रिम अल्पकालीन ऋण दिया है ;

(ख) क्या यह धन राशि राज्य के किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त है; और

(ग) क्या सरकार का विचार उड़ीसा के किसानों के लिए और अल्पकालीन ऋण देने का है?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :** (क) से (ग). आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और शीघ्र ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में।

दिल्ली दूध योजना

†२३४७. **श्री अ० मु० तारिक** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली दुध योजना के दूध विक्रय केन्द्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को वर्दी देने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक यह योजना पूरी हो जायेगी ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

उड़ीसा में बाढ़

†२३४८. **श्री बं० च० मलिक** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री ३१ अगस्त, १९६० को उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति के बारे में सभा पटल पर रखे गये वक्तव्य के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने गांवों में ऊंचे सामुदायिक चबूतरे बना दिए गए हैं जिन पर बाढ़ के समय वहां के लोग अपने पशु और सम्पत्ति समेत वहां पर आश्रय ले सकें ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सब्जियों के बीजों का निर्यात

†२३४९. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरी पंचवर्षीय योजनावधि में सब्जियों के बीजों का निर्यात पर्याप्त मात्रा में बढ़ गया है, और यदि हां, तो कितना; और

(ख) दूसरी योजनावधि के आरंभ और अंत में सब्जियों के बीजों के कितने रजिस्टर्ड फार्म हैं ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वे० कृष्णप्पा)** : (क) एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १४]**

(ख) सब्जियों के बीजों के रजिस्टर्ड फार्मों की सूचना नियमित रूप में इकट्ठी नहीं की जाती है। इसलिए वह उपलब्ध नहीं है।

रात्रि विमान डाक सेवा

†२३५०. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंहजी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने इसके बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया है कि नागपुर होकर रात्रि विमान डाक सेवा बन्द कर दी जाये अथवा नहीं;

(ख) यदि हां, तो योजना कब तक चालू हो जायेगी; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) नागपुर को भारत में विमान उतरने का स्थान बनाये रखने के लिए क्या वैकल्पिक प्रबन्ध किया गया है ?

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) से (ग). जब रात्रि विमान डाक सेवा के लिए वाइकाउन्ट का इस्तेमाल हो तब नागपुर को सम्पर्क स्थान बनाये रखने का विचार है।

४ वाइकाउन्ट खरीद लिए जाने के बाद योजना लागू की जा सकती है।

माध्यमिक पत्तन[1]

†२३५१. श्री तंगामणि : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कडलूर, नागपट्टिनम, तूतीकोरिन और कूलाचल को माध्यमिक पत्तन बनाने का काम आरंभ कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ; और

(ग) १९६१–६२ के लिए कितनी राशि अलग कर ली गई है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) बड़े पत्तनों के अतिरिक्त अन्य सभी पत्तनों के विकास की जिम्मेदारी उस राज्य सरकार की है जिसके क्षेत्राधिकार में वे पत्तन आते हों। मद्रास सरकार से यह पता लगा है कि पहली और दूसरी योजनावधि में कडलूर और नागपट्टिनम के माध्यमिक पत्तनों का विकास कार्यक्रमानुसार उन्होंने किया है। कूलाचल को माध्यमिक पत्तन नहीं माना गया है और इसको माध्यमिक पत्तन मानने का विचार भी नहीं है। तीसरी योजना में इसके विकास के लिए २ लाख रुपये की राशि नियत की गई है। तूतीकोरिन पूर्ण विकसित छोटा बन्दरगाह है जिसके लिए दूसरी योजना में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसको सभी मौसम का बन्दरगाह बनाने के बारे में विचार किया जा रहा है।

(ख) और (ग). १९६०–६१ तथा १९६१–६२ में इन चारों बन्दरगाहों के विकास के लिये निर्धारित राशि नीचे दी जाती है :—

	१९६०–६१	१९६१–६२
	(रुपयों में)	
कडलूर	१०,६१,०००	१३,३५,०००
नागपट्टिनम	४,९७,५००	११,०६,०००
तूतीकोरिन	कोई नहीं	१,१५,०००
कूलाचल	कोई नहीं	१५,०००

मद्रास राज्य में पर्यटन सुविधायें

†२३५२. श्री तंगामणि : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ में पर्यटकों की सुविधाओं की व्यवस्था के लिये मद्रास राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार ने कितनी धनराशि दी है ; और

†मूल अंग्रेजी में

[1] Intermediate Ports.

(ख) किस प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था की गई है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). पर्यटकों के लिये सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने मद्रास सरकार को निम्न अनुदान दिये हैं :—

योजना का नाम	केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया गया अनुदान जो कुल लागत का आधा है	
	१९६०–६१ से पहले	१९६०–६१ में
	रुपये	रुपये
मदुरै में अल्प आय वर्ग विश्राम गृह	५,०००	१,०२,५०२
तिरुचिरापल्ली में अल्प आय वर्ग विश्राम गृह .	८,०००	६७,०००
मदुरै में टूरिस्ट ब्यूरो	३,६३२	४,८०५
उटकमंड में टूरिस्ट ब्यूरो .	४,५९०	५,४१०
कुमारी अन्तरीय में केप होटल का सुधार	—	१०,०००
जोड़	२१,२२२	१,८९,७१७

मद्रास में सुपारी की पैदावार

†२३५३. श्री तगामणि : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५१ तथा १९५६ की तुलना में १९६० में मद्रास राज्य में सुपारी की कितनी पैदावार हुई ;

(ख) सुपारी के पेड़ों को होने वाले रोगों से कितनी हानि हुई है ; और

(ग) रोगों को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क)

वर्ष/पैदावार	
१९५०–५१	आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।
१९५५–५६	२३,४०९ मान मन
१९५९–६०	२८,३०९ मान मन

(ख) सही हानि का पता लगाना संभव नहीं है क्योंकि पेड़ों को रोग हक्का पुक्का लगते हैं ।

(ग) सुपारी के पेड़ का मुरझा जाना

रोगी पेड़ों को हटा देना तथा आधार पर गंधक का लेप करना ।

†मूल अंग्रेजी में

तने का फट जाना

बोरडोक्स पेस्ट का लेप करना ।

महाली रोग

बोरडौक्स १ प्रतिशत मिश्रण का छिड़कना इन कदमो के द्वारा रोगों में बहुत कमी हुई है।

मद्रास से चीनी का निर्यात

†२३५४. **श्री तंगामणि** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में मद्रास राज्य की मिलों से चीनी का निर्यात किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने मूल्य की कितनी मात्रा में और किस मिल से ; और

(ग) इन मिलों से १९६१–६२ में कितना निर्यात करने का विचार है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) निर्यात की गई एक लाख टन मात्रा में से मद्रास राज्य के करखानों से ३,५३२.८२ टन चीनी का निर्यात किया गया था। परन्तु इन कारखानों से अब तक चीनी का निर्यात नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) चीनी निर्यात संवर्द्धन अधिनियम, १९५८ के उपबन्धों के अनुसार चीनी का निर्यात होगा ।

त्रिपुरा में पशु रोग

†२३५५. **श्री दशरथ देव** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि समस्त त्रिपुरा राज्य में पशु रोग बहुत फैल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस रोग को वहां पर दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) त्रिपुरा प्रशासन को सदर, धार-मनागर, खोवाई और अमरपुर परगनों के कुछ क्षेत्रों में पांव तथा मुंह रोगों के फैलने के समाचार मिले हैं।

(ख) सफाई के द्वारा तथा पशुओं की चिकित्सा के द्वारा रोग की रोकथाम की जा रही है। इस कार्य के लिये क्षेत्रीय कर्मचारी बढ़ा दिये गये हैं और पशु डाक्टर के अधीकरण में उन्होंने काम आरम्भ कर दिया है।

चीनी के मूल्य

†२३५६. { **श्री अगाड़ी** :
श्री मुहम्मद इमाम :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री १५ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १२३ के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशुल्क आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो १९५८–५९ तथा १९५९–६० की ऋतुओं के लिये चीनी के वे मूल्य निश्चित कर दिये गये हैं जो मैसूर, मद्रास, महाराष्ट्र राज्यों तथा आंध्र प्रदेश के कारखानों द्वारा दिये जायेंगे ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि नहीं, तो प्रतिवेदन कब तक मिल जायेगा ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) आयोग को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में कुछ समय लगेगा ।

पूर्वोत्तर रेलवे पर शीरे का बुकिंग

†२३५७. श्री विश्वनाथ राय : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के कितने ही रेलवे स्टेशनों से आसाम तथा पश्चिम बंगाल को शीरे का लदान अनिश्चित काल के लिये रोक दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अधीन औषधालय

†२३५८. श्री रामजी वर्मा : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों में दिल्ली और नई दिल्ली की अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना की डिस्पेंसरियों में नजर की कमजोरी के कितने नुस्खे दिये गये ;

(ख) अंशदायी स्वास्थ्य सेवा द्वारा स्वीकृत दरों पर कितने चश्मे दिये गये ;

(ग) अंशदायी स्वास्थ्य सेवा के आंख विशेषज्ञों ने नजर सही करने अथवा चश्मा सही करने के लिये कितने चश्मों की जांच की ;

(घ) पिछले छः महीनों में चश्मा बनाने वालों के विरुद्ध कितनी शिकायतें मिली थीं ; और उन पर क्या कार्यवाही की गई थी ;

(ङ) इसका पता लगाने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है कि चश्मों के फ्रेम तथा लैंस निर्धारित दरों पर दिये जा रहे हैं ; और

(च) क्या चश्मा बनाने वाले बनाये गये चश्मों तथा उसके लिये लिये गये मूल्यों का पूरा ब्यौरा रखते हैं और यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) पिछले छः महीनों में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा विशेषज्ञों द्वारा चश्मों के ४,२४४ नुस्खे जारी किये गये ।

(ख) ६२८ ।

(ग) जांचे गये चश्मों का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है ।

(घ) पिछले छः महीनों में केवल एक शिकायत मिली है । मामले की जांच की जा रही है ।

(ङ) चश्मा बनाने वालों की स्वीकृत सूची और फ्रेमों तथा लैंसों की अनुसूचित दरों को दिखाने वाला नोटिस मंत्रालयों, कार्यालयों तथा अंशदायी स्वास्थ्य सेवा डिस्पैंसरियों को परिचालित

†मूल अंग्रेजी में

कर दिया गया है। स्वीकृत फ्रेम अस्पतालों के आंख विभाग और चश्मा बनाने वालों की दूकानों के 'शो केसों' में प्रदर्शित कर दिये गये हैं।

(च) जी नहीं। चश्मा बनाने वालों की सूची तथा दरें अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अधीन आने वाले कर्मचारियों के लिये बनाई गई हैं। ये जो लोग चाहें इसका लाभ उठा सकते हैं। इस सूची के बना लेने पर यह जरूरी नहीं कि इन्हीं से चश्मा बनवाया जाये। इसके अतिरिक्त यह सूची केवल एक वर्ष के लिये बनाई जाती है। यदि किसी चश्मा बनाने वाले के विरुद्ध शिकायत ठीक पाई जाती है तो उसका नाम इस सूची से निकाल दिया जाता है।

क्विलोन-कोट्टयम सेक्शन पर स्टेशन मास्टर

†२३५९. **श्री प्र० ना० सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एर्णाकुलम्-क्विलोन लाइन के क्विलोन-कोट्टयम सेक्शन पर स्टशन मास्ट ों को १२ घंटे रोज काम करना पड़ता है जब कि उस ही लाइन पर कोट्टयम-एर्णाकुलम् सेक्शन पर स्टेशन मास्टरों को केवल ८ घंटे काम करना पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां।

(ख) क्विलोन-कोट्टयम सेक्शन पर काम कम है जिससे स्टेशन मास्टरों की १२ घंटे की पारी उचित है और कोट्टयम-एर्णाकुलम् सेक्शन पर काम अधिक है जिसके लिय ८ घंटे की पारी उचित है ।

नागार्जुनसागर परियोजना पर पुल

†२३६०. **श्री बाली रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने नागार्जुनसागर परियोजना पर पुल (ट्रेसिल पुल) बनाने के लिये कितनी मात्रा में इस्पात मांगा था ; और

(ख) इस मांग के विरुद्ध उन को कितने इस्पात का संभरण किया गया ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) ट्रेसिल पुल के लि े १०,४०० टन इस्पात की आवश्यकता है जिसके विरुद्ध दिसम्बर, १९६० के अन्त तक १०,१५८ टन के आर्डर दिये गय हैं। ट्रसिल पुल के परिव्यय के पुन ीक्षण की एक योजना विचाराधीन है जिस से इस्पात की मांग में ४,००० टन की कमी हो जायेगी।

(ख) दिसम्बर, १९६० के अन्त तक ३,८३४ टन।

फसल बीमा[1]

†२३६२. **श्री बाली रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने फसल बीमा की कोई स्थापनाय भेजी हैं ;

(ख) यदि हां, तो ोजना का क्या ब्यौरा है ;

(ग) ऐसी योजनायें किन किन राज्यों से प्राप्त हुई हैं ; और

(घ) यह योजना कितने राज ों में क्रियान्वित की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Crop Insurance.

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) पंजाब सरकार ने फसल बीमा के बारे में एक योजना भेजी है ।

(घ) अभी फसल बीमा योजना किसी भी राज्य में क्रियान्वित नहीं की गयी है ।

बीकानेर डिवीजन के स्टेशनों पर पीने का पानी

२३६३. श्री प० ला० बारुपाल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के बीकानेर डिवीजन के स्टेशनों पर पीने के पानी की क्या व्यवस्था की जा रही है ;

(ख) किन स्टेशनों पर इस प्रयोजन के लिये विद्युत् यंत्र लगाने की व्यवस्था की जायेगी; और

(ग) किन स्टेशनों पर मिट्टी के कितने घड़ों की व्यवस्था की जायेगी ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) उत्तर रेलवे के बीकानेर डिवीजन के सभी रेलवे स्टशनों पर पीने के पानी के लिये पानी की व्यवस्था है । नल और पानी की चलती-फिरती ट्रालियों के अलावा स्टशनों पर मिट्टी के घड़े भी रखे जाते हैं, जिनसे पानी पिलाने वाले कर्मचारी यात्रि ों को गाड़ी में पानी देते हैं । इसके लिये रेलवे ने साल भर पानी पिलाने के लिये २३३ स्थायी कर्मचा ी रखे हैं । गर्मी के मौसम में पानी पिलाने के लिय २१४ अस्थायी कर्मचारी और रखे जाते हैं ।

(ख) बीकानेर डिवीजन के नीचे लिखे स्टेशनों पर बिजली के जल शीतक लगे हुए हैं:—

बीकानेर, चूरू, दिल्ली सराय रोहिल्ला, हनुमानगढ़, हिसार, लोहारू, रतनगढ़, रेवाड़ी और श्रीगंगानगर ।

और स्टेशनों पर बिजली के जल शीतक लगाने का विचार नहीं है, क्योंकि विदेशी मुद्रा बचाने के उद्देश्य से जल शीतक लगाने पर पाबन्दी लगा दी गयी है ।

(ग) सभी स्टेशनों पर मिट्टी के घड़े रखे जा रहे हैं । स्टेशन के महत्व के अनुसार हर स्टेशन पर घड़ों की संख्या ४ से लेकर २० तक होती है ।

फरक्का बांध

†२३६४. श्री च० का० भट्टाचार्य : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को दामोदर घाटी निगम से मुक्त किये गये कर्मचारियों और मशीनों को फरक्का बांध पर काम पर लगाने के लिये कोई प्रस्थापनायें मिली हैं ; और

(ख) क्या इस बारे में कोई कार्यवाही की गयी है ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जब इन संसाधनों का उपयोग किया जा सकेगा तो प्रस्तावों पर उचित प्रावस्था में समुचित विचार किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

फल तथा साग-सब्जियां

†२३६५. **श्री ब० का० भट्टाचार्य** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के एक तिहाई या आधे फल तथा साग-सब्जियां उपभोक्ता तक पहुंचने से पहले ही नष्ट हो जाती हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो ऐसी हानि का क्या अनुपात है ;

(ग) क्या इस हानि को रोकने के लिये कोई कार्यवाही की गयी है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी, नहीं।

(ख) परिवहन तथा अन्य कठिनाइयों के कारण कुल उत्पादन के १५ से २० प्रतिशत तक फल खराब हो जाते हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) ताजा फलों को विभिन्न तरीके से सुरक्षित रख कर उन को उपयोग करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। इस कार्य के लिये फालतू फलों को इस्तेमाल करने के ख्याल से विभिन्न फल-उत्पादन क्षेत्रों में फल तथा वनस्पति संरक्षण कारखाने स्थापित किये गये हैं। इन कारखानों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार निर्यात बढ़ाने के लिये ऋण और कई रियायतें दे रही है।

राजेन्द्र पुल पर रेलगाड़ी का रुकना

२३६६. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री १० अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ५३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे के राजेन्द्र पुल पर गंगा नदी के उत्तरी किनारे पर रेलगाड़ियों का हाल्ट स्टेशन बनाने के बारे में इस बीच क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) उस रेलवे हाल्ट पर मुसाफिर गाड़ियां कब से ठहरने लगेंगी ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). निर्माण-कार्य पूरा हो गया है और आशा है हाल्ट स्टेशन शीघ्र चालू हो जायेगा।

बिजली से चलने वाले बूचड़खाने

†२३६७. { **श्री पांगरकर** :
श्री गु० के० जेधे :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जानवरों को काटने के लिये बिजली से चलने वाला बूचड़खाना खोलने की कोई प्रस्थापना है ;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्थापना कब क्रियान्वित की जावेगी ; और

(ग) इस समय भारत में बिजली से चलने वाले कितने बूचड़खाने हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) से (ग). बूचड़खाने और मांस निरीक्षण तरीकों (१९५७) सम्बन्धी तदर्थ समिति के प्रतिवेदन के अनुसार भारत में ऐसा कोई बूचड़खाना नहीं है जिसमें जानवरों को कत्ल करने से पहले उन को अचेत करने का कोई बिजली का उपकरण लगा हो। बम्बई, पश्चिम बंगाल और मद्रास की सरकारों को भेजे गये बूचड़खानों सम्बन्धी खाद्य तथा कृषि संगठन के विशेषज्ञ, श्री एन० ई० वर्नबर्ग ने अपने प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि इन शहरों में आधुनिक ढंग के बिजली से चलने वाले बूचड़खाने स्थापित किये जायें। श्री वर्नबर्ग की सिफारिशों पर राज्य सरकारें विचार कर रही हैं।

भारतीय विद्युत् नियम, १९५६

†२३६८. **श्री तंगामणि** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी राज्य सरकारें भारतीय विद्युत् नियम, १९५६ की नियम ४५ के अधीन अपेक्षित योग्यता प्रमाणपत्र जारी करती हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि विभिन्न राज्य सरकारों के इन प्रमाणपत्रों के विभिन्न नाम हैं ;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में पृथक पृथक इन प्रमाणपत्रों के क्या नाम हैं ;

(घ) क्या इस प्रमान पत्र के लिये कोई एक नाम निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). सामान्यतः इन प्रमाणपत्रों को 'बिजली सुपरवाइजर्स प्रमाणपत्र' और वायरमैन परमिट कहा जाता है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने भारतीय विद्युत (राष्ट्रीय सुपरवाइजर प्रमाणपत्र) विनियमों के अधीन सामान्य पाठ्यक्रम के अधीन जारी किय जाने वाले प्रमाणपत्रों को 'राष्ट्रीय सुपरवाइजर प्रमाणपत्र' नाम दिया है। यह पता नहीं है कि अन्य राज्यों ने भी अपने प्रमाणपत्रों और परमिटों को विशिष्ट नाम दिये हैं।

(घ) और (ङ). वायरमैन आदि को योग्यता प्रमाणपत्र और परमिट देने के लिय एक केन्द्रीय परीक्षक बोर्ड नियुक्त करने के बारे में सितम्बर, १९६० में विद्युत निरीक्षक सम्मेलन में एक प्रस्ताव रखा गया था। इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है। यदि यह बोर्ड स्थापित हो गया, तो बोर्ड द्वारा दिये जाने वाले प्रमाणपत्रों और परमिटों को एक नाम दिया जा सकेगा।

माल परिवहन में कमी

†२३६९. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात कारखानों के लिये कोयले के अतिरिक्त कच्चे माल के परिवहन के बारे में वर्ष १९६०-६१ के लिये द्वितीय योजना के १९० लाख टन के लक्ष्य में ९० लाख टन की कमी की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो इस भारी कमी के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) और (ख). इस्पात कारखानों की १०० लाख टन की पूरी मांग को पूरा किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयला परिवहन में कमी

†२३७०. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात कार ाने को कोयले के परिवहन के बारे में वर्ष १९६०–६१ के लिये द्वितीय ोजना के १०० लाख टन के लक्ष्य में २५ ला टन की कमी की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) और (ख). इस्पात सं ंत्रों की कोयले की ७५ लाख टन की पूरी मांग को पूरा किया जा रहा है ।

कृषि औजार

†२३७१. **श्री प्र० चं० बरुआ:** क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक स्थान को सहकारी संप्रेषण प्रशासन, गैर-सरका ी अमरीकी सहायता संगठन, की पैकेज कार्य क्रम' क्षेत्रों में भारतीय कृ कों के लिये अच्छी किस्म के कृषि औजार देने की प्रस्थापना है ; और

(ख) यदि हां, तो े औजार किस हद तक दिये जायेंगे ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) जी, हां ।

(ख) इस समय यह प्रस्ताव केवल एक जिले के बारे में है और सरकार अभी उस पर विचार कर रही है ।

हिमाचल प्रदेश के लिये उर्वरक

†२३७२. **श्री शि० न० रामौल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश प्रशासन को केवल २४२ टन रासायनिक उर्वरकों के संभरण के क्या कारण हैं जब कि अप्रैल, १९६० से मार्च, १९६१ तक की अवधि के लिये उनको ६०८ टन का अभ ंश आवंटित किया गया था ;

(ख) २४२ टन के इस संभरण का जिलेवार, किस प्रकार वितरण किया गया ; और

(ग) क्या जिलों को मिले सारे संभरण का वितरण कर दिया गया है अथवा अभी कुछ भंडार का वितरण किया जाना बाकी है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) उपलब्ध नवीनतम जानकारी के अनुसार २०–३–६१ तक हिमाचल प्रदेश प्रशासन को लगभग ३७८ मीटरिक टन अमोनियम सल्फेट का संभरण किया गया है । रेलवे पर छो ी लाइन के स्टेशनों तक माल के परिवहन के लिये सीमित संख्या में माल-डिब्बे उपलब्ध होने के कारण उनको आवंटित अभ्यंश पूरा नहीं भेजा जा सका ।

(ख) और (ग). हिमाचल प्रदेश सरकार से जानका ी मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ट्रैक्टर

†२३७३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रक्टरों के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देने के लिय कोई कार्यवाही की गई है अथवा की जावेगी; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) और (ख). क्टरों के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देना सरकार की नीति नहीं है परन्तु सरकार यथासंभव क्टरों की मांग को पूरा करने का प्रयत्न कर रही है। इस मांग को पूरा करने के लिये वर्ष १९५६ तक ट्रैक्टरों के आयात में बहुत ील ी गई। विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के कारण, वर्ष १९५७ से पश्चिमी देशों से बहुत कम मात्रा में उनका आयात किया जा रहा है। परन्तु कुछ सीमा तक ट्रैक्टरों की कमी को पूरा करने के लिये भारत सरकार विशेष रुपया भुगतान करारों के अन्तर्गत पूर्व ोरोपीय देशों से ट्रैक्टरों के आयात की व्यवस्था कर रही है। प्रतिवर्ष लगभग १०,००० ट्रैक्टरों के देश में निर्माण के लिये योजना ें भी मंजूर की गई हैं।

कृषि के लिये इस्तेमाल किये जाने वाले ट्रैक्टरों पर सीमा-शुल्क और उत्पादन-शुल्क नहीं लिया जाता। कुछ राज्य सरकारें भी ट्रैक्टर खरीदने के लिये किसानों को ऋण दे रही हैं। भारत सरकार भी ट्रैक्टर संगठन को मजबूत बनाने के लिये राज्यों द्वारा भारी ट्रैक्टरों के आयात के लिये विदेशी मुद्रा दे रही है। उनको पूर्व योरोपीय देशों से विशेष रुपया भुगतान करारों के अधीन कुछ भारी ट्रैक्टर आयात करने के लिये भी सहायता दी गई है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

दामोदर घाटी निगम से कलकत्ता क्षेत्र को पर्याप्त बिजली का न मिलना

†**श्री मुहम्मद इलियास** (हावड़ा) : मैं नियम १९७ के अधीन दामोदर घाटी निगम से कलकत्ता क्षेत्र को अपर्याप्त मात्रा में बिजली दिये जाने की ओर सिंचाई और विद्युत् मंत्री का ध्यान आकर्षित करता और निवेदन करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य भी दें।

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)**: कलकत्ता क्षेत्र में इस समय बिजली की जो कमी महसूस हो रही है वह दामोदर घाटी निगम से अपर्याप्त संभरण के कारण नहीं वरन् ९ फरवरी, १९६१ को कलकत्ता विद्युत् संभरण निगम के ५० एम० डब्ल्यू० जनरेटिंग सेट के खराब हो जाने के फलस्वरूप हुई है। ९ फरवरी, के बाद दामोदर घाटी निगम ने बिजली के अधिक काम में न आने के घटों में बिजली का संभरण ५५ से बढ़ा कर ७५/८५ एम० वी० ए० और बिजली के अधिक काम में आने वाले घटों में ८५/९५ एम० वी० ए० कर दिया था ताकि कलकत्ता विद्युत् संभरण निगम बिजली की कमी को दूर कर सके। ऐसा

---

†मूल अंग्रेजी में

करने से कलकत्ता विद्युत् संभरण निगम ५० प्रतिशत कमी की पूर्ति करने के लिये अक्षम हो गया। किन्तु १७ मार्च, १९६१ से दामोदर घाटी निगम को बिजली के अधिक काम में न आने वाले तथा अधिक काम में आने वाले समय के दौरान कलकत्ता विद्युत् संभरण निगम को किये जा रहे संभरण को घटा कर ८० एम० वी० ए० कर देना पड़ा क्योंकि उनका बोकारो स्थित संयंत्र खराब हो गया था।

२. पश्चिमी बंगाल सरकार ने बताया है कि अनुभव से यह पता चला है कि ३५ एम० डब्ल्यू० बिजली की कमी है। और बिजली के अधिक उपभोक्ताओं ने अपनी स्वेच्छा से ५० प्रतिशत बिजली की कटौती करना स्वीकार किया है अर्थात् ५ से १० बजे रात्रि के दौरान में वे कम उपयोग करेंगे। उपरोभोक्ताओं पर बिजली का प्रयोग करने के लिये कोई विधिक पाबंदियां नहीं लगाई गई हैं।

३. दामोदर घाटी निगम को आशा है कि वह दुर्गापुर तापीय विद्युत् केन्द्र के ७५ एम० डब्ल्यू० के दूसरे यूनिट का कार्य आरम्भ होने पर वह अगले कुछ दिनों में कलकत्ता बिजली संभरण निगम को अधिक बिजली दे सकेगा।

†**श्री मुहम्मद इलियास** : मैं यह मालूम करना चाहता हूं कि यह स्थिति कब तक ठीक हो जायेगी। माननीय मंत्री महोदय का कहना है कि वह कुछ दिनों में ठीक हो जायेगी लेकिन समाचार पत्रों का कहना है कि इसे ठीक होने में काफी समय लगेगा। दामोदर घाटी निगम को तथा सरकार को कलकत्ता के लिये सामान्य बिजली का संभरण करने में कितना समय लगेगा।

†**हाफिज मुहम्मद इब्राहीम** : माननीय सदस्य को समाचार पत्रों की अपेक्षा मेरी बात पर अधिक भरोसा करना चाहिये।

उड़ीसा में मध्यावधि चुनाव के बारे में वक्तव्य

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : उड़ीसा राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद ३५६ के अधीन राष्ट्रपति की अभिघोषणा की चर्चा के समय मैंने सभा में बताया था कि हम चुनाव आयोग से बातचीत कर रहे हैं कि वहां उड़ीसा विधान सभा के चुनाव कब होने चाहियें। अब यह निश्चय हुआ है कि ये चुनाव जून १९६१ के प्रारम्भ में होने चाहियें।

राष्ट्रपति की घोषणा लागू करते समय सरकार का यही लक्ष्य था कि उड़ीसा में राष्ट्रपति का शासन कम से कम समय के लिये हो। वर्षा के दौरान में वहां चुनाव होना कठिन है क्योंकि बहुत से भाग में पानी भर जाता है और आवागमन के साधन ठप्प हो जाते हैं। अगर वर्षा से पहले चुनाव नहीं होते तो दिसम्बर में जा कर कहीं संभव है। इसका अभिप्राय तो यह होगा कि आम चुनावों से दो तीन महीने पहले ही ये चुनाव संभव हैं। जो कि न्यायसंगत बात नहीं है। चुनाव आयुक्त इस बात से सहमत हो गये हैं कि जून से पहले वहां चुनाव सम्बन्धी सभी प्रशासकीय कार्यवाही पूरी हो जायेगी। सरकार यह नहीं चाहती कि अगले आम चुनाव तक अर्थात् १४ महीने तक वहां राष्ट्रपति का शासन रहे। तीसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यारम्भ के समय ऐसा करना उचित नहीं प्रतीत होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का शासन अधिक से अधिक ६ महीने तक रह सकता है। १४ महीने एक लम्बा अर्सा जान पड़ता है। यह बात जरूर है कि चुनावों में खर्चा अधिक पड़ता है लेकिन जहां तक कि यहां के चुनावों की बात है यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि दूसरे राजनैतिक दल इसका विरोध करेंगे। उनको इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

जल्दी चुनाव कराने में हमें कुछ असुविधाओं का सामना करना पड़ा है। आशा है कि भविष्य में हमारी चुनाव व्यवस्था ऐसी होगी कि आवश्यकता पड़ने पर हम हरेक जगह डेढ़ महीने में चुनाव करा सकेंगे। राज्य के विधान मंडलों के चुनाव हमेशा संसदीय चुनावों के साथ नहीं कराये जा सकते। संभव है कि भविष्य में उन्हें एक दूसरे से अलग आयोजित किया जाये।

अगर पहले ही कोई दूसरी वैकल्पिक सरकार बनाना संभव होता तो अवश्य ही वह सरकार बनादी गई होती। लेकिन कुछ संवैधानिक कारणों से यह संभव नहीं था और इसी कारण राष्ट्रपति का शासन वहां लागू किया गया।

१९६१ की भारत की जनगणना के बारे में वक्तव्य

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : मैं १९६१ में की गई भारत की जनगणना के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं। मैं उसे पूरा तो नहीं पढ़ूंगा कुछ अंश ही उद्धृत करूंगा। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १५]**

भारत की अस्थायी जनसंख्या १ मार्च, १९६१ को ४३६,४२४,४२९ थी जिसमें मनीपुर, उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण, नागालैंड और सिक्किम की जनसंख्या सम्मिलित नहीं है क्योंकि इनमें जनगणना हो रही है या अभी उसका सम्पूर्ण योग तैयार किया जा रहा है। इसमें पुरुषों की संख्या २२४,९५७,९४८ और महिलाओं की संख्या २११,४६६,४८१ है। अब तक जितने क्षेत्र में जनगणना हुई है उसमें कुल २१.४९ प्रतिशत की वृद्धि हुई है, पुरुषों की संख्या में २१.९७ प्रतिशत और स्त्रियों की संख्या में २१.२० प्रतिशत। आंध्र, बिहार, जम्मू तथा काश्मीर, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में औसत वृद्धि से कम प्रतिशत और आसाम, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी बंगाल में अधिक वृद्धि हुई है। आसाम में सबसे अधिक वृद्धि हुई है और उसके बाद पश्चिमी बंगाल का नम्बर आता है।

सन् १९५१ में साक्षरता का प्रतिशत १६.६ प्रतिशत था और १९६१ में यह बढ़ कर २३.७ प्रतिशत हो गया है।

एक दूसरा प्रकाशन 'प्रोवीजनल पोपूलेशन टोटल' भी प्रकाशित किया गया है जो पुस्तकालय में रख दिया गया है। जैसे ही इसकी अधिक प्रतियां प्रकाशित हो जायेंगी सदस्यों को भी इसकी प्रतियां उपलब्ध हो सकेंगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा पटल पर रखे गये पत्र

मोटर गाड़ी अधिनियम के अधीन अधिसूचना

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मोहीउद्दीन)** : मैं मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिल्ली मोटर गाड़ी नियम, १९४० में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १९ जनवरी, १९६१ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० १२/४८/६०—परिवहन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २७७५/६१]

भारतीय विद्युत् अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : मैं भारतीय विद्युत् अधिनियम, १९१० की धारा ३८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत भारतीय बिजली नियम, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक ७ दिसम्बर, १९६० की जी० एस० आर० संख्या १४९५ ;

(दो) दिनांक १० फरवरी, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या २२५ ।

[पुस्तकालय में रखी गईं । देखिये संख्या एल० टी० २७७६/६१]

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

†**सचिव** : श्रीमान्, मैं २० मार्च, १९६१ के प्रतिवेदन के बाद दोनों सभाओं द्वारा चालू सत्र में पारित किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित विधेयकों को सभा-पटल पर रखता हूं :

(१) उड़ीसा विनियोग विधेयक, १९६१

(२) उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (मान्यतादान) विधेयक, १९६१

(३) विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९६१

(४) विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक, १९६१

(५) रेलवे यात्री किराया (निरसन) विधेयक, १९६१

(६) विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६१

प्राक्कलन समिति

एकसौ ग्यारहवां प्रतिवेदन

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर) : मैं डाक तथा तार विभाग (भाग २)—डाक सेवायें तथा रेलवे डाक सेवा सम्बन्धी प्राक्कलन समिति का एक सौ ग्यारहवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा का आय-व्यय‍क, १९६१-६२

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय वित्त मंत्री ।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** मैं वर्ष १९६१–६२ के लिये उड़ीसा सरकार की अनुमित आय और व्यय का विवरण पेश कर रहा हू ।

राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद ३५६ के अन्तर्गत २५ फरवरी, १९६१ को उड़ीसा राज्य का प्रशासन अपने हाथ में लेने की उद्घोषणा की थी । संसद् उसके कारणों पर चर्चा कर ही चुकी है । इसीलिये संसद् के समक्ष उड़ीसा राज्य का आय-व्ययक अनुमोदन के लिये रखा जा रहा है ।

राज्य विधान सभा में यह आय-व्ययक २१ फरवरी, १९६१ को उपस्थापित किया जाना था, लेकिन राज्य के मंत्रिमण्डल ने उसी दिन त्याग-पत्र दे दिया था । आय व्ययक की प्रतियां, नियमानुसार, विधान मंडल के सदस्यों में दो दिन पहले परिचालित की जा चुकी थीं । वैसे तो विधान सभा इसका अनुमादन करती ही, लेकिन मंत्रिमण्डल के त्याग पत्र के कारण सभा भंग हो गई थी, और अब इसे संसद् में उपस्थापित करने का भार मुझ पर आ पड़ा है । मैं ने राज्य की आवश्यकताओं को सामने रखते हुए, इसकी परीक्षा कर ली है, और इसमें आवश्यक रद्दोबदल कर दी है ।

आगामी वर्ष के इन आय-व्ययक प्राक्कलनों को रखने से पहले, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उड़ीसा राज्य ने द्वितीय योजना काल में कौन सी मुख्य सफलतायें प्राप्त की हैं, कौन सी ऐसी बातें हुई हैं जिनका राज्य सरकार के वित्त पर प्रभाव पड़ा है । सभा को विदित है कि द्वितीय योजना के लिये उड़ीसा का कुल अनुमित व्यय ४,८०० करोड़ रुपये था, जिसमें से उड़ीसा को ९९.९९ करोड़ रुपये की राशि दी गई थी । बाद में व्यय घटा कर ४,५०० करोड़ रुपये कर दिया गया था, और राज्य को दी जाने वाली राशि भी घटा कर ९२ करोड़ रुपये से कुछ कम कर दी गई थी । अनुमान यह है कि इस पांच वर्ष के काल में वास्तविक व्यय ८८ करोड़ रुपये होगा, अर्थात लगभग ३.५ करोड़ रुपये की न्यूनता रहेगी । इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने केन्द्र द्वारा चालू की गई योजनाओं और केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के निर्वहन के लिये १३ करोड़ रुपये की राशि का उपयोग कर लिया होता ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अनुमान है कि खाद्यान्नों का उत्पादन १९५५–५६ में २३.९३ लाख टन से बढ़ कर ४० लाख टन हो जायगा । इस काल में लौह अयस्क, क्रोमाइट, कोयला मेंगनीज इत्यादि खनिजीय अयस्कों के उत्पादन में काफी सुधार होगा । ७८३ मील की लम्बाई की वनीय सड़कों का निर्माण होगा, और टीक, सैमल, खैर, काजू इत्यादि के पौधे ३३,००० एकड़ भूमि में लगाये जायेंगे । १०६००० एकड़ भूमि में भूमि-संरक्षण के उपाय किये जायेंगे । छोटी मछलियों का उत्पादन ३२२ लाख और मछलियों का २,५०० टन बढ़ जायेगा । बड़े और मझोले किस्म की सिंचाई परियोजनाओं के जरिये ७.२ लाख एकड़ क्षेत्र की सिचाई होगी और १६८.१३ मेगावाट बिजली पैदा होगी, जिससे ९१ गांवों और

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोरारजी देसाई]

कस्बों में बिजली पहुंचाई जायेगी । सहकारिता, क्रय-विक्रय, भाण्डागार और आवास संबंधी योजनाओं में काफी अच्छी प्रगति की गई है ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये वित्त जुटाने के लिये एक वित्त निगम स्थापित किया गया था । इसके लिये कई केन्द्रों में औद्योगिक बस्तियां स्थापित और अग्रिम परियोजनायें चालू की गई हैं । सहकारी क्षेत्र में हथकरघे के बने कपड़े का उत्पादन १९५५–५६ में लगभग ६० लाख गज था, जो १९६०–६१ में लगभग ३३० लाख गज हो गया है । सहकारी आधार पर चलने वाले करघों की कुल संख्या लगभग दोगुनी हो गई है । उससे २३,००० बुनकरों को रोजगार मिला है । सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं को २९,००० गांवों तक फैलाया जा चुका है । सामान्य और तकनीकी शिक्षा की सुविधायें काफी बढ़ा दी गई हैं । बुरला में एक नया चिकित्सा कालेज खोला गया है और कटक के वर्तमान चिकित्सा कालेज में ५० के स्थान पर अब १०० विद्यार्थियों को भरती किया जाने लगा है । १९९ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और ८८ परिवार नियोजन केन्द्र खोलने की योजना है । आदिम जातियों और पिछड़े वर्गों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिये कई कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं । आदिम और अनुसूचित जातियों के लिये १५६ सेवा आश्रम खोले गये हैं । आदिवासियों को बसाने के कार्यक्रम चालू किये गये हैं । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू वर्ष के अन्त तक लगभग ५,००० परिवारों को खेती के काम में लगा कर स्थायी तौर पर बसा दिया जायेगा । संचार, पीने के पानी के संभरण और चिकित्सा सम्बंधी कई सुधार उन क्षेत्रों में किये गये हैं ।

वर्ष के आरम्भ में जलवायु की दशा सामान्य रही, लेकिन शीतकालीन फसल के प्रारम्भिक दिनों में अधिक वर्षा के कारण कई बड़ी बड़ी बाढ़ें आईं और उनके कारण बड़ा नुकसान हुआ । उनके कारण राज्य सरकार को सहायता पर पुनर्वास पर काफी खर्च करना पड़ा । सहायता कार्य पर कुल अनुमित व्यय ५ करोड़ रुपये है, जिसमें से चालू वर्ष में ३.३९ करोड़ व्यय होगा । आय व्ययक में आगामी वर्ष के व्यय के लिये भी व्यवस्था की गई है । हालांकि चावल की खेती का क्षेत्र ११ प्रतिशत घट गया है और बाढ़ों ने भी काफी नुकसान किया है, फिर भी प्रति एकड़ पैदावार बढ़ी है और कुल उत्पादन ३६.३१ लाख टन तक पहुंचने का अनुमान है ।

१९६० में खनित खनिजों का कुल अनुमित मूल्य ६.९ करोड़ रुपये है, जबकि १९५९ में वह केवल ६.२१ करोड़ रुपये ही था । गत वर्ष के मुकाबले १९६० में लौह अयस्क का उत्पादन लगभग ४१ प्रतिशत और कोयले का २३ प्रतिशत बढ़ गया है । इसी प्रकार सूत का उत्पादन ९ प्रतिशत और सूती कपड़े का २० प्रतिशत बढ़ा है । कोयले, कोक, कच्चे जूट, कांच, मैंगनीज अयस्क, तिलहनों और इमारती लकड़ी के निर्यात में भी काफी वृद्धि हुई है ।

१९६०-६१ के लिये पुनरीक्षित प्राक्कलन

राज्य की विधान सभा द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदित चालू वर्ष के आय-व्ययक में अनुमित राजस्व ३६.६७ करोड़ और राजस्व व्यय ३.५ करोड़ रुपये रखा गया था, अर्थात राजस्व में ३.५ करोड़ का घाटा था । अब पुनरीक्षण कर के देखा गया है कि राजस्व से शायद ३८.३५ करोड़ रुपये की आय हो जायेगी, और राजस्व व्यय ४२.५९ करोड़

रुपये होगा, क्योंकि संसद् ने अनुपूरक अनुदानों की स्वीकृति दे दी है । इस प्रकार घाटा ४.३४ करोड़ रुपये रह गया है । राजस्व से होने वाली आय में १.५८ करोड़ रुपये की वृद्धि का कारण यह है कि कई शीर्षों की राशियों में परिवर्तन कर दिया गया है ; जिनमें सहायता कार्य के लिये केन्द्र द्वारा स्वीकृत सहायक अनुदान की बढ़ी हुई राशि (१.२८ करोड़ रुपये), आय कर में राज्य का बढ़ा हुआ भाग (४० लाख रुपये), और बिक्री कर से होने वाली अधिक आय (३३ लाख रुपये) भी हैं । न्यूनताओं में से, मैं केवल खनित खनिजों पर वसूल होने वाले उपकर में आई ६० लाख रुपये की कमी का ही उल्लेख करूंगा । वह इसलिये कि उड़ीसा खनन क्षेत्र विकास निधि अधिनियम की मान्यता के सम्बंध में एक मुकदमा उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन था । उस काल में उपकर की वसूली नहीं हो सकी । अब उसका निर्णय सरकार के पक्ष में हो चुका है, और बकाया पड़ी वसूली अगले वर्ष पूरी हो जायेगी ।

राजस्व व्यय में २.४२ करोड़ रुपये की जो वृद्धि हुई है, वह राज्य सरकार द्वारा बाढ़ सहायता कार्य पर किये गये व्यय के कारण ही है । अकाल सहायता निधि में चालू वर्ष के खाते में ५० लाख रुपये दिये गये थे, जिसमें से २७ लाख रुपये शेष रहे हैं, इसलिये चालू वर्ष में बाढ़ सहायता कार्य पर कुल राजस्व व्यय २.८५ करोड़ रुपये होगा, जिसमें से राज्य सरकार १.५६ करोड़ रुपये देगी और शेष राशि केन्द्र द्वारा दी जायेगी ।

राजस्व और पूंजी खाते दोनों के लिये मूल आय व्ययक में १४ लाख रुपये अधिक का प्राक्कलन किया गया था, और तब अन्त में १.९८ करोड़ रुपये शेष बच रहते थे । अब पुनरीक्षित मूल्यांकन के बाद, वर्ष के अन्त में १.९८ करोड़ रुपयें बचेंगे । अर्थात् उसमें ४४ लाख रुपये की कमी आई है , जिसके कई कारण हैं । वर्ष के आरम्भ में भी शेष राशि में ३.२३ करोड़ रुपये की कमी आई है, इसलिये कि कुछ ऐसे समायोजन करने पड़े हैं जिनका पहले कोई अनुमान नहीं था । राजस्व का घाटा मूल प्राक्कलन से ४८ लाख रुपये अधिक हो गया है । केन्द्रीय और अन्य ऋणों की अदायगी भी मूल आय-व्ययक की व्यवस्था से १.२१ करोड़ रुपये बढ़ गई है । उधार और जमा राशियों पर होने वाली आय में भी २१ लाख रुपये की कमी आई है । लेकिन यह सारा घाटा काफी हद तक पूरा हो जायेगा, इसलिये कि राज्य व्यापार योजनाओं के पूंजी व्यय में ७६ लाख रुपये की बचत हुई है और ऋणों से होने वाली आय में भी ४.२९ करोड़ रुपये की वृद्धि होगी ।

१९६१-६२ के लिये आय-व्ययक प्राक्कलन

भूतपूर्व राज्य सरकार ने १९६१-६२ के आय-व्ययक प्राक्कलनों में राजस्व से होने वाली आय ४०.०६ करोड़ और राजस्व व्यय ५०.३२ करोड़ रुपये रखा था, और उसके फलस्वरूप राजस्व में १०.२६ करोड़ रुपये का घाटा था । अब पुनर्मूल्यांकन के बाद राजस्व से होने वाली आय ४१.१० करोड़ और राजस्व व्यय ४५.२९ करोड़, और उसके फलस्वरूप राजस्व का घाटा ४.१९ करोड़ रुपये बैठा है ।

राजस्व से होने वाली राशि में १.०४ करोड़ रुपये की वृद्धि मुख्यतः इसलिये हुई है कि आय-कर में से राज्य-सरकार को उसका जो भाग मिलना है उसकी सूचना तब भूतपूर्व सरकार के पास पहुंची थी जब वह आय-व्ययक प्राक्कलन तैयार कर चुकी थी। चालू वर्ष के पुनरीक्षित प्राक्कलनों की तुलना में, अगले वर्ष राजस्व से होने वाली आय में २.८५ करोड़ रुपये की वृद्धि होगी । अगले वर्ष के दौरान तीन करोड़ रुपये अधिक राजस्व वसूल करने की कोशिश की जायेगी ।

[श्री मोरारजी देसाई]

राज्य-सरकार भू-राजस्व का एकीकरण करने जा रही है, जिससे उसकी आय में ४१ लाख रुपये की अधिक आय होने की संभावना है । उत्पादन शुल्क से प्राप्त होने वाले राजस्व में १.३२ करोड़ की वृद्धि होगी। हाल ही में राज्य विधान मंडल द्वारा पारित उड़ीसा सिंचाई अधिनियम की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत सिंचाई दरों का भी पुनरीक्षण किया जा रहा है । इससे ४५ लाख रुपये की अतिरिक्त राशि मिल जायेगी । बिक्री कर से ४३ लाख रुपये अधिक मिलेंगे, क्योंकि मोटर स्पिरिट और डीजल तेल पर कर की दर बढ़ा दी गई है । यात्री भाड़े और माल-भाड़े पर कर बढ़ने से, प्रति वर्ष २६ लाख रुपये अधिक मिलेंगे ।

भूतपूर्व सरकार ने अगले वर्ष के राजस्व व्यय का जितना प्राक्कलन किया था, अब उसमें ५.०३ करोड़ रुपये की कमी कर दी गई है ।

भूतपूर्व राज्य सरकार ने उड़ीसा वेतन समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य कर्मचारियों की उपलब्धियां बढ़ाने के विचार से १.९७ करोड़ रुपये की व्यवस्था की थी । लेकिन अभी तक समिति के प्रतिवेदन की परीक्षा नहीं की जा सकी है और उनको कार्यान्वित करने में अभी कुछ समय लग जायेगा । इसलिये उसे इसमें शामिल नहीं किया गया है । उसके लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें रखी जायेंगी ।

राज्य की तृतीय पंच वर्षीय योजना का व्यय १६० करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है, योजना आयोग से बातचीत करने के बाद । राज्य सरकार को सलाह दी गई थी कि योजना काल के प्रथम वर्ष में पूरे पांच वर्ष के कुल व्यय का १४ से १५ प्रतिशत तक ही व्यय किया जायें । हालांकि भतपूर्व राज्य सरकार ने आगामी वर्ष के लिये २७.२ करोड़ रुपये रखे थे, जो अन्य राज्यों के लक्ष्य से काफी ज्यादा हैं ; लेकिन शुरूआती दौर में राज्य सरकार इतना व्यय कर भी नहीं पायेगी । इसीलिये योजना पर होने वाले व्यय में २.१ करोड़ रुपये की कमी कर दी गई है । अब प्रथम वर्ष में कुल व्यय २५.१ करोड़ रुपये होगा, जिसमें से ९.४ करोड़ रुपये राजस्व के खाते और १५.७ करोड़ रुपये पूंजी के खाते जायेगा । केन्द्रीय सरकार द्वारा १९ करोड़ रुपये की सहायता दी जायेगी जिसमें अनुदान और ऋण की शेष राशि के तौर पर दिये जाने वाले ४.५ करोड़ रुपये भी शामिल हैं ।

भूतपूर्व राज्य-सरकार द्वारा तैयार किये गये आय-व्ययक प्राक्कलनों में दो और छोटे-मोटे परिवर्तन किये गये हैं। उस वर्ष जारी किये जाने वाले ४ करोड़ रुपये के नये ऋण के लिये निक्षेप निधि के खाते में ३५ लाख रुपयों की व्यवस्था की गई थी। चूंकि सरकार के पास इतना अतिरिक्त राजस्व नहीं है जिससे वह ऋण सम्बन्धी देयताओं को चुका सके, इसलिये नये ऋणों के लिये निक्षेप निधि में कोई नयी राशि रखना जरूरी नहीं है। जो ऋण पहले ही जारी हैं, उनके लिये व्यवस्था की जाती रहेगी। भूतपूर्व राज्य सरकार के प्राक्कलनों में अकाल सहायता निधि में से अगले वर्ष बाढ़ सहायता कार्य पर किये गये व्यय की राशि निकालने की व्यवस्था नहीं की गई थी। अगले वर्ष राजस्व में से ५० लाख रुपये अकाल सहायता निधि को दिये जायेंगे, और तब वर्ष के अन्त में निधि में १.७ करोड़ रुपये की राशि होगी। तदनुसार, प्रस्ताव है कि अगले वर्ष निधि में ६३ लाख रुपये तक दिये जायें ।

अगले वर्ष में ४५.२९ करोड़ रुपये का राजस्व-व्यय इस वर्ष के पुनरीक्षित प्राक्कलन से २.७ करोड़ रुपये अधिक है। इस वृद्धि का एक मुख्य कारण यह है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल की कुछ परियोजनायें पूरी हो चुकी हैं, और उनपर राज्य सरकार को ६ करोड़ रुपये से भी अधिक राशि व्यय करनी पड़ती है। उम्मीद है कि तृतीय वित्त आयोग राज्यों को आर्थिक सहायता देने की योजना के बारे में सिफारिश करते समय इसका ध्यान रखेगा।

विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत सम्मिलित की गई व्यवस्थाओं का ब्यौरा व्याख्यात्मक ज्ञापन में और आय-व्ययक के साथ दिये गये श्वेत-पत्र में मौजूद है। राज्य का राजस्व-व्यय उसके पुनरीक्षित प्राक्कलनों से कम नहीं रखा जा सका। हम राजस्व में वृद्धि करने की हर कोशिश करेंगे। राज्य सरकार ने पहले ही इसके लिये एक कराधान जांच समिति नियुक्त कर दी है। समिति की सिफारिशें आने पर उनके सम्बन्ध में विचार और फिर उनकी अविलम्ब कार्यान्विति की जायेगी।

अगले वर्ष के लिये १७.१९ करोड़ रुपये का पूंजी-व्यय रखा गया है, जो चालूवर्ष के पुनरीक्षित प्राक्कलनों से ४.२७ करोड़ रुपये अधिक है। अगले वर्ष के प्राक्कलनों में योजना सम्बन्धी केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिये ४४ लाख रुपये, और योजना सम्बन्धी योजनाओं के लिये १.८४ लाख रुपये खर्च किये जायेंगे, जिनमें पुलिस, आवास योजनायें और हीराकुण्ड परियोजना की दूसरी अवस्था के निर्माण-व्यय पर लगने वाला व्याज भी शामिल है।

केन्द्रीय सरकार के और अन्य ऋणों की अदायगी के लिये ४.६४ करोड़ और राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋणों और पेशगी के लिये १.६८ करोड़ रुपये रखे गये हैं।

इस प्रकार कुल मिलाकर, राज्य-सरकार को राजस्व घाटे की पूर्ति के लिये ४.१९ करोड़ रुपये, पूंजी-व्यय के लिये १७.१९ करोड़, ऋणों की अदायगी के लिये ४.६४ करोड़ और ऋणों तथा पेशगियों के लिये १.६८ करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार उसे कुल राशि २७.७ करोड़ रुपये चाहिये। अगले वर्ष के लिये उधार इस प्रकार लिया जायेगा, खुले बाजार से ४ करोड़ रुपये, केन्द्रीय सरकार से २०.५५ करोड़ रुपये, जिसमें पंचवर्षीय योजनाओं के लिये १४.५ करोड़ और अल्प बचत से प्राप्त होने वाले १.५ करोड़ रुपये भी शामिल हैं, राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों की अदायगी से १.३६ करोड़ रुपये, सहकारी समितियों के लिये रिजर्व बैंक और मकान बनाने की योजनाओं के लिये जीवन बीमा निगम से प्राप्त होने वाले ३९ लाख रुपये और अन्य ऋण निक्षेप की मदों के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली कुल राशि १.८६ करोड़ रुपये होगी। इस प्रकार कुल पूंजी राजस्व २८.१६ करोड़ रुपये होगा, जिससे राजस्व और पूंजी दोनों के लेखे पर कुल ४६ लाख रुपये अधिक प्राप्त होंगे। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष के रोकड़ शेष में २ करोड़ रुपये की वृद्धि होगी।

हीराकुण्ड और मुचकुण्ड परियोजनाओं के पूरी हो चुकने से और रूरकेला इस्पात कारखाने का पूरा उत्पादन शुरू हो जाने से, उड़ीसा राज्य योजनापूर्ण विकास कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण अवस्था तक पहुंच जायेगा। प्रकृति ने इस राज्य को खनिज पदार्थों और वनीय संसाधनों का एक भंडार दिया है। यदि उसका सही नेतृत्व किया जाये, तो वह राज्य शीघ्र ही काफी विकास कर सकता है और भारत की प्रगति तथा समृद्धि में हाथ बटा सकता है।

†श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : क्या उड़ीसा आय-व्ययक पर कल चर्चा होगी?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : जी, हां। इसे इस महीने की ३० तारीख तक अवश्य पारित करना है।

†श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : तब इसे और पहले सभा के सामने रखा जाना चाहिये था। इस तरह तो इसका पूरा अध्ययन करने का समय तक नहीं मिला। हमसे कोई परामर्श किया ही नहीं गया।

†उपाध्यक्ष महोदय : इस सप्ताह के कार्य की घोषणा पिछले शुक्रवार को ही कर दी गई थी। माननीय सदस्यों को इस सम्बन्ध में अपनी शिकायतें रखने का अवसर गृह-कार्य मंत्रालय की मांगों की चर्चा के समय मिलेगा।

अनुदानों की मांगें—जारी

गृह-कार्य मंत्रालय

†अध्यक्ष महोदय : सभा में अब गृह-कार्य मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर चर्चा होगी। प्रत्येक सदस्य को १५ मिनिट का समय मिलेगा। जो माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहे उसकी सूचना वे मेरे पास १५ मिनिट में भेज दें।

वर्ष १९६१-६२ के लिये गृह-कार्य मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गयीं :—

मांग	शीर्षक	राशि
४६	गृह-कार्य मंत्रालय	३,२२,४६,००० रुपये
४७	मंत्रिमंडल	३४,१४,००० रुपये
४८	क्षेत्रीय परिषदें	२,२३,००० रुपये
४९	न्याय प्रशासन	२,२५,००० रुपये
५०	पुलिस	६,५०,७०,००० रुपये
५१	जनगणना	३,०६,१९,००० रुपये
५२	आंकड़े	१,४४,३२,००० रुपये
५३	भारतीय राजाओं की निजी थैलियां व भत्ते	३,९१,००० रुपये
५४	दिल्ली	१३,६०,५९,००० रुपये
५५	हिमाचल प्रदेश	८,७०,२८,००० रुपये
५६	अन्दमान व निकोबार द्वीपसमूह	२,७३,१४,००० रुपये
५७	मनीपुर	३,६६,१७,००० रुपये
५८	त्रिपुरा	५,७४,६१,००० रुपये
५९	लक्कद्वीप, मिनीकोय व अमीनद्वीप समूह	२५,१४,००० रुपये
६०	गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	६३,८९,००० रुपये
१२५	गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	८४,६३,००० रुपये

†मूल अंग्रेजी में

†श्री प्रभात कार (हुगली) : आज जब हम गृह-कार्य मंत्रालय की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं तो हम अनुभव होता है कि हमारे देश के उच्च राजनीतिज्ञ श्री गोविन्द वल्लभ पन्त हमारे में नहीं हैं। यह उन्हीं का मंत्रालय है। आशा करनी चाहिये कि नये गृह-कार्य मंत्री भी हमारी बातों की ओर समुचित ध्यान देंगे।

गृह-कार्य मंत्रालय की बात करते हुये हमें सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल की याद आ जाती है। गत आम हड़ताल के सम्बन्ध में सात सौ सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से अलग कर दिया गया है। मेरा निवेदन है कि सरकार का यह कदम उसके द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों के प्रतिकूल है। कर्मचारियों को कार्मिक संघ जैसी गतिविधियों के लिये दंड दिया जा रहा है जिसमें बदले की भावना स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि कर्मचारी आचरण नियमों के नियम ४ ख को, जिसे बम्बई उच्च न्यायालय ने संविधान के विरुद्ध करार दिया है, तुरन्त हटा दिया जाना चाहिये। अब समय आ गया है कि ह्विटले कौंसिलें नियुक्त की जाये ताकि सरकारी कर्मचारी उसके द्वारा अपनी शिकायतों को दूर करवा सके।

जहां तक उड़ीसा में अगले चुनाव करवाने का सम्बन्ध है वह अगले आम चुनाव के समय ही होने चाहिये। मेरा मत है कि सरकार ने जून के महीने में वहां अन्तरिम चुनाव कराने की घोषणा करके न केवल विभिन्न राजनीतिक दलों से परामर्श ही नहीं किया प्रत्युत वहां की जनता की सुविधा तथा भावनाओं का पूरे रूप से निरादर किया है।

जो कुछ आसाम तथा जबलपुर में हुआ वह हमारे देश के अच्छे नाम पर कलंक का टीका है। मैं इस बात की सरकार से मांग करूंगा कि उसे आसाम के भाषाई दंगों और जबलपुर के साम्प्रदायिक दंगों में भाग लेने वाले लोगों के विरुद्ध सरकार को कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये। इस प्रकार की पूरी व्यवस्था की जानी चाहिये कि भारत में जहां कहीं भी भाषाई अथवा साम्प्रदायिक अल्पसंख्यक हों वे सुरक्षित अनुभव करें। इसके लिये जो भी सम्भव कार्यवाही हो की जानी चाहिये। खेद की बात है कि भूत पूर्व नरेशों और उनके वंशजों को तो प्रिवी पर्स (निजी थैली) के रूप में बड़ी-बड़ी रकमें दी जा रही हैं परन्तु देश की स्वतन्त्रता के लिये संघर्ष करने वाले राजनीतिक पीड़ितों के साथ सरकार न्याय नहीं कर रही है। उनके प्रति भी समुचित ध्यान दिया जाना चाहिये।

विदेशी शासकों के लगे हुये बुतों के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि सार्वजनिक स्थानों से विदेशी शासकों के बुत हटा लिये जाने चाहियें। इस संदर्भ में मैं इस बात पर भी जोर दूंगा कि नेता जी सुभाष चन्द्र बोस जैसे राष्ट्रीय नेताओं के चित्र सरकारी दफ्तरों में लगाये जाने चाहिये।

अब मैं केन्द्र प्रशासित प्रदेशों की ओर आता हूं। दिल्ली हमारी राजधानी है। यहां पर कई वर्षों से राजनीतिक जलूस निकाले जाने पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। मैं इस बात पर जोर दूंगा कि उसे तुरन्त हटा लेना चाहिये। दिल्ली देश की राजधानी है, यहां पर निरन्तर धारा १४४ का लागू रहना शोभा की बात नहीं है। यह जनतंत्री भावनाओं के भी प्रतिकूल है। दिल्ली की गन्दी बस्तियों को भी साफ किया जाना चाहिये। एक मनोरंजक बात की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं कि राजधानी में, जहां दिन-दहाड़े डकैती की घटनायें हो रही हैं, अपराधों को कम करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्रभातकार]

पुलिस तथा गुप्तचर विभाग वाले अपराधों को रोकने के बजाय विरोधी दलों के लोगों का पीछा कर उन्हें परेशान करते हैं। अन्त में मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को जो श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने आश्वासन दिया है उसे पूरी तरह अमल में लाया जाय।

†**श्री सुरेन्द्र द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : श्री लाल बहादुर शास्त्री ने गृह मंत्रालय का उत्तरदायित्व पूर्ण पद सम्भाला है, उसके लिये मैं उनका स्वागत करता हूं। आज देश में कुछ असन्तोष दिखाई देता है। राजनीति के क्षेत्र में साम्प्रदायिक दल सर उठा रहे हैं। यह एक ऐसी बात है जो देश के जीवन के लिये चिन्ता का विषय बन गयी है। ये दल हाल ही में बहुत सक्रिय हो उठे हैं। कोई ऐसे उपाय खोज निकाले जायें ताकि किसी भी साम्प्रदायिक दल को राजनीति के अखाड़े में न उतरने दिया जाये।

यह भी बड़ी खेदजनक बात है कि क्षेत्रीय परिषदें विभिन्न प्रादेशिक समस्याओं का समाधान नहीं कर सकी हैं। यदि आपकी इच्छा है कि ये समितियां समुचित ढंग से कार्य करें तो सरकार को उन समस्याओं के हल करने के सम्बन्ध में, जिनके राज्यों के सम्बन्धों में कटुता उत्पन्न होती है, स्वयं कोई नीति निर्धारित करनी चाहिये। इस सम्बन्ध में मेरा यह भी सुझाव है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त को और शक्तियां प्रदान की जानी चाहियें ताकि देश भर में कहीं भी भाषाई अल्प संख्यकों पर अत्याचार हो तो उसे दूर किया जा सके।

मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूं कि जिन भूतपूर्व राजों महाराजों को निजी थैलियों के रूप में भारी राशियां प्राप्त होती हैं उन्हें उस राशि को राजनीतिक कार्यों के लिये खर्च नहीं करने दिया जाना चाहिये। इसके लिये यदि आवश्यकता अनुभव हो तो संविधान में संशोधन किया जाना चाहिये। न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में मेरा मत यह है कि जहां कहीं उच्च न्यायालयों में रिक्त स्थान हो वहां न्यायाधीशों की नियुक्ति में बिलम्ब नहीं होना चाहिये।

एक यह बात भी देखने में आई है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में सीधे भर्ती किये गये उम्मीदवारों की तुलना में पदोन्नति दे कर इस सेवा में शामिल किये अधिकारियों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। जो भी नियम इन दोनों में विभेद करते हों उनमें संशोधन किया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त शराब बन्दी के बारे में भी सरकार द्वारा एक निश्चित योजना का निर्माण किया जाना चाहिये।

सरकार को इस बात की पूरी व्यवस्था करनी चाहिये जिससे कि अस्पृश्यता निवारण के लिये विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों को दिये गये धन का उचित व्यय हो सके। काश्मीर में नागरिक स्वतन्त्रता के बारे में जो चिन्ताजनक समाचार प्राप्त हुये हैं सरकार को उनकी कुछ जानकारी देनी चाहिये थी। यह भी पता चला है कि कुछ मामले न्यायालय में चल रहे हैं। सभा को यह बताया जाना चाहिये कि क्या केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में कोई व्यय कर रही है। अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली में ११००० पुलिस अधिकारी हैं। पता चला है कि इनमें २०० ऐसे हैं जो कि अस्थाई ही चले आ रहे हैं। गत आठ दस वर्षों में उन्हें स्थायी नहीं बनाया गया। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि दिल्ली में पुलिस के जिन अधिकारियों की सेवा आठ से लेकर दस साल तक की है उन्हें स्थायी कर दिया जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री जगन्नाथ राव (कोरापट) : भारत सरकार का सब से ऊंचा स्थान गृह-कार्य मंत्रालय को प्राप्त है। इसका महत्वपूर्ण कार्य केन्द्र और राज्यों के बीच सम्बन्धों का संचालन करना होता है। आन्तरिक सुरक्षा को बनाये रखना तथा परिगणित जाति तथा आदिम जातियों के कल्याण का ध्यान रखना और असैनिक सेवाओं की भर्ती करना इसी मंत्रालय के उत्तरदायित्व के अन्तर्गत आता है। इस मंत्रालय के आधार स्तम्भ श्री पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त आज हम में नहीं हैं परन्तु हमें पूर्ण आशा है कि श्री लाल बहादुर शास्त्री इस कार्य को बड़ी सफलता पूर्वक करेंगे।

श्री प्रभात कार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल का उल्लेख किया है। इस सम्बन्ध में निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल सम्बन्धी मामलों को निबटाते समय सरकार के सामने जो शिकायतें लाई गईं उनकी ओर सरकार को समुचित ध्यान देना चाहिये। आशा है कि जो मामले अभी विचाराधीन है उन्हें उदारता तथा न्यायपूर्ण ढंग से निबटाया जायेगा। यह भी प्रसन्नता की बात है कि जून के मध्य में उड़ीसा में चुनाव होने जा रहे हैं और वहां शीघ्र ही लोक तंत्रात्मक सरकार पुन: स्थापित हो जायेगी और राष्ट्रपति का शासन समाप्त हो जायेगा। मेरा मत यह है कि सरकार ने इस दिशा में यह कदम उठा कर अच्छा ही किया है।

माननीय मित्र ने भाषा-संबंधी अल्पसंख्यकों का उल्लेख करते हुए आसाम और जबलपुर के फिसादों का भी जिक्र किया। किन्तु दंगों को दबाने और न्याय करने का काम राज्य सरकारों का है। आसाम में तो राज्य सरकार का प्रशासनिक ढांचा ही बेकार हो गया था। मेरे विचार में ऐसे क्षेत्रों में अन्य राज्यों के पदाधिकारी नियुक्त किए जांय ताकि वे निष्पक्षता से काम कर सकें।

जहां तक हमारी असैनिक सेवा का सम्बन्ध है उसे हम अन्य देशों की तुलना में बराबर की ही समझते हैं। योग्यता और दक्षता दोनों दृष्टियों से हमारे अफसर कुशल हैं। विशेष पुलिस संस्थापन का काम भी प्रशंसनीय है।

इस समय विभिन्न राज्यों के बीच भी अनेक पारस्परिक झगड़े हैं। इस सम्बन्ध में यदि वर्गीय परिषदों को और अधिक अधिकार प्रदान कर दिये जांय तो ये मामले शीघ्रता से निबटाये जा सकते हैं। जहां तक बिहार और उड़ीसा की सीमाओं के झगड़े का सम्बन्ध है हमें आशा करनी चाहिए कि वह विवाद भी पारस्परिक समझौते से शीघ्र ही निपट जायगा। माननीय मित्र ने न्याय प्रशासन के बारे में भी कुछ एक बातें कहीं हैं। मैं भी यही समझता हूं कि विधि आयोग की सिफारिशों को शीघ्रताशीघ्र कार्यान्वित कर देना चाहिए।

जहां तक अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों की दशा का प्रश्न है, हमारा विचार है कि इनकी दशा पहले से सुधरी है। परन्तु अभी भी बहुत कुछ करना शेष है। वास्तव में ऊंची जातियों की जनता को भी चाहिए कि वे इनको अपने हाथ में ले आए। अनुसूचित आदिम जातियों को अभी और उभारने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि धीरे-धीरे हमारी सरकार इनको समुन्नत करने में सफल हो जायेगी।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी ने राजाओं को दी जाने वाली निजी थैलियों की बात उठायी। मेरे विचार में यह मुआवजा अभी देते रहना चाहिए। राजाओं ने अपने राज्यों का त्याग

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जगन्नाथ राव]

किया है और उसी का यह मुआवजा है । अतः अभी इन्हें बन्द करने का समय नहीं आया है । उन्होंने मद्यनिषेध की बात भी कही । इसके बारे में मेरा तो यही मत है कि जब तक हम जनता को ठीक तरह की शिक्षा नहीं देते तब तक हमारी यह नीति सफल नहीं हो सकती । मैं मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं ।

†श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् (कुम्बकोणम्) : इस मंत्रालय की मांगों की चर्चा भूतपूर्व गृह मंत्री पंडित पंत के स्वर्ग सिधार जाने से धुंधली पड़ गयी है । पर वे वस्तुतः महान् व्यक्ति थे । हमारे नये मंत्री जी पुराने देशभक्त हैं । देश की प्रशासनिक स्थिरता के कारण आज हमारी गणना एशिया के अच्छे देशों में होती है । लेकिन हमें अधिक प्रसन्न होकर बैठे ही नहीं रहना चाहिए ।

इस समय हमारे देश में १२००० चीनी हैं । अतः हमें सतर्क और सावधान होकर प्रशासनिक कार्यवाही करनी चाहिए । स्वतंत्रता कायम रखने के लिए हमें आंतरिक शत्रुओं से सदा जागरूक रहना होगा । हमें होम गार्डों को और भी मजबूत बनाना चाहिए ।

जहां तक मंत्रालय के काम का सम्बन्ध है उसमें अभूतपूर्व सुधार हुआ है । बकाया राशियों की मात्रा में ही काफी कमी नहीं हुई वरन् मंत्रालय ने अनावश्यक पदों को भी नहीं भरा । वस्तुतः होना भी यही चाहिए कि योजना संबंधी पदों को छोड़ कर शेष पदों को अनावश्यक रूप से न भरा जाय । यह भी अच्छा है कि अब आगे अपर डिवीजन क्लर्कों की सीधी भर्ती न होगी और लोअर डिवीजन क्लर्कों को ही उन्नति मिला करेगी । इसी के साथ हमें अपने अधिकारियों—विशेषकर पुलिस अफसरों—में राष्ट्रीय दृष्टिकोण का समावेश करना चाहिए ।

कर्मचारियों को दक्ष बनाने के लिए उनके स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए । इस कारण उन्हें विश्राम के लिए शनिवार को आधी छुट्टी मिलनी चाहिए । जहां तक अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के कल्याण का सम्बन्ध है, उनके ऊपर सरकार ने काफी पैसा खर्च किया है और उनकी हालत भी आगे से काफी सुधरी है । किन्तु और भी प्रयास आवश्यक हैं ।

हमारी न्यायपालिका ने जो परम्परायें बनाई हैं उनकी ख्याति भी सारे देश में फैली हुई है । बाहर के लोग भी उसके प्रशंसक हैं । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस दिशा में अपेक्षित सुधार करने के लिए हमें विधि आयोग की सिफारिशों को शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित करना चाहिए । हर उच्च न्यायालय में अन्य राज्यों के न्यायाधीश होने चाहिएं । हाल ही में यह सुझाव भी दिया गया है कि देश में अखिल भारतीय न्याय सम्बन्धी सेवा स्थापित की जानी चाहिए । मेरा सुझाव है कि इसी प्रकार अखिल भारतीय "बार" की स्थापना भी होनी चाहिए । जम्मू और काश्मीर का पूर्ण विलय भी शीघ्रातिशीघ्र करना चाहिए ।

जहां तक भाषा संबंधी विवाद का प्रश्न है उसे प्रधान मंत्री के इस आश्वासन ने शांत कर दिया है कि जब तक अहिन्दी भाषा नहीं चाहेंगे तब तक अंग्रेजी को हिन्दी की सहायक भाषा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहेगा । इससे हमें संतोष है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अंत में मैं यही कहूंगा कि हमें पारस्परिक सीमा आदि विवादों को समाप्त करना चाहिए। नदियों पर सारे देश का समानाधिकार है। हमें राष्ट्रीय दृष्टिकोण उत्पन्न करना चाहिए।

†**श्रीमती रेणुका राय** (माल्दा) : इस विषय पर कुछ कहने से पूर्व मैं यह कहूंगी कि हमारे प्रिय नेता पंडित पंत की मृत्यु से जो रिक्ति हुई है वह हर किसी को खलती है। हमें बड़ा दुख हुआ है।

विषय के बारे में मैं कहना चाहती हूं कि हमें तीसरी योजना को कार्यान्वित कराना है। उसी सफलता से तभी कार्यान्वित किया जा सकता है जब कि हम इस व्यवस्था को पूरी तरह से बदल देंगे। इसमें पैबंद लगाने से काम न चलेगा।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

यह ठीक है कि हमारे कर्मचारी अच्छे हैं परन्तु उन्हें प्रशिक्षण द्वारा और ज्यादा अनुकूल बनाने की जरूरत है। अब भी अफसर जिलों की अपेक्षा राजधानी में ही रहना ज्यादा पसंद करते हैं। जो लोग सचिवालयों में ही रहते हैं उन्हें जिलों की हालत का ज्ञान नहीं रहता इस कारण वे अव्यावहारिक आदेश भेजते हैं।

पहले वक्ता ने कर्मचारियों की संख्या के विस्तार के बारे में कहा है। वास्तव में हमारे यहां क्षेत्रीय स्तर पर जहां कि समन्वय होना चाहिए वहां तो समन्वय का काम नहीं हो रहा ऊपर के स्तर पर हो रहा है। ऊपर के स्तर पर अनेक समन्वय समितियां हैं परन्तु नीचे के स्तर पर कुछ भी नहीं।

जहां तक बहुप्रयोजनीय खंडों का सम्बन्ध है उनमें हर सुविधा शुरू से ही उपलब्ध की जानी चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि यदि चीजें हैं तो अफसर नहीं और यदि अफसर हैं तो चीजें नहीं।

आसाम और जबलपुर में जो दंगे हुए वह बहुत अफसोसनाक थे। यहां पर वचन दिया गया था कि आसाम के दंगों की जांच ठीक समय पर कराई जायगी। किन्तु मैं पूछना चाहती हूं क्या अभी तक ठीक समय ही नहीं आया।

अनसूचित जातियों और आदिम जातियों के कल्याण के लिए तीसरी योजना में १०० करोड़ रुपये रखा गया है। हो सकता है कि और रुपया भी उपलब्ध कराया जा सके। परन्तु एक बात पर महत्व देने की जरूरत है और वह यह कि आदिम जातियों के सम्बन्ध में एलविन समिति ने जो सिफारिशें की हैं उन्हें कार्यान्वित करना चाहिए। इसके अलावा जिन पदाधिकारियों को आदिम जाति क्षेत्रों में नियुक्त किया जाय उन्हें विशष भत्ते दिये जाने चाहिएं ताकि वे पूरी तरह दिल लगाकर काम करें। इसके अलावा उनके प्रशिक्षण का स्तर भी ऊंचा किया जाय।

सरकारी उपक्रमों को सम्हालने के लिए भी योग्य कर्मचारियों की जरूरत है। सरकारी क्षेत्र अब दैनोंदिन बढ़ता ही जायगा इसलिए ऐसी जिम्मेदारी के काम को संभालने के लिए योग्य व्यक्तियों की ही आवश्यकता है : उनमें काम करने वाले कर्मचारियों को उपयक्त सैद्धांतिक प्रशिक्षण भी दिलाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करती हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रीमती विजय राजे : (चणा) : हमारे गृह मंत्रालय ने जिस तरह से अपने कर्तव्य का पालन किया है वह निश्चित रूप में प्रशंसनीय है । परन्तु मुझे सभा के समक्ष एक बात अवश्य रखनी है । आजकल छोटी किताबों की दुकानों और छोटे स्टाल पर अश्लील साहित्य बिक रहा है । इसे हमारे बच्चे पढ़ते हैं और उनके मन पर वैसे ही असर होते हैं । पुलिस को इन दुकानों का समय समय पर निरीक्षण करते रहना चाहिए ताकि ऐसे लोगों को जो देश का चरित्र बिगाड़ रहे हैं कड़े दंड दिये जांय ।

इसी के साथ ही सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भी पठनीय पुस्तकों की सूचियों तैयार करके परिचालित करनी चाहिएं ।

इसके अलावा हम फिर देख रहे हैं कि देश में जातीयता और साम्प्रदायिकता की आग फिर से भड़कनी शुरू हो गयी है । मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ उससे हमें लज्जित होना चाहिए। यदि साम्प्रदायिकता की मांग फिर भड़की तो हम सब समाप्त हो जायेंगे । हमारा त्राण कभी न हो सकेगा । अतैव गृह मंत्रालय का यह कर्तव्य है कि वह इस प्रकार की स्थितियों की रोकथाम करता रहे और ऐसी विषैली प्रवृत्तियों का दमन कराये, अन्यथा हमारा लोकतंत्र ही खतरे में पड़ जायगा।

इन्हीं दोनों चीजों पर सरकार विशेष ध्यान दे ।

†श्री मनायन : (दार्जीलिंग) : मैं अपने क्षेत्र के भाषी संबंधी प्रश्न पर नेपाली भाषा के बारे में बोलूंगा और सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह इस सम्बन्ध में कोई रचनात्मक हल अवश्य निकाले ।

हमें आशा थी कि भाषा संबंधी आयुक्त के दूसरे प्रतिवेदन में हमसे न्याय होगा किन्तु उसे देख कर हमें घोर निराशा हो रही है । पहली रिपोर्ट तो निराशाजनक थी ही । इस रिपोर्ट में लिखा है कि नेपाली भाषी जनता की संख्या ०.६६ प्रतिशत है और मुख्य रूप से वे दार्जीलिंग में ही रहते हैं । किन्तु यह बात गलत है । आयुक्त की यह कोशिश अल्प-संख्यकों की हत्या कर देने की कोशिश के ही बराबर है । दार्जीलिंग में ७० प्रतिशत लोगों नेपाली भाषा बोलते हैं अतः उस जिले की भाषा भी उन्हीं की भाषा होनी चाहिए । भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अपने ज्ञापन में लिखा था कि भारत सरकार राज्य सरकार को ऐसी ही सलाह देगी ।

संविधान के अनुच्छेद ३५० ख के अनुसार भाषाभाषी अल्पसंख्यकों के परिरक्षण की व्यवस्था है । यदि इस मामले में आयुक्त ने गलती की है तो मामले की दुबारा जांच होनी चाहिए । वस्तुतः आयुक्त दार्जीलिंग गये ही नहीं और न ही किसी नेपाली भाषा-भाषी से उन्होंने वहां बात की ।

जो कुछ माननीय गृह-कार्य मंत्री ने कहा कम से कम भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त को उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये थी । ७–५–१९५९ को तारांकित प्रश्न संख्या १२९० का उत्तर देते हुये स्वयं गृह-कार्य मंत्री ने यह कहा था कि पश्चिमी बंगाल में नेपाली भाषाई अल्पसंख्यक है। इस तथ्य को पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री डा० बी० सी० राय ने भी विभिन्न समयों पर स्वीकार किया है। मेरा निवेदन है कि सरकार को इस सारे प्रश्न का पुनरीक्षण करना चाहिये आयुक्त को यह निदेश दिया जाना चाहिये कि वह पुनः सारे मामले की छान बीन करे। पूरी तरह

†मूल अंग्रेजी में

छानबीन करके उसे अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत करना चाहिये । मैं सारे आंकड़ों को देखते हुये इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि नेपाली भाषा को कम से कम दार्जीलिंग के पहाड़ी जिलें की सरकारी भाषा मान कर उसे मान्यता देनी चाहिये । क्योंकि यह तो निश्चित है कि वहां की ७० प्रतिशत जनता नेपाली भाषा बोलती है ।

मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूं कि दार्जिलिंग की भाषाई कठिनाइयों, पिछड़ेपन तथा वहां की विशेष स्थिति को देखते हुये, वहां एक कानून बनाने वाली जिला परिषद् बनाई जानी चाहिये । मैं आशा करती हूं कि मेरी बातों की ओर समुचित ध्यान दिया जायेगा, ऐसा न हो कि छोटी छोटी बातें भारी समस्यायें बन कर हमारे सामने आ जायें ।

श्री वाजपेयी (बलरामपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री के पद पर श्री शास्त्री जी की नियुक्ति का स्वागत करता हूं । मराठी में एक कहावत है, "मूर्ति लहाण पण कृति मोठी" जिसका अर्थ यह है कि यद्यपि उन की मूर्ति छोटी है किन्तु उनका कृतित्व बड़ा है, और हमें आशा करनी चाहिये कि सरदार पटेल और पंडित पन्त की परम्परा में श्री शास्त्री जी देश के आन्तरिक प्रबन्ध को भली भांति चलाने में समर्थ होंगे ।

गृह मंत्रालय के ऊपर विशेष रूप से राष्ट्रीय एकता को बनाये रखने का, राष्ट्रीय सामर्थ्य की अभिवृद्धि का भार पड़ता है । आज राष्ट्रीय एकता के लिये अनेक संकट खड़े हो रहे हैं । मैं उनकी चर्चा बाद में करूंगा । उससे पहले केन्द्र के अधीन जो केन्द्र प्रशासित प्रदेश हैं, दिल्ली, हिमाचल, त्रिपुरा और मणिपुर, में उन के सम्बन्ध में निवदन करना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय पर इतना भार है कि वह केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों के साथ न्याय नहीं कर पाता । इन प्रदेशों में राज्य सरकारें नहीं हैं । विधान सभायें भी नहीं हैं । केवल संसद् को ही उन के हितों का प्रतिनिधित्व करना है, उन का संरक्षण करना है । किन्तु संसद् के सामने भी राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय समस्यायें इतनी विपुल मात्रा में रहती हैं कि इन छोटे प्रदेशों के हित उस की दृष्टि से ओझल हो जाते हैं । हिमाचल प्रदेश में, मणिपुर में वहां की जनता आज के प्रशासन के ढांचे से पूर्णतया सन्तुष्ट नहीं है । स्वर्गीय पन्त जी ने आश्वासन दिया था कि उनके प्रशासनिक अधिकार बढ़ाने के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा । किन्तु अभी तक कोई ठोस योजना सरकार की ओर से उपस्थित नहीं की गई । यदि हम दिल्ली का विचार करें तो हमें और भी निराशा होती है । केन्द्रीय शासन दिल्ली में अवस्थित है । संसद् भी दिल्ली में काम करती है । मगर दिल्ली के हितों की उपेक्षा की जाती है, और दिया तले अन्धेरा वाली कहावत चरितार्थ होती है । मेरा सुझाव है कि केन्द्र में एक राज्य मंत्री या उपमंत्री केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों की अलग से देख भाल का भार अपने ऊपर सम्भालें और इस बात की व्यवस्था करें कि केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों की उपेक्षा न होने पाये ।

दिल्ली में विधान सभा नहीं है किन्तु जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिये शासन ने कुछ समितियों का निर्माण किया है, जो अपने कर्त्तव्य का ठीक तरह से पालन नहीं कर रही हैं । कुछ सलाहकार समितियां हैं, इंडस्ट्रियल ऐडवाइजरी बोर्ड है, पब्लिक रिलेशन्स कमेटी है, किन्तु उन का निर्माण ऐसे ढंग से किया गया है कि उस में जनमत का ठीक तरह से प्रतिनिधित्व नहीं होता । मेरी समझ में नहीं आता कि इन समितियों का निर्माण इस ढंग से क्यों किया गया है । दिल्ली का कारपोरेशन है, वयस्क मताधिकार से चुना हुआ है । यदि हम कोई सलाहकार समितियां निर्मित करते हैं तो उनमें उन सभी दलों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये जो कारपोरेशन में बड़ी मात्रा

[श्री वाजपेयी]

में जनता द्वारा निर्वाचित करके भेजे गए हैं, और यदि शासन इस प्रकार की समितियां निर्माण नहीं कर सकता तो अच्छा हो दिखावे के लिये ये जो समितियां बनायी गई हैं, जिनके पीछे जनता का समर्थन नहीं है, उन्हें भंग कर दिया जाए।

मैं यह भी समझने में असमर्थ हूं कि अभी तक नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी को लोकतांत्रिक स्वरूप क्यों प्रदान नहीं किया गया। जो मेम्बर काम कर रहे हैं सरकार द्वारा नामजद हैं। वे कितने उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से काम करते हैं इसका परिचय उस दिन मिला जब नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी में बजट पेश किया जाने वाला था और कमेटी की मीटिंग में कोरम नहीं था। टेलीफोन खटकते रहे, बजट के कागज अफसरों में बांटा दिए गए, मगर मेम्बर नदारद। इसलिए बैठक स्थगित कर दी गई। नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी की यह स्थिति लज्जाजनक है। केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि इस म्युनिसिपल कमेटी को भंग करे।

जब दिल्ली से राज्य सभा में एक प्रतिनिधि चुना जाना था तब इलेक्टोरल कालिज के लिये प्रतिनिधियों का निर्वाचन हुआ था, और उस समय गृहमंत्री जी से यह अनुरोध किया गया था कि ये जो सदस्य निर्वाचित हुये हैं इलेक्टोरल कालिज के लिये इनको नई दिल्ली की म्युनिसिपैलिटी के रूप में काम करण की अनुमति होनी चाहिये। किन्तु वे निर्वाचित प्रतिनिधि निर्वाचन तक काम करते रहे बाद में घर भेज दिये गये और नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी में सरकार द्वारा नामजद लोग बैठे हैं। यह लोकतंत्र भावना के अनुकूल नहीं है।

दिल्ली में मकानों की बड़ी कमी है। शासन ने ३४ हजार एकड़ का भूमि अधिग्रहण किया है मगर उसमें मकानों के निर्माण का कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। अब स्थिति यह है कि न तो सरकार खुद मकान बनाती है और न दूसरों को मकान बनाने देती है, और इसका नतीजा यह हो रहा है कि अनधिकृत रूप से मकान खड़े हो रहे हैं जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, कानन को भंग करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिल रहा है। उस दिन हमारे एक मंत्री जी ने घोषणा की कि सरकार ने जो भूमि अपने हाथ में ली है उसका सरकार विकास करेगी और फिर उसको नीलाम कर देगी। अगर भूमि नीलाम की जाएगी तो जिन्हें मकानों का अभाव है, जिन्हें महीने में बंधी बंधाई तनख्वाह मिलती है वे तो नीलाम में ऊंची बोली बोल कर जमीन प्राप्त कर नहीं सकते। मैं नहीं समझता कि सरकार जमीन का अधिग्रहण करे, जनता के धन से उसका विकास करे और फिर उसको नीलाम करदे ऊंची बोली पर। होना तो यह चाहिये कि सरकार सस्ते मकान बनाए जो नीचे के वर्ग के लिये और मध्य वर्ग के लिये दिये जाएं जिससे उनके रहने की कठिनाइयों का हल हो सके।

अभी ३९ हजार केन्द्रीय कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें दिल्ली में मकान नहीं मिले हैं। मिंटो रोड पर कुछ मकान लिये गये हैं, चार साल पहले कह दिया गया कि ये मकान रहने लायक नहीं हैं किन्तु अब कहा जाता है कि नहीं ये मकान रहने लायक हैं। मैं नहीं समझता कि मंत्रालय किस नीति के अनुसार काम करता है।

दिल्ली में इस प्रकार का एक निर्णय हुआ था कि नया दफ्तर नहीं खोला जाएगा। दिल्ली की भीड़ भाड़ को कम किया जाएगा और जो दफ्तर दिल्ली में रखना आवश्यक नहीं हैं उनको दिल्ली के बाहर भेज दिया जाएगा। मगर अभी तक इस सम्बन्ध में कोई, अन्तिम फैसला नहीं

किया गया है और दिल्ली की भीड़ बढ़ती जा रही है और भीड़ के साथ उत्पन्न होने वाली कानून की, शान्ति की, ला एंड आर्डर की समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। इस सम्बन्ध में भी गृह-मंत्रालय का प्रबन्ध, कम से कम, दिल्ली के सम्बन्ध में अच्छा नहीं है।

पुलिस की संख्या बढ़ रही है किन्तु अपराधों की संख्या भी बढ़ रही है, दोनों दिशाओं में बराबर तरक्की हो रही है। अभी तक अपराधों का वैज्ञानिक दृष्टि से पता चलाने में कोई प्रगति नहीं की गई है। मैं पूछना चाहता हूं, कि गृह-मंत्री इस बात का उत्तर दें, कि भारत की राजधीनी में पिछले साल दो साल से लगातार बम विस्फोट की घटनाएं हो रही हैं मगर अभी तक किसी अपराधी को पकड़ा नहीं गया। किसी को सजा नहीं दी गई। इन बम विस्फोट की घटनाओं के पीछे कोई सुनियोजित षडयंत्र मालूम पड़ता है। जब हमारे प्रधान मंत्री ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के सम्मेलन में भाग लेने जाते हैं तब बम विस्फोट की घटनाएं होती हैं। जब ब्रिटेन की महारानी भारत में आयीं उस समय भी ये घटनायें हुईं। ऐसा लगता है कि देश की राजधानी में कुछ तत्व सक्रिय हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत को बदनाम करना चाहते हैं। भारत की प्रतिष्ठा को गिराना चाहते हैं। अगर शासन बम विस्फोट करने वालों का पता नहीं लगा सकती तो मैं नहीं समझता शासन का इंटेलीजेंस विभाग किस लिये हैं। लेकिन अभी अभी मुझे शक होता है कि सरकार पता तो लगा लेती है मगर बताती नहीं है। शायद इसलिये नहीं बताती है कि बताना 'जनहित' में नहीं है। जनहित के आवरण में सरकार को उसकी अक्षमता पर पर्दा डालने का मौका नहीं दिया जा सकता। मगर शायद यह सत्तारूढ़ दल के ही हित में नहीं है कि इस प्रकार के तथ्य बाहर आने दिये जाएं। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की नीति से से देश की सुरक्षा के लिये आन्तरिक रूप से जो संकट पैदा हो गया है उसका निवारण नहीं किया जा सकता। भारत में आज विदेशी जासूस बड़ी संख्या में और बड़े पैमाने पर सक्रिय हैं। रूस और चीन के जासूस ही नहीं पाकिस्तान के जासूस भी बड़ी संख्या में षड़यन्त्र करते हैं। अभी प्रधान मंत्री जी ने स्वीकार किया था कि विदेश मंत्रालय के, सुरक्षा मंत्रालय के, योजना आयोग के कुछ रहस्यों को और राष्ट्रों को देने के सम्बन्ध में हमारे कर्मचारी पकड़े गए हैं। इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके लिये गृहमंत्रालय कौनसा कदम उठा रहा है।

इस सम्बन्ध में मेरे कुछ सुझाव हैं। विदेशी दूतावासों में जो भारतीय कर्मचारी काम करते हैं। क्या उनके लिए हम यह नियम नहीं बना सकते कि विदेशी दूतावास अपने कर्मचारियों को भारत सरकार की राय से भरती करे। अब वे जिसे चाहें भरती कर सकते हैं। वे चाहे जिस प्रेस में छपाई का काम करा सकते हैं। छपाई का काम कम होता है लेकिन उसके लिए दाम ज्यादा दिये जाते हैं। वह जितना बड़ा विज्ञापन चाहें दे सकते हैं। क्या वह गवर्नमेंट प्रेस में प्रकाशन का काम नहीं कर सकते। क्या उनके विज्ञापन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के माध्यम द्वारा नहीं दिये जा सकते। हमें यह मानना चाहिए कि अभी हम ने देश में वह स्थिति पैदा नहीं की है कि भारत की भूमि में उत्पन्न होने वाला प्रत्येक नागरिक देश भक्त होगा और कोई भी उसे किसी भी कीमत पर खरीद नहीं सकेगा। अभी वह दिन आना दूर है और इसलिए आवश्यक होना चाहिए कि हम पंचमांगी तत्वों पर नजर रखें। साथ ही सरकार के विदेश एवं सुरक्षा मंत्रालयों में जो कर्मचारी काम करते हैं और जिन्हें गुप्त रहस्यों से परिचित होना पड़ता है उनके मित्र सम्बन्धियों पर भी दृष्टि रखी जानी चाहिए।

केन्द्रीय गृह मंत्रालय केन्द्रीय कर्मचारियों के साथ भी अभी तक न्याय नहीं कर सका है। कुछ सदस्यों ने बताया कि सात सौ से अधिक कर्मचारी ऐसे हैं जो अभी तक नौकरी पर वापस

[श्री वाजपेयी]

नहीं लिये गये हैं । और एक बिल लाने की बात हो रही है जिससे हड़ताल के अधिकार को प्रतिबन्धित किया जायेगा । मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस विधेयक को लाने के सम्बन्ध में पुनर्विचार करें । हड़ताल का अधिकार एक लोकतांत्रिक अधिकार है और काम के अधिकार के साथ जुड़ा हुआ है । अगर आप काम का अधिकार स्वीकार करते हैं तो काम बन्द करने का अधिकार भी आपको स्वीकार करना होगा । हां, हम परिस्थितियां ऐसी पैदा करें कि जिनमें हड़ताल करने की नौबत ही न आये ।

ह्विटले काउंसिल बनाने की घोषणा की गयी थी मगर अभी तक उनकी रूपरेखा सामने नहीं आयी । केन्द्रीय कर्मचारियों की शिकायतों और मांगो पर विचार करने के लिए कोई नेगोशिएटिंग मैशिनरी नहीं है । इस स्थिति में ऐसे लोगों को जो कर्मचारियों की मांगों का अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए, उनको बल मिलता है । हमें आशा करनी चाहिए कि ह्विटले काउंसिलों के निर्माण के सम्बन्ध में शीघ्रता से घोषणा की जायेगी और उनको अन्तिम रूप देने से पहले केन्द्रीय कर्मचारियों को विश्वास में लिया जायेगा ।

जहां तक देश में विघटनकारी शक्तियों के सिर उठाने का सवाल है कोई इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि हम धीरे धीरे उसी साम्प्रदायिकता के वातावरण की ओर खींचे जा रहे हैं जिस पर हम ने विजय प्राप्त की थी और आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राष्ट्र के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया था । लेकिन जैसा मैं ने एक विवाद में कहा था, केवल साम्प्रदायिकता की निन्दा करना पर्याप्त नहीं होगा । हम इस बात का विचार करें कि जिस "टू नेशन थ्योरी" के अन्तर्गत, जिन दो राष्ट्रों के सिद्धान्त के अन्तर्गत, देश का विभाजन हुआ था, क्या हम ने देश की स्वतंत्रता के बाद उस स्थिति की समाप्ति के लिए कोई रचनात्मक, विधायक कदम उठाये हैं । सभी सम्प्रदाय सामाजिक क्षेत्र में एक सा जीवन व्यतीत करें और समान त्यौहार मनायें, क्या हम ने इस के लिए प्रयत्न किया है ? अगर हम साम्प्रदायिकता को नापने के लिए दो गज अपनायेंगे तो साम्प्रदायिकता का निराकरण नहीं हो सकेगा ।

अभी कांग्रेस की एक महिला सदस्या शिकायत कर रही थीं कि असम में जो उपद्रव हुए उनकी अभी तक अदालती जांच नहीं की गई । गृह मंत्री जी को और गृह मंत्रालय को इस का जवाब देना चाहिए । जबलपुर कांड की जांच की जा रही है और वह होनी चाहिए, मगर असम के उपद्रवों की जांच न कराने का कारण क्या है ? यदि हम यह समझते हैं कि परदा डाल कर सच्चाई को छिपाया जायगा तो यह साम्प्रदायिकता से लड़ने का तरीका नहीं है और इस के लिए हम एक बात विचार कर चलें कि जो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक वाली बात है यह हम कब तक चलने देना चाहते हैं ? देश में कौन बहुसंख्यक हैं और कौन अल्पसंख्यक हैं ? मेरा निवेदन है जब तक हम राजनीति के क्षेत्र में यह अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की भावना को जिंदा रखेंगे, राष्ट्रीय एकता कभी पैदा नहीं होगी । हिन्दुओं में भी तो उपासना की अनेक पद्धतियां हैं । आर्यसमाजी हैं, जैन हैं, सिक्ख हैं, शाक्त हैं, शव हैं और सनातनधर्मी हैं । क्या वे अल्पसंख्यक नहीं हैं ? अभी हमारे पंजाब में लोग मांग कर रहे हैं कि आप ने जो जालंधर डिवीजन बनाया है उस में हिन्दू अल्पसंख्यक हैं और उनके हितों की रक्षा नहीं हो रही है । एक बड़े नेता से मैं मिला । मैं ने उन के सामने पंजाब के हिन्दुओं की कठिनाइयां रखीं तो वह कहने लगे कि आप चिन्ता मत करिये । पंजाबी सूबा बन जायगा तो आप की सारी कठिनाइयां दूर हो जायेंगी । मैं ने कहा कि यह बात मेरी समझ में नहीं आई तो वह कहने लगे कि पंजाबी सूबा बन जायगा तो उस पंजाबी सूबे में हिन्दू माइनोरिटी में रह जायेंगे और अगर हिन्दू माइनारिटी में रह जायेंगे तो

सरकार उनकी चिन्ता करेगी । जब तक वह मेजारिटी में हैं तब तक उनकी चिन्ता नहीं होगी । मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर रीलीजस माइनारिटी का क्या मतलब है ? मैं भाषाई अल्पसंख्यकों को समझ सकता हूं । यदि महाराष्ट्र में कोई कन्नड़ बोलने वाले हों और उन्हें प्राइमरी स्कूल में भी अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार न हो तो केन्द्रीय सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए । यदि किसी मजहब के लोगों को मजहब मानने में कोई कठिनाई हो तो उसको रोका जाय । मगर यह मजहबी अल्पसंख्यक की परिकल्पना और वह भी राजनीति में मेरी समझ में नहीं आती और अगर हम इस को बनाये रखना चाहते हैं तो हम राष्ट्रीय एकता की बातें कितनी भी करें हम दरअसल राष्ट्रीय एकता पैदा नहीं होने देना चाहते । हम भूल जांय कि कौन बहुसंख्यक है और कौन अल्पसंख्यक । हम सब भारत की संतति हैं । हम ने देश में एक असाम्प्रदायिक राज्य कायम करने का निर्णय लिया हुआ है । मजहब एक व्यक्तिगत चीज है । उसका कौमियत के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । मगर आज माइनारिटी के नाम पर, माइनारिटी की भाषा के नाम पर एक प्रथकता की मनोवृत्ति को पैदा किया जा रहा है और यह प्रथक्ता की मनोवृत्ति अगर हम समय रहते दबायेंगे नहीं तो यह हमारे राष्ट्रीय क्लेवर को जर्जर कर देगी और राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के हमारे प्रयत्न कभी सफल नहीं होंगे । मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय इस सम्बन्ध में कोई रचनात्मक और विधायक नीति अपनाये । पुलिस की कार्यवाहियों से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता । यह समस्या दिमागों को दिलों को ठीक करने की है । देश में एक संस्कृति के विकास करने की है । किसी सम्प्रदाय को दोष देने से भी काम नहीं चलेगा । हां अगर कोई दंगे होते हैं, साम्प्रदायिक भावनाओं को उभारा जाता है तो उसकी निन्दा होनी चाहिए । जो ऐसा काम करते हैं उनको दंड दिया जाना चाहिए । अब जबलपुर कांड के सम्बन्ध में दिल्ली के "अलजमैयत" और "नई दुनिया" ने क्या क्या लिखा ? क्या गृह मंत्रालय की नजर दिल्ली के सम्प्रदायवादी पत्रों पर भी जाती है ? दिल्ली में साम्प्रदायिक उपद्रव नहीं हुए तो इसके लिए दिल्ली की जनता बधाई की पात्र है यह गृह मंत्रालय नहीं । उर्दू के कुछ सम्प्रदायवादी पत्रों ने जबलपुर की आग को दिल्ली में भी फैलाने में कोई कोर कसर उठा नहीं रखी । मेरे पास वह सारी पेपर कटिंग्ज मौजूद हैं लेकिन समय न होने के कारण मैं उनको पढ़ना नहीं चाहता . . .

एक माननीय सदस्य : हिन्दी के पत्रों ने भी किया है ।

श्री वाजपेयी : दिल्ली के किसी हिन्दी पत्र ने नहीं किया । अगर हिन्दी के पत्रों ने भी किया है तो उसकी भी निन्दा होनी चाहिए । और उसकी निन्दा हो भी रही है । जबलपुर के एक हिन्दी समाचारपत्र "युगधर्म" जिसने कि एक छोटी सी खबर छापी थी उस को लेकर कम्युनिस्ट पार्टी उसके पीछे पड़ी हुई है । मगर मैं कम्युनिस्ट पार्टी से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में, बम्बई में मुस्लिम सम्प्रदायवादी पत्रों ने जबलपुर के दंगों को जिस तरह से चित्रित किया क्या किसी ने उसकी आज तक निन्दा की है ? उनकी कोई निन्दा नहीं करता । सब दलों में एक सम्प्रदाय को खुश करने की होड़ लगी हुई है । अभी प्रजासमाजवादी दल के एक प्रवक्ता कह रहे थे कि साम्प्रदायवादी पार्टियों पर रोक लगा देनी चाहिए । मैं इस रोक का समर्थन करता हूं मगर आप केरल में सम्प्रदायवादियों के साथ गठबंधन करते हैं और संसद में खड़े होकर यह सम्प्रदायवादियों पर रोक लगाने की मांग करते हैं । तो दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती हैं ।अगर साम्प्रदायिकता के साथ लड़ना है तो फिर इस तरह कथनी और करनी में अन्तर नहीं करना चाहिए । अगर आप वास्तव में सम्प्रदायवाद को पनपने नहीं देना चाहते तो साम्प्रदायिकता फिर किसी को भी हो उससे आपको लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए अन्यथा साम्प्रदायिकता का निर्मूलन नहीं हो सकता ।

श्री नवल प्रभाकर : (बाह्य दिल्ली--रक्षित--अनुसूचित जातियां) : अध्यक्ष महोदय, श्री श्री वाजपेयी जोकि उत्तर प्रदेश से आते हैं और दिल्ली के सम्बन्ध में बहुत कम जानकारी रखते हैं उन्होंने दिल्ली के सम्बन्ध में बहुत सारी बातें कही हैं। मैं उनका उत्तर देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अपराध बढ़ रहे हैं मैं उन को बताना चाहता हूं कि दिल्ली प्रशासन की रिपोर्ट जो यहीं संसद में हमको मिली उसके अनुसार मैं बताना चाहता हूं कि मर्डर्स सन् १९५८-५९ में जहां ६९ थे वे ५९-६० में ६३ रह गये। यह शायद आपकी नजर में नहीं गुजरा होगा। इसी तरह डकैतियों की संख्या जो कि सन् १९५८-५९ में ३८ थीं वे ५९-६० में घट कर २७ रह गयीं। रायेट्स का यह जो आपसी झगड़े फिसाद हुए वे सन् ५८-५९ में ७० थे लेकिन सन् ५९-६० के अन्दर ६७ रह गये। इसी तरीके से मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ऐक्साइज ऐक्ट के अन्तर्गत सन् १९५८-५९ में जहां २१५२ केस हुए वहां सन् ५९-६० में १०२९ रह गये। ओपियम ऐक्ट के अन्तर्गत ५८-५९ में २९८ केस थे जब कि ५९-६० में २१८ रह गये। अब इन तमाम आंकड़ों से इस बात का अन्दाजा लगाया जा सकता है कि श्री वाजपेयी ने जो यह कहा कि दिल्ली में अपराध बढ़ रहे हैं तो शायद उन्होंने यह रिपोर्ट नहीं देखी होगी।

उन्होंने एक बात और कही है कि दिल्ली प्रशासन में कई कमेटियां बनी हुई हैं और उन्होंने पबलिक रिलेशंस् कमेटी के जन सम्पर्क समिति के बारे में कहा लेकिन सम्भवतः उनको मालूम नहीं है कि उसमें कारपोरेशन के सदस्य भी हैं वे भी उसके सदस्य हैं। जनता के प्रतिनिधि जिनको कि वे कहते हैं। जहां तक मुझे ज्ञान है उनकी पार्टी के सदस्य भी उसमें मौजूद हैं जनसंघ के लोग उसमें हैं . . .

श्री वाजपेयी : यह आपका ज्ञान ठीक नहीं है।

श्री नवल प्रभाकर : बिलकुल ठीक है। श्री हरिश्चन्द्र वहां पर हैं जो कि आपकी पार्टी के हीं हैं। वह जनसम्पर्क समिति के सदस्य हैं। अगर आप उनको इनकार करते हैं तो कर दीजिये। इसी तरह से दिल्ली की और बहुत सारी कमेटियां हैं। उन्होंने औद्योगिक समिति का नाम लिया। औद्योगिक समिति में भी इसी तरीके से कुछ कारपोरेशन के सदस्य हैं, कुछ औद्योगिक लोग हैं और कुछ मजदूरों के प्रतिनिधि उसमें मौजूद हैं। म समझता हूं कि अगर कोई बात कही जाये, तो उस को सोच समझ कर ही कहना उपयुक्त और उचित होगा।

माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि अनधिकृत मकानों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। म कहना चाहता हूं कि इस का जिमेदार दिल्ली प्रशासन नहीं, अपितु वे पार्टियां हैं, जो सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहती हैं। वे लोगों को बहकावे में डालती हैं। उन में, मैं बिल्कुल सफ़ाई के साथ कहना चाहता हूं, श्री वाजपेयी की पार्टी के लोग भी हैं, जो लोगों को यह कहते हैं कि मकान बनाओ, हम बचायेंगे। मैं उन पर यह आरोप लगा रहा हूं।

श्री वाजपेयी : मैं इस आरोप का खंडन करना चाहता हूं। अगर माननीय सदस्य पार्टी का नाम लेकर यह बात कहेंगे, तो उन को प्रमाणित करना होगा, अन्यथा वह अपना आरोप वापस ले लें।

श्री नवल प्रभाकर : उन की पार्टी के सदस्य मुहल्लों में जा कर लोगों से ऐसी बातें कहते हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि जिन मुहल्लों से वे चुने गये हैं, उन मुहल्लों में बने अनधिकृत मकानों की तादाद को देखा जाये--यह देखा जाये कि वहां पहले कितने मकान थे और उन के चुने जाने के बाद कितने बने हैं।

श्री वाजपेयी : दिल्ली में जनसंघ का शासन नहीं है। कांग्रेस सरकार का शासन है और अगर जनसंघ के सदस्य ऐसा कहते हैं—यद्यपि मैं उन के इस आरोप का खंडन करता हूं, क्योंकि उन्होंने इस बारे में कोई उदाहरण नहीं दिया है—कि मकान बनाओ, तो क्या सरकार इस को रोकने वाली नहीं है ?

श्री नवल प्रभाकर : जब कोई ऐक्शन लिया जाता है, तो उन की पार्टी के सदस्य, उन की पार्टी के लोग उस में बाधा डालते हैं।

श्री वाजपेयी : और आप मान जाते हैं। बड़े लोकतंत्रवादी और बड़े उदार हैं आप !

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को आपस में बात-चीत नहीं करनी चाहिए।

श्री नवल प्रभाकर : ये बातें मैं ने आप को बताईं। इसी तरह से और पार्टियों के सम्बन्ध में भी मैं ने कहा है। अब मैं अपनी बात पर आता हूं।

दिल्ली में भूमि सुधार हुआ, जो कि यहां के गांवों में लागू हुआ, किन्तु उस से ग्रामीण किसानों को जितना संतोष प्राप्त होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ है। जो ३४ हज़ार एकड़ ज़मीन अधिगृहीत की जा रही है, उस में वे लोग भी हैं, जिन को अभी थोड़े दिन पहले एक संशोधन कर भूमिधर अधिकार दिये गये थे। लेकिन आज अवस्था यह है कि उन्हीं गांवों को फिर एक्वायर किया जा रहा है। सालों के प्रयत्न के बाद आज उन को भूमिधर अधिकार प्राप्त हुए हैं और आने वाले बीस वर्षों में भी वह जगह डेवेलप नहीं होने वाली है। मैं समझता हूं कि उन गांवों को, जिन की आवश्यकता नहीं है, अधिगृहीत नहीं किया जाना चाहिए और उन लोगों को, जिन को अभी भूमिधर बनाया गया है, आने वाले बीस वर्ष तक काश्त करने की आज्ञा दी जानी चाहिए।

दूसरी पंच-वर्षीय योजना में दिल्ली के लिये १७.८ करोड़ रुपया रखा गया और तीसरी पंच-वर्षीय योजना में उस को बढ़ा कर ८१.८ करोड़ रुपया होने वाला है। किन्तु मैं कहना चाहता हूं कि हरिजनों के सुधार और उद्धार के लिये दूसरी पंच-वर्षीय योजना में १७ लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई, जब कि दिल्ली के हरिजन कल्याण मंडल ने तीसरी पंच-वर्षीय योजना में १.२३ करोड़ रुपये स्वीकार किये और उस के लिये उन्होंने बाकायदा अपनी प्रोपोज़ल्ज़ प्रस्तुत कीं। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि दिल्ली प्रशासन ने उस के साथ न्याय नहीं किया और जिस ढग से उस की वकालत होनी चाहिए थी योजना आयोग के सामने, वह उस ने नहीं की। मुझे सखेद कहना पड़ता है कि दिल्ली प्रशासन ने आपस में ही बैठ कर उस राशि को घटा कर ३८ लाख रुपये कर दिया। जब एक तरफ़ दिल्ली में १७ करोड़ रुपये की राशि को बढ़ा कर तीसरी पंच-वर्षीय योजना में ८१ करोड़ रुपये कर दिया गया है, तो उसी अनुपात से हरिजनों के कल्याण के लिये रखी जानी वाली राशि भी बढ़नी चाहिए थी। किन्तु १७ लाख रुपये की राशि को बढ़ा कर केवल २१ लाख किया गया और अब मालूम हुआ है कि उस को रिवाइज़ कर के २३ ल.ख पये कर दिया गया है। मैं ने दिल्ली के सम्बन्ध में ऐसी कोई राशि नहीं देखी है, जो दुगनी या दुगनी से ज्यादा न ई हो। सलिये जब हरिजनों के कल्याण की बात आती है, तो और नहीं तो दुगनी राशि रखी ज.र, तो उचित होता। जब हम देखते हैं कि १७ रोड़ पये की राशि को बढ़ा कर ८१ करोड़ कर दिया गया है अर्थात् लगभग पांच गुन. कर दिया गया है, तो उस के अनुसार ही हरिजनों के कल्याण के लिये रखी जाने वाली राशि भी बढ़नी चाहिए थी। लेकिन वह नहीं बढ़ पाई है। मैं माननीय गृह मंत्री महोदय से विनीत प्रार्थना करूंगा कि वह इस सम्बन्ध में विचार करें और इस बात की व्यवस्था करें कि यह राशि और बढ़ाई जाये, नहीं तो, मैं समझता हूं, हरिजन कल्याण मंडल ने हरिजनों के कल्याण के लिये जो योजनायें बनाई हैं, वे बिल्कुल अधूरी रह जायेंगी।

[श्री नवल प्रभाकर]

तीसरी पंच-वर्षीय योजना पर बोलते हुए मैं ने कहा था कि दिल्ली का चर्म उद्योग बहुत पुराना है, लेकिन आज वह मृतप्राय होता जा रहा है। आज से बीस साल पहले चर्म उद्योग के लगभग सौ डेढ़ सौ कारखाने थे, जो आज घट कर तीस चालीस रह गये हैं। लोग यहां पर वह काम करना चाहते हैं, यह कारोबार बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उन को कार्पोरेशन के लाइसेन्स प्राप्त नहीं होते हैं, जगह प्राप्त नहीं होती है। हरिजन कल्याण बोर्ड ने इस सम्बन्ध में एक योजना बनाई और सर्व-सम्मति से एक प्रस्ताव पास किया, लेकिन मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि एक प्रश्न के उत्तर में मुझे यह बताया गया कि कोई योजना नहीं बनाई गई है और कोई प्रस्ताव पास नहीं किया गया। मैं भी हरिजन कल्याण मंडल का सदस्य हूं। मैं ने प्रस्ताव रखा कि एक चर्म-औद्योगिक बस्ती बनाई जाये और वहां पर चमड़े का काम करने वाले लोगों को बसाया जाये। वहां वे काम करें और चमड़े से सम्बन्धित और कारोबार करें। किन्तु यह उत्तर दिया गया कि कोई योजना नहीं बनी, इसलिये प्रश्न ही पैदा नहीं होता। मैं पुनः गृह मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि यह योजना बड़ी आवश्यक है और ज़रूरी है। हरिजनों की अवस्था बहुत दयनीय है। उन की आर्थिक अवस्था बहुत गिरती जा रही है। दिल्ली में दूसरी जगहों से, कानपुर, मद्रास, कलकत्ता से चमड़ा यहां आता है और लाखों करोड़ों रुपयों की मात्रा में खपता है। क्या वजह है कि दिल्ली के उन लोगों को, जो यह काम करना चाहते हैं, इस बारे में प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है? मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इस विषय में सहानुभूतिपूर्वक ग़ौर करेंगे।

जहां तक बाढ़ की समस्या का प्रश्न है, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि उस के लिये एक उच्चाधिकार समिति बनाई गई है। माननीय सदस्य, चौ० रणबीर सिंह, ने कहा था कि बाढ़ का पानी यहां आता है और दिल्ली वाले उस को रोक लेते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि पंजाब से जो पानी आता है, वह दिल्ली में तबाही लाता है। मेरा निवेदन है कि यह जो उच्चाधिकार समिति बनाई गई है, जिस की लगभग चार छः महीने में एक मीटिंग होती है, वह किसी मसले को तय नहीं कर पाई है। जो ड्रेंज बने हुए हैं और जो पंजाब का पानी यहां लाते हैं, उनके बारे में ऐसा कोई सुविधाजनक हल निकालना चाहिये जिससे दिल्ली के गांव बचे रहे और साथ ही साथ पंजाब में जो पानी इकट्ठा होता है, वह भी निकल जाये। मैं यह नहीं कहता हूं कि पंजाब का पानी आप वहां ही रोके रखें और वहां के गांवों को तबाह और बरबाद करें। लेकिन मैं यह भी नहीं चाहता हूं कि वह पानी यहां आ कर हमारे गांवों को तबाह और बरबाद करे। मैं प्रार्थना करता हूं कि कोई न कोई कार्यकारी कदम इस बारे में उठाया जाना चाहिये जिससे दिल्ली के ग्रामों की रक्षा हो सके, दिल्ली के ग्रामीण समाज को कुछ राहत मिल सके। मैं जब भी अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाता हूं तो लोग मुझे खेतों को पानी में ही डूबा हुआ दिखाते हैं

श्री बालमीकी (बुलन्दशहर---रक्षित---अनुसूचित जातियां) : आपके यहां का पानी मेरे जिले के अन्दर भी टकराता है और बड़ा नुक्सान पहुंचाता है।

श्री रामकृष्ण गुप्त (महेन्द्रगढ़) : कोई हल बताइये।

श्री नवल प्रभाकर : हल यही है कि जिस हाई पावर कमेटी की स्थापना की गई है उसमें जो विशेषज्ञ हैं वे जायें और जा करके उस इलाके को देखें और साथ ही साथ दूसरे इलाकों को देखें और देख करके सुझाव दें और जो सुझाव वे दें, उनको तुरन्त कार्यान्वित आप करें। मैंने देखा है कि एक नाला खुदता है और बनते बनते खत्म भी नहीं हो पाता है कि पीछे से भरना शुरू हो जाता है। वह बहुत जटिल समस्या है और इसको तुरन्त हल किया जाना चाहिये। कोई योजना आप बनायें

जो उसको तुरन्त कार्यान्वित कराने की आप कोशिश करें । नजफगढ़ नाले की बात हम प्राय: सुनते रहते हैं । यहां पर कितना विनाश नहीं हुआ, कितनी बीमारियां नहीं आईं, यमुना का पानी भी बिल्कुल खराब हो गया । इस वास्ते नजफगढ़ नाला खुदना शुरू हुआ और खुदता चला गया लेकिन रेलवे मंत्रालय ने जो रास्ते में पुल पड़ते थे, उनको चौड़ा करने से मना कर दिया जिससे इस काम में काफी देरी लग गई है । नाला इधर से भी खुद गया है, उधर से भी खुद गया है, लेकिन बीच में वैसे का वैसा रह गया है । आज देखने में आता है कि विभिन्न मंत्रालयों के बीच में कोआर्डिनेशन का अभाव है । उन में कोआर्डिनेशन होना चाहिये और अगर ऐसा होता है तो सारा काम एक साथ हो सकता है । आज तो मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो आये साल बाढ़ आती है और उसके आने से जो नुक्सान होता है, उसको रोका जाना चाहिये । आपने जो हाई पावर कमेटी बनाई है, उसको इस ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये और आपको भी इस काम को टाप प्रायोरिटी देनी चाहिये और इसका कोई हल निकालना चाहिये ।

यह सही है कि देश का विभाजन हुआ और उसके फलस्व प सिंध के कुछ भाई आकर दिल्ली में बस गये । उनकी अपनी संस्कृति है, उनकी अपनी ाषा है । यहां दिल्ली में और भी कई भाषा भाषी लोग हैं जिन में सिंधी अधिकांश रूप में रहते हैं । उनकी इच ा है कि उनके बच्चों को नागरी लिपि के अन्दर सिंधी पढ़ाई जा े । मैं चाहता हूं कि दिल्ली प्रशासन की ओर से उनको इस विषय में सभी सम्भव सुविधा ं की जानी चाहियें ।

इन शब्दों के साथ मैं, अध्यक्ष महोदय, आपका आभार मानता हूं और माननीय गृह मंत्री जी को बधाई देते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : गृह विभाग तो अंग्रेजों के काल में भी बड़ा महत्वपूर्ण विभाग था । यद्यपि उस समय इसका कार्य देश को कड़ी गुलामी के नियंत्रण में रखने का था अब इसका कार्य देश की एकता और सुरक्षा को बनाये रखने में है । स्वतन्त्रता के पश्चात् वैसे भी सरकारी क्षेत्र का महत्व काफी बढ़ गया है । क्योंकि हमारी योजनाओं की सफलता का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व गृह-कार्य मंत्रालय पर ही है । हमारी योजनायें तब ही सफल होंगी जब कि हमारे गृह मंत्रालय का संचालन सफल होगा ।

आज देश में नये नये परिवर्तन हो रहे हैं । साम्यवादियों और पूंजीवादियों के नारे पुराने हो गये हैं । हमारी प्रशासकीय व्यवस्था तथा कार्य प्रणाली पुराने ढंग की है । सरकारी क्षेत्र का काफी विस्तार हुआ है । इसके फलस्वरूप कुछ शहरी क्षेत्र की लगभग ३८ प्रतिशत जनता, जो मैट्रिक से अधिक शिक्षित थी, सरकारी नौकरियों में आ गयी । अब समय आ गया है, जब कि हमें सरकारी कर्मचारियों के राजनीतिक अधिकारों के प्रश्न पर विचार करना चाहिये । हमें विचार करना चाहिये कि किस सीमा तक इन लोगों को राजनीतिक अधिकार दिये जा सकते हैं ।

मेरा मत यह है कि प्रशासन के क्षेत्र में कोई भी गतिशीलता तब तक आ सकना संभव नहीं है, जब तक कि कार्यपालिका को उन नीतियों में, जिनका कि वह पालन कर रही है, पूर्ण विश्वास न हो । इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि इस समस्या पर भी तुरन्त विचार करने की आवश्यकता है हमें बताया गया है कि प्रशासन का अधिनवीकरण करने के लिये एक समिति बनायी गयी है । जब तक इस समिति में कुछ गैर-सरकारी व्यक्तियों को तथा संसद् के दो सदस्यों को नहीं रखा जायेगा, तब तक इससे कोई लाभपूर्ण निकल पाना सम्भव नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

एक कठिनाई यह भी आम तौर पर देखने में आई है कि मंत्रिमंडल श्रेणी के अधिकांश मंत्रियों को मौलिक समस्याओं पर विचार करने का पर्याप्त समय उपलब्ध नहीं होता। अतः यह आवश्यक है कि मंत्रिमंडल श्रेणी के कुछ ऐसे वरिष्ठ मंत्री भी हों, जिनके पास कोई विभाग न हों और जो प्रशासकीय सुधार के कामों की देखभाल कर सकें। विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिये एक राज्य मंत्री नियुक्त किया जाना चाहिये। सरकारी काम के ढंग में सुधार लाने और उसे सरल बनाने तथा अनावश्यक व्यय को कम करने इत्यादि पर भी विचार करना चाहिये। अनावश्यक विभागों को समाप्त कर देना चाहिये। काम की पुनरावृत्ति को रोकना चाहिये। विभिन्न यूनिटों तथा संस्थाओं में तालमेल पैदा करके उनमें पूर्णतः समन्वय लाना चाहिये। इस कार्य को करने के लिये एक समिति नियुक्त की जानी चाहिये जिसका सभापति कोई गैर-सरकारी व्यक्ति हो। इस समिति को राज्यों के कार्य क्षेत्र की भी जांच करनी चाहिये और छः मास के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देना चाहिये।

केन्द्र में सभी वरिष्ठ अधिकारियों को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति को रोकना चाहिये। सहायक सचिवों का पद समाप्त कर देना चाहिये। इस दिशा में मेरा सुझाव यह है कि इन पदों पर जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें पूरी शक्तियां प्रदान कर जहां कहीं आवश्यकता हो वहां भेज दिया जाय। मैं इस बात पर भी बल देना चाहता हूं कि प्रत्येक अधिकारी को समुचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये। प्रशिक्षण प्रशासन का महत्वपूर्ण अंग है। छोटे बड़े सभी वर्गों के अधिकारियों को उचित प्रशिक्षण अवश्य दिया जाना चाहिये।

लोक तंत्र की रक्षा के लिये कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक दूसरे से अलग करने का काम तेजी से किया जाना चाहिये। न्यायालयों में काफी मामले लम्बित हैं, सरकार को इस समस्या पर बड़ी गम्भीरता से विचार करना चाहिये। इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहि कि इस प्रकार के विलम्ब से सम्बन्धित लोगों को न्याय से वंचित तो नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही क्षेत्रीय परिषदों को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिये। किसी एक क्षेत्र के सभी राज्यों के लिये एक ही राज्यपाल होना चाहिये।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं वह यह कि मद्य निषेध सम्बन्धी नीति का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया जा रहा। यदि हम वास्तव में यह चाहते हैं कि यह नीति सफल ो ो सरकार को चाहिए कि शराब पीना सरकारी सेवा के लिए एक अयोग्यता घोषित कर दें। मैं तो यह भी चहता हूं कि विधान सभाओं की सदस्यता के लिए भी इस कृत्य को अयोग्यता घोषित किया जाना चाहिए।

†**श्री फ्रैंक ऐंथनी** (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय) : मैंने एक प्रतिनिधि मंडल के नेता के रूप में २४ अक्टूबर को प्रधान मंत्री से बातचीत की। उस समय मैंने उनके सम्मुख यह मामला रखा कि संविधान के अनुच्छेद ३३४ और ३३६ के उपबन्ध आंग्ल भारतीयों पर शिक्षा तथा सेवाओं के क्षेत्र में भी लागू कर दिये जायें। निस्संदेह अनुच्छेद ३३३ और ३३४ आंग्ल भारतीयों पर लागू कर दिये गये हैं। यह एक उदारता है तथापि इनका तब तक कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है जब तक कि अनुच्छेद ३३६ और ३३७ भी आंग्ल भारतीयों पर न लागू हों। उक्त चार अनुच्छेदों को संविधान में शामिल करने के लिए भी मैं ही जिम्मेदार हूं। यद्यपि अल्पसंख्यक समुदाय समिति ने मेरा तर्क अस्वीकृत कर दिया था तथापि मेरे माननीय मित्र सरदार पटेल के कारण इन उपबन्धों को संविधान में स्थान मिल सका है।

---

†मूल अंग्रेजी में

इनमें से पहले दो उपबन्ध जो कि संसद् तथा विधान सभाओं से आंग्ल भारतीयों के नाम निर्देशन के सम्बन्ध में थे, उनका मेरे दो ज्येष्ठ माननीय मित्रों द्वारा बड़ा विरोध किया गया, वे पंडित ठाकुर दास भार्गव और श्री त्यागी हैं। उन्होंने कहा कि वे इसका किसी व्यक्तिगत कारण से विरोध नहीं कर रहे हैं अपितु इस विरोध का कारण यह है कि वे लोकतंत्रात्मक प्रणाली में नामनिर्देशन की प्रथा को उचित नहीं समझते हैं, तथापि जहां तक पिछले दो उपबन्धों का प्रश्न है उन्होंने कहा कि ये समुदाय की वास्तविक आवश्यकताएं हैं और वे न केवल इसका समर्थन ही करेंगे अपितु वे स्वयं इसे सभा के समक्ष रखने का प्रयत्न करेंगे।

इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री ने ७ अगस्त, १९५९ को सभा में यह आश्वासन दिया था कि आंग्ल भारतीयों को मिलने वाली सुविधाओं को न केवल बनाये रखा जाय अपितु उन्हें बढ़ाया जाय। इस सम्बन्ध में मैं सभा का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यद्यपि १९३६-३७ और १९५६-५७ के बीच राज्य सरकारों ने शिक्षा पर होने वाले व्यय में ७०० प्रतिशत की वृद्धि की है तथापि पश्चिमी बंगाल को छोड़ कर कोई भी राज्य सरकार किसी भी आंग्ल भारतीय स्कूल को एक पैसा भी अनुदान के रूप में नहीं देती है। १९३५ में सरकार आंग्ल भारतीय स्कूलों को ४१ लाख रुपये का अनुदान देती थी लेकिन अब इस अनुदान में कटौती कर दी गई है और अब केवल ३५ लाख रुपये आंग्ल भारतीय स्कूलों को अनुदान के रूप में दिये जाते हैं। उक्त राशि में से केवल ९ लाख रुपये दरिद्र विद्यार्थियों को अनुदान के रूप में दिये जाते हैं इस राशि से लगभग १०००० विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं अतः राज्य को चाहिए कि वे इस राशि में वृद्धि करें जिससे कि न केवल एक विशेष वर्ग के विद्यार्थियों का ही लाभ हो अपितु भारतीय शिक्षा का भी हित हो।

संविधान के अनुच्छेद ३० के अधीन अल्पसंख्यक भाषाई लोगों को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपनी शिक्षा संस्थायें चला सकते हैं या उनकी स्थापना कर सकते हैं। इसके खंड २ में कहा गया है कि सरकार सहायता देने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करेगी। तथापि वास्तव में हमारे साथ यही किया जा रहा है। राज्य सरकारें किसी न किसी बहाने हमें अनुदान नहीं दे रही हैं और कई राज्य सरकारों ने यह कहा है कि जब तक आप संविधान में अपना समर्थन सिद्ध नहीं कर सकते हम आपको उपदान नहीं दे सकते हैं। पंजाब और मैसूर सरकारों ने यही तर्क पेश किया है।

मैंने रोजगार के सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयां सरकार के सम्मुख रखी थीं। इसमें सन्देह नहीं कि इस समय वातावरण संवैधानिक संरक्षण देने के पक्ष में नहीं है तथापि कुछ अनिवार्य ऐतिहासिक कारणों से हमारे देश की आंग्ल भारतीय जाति मुख्यतः रेलवे, डाक तथा तार और सीमा शुल्क विभाग में ही कार्य करते हैं। यद्यपि यह स्थिति बुरी है तथापि हम इस स्थिति की उपेक्षा भी नहीं कर सकते हैं।

[श्री मूल चन्द दुबे पीठासीन हुए]

हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि वे दूसरे मार्ग भी अपनायें। जहां तक शिक्षित व्यक्तियों का सम्बन्ध है वे प्रतियोगिता में सफल भी रहते हैं तथापि कम पढ़े लिखे लोगों के लिए यह एक मुसीबत का प्रश्न बन गया है बल्कि बेरोजगारी के कारण कई लोगों को देश छोड़ कर अन्यत्र जाना पड़ा है।

अतः मैं माननीय मंत्री से केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आंग्ल भारतीय समुदाय के लिये प्रतिवर्ष ३०० से ४०० पद सुरक्षित कर दिये जायें, क्योंकि इस समुदाय के लोगों का इस ओर विशेष झुकाव है, इस संख्या से रेलवे सेवा पर कोई विशेष प्रभाव भी नहीं पड़ेगा।

[श्री फ्रैंक एंथनी]

जहां तक संविधान में नाम निर्देशन सम्बन्धी उपबन्धों का सम्बन्ध है वे अनुसूचित जातियों के उपबन्धों के साथ संलग्न हैं, अतः ये सब समाप्त हो जायेंगे । अन्य उपबन्धों के साथ भी यही शर्त है कि क्रमशः इनका ह्रास हो जायेगा । अगले दस वर्षों में ये बिल्कुल समाप्त हो जायेंगे । इसी प्रकार हमारे शिक्षा अनुदान में भी कमी होती जा रही है यह बहुत दुःख की बात है क्योंकि ऐसा करने से हमारी शिक्षा संस्थाओं पर बहुत आघात होगा । अब भी हमें जो राज्य सरकारें अनुदान दे रही हैं वे वार्षिक आधार पर दिया जाता है । इसलिये सदैव यह खतरा रहता है कि यदि वे बन्द हो गयी तो हमारे विद्यार्थियों पर बहुत धक्का लगेगा । इसीलिये मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में संवैधानिक गारंटी दी जाय । जिससे कि मुझे राज्य सरकारों की अनिश्चित दया पर जीना न पड़े । यद्यपि मैं इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री से मिलने का विचार कर रहा हूं तथापि मैं यह आशा करता हूं कि गृह मंत्री हमें इस सम्बन्धमें कुछ निश्चित आश्वासन देंगे ।

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)**: सभा ऐसे अवसरों पर भूतपूर्व गृह मंत्री पंत जी की उपस्थिति की अभ्यस्त है, वे समय की चिन्ता किये बिना अक्सर घंटों धैर्य से बैठे रहते थे । यद्यपि उनका स्थान रिक्त हो गया है तथापि उनका स्थान उन्हीं की तरह एक उदार, निर्भीक और विवेकी व्यक्ति ने ले लिया है ।

आज प्रातः से गृह-कार्य मंत्रालय से सम्बन्धित सभी बातों पर पर्याप्त चर्चा की गयी है । वस्तुतः यह एक ऐसा मंत्रालय है जिसके अधीन सभी अवशिष्ट कार्य हैं, तथापि देश का कल्याण करना और राष्ट्र को सुयोग्य बनाना इसी मंत्रालय का दायित्व है ।

श्री प्रभात कार ने मेहतरों के सम्बन्ध मे कुछ बातें कहीं । वस्तुतः कई बार सदस्यों ने मानवता की इस पतित स्थिति की ओर हमारा ध्यान दिलाया है । हम इस समस्या की ओर उचित ध्यान दे रहे हैं तथा इस गर्हित कार्य को यांत्रिक रूप देने के लिए ३२ लाख रुपये मंजूर भी किये जा चुके हैं । तीसरी योजना में इस कार्य पर और भी अधिक जोर दिया जायगा ।

कुछ सदस्यों ने यह कहा है कि हमें यह कार्य और भी सक्रियता से करना चाहिये । तथापि इसमें सक्रियता कहां से आयेगी । यह केवल जनमत के द्वारा आ सकती है और यह कार्य समाज कल्याण के क्षेत्र में किया जाना चाहिये । इस सम्बन्ध मे हमने मलकानी समिति नियुक्त की थी, उसके प्रतिवेदन पर विचार किया जा रहा है । केन्द्र इस कार्य को पूरी तत्परता और समन्वय के साथ करने को तैयार है हम आशा करते हैं कि राज्य और स्थानीय संस्थायें इस कार्य में हमारा सहयोग करेंगी । जिससे कि हम भविष्य में इस पर अधिक संतोषपूर्ण उत्तर दे सकें ।

श्री रेणुका राय ने पिछड़े वर्ग के सामाजिक कल्याण के सम्बन्ध में कई अच्छे सुझाव दिये हैं । यद्यपि उन्होंने इस बात पर असन्तोष भी प्रगट किया है कि पिछड़ी जातियों के सुधार सम्बन्धी कई कार्यक्रमों को क्रियान्वित नहीं किया गया । उन्हें यह स्मरण रखना चाहिये कि किसी कार्यक्रम को अमल में लाना राज्य या संघ क्षेत्रों के प्रशासन के ऊपर निर्भर करता है । निस्सन्देह तीसरी योजना में इस सम्बन्ध में और भी प्रगति होगी । कटौती प्रस्तावों की संख्या से भी यह ज्ञात हुआ है कि इस क्षेत्र में अधिक संख्या में सदस्य दिलचस्पी रखते हैं । इस सम्बन्ध में जनता में जागरूकता बढ़ रही है । अतः हम इस कार्यक्रम को अमल में लाने का भरसक प्रयत्न करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

एक माननीय सदस्य ने दिल्ली में तम्बुओं में लगने वाले स्कूलों की ओर सभा का ध्यान आकर्षित किया है। दिल्ली की जनसंख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। इसी से विद्यार्थियों की संख्या में भी इतनी वृद्धि हुई है कि उनके लिये उचित संख्या में स्कूल और अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो सकी है। तथापि अब इस स्थिति में पर्याप्त सुधार हो रहा है। आज स्थिति यह है कि चालू वर्ष में १५ तम्बुओं में लगने वाले स्कूल सीमेंट के पूर्व निर्मित स्कूलों में जा चुके हैं, १५ नये उच्च माध्यमिक स्कूल खोल दिये गये हैं। वर्तमान स्कूलों में १६७ नये सेक्शन और जोड़े गये हैं। हाई स्कूलों और मिडिल स्कूलों की संख्या में बहुत विकास हुआ है। जो स्कूल आजकल भी तम्बुओं में चल रहे हैं धीरे-धीरे उनके लिये भी इमारतें उपलब्ध हो जायेंगी।

प्रधान मन्त्री ने कहा है कि हमारी प्रगति महलों से नहीं अपितु गंदी बस्तियों की दशा से देखी जायेगी। अतः हम इस ओर बहुत ध्यान देते हैं। श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने इनके उन्मूलन करने का तरीका बतलाया है। विलम्ब का कारण यह है कि निर्माण का कार्य इन बस्तियों के उन्मूलन के कार्य से भी बहुत कठिन होता है। अतः जबतक आप पूर्व निर्मित गृहों का निर्माण नहीं करते हैं तब तक ये गन्दी बस्तियां बनी रहेंगी। तथापि इस ओर प्रयत्न किया जा रहा है और यह समस्या दिल्ली नगर निगम के हाथों सौंप दी है। ३२२५ मकान बना दिये गये हैं। तथापि अभी यह बुराई बाकी है वस्तुतः इस कार्य के लिये भी हमें जनता के सहयोग की आवश्यकता है। हमें इस दिशा में न केवल समाज सुधारकों की जागरूकता चाहिये अपितु स्वयं गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों की चैतन्यता भी चाहिये। जिससे कि वे स्वयं वर्तमान स्थिति से ऊंचे उठ कर अच्छे हालातों में रहना सीखें।

नगर निगम के पास इस सम्बन्ध में कई योजनायें हैं और वह तरतीब से उन पर कार्य कर रहा है। दिल्ली क्षेत्र में सफाई परियोजना पर भी कार्य किया जा रहा है और कार्य अनुसूचित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है।

माननीय सदस्य ने यह कहा है कि दिल्ली में अपराधों की वृद्धि हो रही है। मैं वर्षवार आंकड़े देकर सभा का समय नहीं लेना चाहती हूं। तथापि पहिले वर्षों की अपेक्षा प्रतिलाख जनसंख्या पर अपराध कम हुए हैं और जघन्य अपराधों के मामले में बहुत कमी हुई है। कम भयंकर अपराधों के सम्बन्ध में भी कमी हुई है। सम्पूर्ण रूप से दिल्ली में अपराधों में कमी ही हुई है। यद्यपि जिस रूप में इन अपराधों के समाचार प्रकाशित किये जाते हैं या जिस प्रकार पुलिस अधिकारियों की गलतियां जनता के सम्मुख रखी जाती हैं उससे अवश्य ऐसा प्रतीत हो सकता है कि अपराधों में वृद्धि हुई है। तथापि यदि कोई माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में ऐसा कोई विशिष्ट मामला सरकार के सम्मुख रखेंगे जिसके सुधार की आवश्यकता हो तो उस पर ध्यान दिया जायेगा।

पिछड़े वर्गों के कल्याण के सम्बन्ध में कई कटौती प्रस्ताव रखे गये थे। वस्तुतः इस विषय पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन पर विचार के समय भी चर्चा की जाती है। तथापि अध्यक्ष महोदय के सुझावों के अनुसार पन्द्रह दिनों के भीतर ही सभा की एक समिति इस विषय पर प्रारम्भिक तरीके से विचार करेगी। जिससे कि हम कुछ विशिष्ट मामलों पर विचार कर सकें। अतः इस मामले पर इस सत्र या अगले सत्र में एक पृथक दिन विचार किया जायेगा।

यह सुझाव दिया गया है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त को अधिकार दिया जाय कि वे अपनी सिफारिशों को अमल में ला सकें। ऐसा करना संविधान की भावना के प्रतिकूल होगा। उनका कार्य केवल सुझाव देना और सिफारिशें करना है और इस प्रकार वे गृह मन्त्रालय के द्वारा राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। आयुक्त को स्वयं अपनी सिफारिशों को क्रियान्वित करने का अधिकार देना बहुत अनुचित होगा, इसके समर्थन में कोई जोरदार तर्क नहीं रखा गया है।

[श्रीमती आल्वा]

कई कटौती प्रस्ताव उन कल्याण परियोजनाओं के सम्बन्ध में हैं, जो कि संघ क्षेत्रों में, जिनका प्रशासन केन्द्र द्वारा किया जाता है, ठीक प्रकार क्रियान्वित नहीं किये जा रहे हैं। इनमें से कई कटौती प्रस्ताव अन्दमान और निकोबार द्वीप-समूहों के सम्बन्ध में हैं। मैं इनके विषय में संक्षेप में अभी कुछ कहना चाहती हूं। इन द्वीप समूहों की प्रमुख वस्तु वहां की वन सम्पदा है। मैं यह बताना चाहती हूं कि अन्दमान की वन सम्पदा को १०० वर्षों के भीतर आयोजित तरीके से उपयोग कर लिया जायेगा। हमने यह हिसाब लगाया है कि १४ वर्ग मील से लगभग १,००,००० टन लकड़ी प्राप्त होगी।

यह सुझाव दिया गया है कि वहां एक माचिस का कारखाना खोला जाय। वहां दूसरा कारखाना इस कारण से भी नहीं खोला जा सकता है कि पिछले २० वर्षों से वहां विमको का कारखाना चल रहा है। अवशेष लुगदी बनाने के मतलब की लकड़ी कलकत्ता भेज दी जाती है जहां कारखाना है। तथापि हमने एक फर्म को यह पता लगाने की अनुमति दी है कि क्या अन्दमान में प्लाईवुड का कारखाना खुल सकता है।

निकोबार द्वीपसमूहों की बन सम्पदा का अभी पता लगाना है। वहां के प्लाईवुड उद्योग का विकास किया जायेगा भारत से इन द्वीप समूहों तक संचार साधन की व्यवस्था होने पर इसका भविष्य और उज्जवल हो सकता है। भारत से इन द्वीप समूहों तक परिवहन की सुविधायें बढ़ने पर इन द्वीपों के सम्बन्ध में अधिक दिलचस्पी हो जायेगी।

एक कटौती प्रस्ताव में यह सुझाव दिया गया है कि पर्यटकों को भी इन द्वीप समूहों में सैर करने की अनुमति दी जाय। तथापि जब तक वहां कोई अच्छा बन्दरगाह नहीं बन जाता तब तक ऐसा करना सम्भव नहीं होगा। जो लोग वहां गये हैं वे जानते हैं कि पोर्ट ब्लेयर से अधिक दूरी तक जाना खतरे से खाली नहीं है।

दूसरी योजना में छोटे बन्दरगाहों का विकास करने के लिये ४२ लाख रुपये व्यय किये गये हैं। तीसरी योजना में इस कार्य के लिये ६६ लाख रुपये का उपबन्ध किया गया है।

इन द्वीप समूहों की प्रमुख वस्तु मछली उद्योग और शंख उद्योग है। युद्ध काल में शंख उद्योग का लायसेंस जापानियों के पास था। मछली उद्योग का विकास हो सकता है तथापि उपयुक्त कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं। उपयुक्त प्रकार के व्यक्तियों को प्राप्त करना बहुत कठिन है। अतः ठीक समय पर काम नहीं हो पाता है। तथापि तीसरी योजना में मछली उद्योग के लिये १४ लाख रुपये रखे गये हैं।

राज्य सभा में एक प्रश्न अन्दमान की जेल के बारे में पूछा गया था, हम इस बन्दीगृह को बनाये रखना चाहते हैं। तथापि इसकी वर्तमान दशा को देखते हुए उसे गिराना पड़ेगा। हमने यह निश्चय किया है कि जेल की मीनार बनी रहे और उसमें उन विद्रोहियों के नाम की तख्ती, जो उस बन्दीगह में रखे गये थे स्मृति के रूप में लगे रहे।

अब मैं हिमाचल प्रदेश को लेती हूं। वहां के सदस्य इस बात में बहुत दिलचस्पी लेते हैं कि वहां फल परिरक्षण उद्योग का किस प्रकार विकास किया जायेगा। २० प्रतिशत फलों की कीड़ों या रोग से बर्बादी हो जाती है। अधिक मात्रा में फल परिरक्षण का प्रयत्न किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में स्थानीय व्यक्तियों को शिक्षा भी दी जा रही है। परिवहन को भी अधिक सस्ता बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

यहां तक कि गांवों में भी सड़कें बन रही हैं। इस काम के लिये तीसरी पांच साला योजना में अधिक राशि निर्धारित की गई है क्योंकि इस कार्य को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये। यह काम

भी सन्तोषजनक रूप से चल रहा है। पुलों में बनाने के काम को दूसरी प्राथमिकता दी जायेगी। तीसरी योजना में हिमाचल प्रदेश में १४ पुल बनाये जायेंगे। यह काम पूरा हो जाने के बाद हिमाचल प्रदेश भी देश का विकसित क्षेत्र बन जायेगा। हिमाचल प्रदेश में सड़कों के लिये ही ८ करोड़ रुपये अलग से निर्धारित किये गये हैं। चूंकि इस प्रदेश में चार जिले पर्यटकों की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं अतः पर्यटक परिवहन पर भी ध्यान देना है। तीसरी योजना पर्यटक परिवहन बढ़ाने के लिये ८०० लाख रुपये निर्धारित किये गये हैं। वहां के हर जिले में अपनी गाड़ियां होंगी जो कि पर्यटकों के उपयोग में आयेंगी।

त्रिपुरा के वेतन क्रम पश्चिम बंगाल के वेतन क्रमों की अपेक्षा कम थे। साथ ही जीवन निर्वाह व्यय भी बढ़ गया। त्रिपुरा प्रशासन ने एक वेतन समिति बनाई है जो इस सम्बन्ध में जांच कर रही है। और सम्भव हुआ तो लोगों को लाभ मिलेगा। एक दूसरे कटौती प्रस्ताव में त्रिपुरा प्रशासन पर त्रिपुरा भूमि राजस्व तथा भूमि सुधार अधिनियम, १९६० को लागू न करने का आरोप लगाया गया है। यह बात गलत है। किसी अधिनियम को लागू करने में समय लगा करता है और विशेषरूप से पहाड़ी क्षेत्र में क्योंकि वहां न तो कभी चकबन्दी हुई है और न कभी भूमि अधिकार के उपयुक्त रिकार्ड ही रखे गये हैं। विधियों का लागू करना भी बड़ा कठिन है। लेकिन फिर भी अधिनियम को वहां अप्रैल में लागू कर दिया जायेगा। इसके बाद लोगों की भूमि से कोई बेदखली नहीं होगी। आदिम जातियों को उनकी भूमि से बेदखल किये जाने से रोकने के उपायों पर सरकार विचार कर रही है।

त्रिपुरा में महानी अधिनियम नहीं है। जहां तक कि महाजनी अधिनियम की बात है वह अधिनियम त्रिपुरा में ठीक ढंग से कार्यान्वित हो रहा है और आदिम जातियों में इसके कारण कोई असन्तोष नहीं है।

गत वर्ष त्रिपुरा में झूम की फसलें करीब-करीब ६० प्रतिशत खराब हो गई थीं जिसके कारण वहां के किसानों पर बड़ी विपत्ति आई थी। वहां किसानों की सहायता के लिये समुचित उपाय किये गये हैं और सभी यथासम्भव सहायता उन्हें दी गई है। केन्द्र ने खाद्यान्न तथा धन भी दिया था। एक लाख से भी अधिक राशि कृषि ऋण के रूप में बांटी गई थी। झूम फसल के लिये लगभग ८,००० रुपये के बीज निःशुल्क बांटे गये। ५७ परियोजनाएं आरम्भ की गईं। ३,४०,००० रुपये खर्च किये गये।

अगरतला की जल सम्भरण परियोजना में देर अवश्य हो गई है। इसके लिये १८ लाख से अधिक राशि स्वीकृत कर दी गई है। इस काम को दो भागों में बांटा गया है। पहले का काम तो शुरू हो जायेगा क्योंकि उसके लिये नक्शे आदि तैयार हो गये हैं। दूसरे का भी काम शुरू जल्दी ही होगा। त्रिपुरा में सड़कों के लिये भी तीसरी योजना में ४८० लाख रुपये निर्धारित किये गये हैं। मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहती हूं कि तीसरी योजना में संघ प्रशासित क्षेत्रों के विकास के लिये यथा-सम्भव प्रयत्न किया जायेगा। और यह प्रयत्न किया जायेगा कि इन के लिये जो राशि निर्धारित की गई है उसका पूरा पूरा उपयोग हो। इसका दायित्व हम सभी पर है। अतः हम सब को मिल कर यह प्रयत्न करना चाहिये कि सभी काम ठीक से हो।

विस्थापित व्यक्तियों तथा आदिम जातियों के झगड़ों को निपटाने के बारे में भी कहा गया है। आदिम जातियों के लिये २२४ एकड़ भूमि दे दी गई थी। मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि श्री दशरथ देब के सामने एवं उनकी इच्छानुसार ही यह झगड़ा निपटाया गया था, फिर उन्होंने यह कटौती प्रस्ताव क्यों रखा।

[श्रीमती आल्वा]

महिलाओं की शिक्षा एवं उनके लिये छात्रावास की जहां तक बात है उनके छात्रावास के लिये ४० विंग का छात्रावास बनाने की व्यवस्था कर दी गई है। विस्थापितों को ऋण देने के लिये व्यवस्था कर दी गई है तथा उनको कृषि के लिये भूमि का भी प्रबन्ध कर दिया गया है। कभी-कभी हमारे सामने कुछ कठिनाइयां आ जाया कर ी हैं जिनके कारण हम अपनी योजनाएं क्रियान्वित नहीं कर पाते लेकिन इसका यह अभिप्राय नहीं है कि हम किसी भी तरह से कमजोर हैं। हमें आशा है कि हमें तीसरी योजना के क्रियान्वित करने में पूरी सफलता मिलेगी। अतः मेरा निवेदन है कि संघ राज्य-क्षेत्रों के विकास के लि े जो कुछ संभव है वह किया जा रहा है और इस मामले में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिये।

मनीपुर में प्रशासकीय नौकरियों का कार्य भार संभालने के लिये सरकार स्थानीय आदिम जातियों की प्रतीक्षा कर रही है। लेकिन आदिम जाति के लोग उपलब्ध नहीं है। हमें यह प्रयत्न करना चाहिये कि लोग आगे बढ़ें और दायित्वपूर्ण स्थानों पर काम करना शुरू कर दें। मनीपुर में प्रतिनिधि सरकार की मांग सम्बन्धी आंदोलन में भाग लेने के सिलसिले में गिरफ्तार किये गये तथा हिंसात्मक का ों के लिये दंडित कुछ व्यक्तियों के अलावा अन्य सभी व्यक्तियों को रिहा कर दिया गया है। सरकार हिंसात्मक कार्यवाही करने वालों के विरुद्ध जो मामले हैं उनको वापस लेने का इरादा नहीं रखती।

मनीपुर भूमि राजस्व तथा भूमि सुधार अधिनियम को लागू करना कोई आसान बात नहीं है। इस बारे में आवश्यक नियम बनाये जा रहे हैं। और मनीपुर की घाटी वाले क्षेत्रों में भी से लागू करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस क्षेत्र की नापतोल तथा बंदोबस्त किया जा रहा है। इस पहाड़ी इलाके का बटवारा कर दिया गया है और सभी काम शांतिपूर्ण चल रहे हैं। और वहां कल्याण कार्य भी ठीक से चल रहे हैं। इस राज्य क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के लिये समुचित प्रबन्ध कर दिया गया है। किराया तथा हवाई जहाज के किरा े की बात है उसमें कुछ वृद्धि हुई है। इस सम्बन्ध में हम परिवहन मंत्री से बातचीत कर रहे हैं और आशा है कि कुछ अच्छा ही परिणाम निकलेगा। जहां तक कि इस क्षेत्र के औद्योगिकीकरण करने की बात है यह बड़ा कठिन है क्योंकि वहां प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, आवागमन के साधनों का बड़ा प्रभाव है लेकिन फिर भी वहां छोटे पैमाने के द्योग शुरू कर दि े गये हैं। छोटे उद्योगों तथा महिलाओं के सुधार के लिये २ लाख रुपये नियत कर दिये गये हैं। चूंकि इस क्षेत्र में कपास का उत्पादन नहीं होता अतः वहां कपास भेजी जा रही है। तीसरी ोजना में इस कार्य के लिये अर्थात् छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये १३ लाख रुपये की व्यवस्था की जायेगी।

अंडमान तथा मनीपुर में कागज़ बनाने का सुझाव दिया गया है। मनीपुर में तो कागज़ बनाने लिये कच्चा सामान काफी उपलब्ध है लेकिन अन्दमान व निकोबार में उपलब्ध नहीं है। मनीपुर में कागज़ बनाने की योजना तीसरी योजना में सम्मिलित कर ली गई है। जहां तक कि पिछड़े वर्ग की बात है। मेरे विचार में तो जातीय ृष्टि से कोई पिछड़ा नहीं है। भले ी समाज एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हो अतः वहां पिछड़े वर्गों के सुधार का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है।

†**सभापति महोदय**: गृह-कार्य मंत्रालय की मांगों सम्बन्धी कुछ चुने हुए कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत है। चुने हुए कटौती प्रस्तावों की संख्या बताने वाली सूची सदस्यों की जानकारी के लिये नोटिस बोर्ड पर लगा दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१	२	३	४	५
४६	१०४७	श्री स० मो० बनर्जी	. बम्बई उच्च न्यायालय के निर्णय के बावजूद भी सरकारी कर्मचारियों के आचरण नियम ४-ख के वापस लेने में असफलता	घटाकर १ रुपया कर दी जाये।
४६	१०४८	श्री स० मो० बनर्जी	. सरकारी कर्मचारियों के मजदूर संघ के अधिकार को प्रभावित करने वाले सरकारी कर्मचारी आचरण नियम ४(क) को वापस लेने में असफलता	घटाकर १ रुपया कर दी जाये।
४६	१०४९	श्री स० मो० बनर्जी	. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये व्हाइटले परिषद बनाने में असफलता	घटाकर १ रुपया कर दी जा`।
४६	११०	श्री अरविन्द घोषाल	. आसाम के पिछले झगड़ों से पहले आसाम की स्थिति का अध्ययन करने में गुप्तचर विभाग की असफलता	१०० रुपये
४६	१११	श्री अरविन्द घोषाल	. जबलपुर में झगड़ों से पूर्व वहां की स्थिति का अध्ययन करने में गुप्तचर विभाग की असफलता	१०० रुपये
४६	११२	श्री अरविन्द घोषाल	. आसाम में हुए झगड़ों से पहले सावधानी के लि` पुलिस तथा सैनिकों को वहां भेजने में केन्द्रीय सरकार की असफलता	१०० रुपय
४६	११३	श्री अरविन्द घोषाल	. भाषायी अल्प संख्यकों के कमिश्नर को अधिक अधिकार देने की आवश्यकता	१०० रुपये
४६	११६	श्री अरविन्द घोषाल	. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सभी सेवाओं के लिये भर्ती करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४६	६२९	ले० अचौ सिंह .	. संघ राज्य क्षेत्रों में जेलों के सुधार की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
४६	९६६	श्री अरविन्द घोषाल	. सभी अस्थायी सरकारी कर्मचारियों को जिन्होंने एक वर्ष की सेवा पूरी कर दी है स्थायी बनाये जाने की आवश्यकता	१०० रुपये
४६	९६७	श्री अरविन्द घोषाल	. सरकारी कर्मचारियों की आम हड़ताल के बाद सभी निकाले गये अथवा निलम्बित कर्मचारियों को फिर से काम पर लगाने की आवश्यकता	१०० रुपये
४६	९६८	श्री अरविन्द घोषाल	. केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की आम हड़ताल के बाद सरकारी कर्मचारियों की पदावनति किये गये अथवा नीचे की श्रेणी दिये गये सभी कर्मचारियों को फिर से अपने स्थान पर लाने की आवश्यकता	१०० रुपये
४६	९६९	श्री अरविन्द घोषाल	आम हड़ताल में जिन केन्द्रीय कर्मचारियों ने भाग लिया उनकी पदोन्नति रोकने वाले आदेशों को रोकने की आवश्यकता	१०० रुपये
४६	१०३१	श्री तंगामणि	विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकारों के बढ़ाने की आवश्यकता	१०० रुपये
४६	१०३२	श्री तंगामणि	औद्योगिक न्यायाधिकरणों से आई हुई अपीलों को निपटाने के लिये उच्चतम न्यायालय में एक अस्थायी बैंच की आवश्यकता	१०० रुपये
४६	१०४०	श्री स० मो० बनर्जी	विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को जब कि वे जेल में थे, राजनैतिक बंदी बताने में सरकार की असफलता	१०० रुपये
४६	१०९८	श्री तंगामणि	राजनैतिक पीड़ितों को पर्याप्त सहायता देने की व्यवस्था करने में सरकार की असफलता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
४६	१०६६	श्री तंगामणि	राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को छात्रवृतियां देने के लिये निधि बढ़ाने की आवश्यकता	१०० रुपये
४६	११००	श्री तंगामणि	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों स्थान संरक्षण की नीति की अधिक रूप से लागू करने की आवश्यकता।	१०० रुपये
४६	११०१	श्री चिंतामणि पाणिग्रही	बिहार प्रशासन के अधीन सरायकेला तथा खरसवान में भाषाई वर्गों के हितों की रक्षा करने में असफलता	१०० रुपये
४६	११०२	श्री चिंतामणि पाणिग्रही	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की आम हड़ताल के बाद ए० जी० आफिस के कर्मचारियों को फिर से स्थान दिलाने की आवश्यकता	१०० रुपये
४६	११०६	श्री चिंतामणि पाणिग्रही	उड़ीसा राज्य विधान सभा के लिये मध्यावधि चुनाव करना	१०० रुपये
४६	११०७	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	उड़ीसा राज्य में मध्यावधि चुनाव के विरुद्ध सभी राजनैतिक दलों की सर्वसम्मत्त मांग के प्रति सरकार का रवैया	१०० रुपये
४८	२२	श्री अरविन्द घोषाल	जोनल परिषदों के समेकन की आवश्यकता	१०० रुपये
४८	२३	श्री अरविन्द घोषाल	जोनल परिषदों के द्वारा विकास योजनाओं को चलाने की आवश्यकता	१०० रुपये
४८	२४	श्री अरविन्द घोषाल	प्रत्येक जोनल परिषदों के राज्य सदस्यों में अधिक सहयोग की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
४८	५४९	डा० बि० दास गुप्त	जोनल परिषदों की कार्यवाहियों को संसद सदस्यों में वितरण करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४८	५५०	डा० बि० दास गुप्त	राज्यों में भाषायी अल्प संख्यकों के हितों की सुरक्षा करने में पूर्वी जोनल परिषदों की असफलता	१०० रुपये
४८	५५१	डा० बि० दास गुप्त	सम्बन्धित राज्य सरकारों के भाषाई अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों को पूर्वी-जोनल परिषद में सम्मिलित करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४८	५५२	डा० बि० दास गुप्त	सम्बन्धित राज्यों के संसद सदस्यों को पूर्वी जोनल परिषद में प्रतिनिधि बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
४८	११०९	श्री तंगामणि	जोनल परिषदों के निर्णयों को लागू करने में देरी	१०० रुपये
४९	२५	श्री अरविन्द घोषाल	औद्योगिक अपीलों के निपटाने के के लिये उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में एक एक विशेष बैंच बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
४९	२६	श्री अरविन्द घोषाल	उच्चतम न्यायालय में पड़ी हुई अपीलों को जल्दी से निपटाने की आवश्यकता	१०० रुपये
४९	९४७	श्री अरविन्द घोषाल	उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में निलम्बित मामलों को जल्दी निपटाने की आवश्यकता	१०० रुपये
४९	९४८	श्री अरविन्द घोषाल	मुकद्दमों को जल्दी से निपटाने के लिये प्रकिया में संशोधन करने की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
४९	९४९	श्री अरविन्द घोषाल	उच्च न्यायालयों में वकीलों की कम से कम तथा अधिक से अधिक फीस निश्चय करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४९	९५०	श्री अरविन्द घोषाल	निश्चित दर से अधिक लेने पर वकील को अनर्हरता प्रदान न करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४९	९५१	श्री अरविन्द घोषाल	झगड़े वाले मामलों में राज्य सरकारों के बीच मध्यस्थता करने के उपबन्ध बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
४९	९५२	श्री अरविन्द घोषाल	अदालतों में सम्मानित शब्दों जैसे हुजूर आदि को हटाने की आवश्यकता	१०० रुपये
४९	९५३	श्री अरविन्द घोषाल	बम्बई तथा कलकत्ता उच्च न्यायालयों में मूल तथा अपीलीय अनुभागों को मिलाने की आवश्यकता	१०० रुपये
४९	९५४	श्री अरविन्द घोषाल	कलकत्ता तथा बम्बई उच्च न्यायालयों में सोलीसिटरशिप व्यवस्था को समाप्त करने की आवश्यकता	१०० रुपये
५०	२७	श्री अरविन्द घोषाल	काश्मीर में भारत तिब्बत सीमा पर अधिक पुलिस चौकी बनाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
५०	२८	श्री अरविन्द घोषाल	सिक्किम में भारत तिब्बत सीमा पर अधिक पुलिस चौकी बनाने की आवश्यकता	१०० रुपिये
५०	२९	श्री अरविन्द घोषाल	सीमा चौकियों के बीच यातायात सुविधाओं की आवश्यकता	१०० रुपये
५०	३०	श्री अरविन्द घोषाल	विदेशियों की सख्त देखभाल की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
५०	३१	श्री अरविन्द घोषाल	भारत पाक सीमा पर अधिक पुलिस चौकियों की आवश्यकता	१०० रुपये
५०	३२	श्री अरविन्द घोषाल	चोरी छिपे माल लाने ले जाने की घटनाओं को रोकने के लिये भारत पाक सीमा पर पुलिस चौकियों को बढ़ाने की आवश्यकता	१०० रुपये
५०	५२	श्री अरविन्द घोषाल	केन्द्रीय अागुलछाप ब्यूरो द्वारा जनता की निःशुल्क सेवा करने की आवश्यकता	१०० रुपये
५०	२१८	श्री मो० व० ठाकुर	भारत पाक सीमा पर कच्छ रेगिस्तान के पाकिस्तानियों के अनाधिकृत रूप से यहां आने को रोकने में असफलता	१०० रुपये
५०	२१९	श्री मो० व० ठाकुर	उत्तर गुजरात के भारत पाक सीमा पर चोरी से प्राय पाकिस्तानियों को गिरफ्तार करने में असफलता	१०० रुपये
५०	२२०	श्री मो० व० ठाकुर	उत्तर गुजरात की भारत पाक सीमा पर चोरी छिपे माल भारत आने तथा बाहर जाने को रोकने में सरकार की असफलता	१०० रुपये
५०	२२१	श्री मो० व० ठाकुर	दिल्ली में चोरी, लूटमार, आक्रमण आदि की पुनरावृत्ति को रोकने में असफलता	१०० रुपये
५०	६३०	श्री ले० अचौ सिंह	पुलिस संहिता को संशोधन करने की आवश्यकता	१०० रुपये
५०	६३१	श्री ले० अचौ सिंह	सशस्त्र घटनाओं तथा व्यापक हिंसात्मक कार्यवाहियों को रोकने के लिये पुलिस द्वारा गोली चलाने की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
५१	५३	श्री अरविन्द घोषाल	बिहार में बंगाली जनता को पर्याप्त मात्रा में फार्म देने में सरकार की असफलता	१०० रुपये
५१	५४	श्री अरविन्द घोषाल	बिहार में उड़िया जनता को उड़िया भाषा के फार्मों को पर्याप्त मात्रा में देने में सरकार की असफलता	१०० रुपये
५१	५५	श्री अरविन्द घोषाल	आसाम में बंगाली भाषी जनता को पर्याप्त मात्रा में बंगाली फार्मों के देने में सरकार की असफलता	१०० रुपये
५१	५६	श्री अरविन्द घोषाल	जन संख्या गणकों के भत्ते बढ़ाने की आवश्यकता	१०० रुपये
५१	५७	श्री अरविन्द घोषाल	जनसंख्या सम्बन्धी आंकड़ों के शीघ्र संभरण की आवश्यकता	१०० रुपये
५१	५५३	श्री बि० दासगुप्त	जनसंख्या करने के लिये अलग से ही एक निकाय बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
५१	५५४	श्री बि० दासगुप्त	जनसंख्या के लिये बिहार में बंगाली भाषी जनता के लिये बंगाली भाषी के फार्मों के संभरण करने में सरकार की असफलता	१०० रुपये
५१	५५५	श्री बि० दासगुप्त	बिहार के बंगाली भाषी क्षेत्रों में जनगणना कार्यकर्त्ताओं के काम का नियंत्रण	१०० रुपये
५१	५५६	श्री बि० दासगुप्त	बिहार के अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में जनगणना कार्य के नियंत्रण के लिये विशेष अधिकारियों की आवश्यकता	१०० रुपये
५१	५५७	श्री बि० दासगुप्त	बिहार में जनगणना सम्बन्धी केन्द्रीय सरकारी अनुदेशों की कार्यान्विति	१०० रुपये

१	२	३	४	५
५१	५५८	श्री बि० दासगुप्त	बिहार और आसाम में भाषायी अल्पसंख्यकों की जनगणना के कार्य के सर्वेक्षण और छानबीन की आवश्यकता	१०० रुपये
५२	५८	श्री अरविन्द घोषाल	नमूना सर्वेक्षण ज़ोनों का क्षेत्र घटाने की आवश्यकता	१०० रुपये
५२	५९	श्री अरविन्द घोषाल	ज्यादा सही आंकड़ों की आवश्यकता	१०० रुपये
५२	६०	श्री अरविन्द घोषाल	आंकड़ों के ज़रिये सही दशा बताने की आवश्यकता	१०० रुपये
५४	६१	श्री अरविन्द घोषाल	दिल्ली में अधिक अस्पतालों की आवश्यकता	१०० रुपये
५४	६२	श्री अरविन्द घोषाल	निजी रक्त बैंकों को बन्द करने की आवश्यकता	१०० रुपये
५४	६३	श्री अरविन्द घोषाल	पुरानी दिल्ली में भिखमंगी रोकने की आवश्यकता	१०० रुपये
५४	६४	श्री अरविन्द घोषाल	दिल्ली में भूमि के नीचे के पानी की रोकथाम	१०० रुपये
५४	६५	श्री अरविन्द घोषाल	टैक्सियों का किराया घटाने की आवश्यकता	१०० रुपये
५४	६६	श्री अरविन्द घोषाल	दिल्ली में भूमि सुधारों में शीघ्रता की आवश्यकता	१०० रुपये
५४	६७	श्री अरविन्द घोषाल	मद्य-निषेध रद्द करने की आवश्यकता	१०० रुपये
५४	६८	श्री अरविन्द घोषाल	गन्दी बस्तियां हटाने में शीघ्रता की आवश्यकता	१०० रुपये
५४	६९	श्री अरविन्द घोषाल	दिल्ली के सरकारी और निजी स्कूलों की फीस और शैक्षणिक व्यय घटाने की आवश्यकता	१०० रुपये
५४	७०	श्री अरविन्द घोषाल	दिल्ली की गन्दी बतिस्यों में रहने वालों के पुनर्वास की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
५४	७१	श्री अरविन्द घोषाल	कम आय वाले व्यक्तियों को मकान बनाने के लिये अधिक सहायता की आवश्यकता	१०० रुपये
५४	७२	श्री अरविन्द घोषाल	कम आय वाले व्यक्तियों के लिये सरकारी होस्टलों की आवश्यकता	१०० रुपये
५४	२२२	श्री अरविन्द घोषाल	निजी होस्टलों के किराये को विनियमित करने की आवश्यकता	१०० रुपये
५५	३३	श्री अरविन्द घोषाल	फल विधायन उद्योग के विकास की आवश्यकता	१०० रुपये
५५	३४	श्री अरविन्द घोषाल	पर्यटकों के आकर्षण के लिये 'ट्राउट' मछली-पालन की आवश्यकता	१०० रुपये
५५	७३	श्री अरविन्द घोषाल	हिमाचल प्रदेश में सड़कों का विकास	१०० रुपये
५५	७४	श्री अरविन्द घोषाल	जाड़ों के हिम-ग्रस्त क्षेत्रों में मौसम से प्रभावित न होने वाले परिवहन-साधनों की आवश्यकता	१०० रुपये
५५	७५	श्री अरविन्द घोषाल	पर्यटक-स्थानों तक परिवहन-सुविधायें विकसित करने की आवश्यकता	१०० रुपये
५६	३५	श्री अरविन्द घोषाल	वनों के सर्वेक्षण और संरक्षण की आवश्यकता	१०० रुपये
५६	३६	श्री अरविन्द घोषाल	कलकत्ता तक नियमित-स्टीमर-सेवा की आवश्यकता	१०० रुपये
५६	३७	श्री अरविन्द घोषाल	कागज मिल स्थापित करने की आवश्यकता	१०० रुपये
५६	३८	श्री अरविन्द घोषाल	माचिस फैक्टरी स्थापित करने की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
५६	३९	श्री अरविन्द घोषाल	प्लाईवुड उद्योग के विकास की आवश्यकता	१०० रुपये
५६	४०	श्री अरविन्द घोषाल	प्रत्येक द्वीप में छोटे पत्तनों के विकास की आवश्यकता	१०० रुपये
५६	४१	श्री अरविन्द घोषाल	बस्तियों के निर्माण की योजना की कार्यान्विति में शीघ्रता की आवश्यकता	१०० रुपये
५६	४२	श्री अरविन्द घोषाल	मत्स्य उद्योग के विकास की आवश्यकता	१०० रुपये
५६	४३	श्री अरविन्द घोषाल	कलकत्ता जेल के टावर को शहीद स्मारक के रूप में संरक्षित करने की आवश्यकता	१०० रुपये
५६	४४	श्री अरविन्द घोषाल	द्वीपों के नाम बदल कर, 'स्वदेश' और 'स्वराज्य' करने की आवश्यकता	१०० रुपये
५७	४५	श्री अरविन्द घोषाल	मनीपुर में मनीपुरी कला व संस्कृति के लिये गवेषणा केन्द्र की आवश्यकता	१०० रुपये
५७	४६	श्री अरविन्द घोषाल	मनीपुर के अस्पतालों में सुधार की आवश्यकता	१०० रुपये
५७	४७	श्री अरविन्द घोषाल	मनीपुर के देहाती क्षेत्रों में अधिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता	१०० रुपये
५७	४८	श्री अरविन्द घोषाल	मनीपुर में रेशम कीट पालन उद्योग के विकास की आवश्यकता	१०० रुपये
५७	१६६	श्री अरविन्द घोषाल	मनीपुर में उत्तरदायी सरकार की आवश्यकता	१०० रुपये
५७	१६७	श्री अरविन्द घोषाल	प्रादेशिक परिषदों को अधिक शक्तियां देने की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
५७	५०७	श्री ले० अचौ सिंह	मनीपुर की भावी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में एक सुनिश्चित नीति की घोषणा की आवश्यकता	१०० रुपये
५७	५०८	श्री ले० अचौ सिंह	मनीपुर प्रशासन में स्थानीय लोगों को विभागों के प्रधान बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
५७	५०९	श्री ले० अचौ सिंह	संघ क्षेत्रों के लिये किसी सार्वजनिक नेता को मुख्य आयुक्त नियुक्त करने की आवश्यकता	१०० रुपये
५७	५१०	श्री ले० अचौ सिंह	मनीपुर पहाड़ी क्षेत्रों में नागा-विद्रोहियों की कार्यवाही रोकने में असमर्थता	१०० रुपये
५७	५११	श्री ले० अचौ सिंह	मनीपुर पहाड़ी क्षेत्रों में नागा-विद्रोहियों का आना रोकने की आवश्यकता	१०० रुपये
५७	५१२	श्री ले० अचौ सिंह	मनीपुर पहाड़ी क्षेत्रों में आदिम जातियों की आपसी कलह	१०० रुपये
५७	५१३	श्री ले० अचौ सिंह	मनीपुर के तामेंगलोंग, उरूरूल सब-डिवीजनों और माओ-मारम सर्किल में प्रशासकीय व्यवस्था की असफलता	१०० रुपये
५७	५१४	श्री ले० अचौ सिंह	मनीपुर में लाख की और अधिक खेती और शहतूत बागानों की आवश्यकता	१०० रुपये
५७	५१५	श्री ले० अचौ सिंह	मनीपुर में दोहरी फसल व्यवस्था चालू करने की आवश्यकता	१०० रुपये
५७	५१६	श्री ले० अचौ सिंह	मनीपुर में एरी और नुगा रेशम उद्योग के विकास की आवश्यकता	१०० रुपये
५७	५१७	श्री ले० अचौ सिंह	मनीपुर में कागज की लुगदी का उद्योग शुरू करने की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
५७	५१८	श्री ले० अचौ सिंह	मनीपुर राज्य परिवहन के विस्तार की आवश्यकता	१०० रुपये
५७	५१९	श्री ले० अचौ सिंह	मनीपुर राज्य परिवहन द्वारा परमिट जारी करने की पद्धति	१०० रुपये
५७	५२०	श्री ले० अचौ सिंह	मनीपुर में रोजगार की संभावनाओं का अभाव	१०० रुपये
५७	५२१	श्री ले० अचौ सिंह	श्रम-विधियों की अकार्यान्विति	१०० रुपये
५७	५२२	श्री ले० अचौ सिंह	मनीपुर पहाड़ी क्षेत्र में ग्राम प्राधिकार अधिनियम लागू करने की आवश्यकता	१०० रुपये
५७	५२३	श्री ले० अचौ सिंह	मनीपुर में ग्राम पंचायत व्यवस्था लागू करने में विलम्ब	१०० रुपये
५७	५२४	श्री ले० अचौ सिंह	मनीपुर में टेकनीकल कालेज की आवश्यकता	१०० रुपये
५७	५२५	श्री ले० अचौ सिंह	मनीपुर में औद्योगिक बस्ती बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
५७	५२६	श्री ले० अचौ सिंह	मनीपुर में एक पृथक विश्वविद्यालय की आवश्यकता	१०० रुपये
५७	५२७	श्री ले० अचौ सिंह	मनीपुर में चिकित्सा कालेज की आवश्यकता	१०० रुपये
५७	५२८	श्री ले० अचौ सिंह	मनीपुर औद्योगिक न्यायाधिकरण की सिफारिशों की अकार्यान्विति	१०० रुपये
५७	५३३	श्री ले० अचौ सिंह	मनीपुर के आर्थिक विकास में आन्तरिक और बाह्य संचार-सुविधाओं के अभाव के कारण बाधा	१०० रुपये
५७	५३४	श्री ले० अचौ सिंह	कृषीय उत्पादों के मूल्यों में मंदी आने के कारण मनीपुर में प्रति व्यक्ति आय का घटना	१०० रुपये

१	२	३	४	५
५७	५३५	श्री ले० अचौ सिंह	वर्तमान योजना-काल में चालू वर्ष के दौरान मनीपुर प्रशासन के लोक कर्म विभाग के भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों में न्यूनता	१०० रुपये
५७	५३६	श्री ले० अचौ सिंह	मनीपुर में मत्स्यविकास योजनाओं की अकार्यान्विति	१०० रुपये
५७	५३७	श्री ले० अचौ सिंह .	इम्फाल नगर पालिका के चुनावों का स्थगन	१०० रुपये
५७	५३८	श्री ले० अचौ सिंह .	मनीपुर की निहत्थी जनता पर पुलिस द्वारा गोलीबारी	१०० रुपये
५७	५३९	श्री ले० अचौ सिंह	इम्फाल में १९६० के प्रारम्भिक दिनों में बार-बार धारा १४४ लगाना	१०० रुपये
५७	५४०	श्री ले० अचौ सिंह .	मनीपुर के विकास के मामले में राजनीतिक विभेदीकरण	१०० रुपये
५७	५४१	श्री ले० अचौ सिंह .	मनीपुर के औद्योगिक विकास के लिये सुस्पष्ट नीति न होना	१०० रुपये
५७	५४२	श्री ले० अचौ सिंह .	सूती कपड़े का उत्पादन बढ़ाने और और अधिक रोजगार जुटाने के लिये हथकरघा उद्योग के विकास की आवश्यकता	१०० रुपये
५७	५४३	श्री ले० अचौ सिंह .	कृषीय उत्पादों के लिये उचित मूल्य की गारन्टी न देना	१०० रुपये
५७	५४४	श्री ले० अचौ सिंह .	खाद्यान्नों के समाहार और वितरण की त्रुटिपूर्ण नीति	१०० रुपये
५८	४९	श्री अरविन्द घोषाल .	त्रिपुरा में सड़क विकास की आवश्यकता	१०० रुपये
५८	५०	श्री अरविन्द घोषाल .	त्रिपुरा में हवाई अड्डे की आवश्यकता	१०० रुपये
६०	५१	श्री अरविन्द घोषाल .	जनता के आर्थिक पुनर्वास के लिये आदिम जाति क्षेत्रों में छोटे उद्योगों की आवश्यकता	१०० रुपये
६०	१६८	श्री अरविन्द घोषाल .	पिछड़े वर्गों की सूची को अन्तिम रूप से तैयार करने की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
६०	१६९	श्री अरविन्द घोषाल	अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के उत्थान के लिये राज्यों को आवंटित निधियों के उचित उपयोग की आवश्यकता	१०० रुपये
६०	१७०	श्री अरविन्द घोषाल	आदिम जातियों से सम्बन्धित लोगों की इस कारण होने वाली बेदखलियों को रोकने की जरूरत कि उनके पास जमीन का रिकार्ड नहीं है	१०० रुपये
६०	१७१	श्री अरविन्द घोषाल	ऐसे आदिम जातियों से सम्बद्ध व्यक्तियों को छात्रवृत्तियां देने की आवश्यकता जिनके पास साहित्यिक टाइटल हैं	१०० रुपये
६०	२२३	श्री मो० ब० ठाकुर	आर्थिक तथा सांस्कृतिक स्थिति के आधार पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६०	२२४	श्री मो० ब० ठाकुर	दिल्ली में बसने वाले अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिए मकान बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
६०	५५९	श्री बि० दास गुप्त	भाषा-सम्बन्धी अल्पसंख्यकों के आयुक्त द्वारा उचित रिपोर्ट पेश करने की असफलता	१०० रुपये
६०	५६०	श्री बि० दास गुप्त	भाषा सम्बन्धी अल्पसंख्यकों के आयुक्त के दफ्तर का काम	१०० रुपये
६०	५६१	श्री बि० दास गुप्त	भाषा-सम्बन्धी अल्पसंख्यकों के आयुक्त के साथ राज्यों के प्रभाव पूर्ण सहयोग की आवश्यकता	१०० रुपये
६०	५६२	श्री बि० दास गुप्त	भाषा सम्बन्धी अल्पसंख्यकों के आयुक्त के कार्यालय व पद को प्रभावपूर्ण बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये

†**सभापति महोदय** : ये कटौती प्रस्ताव सभा के सामने हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (गुड़गांव): सभापति महोदय, हमारे देश में पीछे एक बहुत बड़ी हड़ताल हुई थी और वह हड़ताल भी इस प्रकार की थी जिसने कि सारे देश के वातावरण को हिला दिया। हड़ताल में जनता के सहयोग से और शासन की सतर्कता से सफलता प्राप्त हुई लेकिन सफलता प्राप्त होने के पश्चात् शासन के सामने एक यह प्रश्नवाचक चिन्ह आया कि भविष्य में इस प्रकार की हड़तालें न हों और देश के अंदर जो अनिवार्य केन्द्रीय सेवाएं हैं उनको हर समय बराबर जारी रक्खा जाय। इसके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने एक विधेयक उपस्थित करने का आश्वासन दिया। मैं चाहता यह हूं कि जहां इस प्रकार की अनिवार्य सेवाओं के सम्बन्ध में हमारी केन्द्रीय सरकार एक विधेयक लाने का प्रयत्न कर रही है वहां इस बात का ध्यान अवश्य रक्खा जाय कि जितने भी कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के अनिवार्य सेवाओं में हैं उनकी मांगों के सम्बन्ध में उदारता से विचार किया जाय और समय समय पर उनकी कठिनाइयों के सम्बन्ध में ध्यान भी दिया जाय परन्तु जहां इस बात के मैं समर्थन में हूं वहां इस प्रकार की भी व्यवस्था कोई अवश्य होनी चाहिए कि जो अनिवार्य केन्द्रीय सेवाएं हैं उनको किसी भी समय इतने लम्बे समय तक के लिए स्थगित न किया जा सके।

फ्रांस में भी इस प्रकार की हड़तालें होती हैं, किन्तु मेरी जानकारी है कि अनिवार्य केन्द्रीय सेवाओं के कर्मचारी जब हड़ताल करते हैं, तो वह हड़ताल चौबीस घंटे की एक टोकन हड़ताल होती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इस देश में इतनी लम्बी हड़ताल की जायगी, तो उसका परिणाम यह होगा कि एक ओर तो देश की शासन-व्यवस्था अस्त-व्यस्त होगी और दूसरी ओर नागरिकों के सामान्य जीवन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिये जहां यह आवश्यक और उचित है कि केन्द्रीय कर्मचारियों की मांगों के सम्बन्ध में उदारता और गम्भीरता से निर्णय लिये जायें, वहां यह भी आवश्यक है कि इस विषय में सावधानी और सतर्कता बरती जाये, ताकि देश में इस प्रकार की कार्यवाहियां की पुनरावृत्ति न हो।

मंत्रालय की गत वर्ष की रिपोर्ट में यह प्रकट किया गया है कि शासन की ओर से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को धीरे-धीरे हिन्दी में प्रशिक्षित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस विषय में आंकड़े दिये गये हैं कि पच्चीस हजार कर्मचारियों को हिन्दी में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है और पंद्रह हजार और कर्मचारियों को यह प्रशिक्षण देने का विचार है। इसका मतलब यह है कि चालीस हजार कर्मचारियों को एक वर्ष में हिन्दी में प्रशिक्षण देने का सरकार का विचार है। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कर्मचारी हिन्दी में प्रशिक्षण लेते हैं, उनको अभ्यास का अवसर देने और अपने ज्ञान को व्यवहार में लाने का मार्ग खोलने की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अभी तक सरकार की ओर से ऐसी कोई योजना नहीं बनाई गई है। यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि वे छोटे-छोटे नोट हिन्दी में लिखना शुरू करें और थोड़ा थोड़ा काम हिन्दी में करना शुरू कर दें। यदि वे प्रशिक्षित हो जायें, और बाद में उनको काम बराबर अंग्रेजी में ही करना पड़े और उनको कोई व्यावहारिक ज्ञान एवं अभ्यास न हो, तो इस योजना से कोई विशेष लाभ नहीं होगा।

गत वर्ष की रिपोर्ट में इस आशय के आंकड़े भी दिये गये हैं कि हमारे देश में किस किस देश के कितने नागरिक रह रहे हैं। उसमें यह बताया गया है कि हमारे देश में इरान, इटली और तिब्बत आदि देशों के इतने इतने नागरिक रह रहे हैं, लेकिन आदि से अन्त तक इस रिपोर्ट को देखने के पश्चात् भी मुझे यह जान कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि पाकिस्तान के नागरिकों के विषय में कोई आंकड़े इसमें नहीं दिये गये हैं। इससे मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट की ओर से जिस समय इस प्रकार के तथ्य सदन के सामने लाये जायें, तो प्रत्येक देश के नागरिकों के सम्बन्ध में आंकड़े दिये जाने चाहिए।

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

पिछले दिनों एक प्रश्न का उत्तर देते हुए गृह-मंत्री, स्वर्गीय श्री गोविन्द वल्लभ जी पन्त, ने इस सदन को बताया था कि १९५८ के अन्त में लगभग ५७,१०० पाकिस्तानी नागरिक भारत में हैं, जो कि पारपत्र लेकर यहां आए हैं। मैंने पूछा था कि इस प्रकार के पाकिस्तानी नागरिकों की संख्या कितनी है, जिनके पारपत्रों की अवधि समाप्त हो चुकी है और जो फिर भी भारत में रह रहे हैं। इसके उत्तर में उन्होंने कहा था कि पंजाब प्रदेश के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं, किन्तु बाकी सारे भारतवर्ष में पौने छः हजार के लगभग पाकिस्तानी नागरिक बिना पारपत्र के रह रहे हैं।

इस प्रश्न की ओर मैं शासन का ध्यान इस कारण भी आकर्षित करना चाहता हूं कि भारतवर्ष में अभी पीछे स्थान स्थान पर जो छोटे-मोटे गे हुए हैं, जिनके कारण यहां के लोगों में आपस में मन-मुटाव की स्थिति पैदा हुई है, उनके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को अपने विश्वस्त सूत्रों के द्वारा इस बात की जानकारी होगी कि उन के पीछे किसी का छिपा हुआ हाथ है, जो कि इस देश के बाहर का ही है। मेरा स्पष्ट अभिप्राय यह है कि जो पाकिस्तानी नागरिक भारत में अपने रिश्तेदारों को मिलने आते हैं, े भारतवर्ष के शान्त वातावरण को दूषित करते हैं। आज तक देश में जितने भी कांड हुए हैं--फिरोजाबाद, मुबारकपुर, जबलपुर और कल परसों मुरादाबाद में जो घटना हो चुकी है,--उन सबके पीछे पाकिस्तानी नागरिकों का हाथ है। मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है कि केन्द्रीय सरकार पाकिस्तान से आने वाले नागरिकों को पारपत्र देने के सम्बन्ध में अपने नियमों में कुछ कड़ाई बरते जिससे वे यहां आकर हमारे राष्ट्र के आन्तरिक जीवन में किसी प्रकार का विक्षोभ पैदा न कर सकें।

इस प्रतिवेदन में एक विशेष बात यह दी गई है कि अनुसूचित जातियों को और सुविधायें देने के अतिरिक्त अगले वर्ष से अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिये कुछ पृथक छात्रावासों की स्थापना भी की जायगी। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए पृथक छात्रावास बनाने की अपेक्षा यह कहीं अधिक उचित और व्यावहारिक होगा कि जो छात्रावास अभी हैं, उन्हीं में उनके रहने की व्यवस्था की जाय और वहां ही उनको आवश्यक सुविधायें दी जायें, जिससे अनुसूचित जातियों के छात्र अन्य छात्रों के साथ रह कर अपने रहन-सहन का स्तर उनके अनुरूप बना सकें। अगर उनके लिये पृथक छात्रावास बनाए जायेंगे, तो परिणाम यह होगा कि पृथकत्व की जिस भावना को हम अपने देश और समाज में समाप्त करना चाहते हैं, वह बनी रहेगी। इसलिये मेरा सुझाव है कि इस समय जो छात्रावास हैं, उनको ही बढ़ाया जाये और उनमें अनुसूचित जातियों के छात्रों को उचित सुविधायें दी जायें।

संक्षिप्त रूप से और नपी-तुली भाषा में मैं जम्मू तथा काश्मीर राज्य के सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहता हूं। वह राज्य हमारे सीमा-प्रदेश पर स्थित है। चूंकि वहां के नागरिक बड़ी कठिनाइयों से गुजर चुके हैं, इसलिये उनको जितनी अधिक से अधिक सुविधायें दी जायें, वह हमारे और साथ ही उस राज्य के हित में भी होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार की परिस्थितियां वहां हैं और जितनी मात्रा में रुपया हम उस राज्य को दे रहे हैं, जिसका वहां के नागरिक लाभ उठा रहे हैं, उनको दृष्टि में रखते हुए यह अत्यन्त आवश्यक है कि केन्द्रीय सरकार सावधानी के साथ इस बात का निरीक्षण करती रहे कि जो पैसा वह जम्मू तथा काश्मीर राज्य के लिये दे रही है, उस का यथोचित व्यय हो रहा है,

या नहीं। मैं इन शब्दों को गम्भीरता के साथ और नपो-तुली भाषा में जान-बूझ कर कह रहा हूं, क्योंकि परिस्थितियां इस प्रकार की हैं कि इस बात की अधिक व्याख्या करना उचित नहीं है। मैं आशा करता हूं कि गृह-मंत्री जी इस सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार कर के निर्णय लेंगे।

इस प्रतिवेदन के अन्त में राजभाषा आयोग की सिफ़ारिशों पर राजभाषा सम्बन्धी संसदीय समिति की रिपोर्ट और माननीय राष्ट्रपति जी के २७ अप्रैल, १९६० को प्रकाशित आदेश का उल्लेख करते हुये यह लिखा है कि गृह-मंत्रालय की ओर से इस सम्बन्ध में ये कदम उठाये जा रहे हैं, और ये सुविधायें दी जा रही हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम ने अपने संविधान में हिन्दी को राष्ट्र-भाषा के पद पर आसीन करने का व्रत ११ वर्ष पूर्व और संकल्प लिया था पर ग्यारह वर्षों के बाद भी वह अपने पद पर आसीन नहीं हो सकी है, यह हमारे लिये कोई गौरव की बात नहीं है। हम को अपने पिछले ग्यारह वर्षों के इतिहास का सिंहावलोकन करना होगा और यह देखना होगा कि हमारे कार्यक्रमों में कहां किस प्रकार की न्यूनता रही। हिन्दी को राष्ट्र-भाषा के पद तक पहुंचाने के लिये जो कठिनाइयां बताई जाती हैं, उन के सम्बन्ध में यह भी कहा जाता है कि यदि इस विषय में अहिन्दी-भाषा-भाषी प्रान्तों की ओर से उत्सुकता और आतुरता प्रकट की जायगी, तो कहीं ज्यादा उपयुक्त होगा। इस दलील में मुझे कोई गम्भीरता नज़र न आती हो, यह बात नहीं है। लेकिन मेरा कथन है कि अहिन्दी-भाषा-भाषी प्रान्तों में जो यह आरोप लगाया जाता है, या जो यह भय प्रकट किया जाता है कि हिन्दी को राष्ट्र-भाषा के पद पर बिठाने का परिणाम यह न हो कि सरकारी सर्विसिज पर वे लोग ही अपना अधिकार कर लें, जिन की मातृ-भाषा हिन्दी है, मैं समझता हूं कि इस भय का निराकरण करने के लिये यह आवश्यक है कि सरकारी सर्विसिज़ के विषय में सब प्रान्तों का अनुपात निर्धारित कर दिया जाये कि इस प्रान्त का इतना अनुपात होगा और उस प्रान्त का इतना अनुपात होगा। यदि इस सुझाव को कार्यान्वित किया जायगा, तो उस के पश्चात् अहिन्दी-भाषा-भाषी प्रान्तों को इस प्रकार की कठिनाई उपस्थित करने का अवसर नहीं मिलेगा और संविधान में हम ने जो व्रत लिया था, हम उस को पूरा करने में समर्थ होंगे और नियत अवधि के अन्दर ही अपने लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे और देश हम को साधुवाद देगा।

मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ कि राष्ट्रपति जी के आदेश में दी गई और बातों को तो शासन ने कार्य रूप में परिणत नहीं किया। लेकिन उसकी अन्तिम बात को, अर्थात् यह कि सरकारी प्रकाशनों में ऐरेबिक न्यूमरल्ज़--अन्तर्राष्ट्रीय अंकों का प्रयोग किया जाये, कार्यान्वित करने में उसने बड़ी आतुरता दिखाई। मेरा नम्र निवेदन यह है कि इस से सरकार के मार्ग में कठिनाई उत्पन्न हुई है और वह यह है कि जो विश्व-कोष नागरी प्रचारिणी सभा में तैयार हो रहा है, उसके अधिकारियों ने उन अंकों को ले कर उस को तैयार करने में अपनी असहमति प्रकट की है।

इसके अलावा मैं इस सम्बन्ध में भारतवर्ष के पुराने इतिहास का छोटा सा परिचय देना चाहता हूं कि ऐरेबिक न्यूमरल्ज़ क्या हैं। अरब जगत का इतिहास कहता है कि जिन को यहां पर ऐरेबिक न्यूमरल्ज़, अन्तर्राष्ट्रीय अंक, कहा जाता है, अरब में उन को कहा जाता है इल्मे हिन्दसा--वह ज्ञान जो हम को हिन्द से प्राप्त हुआ है। दूसरे जिस को इल्मे हिन्दसा कहते हैं हम उस को ऐरेबिक न्यूमरल्ज़ कहते हैं और अन्तर्राष्ट्रीय अंकों के रूप में स्वीकार करते हैं, क्या यह हंसी की बात नहीं है? दूसरे हमारे अंकों को ले कर गौरव अनुभव करें और हम उन के विषय में आत्म-हीनता की स्थिति में हों, यह कितने आश्चर्य की बात है। मैं चाहूंगा कि गृह-मंत्रालय इस सम्बन्ध में गम्भीरता के साथ विचार करे और उदारता से कुछ निर्णय ले।

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

गृह-मंत्रालय के अनुदानों के सम्बन्ध में चर्चा करते हुये मैं एक बात विजिलेंस डिपार्टमेंट के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। हमारे देश का विजिलेंस डिपार्टमेंट देश के जन-साधारण तक ही सीमित नहीं रहना चाहिये, उसको केवल नागरिकों की गति-विधियों पर ही नज़र नहीं रखनी चाहिये, अब समय आ गया है कि वह हमारे मिनिस्टरों और स्टेट मिनिस्टरों पर भी विशेष ध्यान दे। आप ने कल परसों की घटना समाचारपत्रों में पढ़ी होगी कि एक महानुभाव ने, जो पंजाब असेम्बली के सदस्य हैं, एक टेप-रिकार्ड उपस्थित किया, जिसे समाचारपत्रों के संवाद-दाताओं को भी सुनवाया गया। मुझे पता नहीं कि उस में जो चर्चा की गई है, उस में सत्यांश कितना है। हो सकता है कि वह झूठ हो। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो चीज़ समाचार-पत्रों में आती है, वह एक आन्दोलन पैदा करती है। इसलिये केन्द्रीय सरकार के विजिलेंस डिपार्टमेंट का यह कर्तव्य हो जाता है कि जन-साधारण के सम्बन्ध में ही नहीं, बल्कि मिनिस्टरों के सम्बन्ध में जो इस प्रकार के अपवाद फैलते हैं, उनके सम्बन्ध में सचाई से जानकारी प्राप्त करे, क्योंकि एक करप्ट मिनिस्टर न केवल अपने प्रान्त के वातावरण को दूषित करेगा, बल्कि प्रशासन को भी दूषित करेगा। इसलिये विजिलेंस डिपार्टमेंट के अधिकारों को आपको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिये ताकि उसका कार्यक्षेत्र सिमट कर ही न रह जाये।

एक बात और मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं। अभी यहां पर दिल्ली में चीफ मिनिस्टर्ज़ की एक कान्फ्रेंस हुई थी और उसमें आपने निश्चय किया था कि न्याय विभाग को प्रबन्ध विभाग से पृथक् कर दिया जाए। कुछ प्रान्तों ने इस सुझाव को व्यावहारिक रूप भी दिया है और इसके परिणाम बड़े ही शुभ रहे हैं। वहां पर न्याय विभाग बड़ी ही सन्तुलित स्थिति में चल रहा है। लेकिन कुछ प्रान्त अभी भी इस प्रकार के हैं कि जहां न्याय विभाग को प्रबन्ध विभाग से पृथक नहीं किया गया है और न ही वे इसको करना चाहते हैं। उसमें एक पंजाब प्रान्त भी है जिस का मैं यहा प्रतिनिधित्व करता हूं। उन्होंने अभी तक प्रबन्ध विभाग से न्याय विभाग को पृथक नहीं किया। इसका परिणाम यह है कि पंजाब की न्याय व्यवस्था दूषित हो चुकी है। पंजाब का आम आदमी इस बारे में आज शंकाशील हो उठा है, आज उसके हृदय में सन्देह पैदा हो चुका है कि उसके मुकदमे का न्यायपूर्ण ढंग से क्या निर्णय हो सकेगा या नहीं ? ग्रेवाल का केस आप के सामने हैं, पटियाला के कमिश्नर श्री कपूर का केस आपके सामने हैं। यह मैं उदाहरण स्वरूप ही बता रहा हूं। और भी इस प्रकार की बहुत बातें हैं। तो चीफ मिनिस्टर्ज़ ने जो निर्णय किया था उसके बारे में आप आदेश दीजिये कि सब प्रान्तों में न्याय विभाग को प्रबन्ध विभाग से पृथक कर दिया जाए।

पंजाब के एक मिनिस्टर पंडित मोहन लाल ने विधान सभा में भाषण देते हुये कहा है कि हमारा सैट अप इस प्रकार का है कि हमें न्याय विभाग को प्रबन्ध विभाग से इसलिये अलग करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती क्योंकि हमें कोई कठिनाई मालूम नहीं हुई है। मिनिस्टर्ज़ को कठिनाई नहीं हो रही है लेकिन पंजाब के लोग तो कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस ओर ध्यान दें और इस बारे में पंजाब सरकार के प्रबन्ध विभाग से न्याय विभाग को पृथक करने के लिये कहें।

स्वर्गीय सरदार बल्लभ भाई पटेल को इस बात का श्रेय प्राप्त है कि भारतवर्ष की ६५० रियासतों को भारतवर्ष में विलय करके उन्होंने हिन्दुस्तान के खंडित स्वरूप को समाप्त कर के एक ऐसा महान स्वरूप देने की चेष्टा की थी जिससे भारत एक हो सके उसी दिशा में हमारे

गृह-मंत्री स्वर्गीय पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त ने एक श्रृंखला जोड़नी चाही थी और वह क्षेत्रीय परिषदों के द्वारा जुड़ी थी। उन्होंने भारतवर्ष को पांच भागों में बांट करके पांच क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की थी और इन पांचों क्षेत्रीय परिषदों का वह धीरे धीरे विकास कर रहे थे और साथ ही साथ इनके अधिकारों का विकास भी, जिससे राष्ट्रीय एकता पुष्ट हो। मैं चाहता हूं कि आज जब कि पंडित पंत इस दुनिया में नहीं रहे तो उनके मुख्य उत्तराधिकारी शास्त्री जी जिन के नाम में "बहादुर" शब्द उनके माता पिता ने लगाया है वह कम से कम इतनी बहादुरी का परिचय अवश्य दें कि पंत जी जिस परम्परा का श्रीगनेश कर गए हैं उन क्षेत्रीय परिषदों के अधिकारों को बढ़ायें और उन का विकास करें। राष्ट्र की एकता जो छोटे छोटे भाषावार प्रान्त बनने से टूटती जा रही है, क्षेत्रीय परिषदों को और अधिक शक्तिशाली बना करके राष्ट्र की एकता को सुरक्षित बनाने की दिशा में वह प्रयास करें।

अन्त मे दो बातें कह कर मैं अपने वक्तव्य को समाप्त कर दूंगा। कुछ समय हुआ हमारे सामने एक दो इस प्रकार की घटनायें घटी थीं जिन को देख कर हमें दुःख हुआ था। आपको पता होगा कि हमारे देश के प्रधान मंत्री जी ने भी एक बात पर दुःख व्यक्त किया था। १५ अगस्त, १९६० को जब वह दिल्ली में लाल किले पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहे थे और देश की स्वाधीनता का दिन मनाया जा रहा था उस समय हमारे देश का एक प्रान्त इस प्रकार का था जहां पर कि मातम मनाया जा रहा था। मैं यह नहीं कहता कि उसके ऊपर कठिनाई नहीं आई थी और उसको दुःख व्यक्त नहीं करना चाहिये था। लेकिन एक ऐसी सरकार द्वारा जिसकी पार्टी की हुकूमत केन्द्र में भी है और उस राज्य में भी, ऐसी मनोवृत्ति का परिचय देना बड़ा आश्चर्यजनक था। ऐसे अवसरों पर शोक मनाना और मातम का सा वातावरण तैयार करना ऐसी घटना है जो कि समझ में आने वाली नहीं है। मुझे कलकत्ता जाने का अवसर मिला था और मुझे बताया गया वहां के नागरिकों द्वारा कि १५ अगस्त, जो जिन दुकानों पर तिरंगे झंडे फहरा भी रहे थे, उनको भी पुलिस आई और उतार कर ले गई। इस प्रकार की स्थिति चिन्ता उत्पन्न किए बिना नहीं रहती है। ऐसी ही एक भूल बम्बई अन्दर भी हुई थी और जो दंगे हुए थे, उनको शान्त करने के लिए उत्तर प्रदेश से पुलिस भेजनी पड़ी थी। इस प्रकार की जो घटनायें होती हैं, उनको रोकने के लिए मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि और कुछ हो या न हो, इतना तो अवश्य होना चाहिये कि हर प्रान्त में एक चौथाई पुलिस दूसरे प्रान्तों की होनी चाहिये ताकि विपत्ति काल में कम से कम इस प्रकार की अप्रत्याशित घटनाओं का सामना किया जा सके और वह उस प्रान्त की स्थिति को सम्भाले जा सके। मैं पंजाब की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि जितने भी प्रान्त हैं उन सभी के बारे में कह रहा हूं कि वहां पर एक चौथाई पुलिस दूसरे प्रान्तों की होनी चाहिये जो वहां की व्यवस्था को, वहां के शासन को दृढ़ता के साथ सम्भाले रख सके।

एक अन्तिम बात कह कर मैं समाप्त कर दूंगा। हम राष्ट्रीय एकता को विकसित करने जा रहे हैं। लेकिन सभापति महोदय, कुछ इस प्रकार के साम्प्रदायिक तत्व भी हैं जो धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं जो राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा पैदा कर रहे हैं। राष्ट्रीय एकता को तोड़ने वाले तत्व चाहे हिन्दुओं में हों, चाहे मुसलमानों में, चाहे ईसाइयों में और चाहे किसी और धर्म के मानने वालों में, उनको हमें धिक्कारना चाहिये। हमें अपने मुल्क में एक इस प्रकार का वातावरण तैयार करना चाहिये कि हमारे पूर्वजों ने जिस त्याग और तपस्या के बाद हिन्दुस्तान को स्वतंत्र कराया है उसको हम अपने हाथ से न जाने दें। हमारे स्वतंत्र होने के तेरह वर्ष बाद भी अगर कोई इस तरह की बातें करता है तो जिससे हमारी स्वतंत्रता ही खतरे में पड़े या यहां पर कोई अप्रिय घटनायें

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

घटे, तो हम उसको किसी तरह से भी सहन नहीं कर सकते । जबलपुर में जो वीभत्स काण्ड हुआ, मैं ने उसको पहले भी धिक्कारा था और जिन्होंने इस प्रकार के काण्ड में आगे बढ़ कर राष्ट्र के अन्दर विक्षोभ की स्थिति पैदा की, उनकी भी मैं ने निन्दा की थी । मैं माननीय गृह मंत्री महोदय से विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्र में जो इस प्रकार के साम्प्रदायिक समाचार पत्र हैं जो राष्ट्र के वातावरण को बिगाड़ते हैं, देश के शान्त वातावरण को दूषित करते हैं उनके सम्बन्ध में हमारी केन्द्रीय सरकार का कर्तव्य हो जाता है कि इस प्रकार के समाचार पत्रों पर दृढ़ता से प्रतिबन्ध लगाए । दिल्ली में एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है जिसका नाम है जमीयत उल उलेमा और उसका एक पत्र निकलता है जिसका नाम है "अल जमीअत" । इस पत्र के से कुछ उद्धरण पढ़ कर मैं अपने भाषण को समाप्त कर दूंगा । इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि स्थिति क्या है और केन्द्रीय सरकार का सी० आई० डी० डिपार्टमेंट समाचार पत्रों में इस प्रकार के सम्पादकीय विचारों के बारे में आपको क्यों सूचना नहीं देता है । इसमें जबलपुर की घटनाओं को ले कर १३ फरवरी को एक अग्र लेख लिखा गया और उस अग्रलेख का शीर्षक था "जबलपुर–श्मशान भूमि" उस लेख में मुस्लिम अकलियत को सम्बोधित करते हुए उसने लिखा है :—

> "इस मौके पर क्या हम मुस्लिम अकलियत से भी कुछ कहने का हक रखते हैं ? अगर हमें इसका हक है तो हम मुसलमान से अर्ज करेंगे कि कानून व अखलाक ने हर मजलूम को अपने दफाअ का जो हक दिया है वह उससे फायदा उठाये और अपनी जान माल और आबरू की हिफाजत के लिए वह तमाम तरीके अखत्यार करे जो ऐसे मौके पर मजबूरन अखत्यार किए जाते हैं । अगर उन्हें बरबाद ही होना है तो दिलों की हसरत निकाल कर बरबाद हों और हमलावरों को पूरी सजा दे कर आपको अंजाम के हवाल कर दें ।"

इस प्रकार के सम्पादकीय लेख जब निकलते हैं तो आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि क्या ये हमारी राष्ट्रीय एकता को सुरक्षित रखने वाले हैं । मैं चाहता हूं कि आज जब कि गृह मंत्रालय के अनुदानों पर चर्चा हो रही है, तो गृह मंत्री महोदय थोड़ा सा इस बात पर भी गम्भीरता से विचार करें कि राष्ट्रीय एकता को भंग करने वाले व्यक्तियों और संगठनों को अथवा समाचार पत्रों जो, चाहे वे किसी भी धर्म से सम्बन्धित हों, क्या दृढ़ता के साथ दबाया नहीं जाना चाहिए ।

†श्री लै० अचौ सिंह (आंतरिक मणिपुर) : यद्यपि कटौती प्रस्तावों की सारी बातों पर इस समय बोला न जा सकेगा तथापि महत्वपूर्ण बातों की ओर मैं सभा का ध्यान दिला ऊंगा । पहली बात तो यह है कि गृह कार्य मंत्रालय ने हमारे साथ अकरणीय व्यवहार किया है । हमें पिछले विधान सभा आंदोलन के समय अपने राज्य से नावगांव जेल में भेजा गया और हालांकि सालहकार समिति ने दो व्यक्तियों के निरोध को ठीक नहीं बताया तब भी उसकी परवाह नहीं की गयी ।

हमारे साथ कुछ नागा भी निरुद्ध थे । मैं समझता हूं सरकार बड़े नाजायज तरीके से लोगों को निरुद्ध करती है और यह जनतंत्रात्मक युग में बड़ी बुरी चीज है । मेरे निरोध के मामले में भी प्रशासन ने वैध प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया । खैर अंत में मझे छोड़ा

†मूल अंग्रेजी में

गया । जेल के अंदर हम लोगों से अत्यधिक निंदनीय व्यवहार किया गया और यहां तक कि परिवार वालों से भी मिलने नहीं दिया गया । हमें बंदी बनाकर हमारे स्थान से २०० मील परे उस क्षेत्र में से ले जाया गया जहां नागा विद्रोहियों की गोलियां दिन रात चला करती हैं । सरकार को हमारी सुरक्षा की भी कोई परवाह नहीं थी ।

हमने कुछ गैर-कानूनी बात न की थी । हमारी मांग केवल यह थी कि हमारे यहां पर भी जिम्मेदार सरकार बने । वहां इसलिए आंदोलन चला और वह भी शांति से चला । मगर प्रशासन ने उसे हिंसात्मक विद्रोह के समान हिंसा से दबाया । औरतों तक को मारा पीटा गया । दफा १४४ हमेशा लगी रही ।

एक डिप्युटी सुप्रिन्टेंडेंट पुलिस ने गोली भी चलाई हालांकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण था । उस मामले की जांच होनी चाहिए । दंडाधिकारी उस अवसर पर वहां नहीं थे ।

इस प्रकार के शांतिपूर्ण आंदोलनों का हिंसात्मक दमन करके सरकार हिंसा को ही बढ़ावा देती है । जहां जनता हिंसापूर्ण काम करे वहां की मांगें खून खराबे के बाद मान ली जाती हैं । महाराष्ट्र आदि का उदाहरण सब के सामने है । पर जायज बातों को यह नहीं सुनती ।

मैं प्रार्थना करता हूं कि संघीय क्षेत्रों के भावी संस्थापन आदि के बारे में सरकार को स्पष्ट नीति की घोषणा करनी चाहिए । आज पूर्वी सीमान्त की सुरक्षा का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है । बर्मा ने चीन से संधि कर ली है । इधर मीजो लोग एक स्वायत्त राज्य की मांग करने लगे हैं । अतः सीमान्त संघीय क्षेत्रों के बारे में सरकार को पूरा विचार करना चाहिए ।

नागाओं की कुछ कार्यवाहियां मनीपुर में भी फैल रही हैं । परन्तु सरकार हत्याओं के लिये जिम्मेदार नागाओं का पता लगाने में अब तक सफल नहीं हुई है । मैं बताना चाहता हूं कि मनीपुर में मनीपुर नागा परिषद एक स्थानीय संस्था है जो नागा राष्ट्रीय परिषद् से संबद्ध है । इसके कुछ नेतागण हथियार इकट्ठा कर रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि इसके बारे में हमारा गुप्तचर विभाग क्या काम कर रहा है ।

इम्फाल-तामेंगलांग सड़क केवल ७४ मील लम्बी है परन्तु इसका निर्माण पहली योजना में आरंभ हुआ था और यह अब तक दस वर्षों में बन कर पूरी नहीं हो गई पाई है । नवीन कछार सड़क भी १३४ मील में से केवल २५ मील अब तक बनी है । मनीपुर प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए ।

मनीपुर में इम्फाल जल संभरण योजना, विद्युत संभरण योजना भी पूरी तरह लागू नहीं हुई हैं । इससे स्पष्ट हो जाता है कि मनीपुर प्रशासन अपना विकास कार्यक्रम उचित रूप में आगे नहीं बढ़ा रहा है । इसलिए मेरा सुझाव है कि हमें इसके बारे में जनता का सहयोग लेना चाहिए और यहां पर जिम्मेदार सरकार बनाई जानी चाहिए । विधान सभा बनानी चाहिए ।

तीसरी योजना के लिए १२.८७ करोड़ रुपया निर्धारित किया गया है । मैं समझता हूं कि यह बहुत ही थोड़ी राशि है । इसलिए यदि वास्तव में इस क्षेत्र का विकास करने का सरकार का विचार है तो इस राशि को बढ़ाया जाना चाहिए ।

श्री अ० मु० तारिक (जम्मू तथा काश्मीर) : जनाब चेयरमैन साहब, आज सुबह जब ऐवान में वजारत दाखिला के मतालबात जर पर बहस शुरू हुई तो मेरा कोई इरादा नहीं था इस वजारत के बारे में अपने खयालात के इजहार करने का ।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : तो फिर दूसरों को क्यों नहीं बोलने का मौका देते ।

श्री अ० मु० तारिक : लेकिन मुखालिफ पार्टी के कुछ मेम्बरान ने जिस तरीके से काश्मीर का जिक्र किया उससे मुझ पर यह फर्ज आयद होता है कि मैं अपनी समझ और मालूमात के मुताबिक उनका जवाब इस ऐवान में अर्ज करूं ।

मुखालिफत के बहुत से तरीके हैं, उनमें से एक तरीका यह भी है कि मुखालिफत न करते हुये किसी बुनियादी चीज की मुखालिफत की जाए । इस ऐवान में मुखालिफ पार्टी के किसी मेम्बर ने इस बात का तजकिरा नहीं किया कि हिन्दुस्तान की बहुत स्टेट्स में पैसा कैसे खर्च किया जाता है, लेकिन सिर्फ काश्मीर के लिए इस बात का यहां बार बार मतालबा किया कि साहब इस बात का खयाल रखा जाए इस बात को देखा जाए कि काश्मीर में पैसा कैसे खर्च किया जाता है ।

जहां तक काश्मीर का ताल्लुक है वह हिन्दुस्तान का ऐसा ही एक हिस्सा है, ऐसी ही एक रियासत है जैसी और रियासतें हैं, और चूंकि काश्मीर में वह तमाम हालात हैं जो कि और रियासतों में नहीं हैं, और मैं दुआ करता हूं कि हिन्दुस्तान की और रियासतें उन हालात से न गुजरने पाएं, इस बात का खयाल करना चाहिए कि काश्मीर की हुकूमत ने, चाहे वह मौजूदा हुकूमत हो या इससे पहली हुकूमत हो, किन हालात में काश्मीर के निजाम को संभाला । हमने उन हालात में जब हमारी सरहदों पर पाकिस्तानी हमलावर थे और अन्दर रियासत के फिरकापरस्त जमातों ने खून की होली खेलना शुरू कर दिया था, हुकूमत को संभाला, और इस एवान में मैं निहायत दयानतदारी से इस बात को कह सकता हूं कि जिस शान से, जिस अच्छे ढंग से और जिस नेकनीयती से हमने हुकूमत को संभाला शायद कहीं और अगर ऐसे हालात होते तो कोई रोक संभाल न पाता । यह काश्मीर की तरीख है कि उन तमाम हालात में जो कि उस वक्त वहां रूनुमां थे काश्मीर में कोई फिरकावाराना फिसाद उस हुकूमत के आने के बाद नहीं हो पाया और अकलियत फिरकों को वहां मौजूदा हुकूमत के बरसरे इक्तदार आते ही इस बात की जमानत मिल गयी कि अक्सरियत के होते हुए उनका हाल और उनका मुस्तकबिल रोशन है । और इस बात का तजकिरा इस मुल्क के सबसे बड़े आदमी, इस मुल्क के सबसे बड़े गुरू और मौजूदा दुनिया के सब से बड़े शहीद महात्मा गांधी ने किया जो उन्होंने अपने जरीं अल्फाज में कहा कि इस अंधेरे में जो मेरे हिन्दुस्तान पर छाया हुआ है अगर मुझे रोशनी की किरण कहीं दिखायी देती है तो वह काश्मीर में । इस ऐवान के जी इज्जत मेम्बरान को मौजूदा हालात को मद्देनजर रखना चाहिए जब कि एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चीन भी आया है और फिर हिन्दुस्तान में ऐसी सियासी जमाअत हैं जो वहां के हालात का नाजायज फायदा उठाना चाहती हैं, कुछ फिरकेवाराना पार्टियां हैं और कुछ जमाअत ऐसी हैं, उनका चाहे बाहर के मुल्कों से ताल्लुक हो या न हो, लेकिन जो यकीनन बाहर के उन मुल्कों को जो इस मुल्क के सोशलिस्ट निजाम को और इस मुल्क की मौजूदा हुकूमत को कमजोर करना चाहते हैं, फायदा पहुंचा रही है ।

काश्मीर में पैसा कैसे खर्च होता है इसका अगर आपको अन्दाजा करना है तो आप काश्मीर की मौजूदा तरक्की को देखिये, काश्मीर में जो प्लान बने हैं उनको देखिये, काश्मीर में जो आज तालीम का हाल है उसको देखिये। उस रियासत में हर मजहब के हर फिरके के हर फर्द बशर के लिये, चाहे उसका मजहब कुछ भी हो, चाहे उसका खानदान कुछ भी हो, चाहे वह किसी जगह का रहनेवाला हो, देहात का रहने वाला हो या शहर का रहने वाला हो तालीम का इन्तिजाम है, और मेरे ख्याल में उतनी ही अच्छी तालीम का इन्तिजाम है जैसा कि हिन्दुस्तान की और रियासतों के तरक्कीयाफ्ता शहरों में। वहां एम० ए० तक बराबर मुफ्त तालीम दी जाती है। लड़कियों को वजाइफ दिये जाते हैं, लड़कियो की सेहत का ख्याल किया जाता है।

काश्मीर सियासत के अलावा इस लिहाज से भी मशहूर है कि वह सयारों का मरकज है। आप वहां जाकर देखिये कि टूरिज्म को कैसे अछूते ढंग से, नये तरीके से और कितनी कलील मुद्दत में आरगेनाइज किया है और काश्मीर को इस काबिल बनाया है कि वहां जहां पहले चन्द सौ सैयार आते थे आज काश्मीर में हजारों सैयार आते हैं और इनमें गैरमुल्की लोग भी शामिल हैं जो काश्मीर के नाते से हिन्दुस्तान को फारिन एक्सचेंज लाकर देते हैं।

इसके अलावा हमारी इंडस्ट्री को देखिये। मौजूदा काश्मीर की हालत को देखिये। यह हकीकत है कि काश्मीरी कौम दानिशमन्द है, दानिशवर है, वह मसायब का मुकाबला कर सकती है और यह हकीकत है कि हिन्दुस्तान के और शहरी, खास तौर पर हमारे सरहद के शहरी हमको अहसास कमतरी में मुब्तला कराकर हमारे नामों की तजहीक उड़ाते हैं। हमें हातो कहा जाता था और हमारा मजाक उड़ाया जाता था लेकिन यह आज दावा है और इस बात के लिये आपको काश्मीर की मौजूदा हुकूमत को, काश्मीर के मौजूदा नेताओ को मुबारकबाद देनी चाहिये कि काश्मीर के काश्मीरी अपने आपको किसी हिन्दुस्तानी से कम नहीं समझते।

जहां तक तरक्की का ताल्लुक है, चाहे वह इल्मी तरक्की हो, चाहे वह सनअत की तरक्की हो चाहे वह मुलाजमत की तरक्की हो, अपनी बसात के मुताबिक अपनी दानिशमन्दी के मुताबिक, हमने अपनी दानिशमन्दी के लिये मुकाबलों में आकर जिस मुकाबले में तमाम रियासतों के लोग हिस्सा लेते हैं अपने आपको इस काबिल पाया है, अपने आपको ऐसा काबिल करके दिखाया है कि हम हिन्दुस्तान के और सूबों के रहने वालों से कम नहीं हैं। लेकिन बार बार यह कहना कि साहब काश्मीर में पैसा कैसे खर्च किया जाता है यह कोई मानी नहीं रखता है। अब पैसे के खर्च करने का एक ही ढंग है कि आप जेब से पैसा निकालिये और उसे खर्च करिये और उसका फायदा देखिये। आप हमारे ट्रांसपोर्ट को देखिये। आप देखिये कि काश्मीरियों को किन किन मसायब का मुकाबला करना पड़ता है। एक ही रास्ता है काश्मीर जाने के लिये। उसको तमाम साल के लिये काम के लिये खुला रखना यह कोई मजाक नहीं है। बदकिस्मती यह है कि हमारे बहुत से जीइज्जत मेम्बर्स खुद अपने मुल्क की जुगराफिया से वाकिफ नहीं हैं। वह आकर देखें कि काश्मीर कहां कहां है। किन दुश्वारगुजार पहाड़ों पर है? काश्मीर के देहाती कहां कहां और किस बुलन्दी पर रहते हैं? वहां की आबहवा क्या है वहां का मौसम क्या है? इन चन्द सालों में बावजूद इन तमाम मुश्किलो के इन तमाम मसायब के इन तमाम हालात के जो हिन्दुस्तान के अन्दर और हिन्दुस्तान के बाहर रहे और जिनका कि सामना काश्मीरियों को काश्मीर के मौजूदा लीडरों को करना पड़ता है, यकीनन वह हमारी इमदाद के मुस्तहक हैं। वह इस बात का मतालबा करती हैं कि काश्मीर को और रियासतों के मुकाबले में ज्यादा से ज्यादा इमदाद दी जाये। माली इमदाद दी जाय, इल्मी इमदाद दी जाये और फौजी इमदाद दी जाये। अब काश्मीर के लिये यह कहा जाय कि साहब पैसा कैसे खर्च करना है तो इसके लिये आपके सामने काश्मीर का बजट है, काश्मीर की तरक्की है और काश्मीर के मौजूदा हालात हैं। आप काश्मीर इम्पोरियम को देखिये। पहले काश्मीर का एक काश्मीरी एक शाल को कंधे पर लेकर साइकिल पर

[श्री अ० मु० तारिक]

तमाम हिन्दुस्तान का चक्कर काटता था लेकिन काश्मीर गवर्नमेंट ने एक कसीर रकम खर्च करके अपने इम्पोरियम्स बनाये हैं और उन इम्पोरियम्स का न सिर्फ काश्मीर को ही फायदा पहुंचता है बल्कि उनका फायदा फौरेन एक्सचेंज की शक्ल में तमाम हिन्दुस्तान को मिल रहा है। यही नहीं आज काश्मीर में मजदूरों की हालत यह है इसके यह मानी न समझे जायें कि मैं यह कहना नहीं चाहता कि तमाम रियासतों में और तमाम हिन्दुस्तान में ऐसी तरक्की न हो, मैं चाहता हूं कि जितनी तरक्की इस सनअती इनकिलाब की वजह से काश्मीर ने की है, वह तमाम हिन्दुस्तान में भी हो जाय और हिन्दुस्तान भी वैसी तरक्की करे। हमारे यहां आज एक मामूली मजदूर की मजदूरी जो बड़ी मुश्किल से मिलता है दस्तयाब होता है, ५ रुपया है। ५ रुपये से कम पर आज काश्मीर में कहीं मजदूर नहीं मिलता। इसके मानी हैं एक सबूत है इस चीज का कि काश्मीर तरक्की की तरफ जा रहा है। काश्मीर में अगर आज आपको किसी मकान के बनाने का काम शुरू करना है तो आपको उसके लिये कम से कम ८ महीने पहले प्लान करना पड़ता है, मजदूर ढूंढने पड़ते हैं कारीगर ढूंढने पड़ते हैं।

इसके अलावा मैं आप हजरात की खिदमत में अर्ज करूं कि काश्मीर को एक खास रकम खर्च करनी पड़ती है उन हालात के पेशेनजर जिनका कि उसको सामना करना पड़ता है। हमारे पास काफी पुलिस है और हमें उस पुलिस को खास ढंग से और दूसरे तरीकों से अपनी सरहदों की हिफाजत करने के लिये रखना है। इसके अलावा मौजूदा हिन्दुस्तान में जो तरक्की हो रही है उसके साथ ही साथ हमें भी आगे बढ़ना है।

जनाबवाला, जहां तक और बातों का ताल्लुक है मैं वजीर दाखिला की तवज्जह इस अम्र की तरफ दिलाना चाहता हूं कि यह कहा गया है कि साहब चन्द मुकदमें वहां पिछले कई सालों से पड़े हुये हैं। यह हकीकत नहीं है और यह कह कर अपने मुल्क को किसी और मुल्क के लिये मजहका-खेज बनाने के लिये मौका न बनाया जाये। उस मुकद्दमे की नौअियत हर रोज आपके अखबारों में आती है। मुलजिमों के वकील कभी हाजिर होते हैं और कभी हाजिर नहीं होते हैं। कुछ मुलजिन उनमें से ऐसे हैं जो चन्द और मुकद्दमों में वाबस्ता हैं। कभी उनकी पेशी वहां होती है और कभी यहां। लेकिन इससे यह कहना कि वहां की अदालत, वहां का कानून या वहां का इंसाफ जिम्मे-दार है यह हकीकत नहीं है। जहां तक इस मुकद्दमे की नौअियत का ताल्लुक है चूंकि वह अदालत में है और उसके बारे में मैं किसी राय का इजहार करना नहीं चाहता लेकिन यह एक उस मुकद्दमे के चलाने वालों का या उस मुकद्दमे से जो लोग वाबस्ता हैं या जिन लोगों ने उस मुकद्दमे के हक में कोई फैसला देना है अभी से उनकी नीयतों पर शक किया जाय या कोई ऐसी बात की जाय, यकीनन हिन्दुस्तान के मौजूदा हालात के पेशेनजर हिन्दुस्तान के हक में नहीं जायेगा।

जहां तक सियासी बातों का ताल्लुक है उनकी आप मुखालफत कीजिये, आपको हक है। लेकिन चन्द ऐसे नुक्तों को लेकर जिनसे आप कुछ गैर मुल्की ताकतों को फायदा पहुंचा सकते हैं, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा और मुखालिफ मेम्बरों से दरख्वास्त करूंगा कि वह इसकी तरफ तवज्जह दें।

जनाबवाला, मैं इस तरफ भी वजीर साहब की तवज्जह दिलाना चाहता हूं और उनसे हमें उम्मीद है कि वह खास तौर पर इस ढंग की तरफ तवज्जह देंगे। जहां तक इस ईवान का ताल्लुक है इस ऐवान ने इस मुल्क को यह एक निहायत ही आला किस्म का आईन दिया है। उस आईन की हिफाजत करना उस आईने में जो कहा गया है उससे इस मुल्क के तमाम लोगों को फायदा पहुंचाना इस वजारत का काम है। इस वजारत का यह काम है कि इस मुल्क के तमाम रहने वालों को बिला

लिहाज मजहब और मिल्लत बगैर किसी फिरकापरस्ती के बगर किसी फिरकाबन्दी के इस मुल्क में तमाम मराआत हासिल हों चाहे वह मुलाजिमत की हों, चाहे वह शहरियत की हों, चाहे वह अखबार-नवीसी की हों और चाहे वह तिजारत की हों । इस वजारत का यह फर्ज है कि वह उन चीजों की तरफ खास तौर से ध्यान रक्खे ।

जनाबवाला, जहां तक फिरकेदाराना फसादात का ताल्लुक है यह खुद ऐडमिनिस्ट्रेशन का मामला है, रियासती ऐड मिनिस्ट्रेशन का मामला है और रियासतों को इसके बारे में देखना चाहिये । सैंटर को मरकजी हुकूमत को इसकी निगरानी करनी चाहिये ।

हमारे सामने चन्द वाकयात हुये । मिसाल की तौर पर पंजाब की अकाली तहरीक । वह तहरीक निहायत ही एक खतराक तहरीक थी । पंजाब, मध्यभारत और असम जहां यह तीन मुख्तलिफ सूबे हैं, तीन मुख्तलिफ सूबों के तीन मुख्तलिफ लोग हैं जिनके कि तीन मुख्तलिफ मिजाज हैं । पंजाबी आदमी बिलकुल एक लट्टू है । यह हकीकत है चाहे वह पंजाबी हिन्दू हो, पंजाबी मुसलमान हो या सिक्ख हो, पंजाब की सबसे निहायत जो दबा हुआ इंसान हो वह भी एक लमहेमें मुश्तल हो जाता है । अगर और सूबों के लोगों को मुश्तैल होने के लिये एक आध घंटा चाहिये तो पंजाबी को आधा सेकेंड चाहिये ।

श्री दी० च० शर्मा (गुरदासपुर) : चेअरमैन साहब, यह बात सही नहीं है ।

श्री अ० मु० तारिक : अब यह खड़े हो गये यह खुद इस बात का सबूत है जोकि मैं कह रहा हूं ।

जहां तक पंजाब के मौजूदा ऐडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है यकीनन वह काबिले मुबारकबाद है । पंजाब की हुकूमत ने जिस मजबूती से जिस ढंग से और पजस बहादुरी से अकाली तहरीक का और मजहबी फिरकेदाराना फसादात का मुकाबला किया उसके लिये उसकी तारीफ की जानी चाहिये ।

मैं वजीर साहब की तवज्जह एक निहायत ही गैर अहम और एक छोटे वाकये की तरफ दिलाना चाहता हूं और खुद वजीर साहब को भी उसका खयाल होना चाहिये और वह यह है कि जो हमारे अफसर हैं चाहे वह दयानतदार हों और यकीनन हमारे अफसरों की जहां तक काबिलियत का ताल्लुक है और दयानतदारी का ताल्लुक है उस पर हम शक नहीं कर सकते लेकिन हम सबके बारे में ऐहतराम नहीं कर सकते.....

सभापति महोदय : अब माननीय सदस्य अपनी बात खत्म करें ।

श्री अ० मु० तारिक : मैं एक लमहे के बाद अपनी तकरीर खत्म करूंगा ।

जहां अफसरान में अब यह आदत पड़ गयी है कि टेप रिकार्ड जेब में लिये फिरते हैं तो इसमें खुद शास्त्री जी को भी खयाल रखना चाहिये कि कहीं उनके प्राइवेट सेक्रेटरी साहब या दूसरे सेक्रेटरी साहब यह टेप रिकार्ड इस्तेमाल न करने लगें । यह एक निहायत खतरनाक बात है । यह ठीक है कि अगर हमने किसी वजीर को इलजाम लगाना है तो इस टेपरेकार्ड के जरिये सबूत पेश किया जा सकता है लेकिन हमारे वजीर जो कुछ हमसे बातचीत करते हैं तो कई हमारे अपने मामलात होते हैं जोकि हम अपने वजीरों से करते हैं जहां तक सरदार प्रताप सिंह कैरों का ताल्लुक है, वह कांग्रेसी हैं और उनका टेप रेकार्ड उनकी कंस्टिट्युएसी है, और जिन लोगों ने उनको चुन कर भेजा है वे क्या सोचेंगे ।

[श्री अ० मु० तारिक]

जब अफसरों का इस तरह का रवैया हो तो यह चीज खतरनाक बन जाती है। आज जो लोग पंजाब में रहते हैं, मैं समझता हू उनको इस तरह की बातें का खास तौर पर खयाल रखना चाहिये . . . .

श्री दी० च० शर्मा (गुरदासपुर) : तुम कोई परवा न करो।

श्री अ० मु० तारिक : मेरे पास भी एक है, जो बोल रहा है।

अब मैं गुण्डागर्दी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता या कोई कौर बड़ा शहर हो, हमने देखा है कि पिछले चन्द सालों में गुण्डागर्दी काफी हद तक बढ़ी है। शहरों में ही नहीं देहातों में भी बढ़ी है। इस तरफ वजीर साहब की खास तौर से तवज्जह जानी चाहिये।

अखबारात की तरफ भी वजीर साहब की मैं तवज्जह दिलाना चाहता हूं। मं समझता हूं कि इस वजारत का फर्ज़ है कि जो फिरकापरस्त अखबारात हैं, उन पर पाबन्दियां आयद की जायें और अगर पाबिन्दयों के बावजूद भी वे बाज नहीं आते हैं तो कानून का सहारा लेकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाये।

इन चन्द अलफाज के साथ मैं काश्मीर गवर्नमेंट को उसके तरक्की के कामों के लिये मुबारिक-बाद पेश करता हूं और वजारत दाखिला ने जो डिमांड्स पेश की हैं, उनकी हिमायत करता हूं।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, २८ मार्च, १९६१/७ चैत्र, १८८३ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

दैनिक संक्षेपिका

[सोमवार, २७ मार्च, १९६१
६ चैत्र, १८८३ (शक)]

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		३४६९—३५०१

तारांकित
प्रश्न संख्या

११०९	रेलवे इंजनों का आयात	३४६९—७१
१११०	रेलवे के सवारी-डिब्बों और माल-डिब्बों का निर्यात .	३४७१-७२
११११	युगोस्लाविया से जहाजों की खरीद .	३४७३
१११३	भाखड़ा में बायें किनारे का बिजली घर . . .	३४७३-७४
१११४	समस्तीपुर—बरौनी रेलवे लाइन . . .	३४७४-७५
१११५	बरसोवा के निकट स्टीमर और मछलियां पकड़ने की नाव में टक्कर	३४७५—७७
१११७	क्लेम इंस्पेक्टरों की भर्ती . .	३४७७-७८
१११८	स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज, मदुरै	३४७८—८०
१११९	'ड्राईफ्रीज' टीके . . .	३४८०—८१
११२०	मद्रास हवाई अड्डा	३४८१—८३
११२१	उड़ीसा में सहकारी खेती संबंधी अग्रिम परियोजना एकक .	३४८३—८५
११२३	अमृतसर के निकट विमान दुर्घटना . .	३४८५-८६
११२६	नई दिल्ली में कोयले के वैगनों से माल उतारना	३४८६—८८
११२७	टाटानगर में रेलगाड़ी में डकैती	३४८८—९०
११२८	उत्तर प्रदेश में नई रेलवे लाइनें . .	३४९०—९२
११२४	श्री के० रामाराव के परिवार को मुआवजा .	३४९२—९४

अल्प सूचना
प्रश्न संख्या

१०	दिल्ली में विश्व शांति परिषद् का अधिवेशन .	३४९४—३५०१
११	नेपाल नरेश का कथित इन्टरव्यू . .	३५०१

विषय		पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित
प्रश्न संख्या

११०८	सम्बलपुर बाढ़ नियंत्रण योजना . .	३५०१—०२
१११२	अम्बर जहाज .	३५०१
१११६	हरी खाद	३५०२—०३
११२२	उकई बांध .	३५०३
११२५	राष्ट्रीय राजपथ संख्या २८ और ३१	३५०३—०४
११२६	नौवहन उद्योग के लिये विदेशी मुद्रा	३५०४
११३०	भारत-बर्मा नौवहन सेवा .	३५०४
११३१	भारत में पागलपन .	३५०४—०५
११३२	घोड़ों की बीमारी का टीका .	३५०५
११३३	दिल्ली में भूमि . . .	३५०५
११३४	माल डिब्बों संबंधी आवश्यकता . .	३५०६
११३५	डाक बचत बैंक में जमा राशि पर ब्याज	३५०६

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२२७०	मध्य रेलवे में माल डिब्बे . .	३५०६—०७
२२७१	भांडागार	३५०७
२२७२	आंध्र प्रदेश और मद्रास राज्यों को संभरण किया गया गेहूं .	३५०८
२२७३	महाराष्ट्र में खाद्यान्नों का रक्षित स्टाक . .	३५०८
२२७४	दक्षिण पूर्व रेलवे पर शिकायतें और सुझाव . .	३५०८—०९
२२७५	मैसूर राज्य में पैकेज प्रोग्राम .	३५०९
२२७६	रेलवे में जंजीर खीचने के मामले .	३५०९
२२७७	हिमाचल प्रदेश में जिला फेडरेशन . .	३५१०
२२७८	विभिन्न योजनाओं पर व्यय .	३५१०—११
२२७९	सिंचाई के अन्तर्गत भूमि . .	३५११
२२८०	खाद्य की प्रति व्यक्ति खपत . . .	३५१२
२२८१	खाद्य पदार्थों का उपयोग	३५१२—१३
२२८२	मछली आदि का उपभोग . .	३५१३—१४
२२८३	मांस आदि का उपभोग	३५१४
२२८४	खाद्यान्नों की गहन खेती . . .	३५१४—१५

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२२८५	खाद्यान्नों का उत्पादन . .	३५१५
२२८६	खाद्य का प्रति व्यक्ति औसत उपभोग .	३५१६
२२८७	यात्री सुविधाएं	३५१६–१७
२२८८	पंजाब में पर्यटन . . .	३५१७–१८
२२८९	पंजाब में भूमि कटाव को रोकने के लिये काम	३५१८–१९
२२९०	विमान दुर्घटनायें . .	३५१९–२०
२२९१	गाड़ियों में डाके	३५२०
२२९२	स्थानान्तरित कर्मचारियों को उनके वेतन आदि का न दिया जाना	३५२०
२२९३	उड़ीसा में ग्राम सेवक का प्रशिक्षण पाने वाले विद्यार्थी	३५२०–२१
२२९४	उड़ीसा में ग्राम नेता प्रशिक्षण कैम्प	३५२१–२२
२२९५	उड़ीसा में महिला समितियां . .	३५२२–२३
२२९६	उड़ीसा के विकास खंडों में कर्मचारी	३५२३
२२९७	उड़ीसा में जीपें .	३५२३
२२९८	उड़ीसा राज्य परिवहन सेवा .	३५२३–२४
२२९९	उड़ीसा राज्य परिवहन सेवा .	३५२४
२३००	उड़ीसा राज्य परिवहन सेवा .	३५२४–२५
२३०१	उड़ीसा में सिंचाई परियोजनायें . . .	३५२५
२३०२	उड़ीसा में सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा कर्मचारियों में भ्रष्टाचार	३५२५
२३०३	उड़ीसा के सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाओं के मुअत्तिल कर्मचारी .	३५२५–२६
२३०४	बोलनगिर में गंधमदान पर्वत के संसाधन . .	३५२६
२३०५	उड़ीसा में परिवहन प्रबन्धकों को शिकायतें . .	३५२६
२३०६	उड़ीसा सर्कल के डाक तथा तार कर्मचारियों को बकाया राशियों का भुगतान . . .	३५२६–२७
२३०७	पटनागढ़, उड़ीसा में पोस्टमार्टम केन्द्र .	३५२७
२३०८	पंजाब के शुष्क क्षेत्र में भूमिगत जल . .	३५२७–२९
२३०९	मध्य प्रदेश में गेहूं का स्टाक . .	३५२९
२३१०	तार जांच समिति	३५२९
२३११	फल अनुसंधान केन्द्र, सहारनपुर	३५२९

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—**क्रमशः**

अतारांकित प्रश्न संख्या

२३१२	हिमाचल प्रदेश में भूमि का कटाव रोकने संबंधी प्रशिक्षण	३५३०
२३१३	हिमाचल प्रदेश में भूमि के कटाव को रोकना	३५३०
२३१४	हिमाचल प्रदेश में नल-कूप	३५३०—३१
२३१५	बड़ी बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं में विदेशी विशेषज्ञ	३५३१
२३१६	राष्ट्रीय राजपथों पर पुल	३५३२
२३१७	सांडों की कमी	३५३२
२३१८	बी० सी० जी० टीका	३५३२—३३
२३१९	जन्म मरण संबंधी आंकड़े	३५३३
२३२०	फलों का परिरक्षण	३५३३
२३२१	हीराकुड बांध परियोजना	३५३३—३५
२३२२	कालका—दिल्ली—हावड़ा मेल में भोजन यान	३५३५
२३२३	अमेरिका से अनाज का आयात	३५३६
२३२४	बम्बई—बहरीन जहाज भाड़ा दरें	३५३६
२३२५	क्लेम्स रिफन्ड आफिस, दक्षिण पूर्व रेलवे	३५३६—३७
२३२६	नगर निगमों द्वारा ऋण जारी किया जाना	३५३७
२३२७	केन्द्रीय आयुर्वेदिक अनुसन्धान परिषद	३५३७—३८
२३२८	भूमि संरक्षण	३५३८—३९
२३२९	योग अनुसन्धान-एवं-उपचार केन्द्र	३५३९
२३३०	तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य योजनायें	३५३९
२३३१	देश में चेचक	३५४०
२३३२	शिलांग में उमायम जल विद्युत परियोजना	३५४०—४१
२३३३	परिवार नियोजन	३५४१
२३३४	क्षय रोग	३५४१
२३३५	कृषि का यंत्रीकरण	३५४२
२३३६	काली मिट्टी को खेती योग्य बनाना	३५४२
२३३७	अखिल भारतीय मानसिक स्वास्थ्य संस्था	३५४३
२३३८	मनीआर्डर का दिया जाना	३५४३
२३३९	बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनायें	३५४३
२३४०	इम्फाल—तामेंगलांग रोड	३५४४

विषय

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित प्रश्न संख्या		पृष्ठ
२३४१	थांगा पहाड़ियों में डाक बंगला . .	३५४४
२३४२	ढले हुए लोहे के स्लीपर बनाने वाली फर्में . .	३५४४–४५
२३४३	हिमाचल प्रदेश में बी० सी० जी० के टीके . .	३५४५
२३४४	हिमाचल प्रदेश में मन्दोधार का क्षय रोग अस्पताल .	३५४५
२३४५	"कोटिशः व्यक्तियों के लिये भोजन" सन्था .	३५४५–४६
२३४६	उड़ीसा के किसानों के लिए रिजर्व बैंक का ऋण .	३५४६
२३४७	दिल्ली दूध योजना .	३५४७
२३४८	उड़ीसा में बाढ़ .	३५४७
२३४९	सब्जियों के बीजों का निर्यात	३५४७
२३५०	रात्रि विमान डाक सेवा	३५४७–४८
२३५१	माध्यमिक पत्तन . .	३५४८
२३५२	मद्रास राज्य में पर्यटन सुविधायें .	३५४८–४९
२३५३	मद्रास में सुपारी की पैदावार . . .	३५४९–५०
२३५४	मद्रास से चीनी का निर्यात	३५५०
२३५५	त्रिपुरा में पशु रोग .	३५५०
२३५६	चीनी के मूल्य	३५५०–५१
२३५७	पूर्वोत्तर रेलवे पर शीरे का बुकिंग .	३५५१
२३५८	अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अधीन औषधालय .	३५५१–५२
२३५९	क्विलोन–कोट्टयम सेक्शन पर स्टेशन मास्टर . .	३५५२
२३६०	नागार्जुन सागर परियोजना पर पुल	३५५२
२३६२	फसल बीमा . .	३५५२–५३
२३६३	बीकानेर डिवीजन के स्टेशनों पर पीने का पानी .	३५५३
२३६४	फरक्का बांध . .	३५५३
२३६५	फल तथा साग सब्जियां	३५५४
२३६६	राजेन्द्र पुल पर रेलगाड़ी का रुकना . .	३५५४
२३६७	बिजली से चलने वाले बूचड़खाने .	३५५४–५५
२३६८	भारतीय विद्युत् नियम, १९५६ . .	३५५५
२३६९	माल परिवहन में कमी . .	३५५५
२३७०	कोयला परिवहन में कमी . .	३५५६

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२३७१ कृषि औजार ३५५६
२३७२ हिमाचल प्रदेश के लिये उर्वरक . . . ३५५६
२३७३ ट्रैक्टर ३५५७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ३५५७–५८

श्री मुहम्मद इलियास ने दामोदर घाटी निगम से कलकत्ता क्षेत्र को अपर्याप्त मात्रा में बिजली दिये जाने की ओर सिंचाई और विद्युत् मंत्री का ध्यान दिलाया।

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम) ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया।

मंत्री द्वारा वक्तव्य . . . . . . ३५५८—५६

(एक) गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) ने उड़ीसा में मध्यावधि के निर्वाचनों के बारे में एक वक्तव्य दिया।

(दो) गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) ने भारत में १६६१ में हुई जनगणना के कच्चे आंकड़ो के बारे में भी एक वक्तव्य दिया और उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३५६०

निम्नलिखित पत्र टेबल पर रखे गये :—

(१) मोटर गाड़ी अधिनियम, १६३६ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिल्ली मोटर गाड़ी नियम, १६४० में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १६ जनवरी, १६६१ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० १२।४८/६०—परिवहन की एक प्रति।

(२) भारतीय बिजली अधिनियम, १६१० की धारा ३८ की उपधारा (३) के अन्तर्गत भारतीय बिजली नियम, १६५६ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक ७ दिसम्बर, १६६० की जी० एस० आर० संख्या १४६५।

(दो) दिनांक १० फरवरी, १६६१ की जी० एस० आर० संख्या २२५।

विषय सूची

	पृष्ठ
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	३५६०
सचिव ने चालू सत्र में संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये और २० मार्च, १९६१ को सभा को दी गई अन्तिम रिपोर्ट के बाद राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त बिल टेबल पर रखे :—	
(१) उड़ीसा विनियोग विधेयक, १९६१।	
(२) उत्तर प्रदेश गन्ना उप-कर (मान्यतादान) विधेयक, १९६१।	
(३) विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९६१।	
(४) विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक, १९६१।	
(५) रेलवे यात्री किराया (निरसन) विधेयक, १९६१।	
(६) विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६१।	
प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . . .	३५६०
एक सौ ग्यारहवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।	
उड़ीसा का आयव्ययक—उपस्थापित	३५६१—६६
वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) ने वर्ष १९६१—६२ के लिए उड़ीसा राज्य की अनुमति आय तथा व्यय का विवरण उपस्थापित किया।	
अनुदानों की मांगें	३५६६—३६१४
गृह-कार्य मंत्रालय के अनुदानों की मांगों के बारे में चर्चा आरम्भ हुई। चर्चा समाप्त नहीं हुई।	
मंगलवार, २८ मार्च, १९६१/१७ चैत्र, १८८३ (शक) के लिये कार्यावलि —	
गृह-कार्य मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा और मतदान	

विषय-सूची—क्रमशः पृष्ठ

	श्रीमती रेणुका राय	३५७१
	श्रीमती बिजय राजे	३५७२
	श्री मनायन	३५७२-७३
	श्री वाजपेयी	३५७३—७७
	श्री नवल प्रभाकर	३५७८—८१
	श्री हरिश्चन्द्र माथुर	३५८१-८२
	श्री फ़्रैंक ऐंथनी	३५८२—८४
	श्रीमती आल्वा	३५८४—८८
	श्री प्रकाश वीर शास्त्री	३६०३—०८
	श्री लै० अची सिंह	३६०८-०९
	श्री अ० मु० तारिक	३६१०—१४
दैनिक संक्षेपिका		३६१५—२१

समेकित विषय सूची [१४ मार्च, से २७ मार्च १९६१/२३ फाल्गुन, १८८२ से ६ चैत्र, १८८३ (शक) तक]

PLS. 41. LII. 30. 61.
125.

© १९६१ प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय को प्राप्त

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।